खण्ड–489, अंक–3
सोमवार, 02 आषाढ़, शक संवत् 1936
(23 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-92
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	93-94
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत टेवां-पश्चिम शरीरा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	94
उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ की समितियों के लम्बित वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद फिरोजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज कैथोला को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी की कटान से प्रभावित ग्रामों को वर्षा से बचाये जाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97
जनपद पीलीभीत के लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद महोबा में अवैध रूप से संचालित चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही कर बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	98-99
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा श्री राम प्रसाद त्यागी, फार्मासिस्ट का स्वीकृत वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	99-100
जनपद सहारनपुर के निर्वाचन क्षेत्र मनिहारन स्थित ग्राम भगवानपुर में नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	100
मेरठ नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी हेतु ओडियन एवं आकू नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	100-101
जनपद मथुरा की तहसील मथुरा में भूमि/मकानों पर रजिस्ट्री के साथ लिये जाने वाले 2% विकास शुल्क को क्षेत्र के विकास में लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	101-103
विधान सभा के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम की सूचना विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	103-104
नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं का उत्तर सदन की कार्यवाही का हिस्सा न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	104
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का पंचम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	104
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का षष्ठम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	104-105
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का सप्तम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	105
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का अष्टम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	105
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का नवम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	105
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का दशम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	105
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का एकादश प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)... ...	105-106
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का द्वादश प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	106
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड व तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम शिवनगरा के गाटा संख्या-519 में स्थित तालाब पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर उसकी उचित गहराई तक खुदाई कराये जाने विषयक श्री कृष्ण निवासी जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	106

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में गोरखपुर देवरिया मार्ग पर गौरी बाजार से रूद्रपुर बाईपास होते हुए मदनपुर बरहज मार्ग तथा दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर होते हुए खजुहा चौराहे तक की सड़क का सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने विषयक श्री नन्दलाल गुप्ता आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	106
अल्प सूची प्रश्न से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रकरण	107-108
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	108
बजट पर सामान्य चर्चा के दिनों में कार्य-स्थगन प्रस्ताव न दिये जाने का अनुरोध	108
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	108-135
आय-व्ययक पर चर्चा की मद का समय बाकी रहने एवं मुख्य मंत्री के आने तक कार्य-सूची की अगली मदें लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)... ...	135
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	135-137
जनपद सहारनपुर के ग्राम दौलतपुर में पुल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	138-139
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों के बैकों का कर्ज माफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	139
जनपद बरेली के 124 शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	139
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	139-166
बजट चर्चा के समय सदस्यों के चर्चा में भाग लेने हेतु निधारित क्रम ...	166
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)... ...	166-167
बजट चर्चा हेतु समय-निर्धारण	167
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	168-175
नत्थी	176-178

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 23 जून, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-332

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
7. अजीमुलहक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
8. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
14. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
20. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
22. अराधना मिश्र 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
23. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
24. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
25. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
26. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
27. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
28. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
30. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
31. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
32. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
33. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
34. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
35. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
36. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
37. आशीष यादव, श्री — बदायूं
38. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
39. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
40. इकबाल, श्री — बिजनौर
41. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
42. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
43. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
46. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री — उन्नाव
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
50. उमाशंकर, श्री — बलिया

51. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
52. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
53. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
55. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
56. काली चरन सुमन, श्री आगरा
57. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
58. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
59. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
60. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
61. कैलाश, श्री गाजीपुर
62. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
63. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
64. गजराज सिंह, श्री हापुड़
65. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
66. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
67. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
68. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
69. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
70. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
71. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
72. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
73. गोमती यादव, श्री लखनऊ
74. गोरख पासवान, श्री बलिया
75. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
76. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
77. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
78. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
79. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
80. जगपाल, श्री सहारनपुर
81. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
82. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
83. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
84. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
85. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
86. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
87. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
88. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
89. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
90. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
91. ज्योत्सना श्रीरवास्तव, श्रीमती वाराणसी
92. तसलीम, श्री बिजनौर
93. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
94. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
95. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
96. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
97. दलजीत सिंह, श्री बांदा
98. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
99. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
100. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
101. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
103. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
104. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
106. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
107. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
108. धर्मराज, श्री बाराबंकी
109. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
110. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़

111. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
112. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
113. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
114. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
115. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
116. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
117. नारद राय, श्री बलिया
118. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
119. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
120. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
121. *पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
122. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
123. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
124. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
125. पीतमराम, श्री पीलीभीत
126. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
127. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
128. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
129. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
130. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
131. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
132. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
133. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
134. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
135. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
136. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
137. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
138. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
139. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
140. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
141. बदलू खां, श्री उन्नाव
142. बाबू खां, श्री हरदोई
143. बावन सिंह, श्री गोण्डा
144. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
145. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
146. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
147. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
148. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
149. बैजनाथ, श्री मऊ
150. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
151. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
152. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
153. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
154. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
155. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
156. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
157. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
158. मनबोध, श्री देवरिया
159. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
160. मनीष रावत, श्री सीतापुर
161. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
162. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
163. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
164. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
165. महबूब अली, श्री अमरोहा
166. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
167. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
168. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
169. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
170. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा

171. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
172. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
173. मानपाल सिंह श्री कासगंज
174. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
175. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
176. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
177. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
178. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
179. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
180. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
181. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
182. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
183. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
184. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
185. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
186. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
187. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
188. यासर शाह, श्री बहराइच
189. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
190. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
191. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
192. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
193. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
194. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
195. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
196. रणजीत सुमन, श्री एटा
197. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
198. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
199. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
200. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
201. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
202. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
203. रवि शर्मा, श्री झांसी
204. *राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
205. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
206. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
207. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
208. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
209. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
210. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
211. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
212. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
213. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
214. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
215. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
216. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
217. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
218. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
219. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
220. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
221. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
222. राधेश्याम, श्री अमेठी
223. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
224. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
225. राम करन आर्य, श्री बस्ती
226. रामखिलाड़ी सिंह यादव, सम्भल
227. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
228. राम गोविन्द, श्री बलिया
229. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
230. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
231. रामपाल यादव, श्री सीतापुर

232. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
233. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
234. राम मगन, श्री बाराबंकी
235. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
236. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
237. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
238. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
239. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
240. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
241. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
242. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
243. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
244. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
245. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
246. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
247. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
248. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री मेरठ
249. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
250. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
251. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
252. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
253. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
254. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
255. *विक्रम सिंह फतेहपुर
256. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
257. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
258. विजय मिश्र, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
259. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
260. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
261. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
262. विजय सिंह, श्री रामपुर
263. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
264. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
265. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
266. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
267. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
268. वीरपाल राठी, श्री बागपत
269. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
270. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
271. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
272. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
273. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
274. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
275. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
276. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
277. शाकिर अली, श्री देवरिया
278. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
279. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
280. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
281. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
282. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
283. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
284. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
285. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
286. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
287. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
288. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
289. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
290. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
291. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
292. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
293. संजय कपूर, श्री रामपुर
294. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती

295. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
296. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
297. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
298. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
299. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
300. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
301. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
302. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
303. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
304. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
305. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
306. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
307. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
308. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
309. सियाराम सागर, डा0 बरेली
310. सीमा, श्रीमती जौनपुर
311. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
312. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
313. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
314. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
315. सुधाकर, श्री मऊ
316. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
317. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
318. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
319. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
320. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
321. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
322. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
323. सुल्तान बेग, श्री बरेली
324. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
325. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
326. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
327. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
328. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
329. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
330. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
331. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
332. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नत्थी (क)

प्रदेश में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति करने की जानकारी

**1-डा0 धर्मपाल सिंह, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री रामचन्द्र यादव, श्री सूरज पाल सिंह, श्री मित्रसेन यादव, श्री प्रदीप माथुर, श्री संजय प्रताप जयसवाल तथा श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली कटौती का संकट विकराल रूप ले चुका है और पूरे प्रदेश में शहर व देहात के क्षेत्रों में लगातार 10-16 घण्टे तक की बिजली कटौती की जा रही है जिसकी वजह से औद्योगिक क्षेत्र, किसान, व्यापारी एवं आम जन को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा छात्रों के भविष्य पर भी प्रतिकूल-प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में की जा रही बिजली कटौती बन्द कर जनता को बिजली आपूर्ति सुचारु किया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

(क) जी नहीं।

(ख) प्रदेश में घोषित रोस्टर के अनुसार वर्तमान में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रदेश में विद्युत की मांग के सापेक्ष उपलब्धता में कमी होने के कारण निर्धारित[†] रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति करा पाना ही सम्भव हो पा रहा है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अध्यक्ष जी किसानों की फसलें सूख गईं। औद्योगिक क्षेत्र में आठ से दस घण्टे बिजली मिल रही है पूरे प्रदेश में। और हमारा जो टी0टी0 जेड क्षेत्र है आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और मथुरा वहां पर 24 घण्टे बिजली देने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं। लेकिन हाल यह है कि वहां 8 से 10 घण्टा बिजली मिल रही है। हमारे किसान और व्यापारी डबल मार झेल रहे हैं। किसान जो टी0टी0जेड0 क्षेत्र का है पूरे प्रदेश में नलकूपों का बिल 75 रुपये प्रति हार्स पावर लगता है लेकिन टी0टी0जेड0 क्षेत्र के किसानों का 140 रुपये लगता है। ऐसे ही हमारे पंखा बत्ती के जो कनेक्शन धारक हैं उसमें टी0टी0जेड0 क्षेत्र के कनेक्शन धारकों को 425 रुपये महीना देना पड़ता है जबकि पूरे प्रदेश में 220 रुपये देना पड़ता है। तो हमारे क्षेत्र के किसान डबल पैसा दे रहे हैं और बिजली 8 से 10 घण्टे मिल रही है। कहने के लिए उनको 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न करना चाहता हूं। क्या सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ- पर।

ध्यान में रखते हुए टी0टी0जेड0 क्षेत्र आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और हाथरस क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली देने का काम करेगी और अगर 24 घण्टे बिजली किन्हीं कारणों से नहीं दे पा रही है तो हमारे जो किसानों के बिल हैं पंखा, बत्ती के बिल हैं उन्हें प्रदेश के अन्य लोगों के बराबर करने पर विचार करेगी।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार माननीय सर्वोच्च न्यालालय के आदेशों का पूर्णतया पालन करती है जहां तक ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र की बात है वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 24 घण्टे विद्युत की सप्लाई की जा रही है। जो लोकल फाल्ट होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाय तो ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में माननीय सुप्रीम कोटे के आदेशानुसार 24 घण्टे विद्युत सप्लाई की जा रही है।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी पहले माननीय सदस्य को प्रश्न पूछ लेने दें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, टी0टी0जेड0 क्षेत्र फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा के शहरी क्षेत्र में पांच से छह घण्टे कटौती हो रही है और देहाती क्षेत्र में 8 से 10 घण्टे विद्युत कटौती हो रही है। सरकार बराबर कहती है कि आगरा को हम विश्व स्तर का शहर बनाएंगे। माननीय मंत्री जी पता नहीं सही तथ्यों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप किसी को भेजकर जांच करा लें किसी भी टी0टी0जेड0 क्षेत्र में 10 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोगों का सवाल था। अच्छा तो होता कि सरकार स्पष्टता के साथ सामने आती और जो कठिनाई सरकार के सामने है इस सदन की सर्वसम्मति बनाकर इस प्रश्न के माध्यम से हम उस समस्या के निदान की तरफ बढ़ते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ने इस प्रश्न के उत्तर के साथ एक संलग्नक लगाया है। हमने भी कहा है कि 10 से 16 घण्टे बिजली आपूर्ति प्रदेश में हो रही है। सरकार ने अपने उत्तर में कहा है जी नहीं। लेकिन अगर इसके साथ के संलग्नक को मान्यवर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे स्वीकार सरकार ने किया। तहसील स्तर पर 10 घण्टे स्वीकार सरकार ने किया। जनपद और समकक्ष स्तर पर 15 घण्टे स्वीकार सरकार ने किया। मण्डल स्तर पर 18 घंटे, महानगर में 20 घंटे, बुन्देलखण्ड क्षेत्र जो किसानों के लिये सर्वाधिक कष्ट का क्षेत्र है, सिंचाई की सुविधा वहां वैसे ही नहीं है और फिर बिजली 15 घण्टे सरकार स्वयं स्वीकार कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र और ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र के लिये उन्होंने 24 घण्टे की बात सरकार ने कही है। एक, दो, तीन, चार, पांच-पांच जगह आठ में से उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उत्तर है जी नहीं। दूसरा मेरा निवेदन है, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं और इसलिये कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता को जो सरकार की कठिनाई है, उसकी जानकारी हो। लेकिन सरकार को जितनी उपलब्ध बिजली है वह कैसे पहुंचे इस बात को जनता को बताना है। ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र जिसकी अभी बात अभी माननीय मंत्री जी ने 24 घण्टे बिजली सप्लाई की बात कही और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की बात की है। माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के बाद माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जो लोकल फाल्ट की बात हो तो उसके कारण

दिक्कत है। मैं केवल विनम्रतापूर्वक पीठ से आग्रह करना चाहता हूं। आप केवल पिछले 15 दिन की लॉग टेबिल मंगा लें माननीय अध्यक्ष जी। हमारे संरक्षणदाता आप है मान्यवर। प्रदेश की जनता इस सदन की तरफ देख रही है। कृपा करके उस लॉग टेबिल से अगर साबित हो जाये 24 घण्टे बिजली तो हम अपनी गलती मान लेंगे अन्यथा सरकार को समुचित निर्देश देने पर विचार करें, एक तो मेरा आग्रह आपसे यह है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा कि घोषित रोस्टर के हिसाब से। रोस्टर इसमें नहीं दिया है। घोषित रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही है। लोकल फाल्ट न हो, गर्मी का मौसम आना था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने ट्रांसफार्मर, तार और इन सबकी रिपेयरिंग की व्यवस्था नहीं की मान्यवर। तो उत्तर प्रदेश के कन्ट्रोल से यदि बिजली जा भी रही है, यदि जा रही है, है नहीं। तो भी लोकल अगर नहीं मिल रही है तो जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न पूछिये ना।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

हां मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। तो मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़े और बढ़ी हुई उपलब्ध विद्युत की आपूर्ति उपभोक्ता तक हो उसके लिये तार, खम्भे, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन और जो सबसे बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस वक्त चोरी कितनी है, लाइन लॉस जिसको यह लोग कागज में कहते हैं, कितनी है ? विद्युत की उपभोक्ता को उपलब्धता न हो पाने....

श्री अध्यक्ष-

आप एक सवाल करिये ना, कितने सवाल एक साथ करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कर तो लिया मैंने कि विद्युत उपलब्धता न हो पाने के कारण चोरी कितने परसेन्ट हो रही है यह सरकार बता दे।

श्री अध्यक्ष-

आपका कौन सा प्रश्न आया ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

इसमें चोरी कितनी है....

सरकार किस कारण से बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है ? 07 मई को प्रदेश में 2.86 मिलियन यूनिट उपलब्ध थी।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल तो पूछिये ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैं सवाल पूछ रहा हूं, सरकार जवाब तो दे। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर में सरकार ने जो ''जी, नहीं'' कहा है, केवल 10 से 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति हो रही है, उससे अधिक नहीं हो रही है, इस आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और इसे कैसे सुनिश्चित करेगी ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो सवाल पूछा गया है, उसी का उत्तर दिया गया है, ''जी, नहीं'' सवाल यह है कि 'प्रदेश में शहर व देहात के क्षेत्रों में लगातार 10-16 घण्टे तक की बिजली कटौती

की जा रही है।' आपने कटौती के बारे में पूछा है, आपने आपूर्ति की कोई बात नहीं कही है। आपने कटौती की बात कही है, आप सवाल पढ़ लीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह कटौती कम कैसे होगी और 24 घण्टे बिजली कब तक देंगे ? उसके बारे में सरकार बताये। विद्युत नियामक आयोग का आदेश है कि 24 घण्टे बिजली सप्लाई होने पर इतना फिक्स चार्ज देना होगा, अगर बिजली कम दी जा रही है, तो फिक्स चार्ज भी उसी हिसाब से कम होना चाहिए। उपभोक्ता को जो दोनों तरह से ठगने का काम पावर कारपोरेशन कर रहा है, सरकार को जनता का ध्यान रखना चाहिए, उसको कैसे अधिक बिजली मिले और बिजली की उपलब्धता बढ़े इस ओर सरकार को प्रयास करना चाहिए।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो प्रश्न किया था, आपने पूछा है कि कटौती कितनी है ? मा0 मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो लिखित उत्तर है, उसका पेज-2 देख लें, उसमें है कि उपलब्धता के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति निम्नलिखित है, विद्युत कटौती निम्नलिखित नहीं है। उसी पर मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि आप कितनी बिजली उपलब्ध करा रहे हैं ? लेकिन आपने घुमा दिया कि कितनी कटौती हो रही है। मान्यवर, जवाब में है कि इतनी आपूर्ति हो रही है, कटौती के बारे में नहीं लिखा गया है। मा0 बाजपेयी जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर गुमराह करने वाला है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात को सही तरीके से रखें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर आया है और जो प्रस्तुतीकरण हुआ, मान्यवर, पूरे प्रदेश को पता है और इस विधान सभा में बैठे 402 विधायक बता सकते हैं कि उनके क्षेत्रों में कितनी बिजली आ रही है और कितनी बिजली कट रही है। ताज ट्रिपेजियम जोन के अन्तर्गत जो मा0 धर्मपाल जी का प्रश्न था, वहां चारों जिलों में देहाती क्षेत्रों में मुश्किल से 8 घण्टे बिजली और शहरी में 8 या 10 घण्टे बिजली आती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 24 घण्टे बिजली वहां दी जाए। ताज की वजह से पूरी दुनिया से वहां टूरिस्ट आता है और मथुरा में भगवान कृष्ण की वजह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आता है। मान्यवर, बिजली की इतनी भयंकर कटौती और उसकी तरफ ध्यान न दिया जाना बहुत गंभीर है, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और इसी तरह से ताज ट्रिपेजियम जोन में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी ? मान्यवर, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। मान्यवर, जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष-

आप उसको क्यों दोहरा रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, जवाब नहीं आया। इसमें सीधे-सीधे लिखा है कि 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। कहां दी जा रही है। बताइये, क्या आप 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इनका कहना है कि 24 घण्टे बिजली दी जा रही है अगर आपको लगता है कि नहीं दिया जा रहा है तो आप नियमों के अनुसार काम कीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, हाहाकार मचा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह बतायें कि क्या वह 24 घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे कि नहीं करायेंगे। मान्यवर, इनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। मान्यवर, 24 घण्टे बिजली आपूर्ति न किये जाने के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रदीप माथुर के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक नीतिगत सवाल मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मान्यवर, जनपदों में बहुत सी शुगर यूनिट्स ऐसी हैं जो 15-20 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती हैं। उनके पास क्षमता है। क्या मा0 मंत्री जी उन यूनिटों को बिजली पैदा करने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे और आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लोकल लेबल पर जो बिजली पैदा होती है वह स्टेट पूल में जाती है उनको जनपदीय स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे सप्लाई करने का अधिकार नहीं है। तो आपके माध्यम से एक नीतिगत प्रश्न सिर्फ यह पूछना चाहते हैं कि अगर जनपद स्तर पर एक-एक जनपद की मांग 100-100 मेगावाट है तो 100 मेगावाट अगर हम पांच यूनिटों से पैदा करवा लं क्या मा0 मंत्री जी स्टेट पूल के बजाय जनपद स्तर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उनको यह पावर देंगे कि बिजली बनाकर स्थानीय स्तर पर सप्लाई कर लें। यह नीतिगत सवाल है और पूरे प्रदेश के हित में है।

श्री यासर शाह-

मा0 सदस्य जी का सुझाव बहुत अच्छा है और इस सुझाव पर विचार करने की जरूरत है तो इस बारे में विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिजली पर लगा हुआ है और सरकार की तरफ से जो उत्तर आया। इन्होंने अपने रोस्टर के अनुसार आपूर्ति का चार्ट दिया। इसमें मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसाकि आपने बताया कि ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस को 24 घण्टे बिजली आपूर्ति आपने अपने उत्तर में बताया। मान्यवर, जब बिजली आपूर्ति की जाती है तो इन क्षेत्रों में 24 घण्टे का लॉग बुक रजिस्टर होता है और उस पर अंकित होता है। चूंकि मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मा0 मंत्री जी सदन में सही उत्तर दे रहे हैं तो लॉग बुक आपके पटल पर रखें। यह गुमराह करने वाला और तथ्यहीन असत्य बयानबाजी सदन के माध्यम से करके पूरे सदन को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, तथ्यों को स्वीकारना चाहिये। मान्यवर, हम सभी लोग चाहे सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी मा0 सदस्य ग्रामीण अंचलों से ज्यादातर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से दो घण्टे भी बिजली नहीं आती है। मान्यवर, कुल वैसे तो 5-6 घण्टे बिजली आती है। लेकिन नियमित रूप से लगातार दो घण्टे बिजली नहीं आती है और यही नही जिला मुख्यालयों पर भी कभी भी नियमित रूप से बिना कटौती के दो घण्टे निरन्तर बिजली नहीं मिलती, एक-एक घण्टे बिजली कटौती होती है और

यही नही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक-एक दर्जन बार कटौती होती है, इसीलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी अपने रोस्टर के अनुसार आपूर्ति की जा रही बिजली को बिना कटौती के सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे या नहीं और दूसरी चीज क्या लॉग बुक चौबीस घण्टे की आपूर्ति का आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अथवा नहीं, यह दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष-

लॉग बुक का प्रश्न तो मा0 बाजपेयी जी ने पहले ही उठा दिया और अब मा0 मंत्री जी से आप कह रहे हैं आपूर्ति करने का रोस्टर पेश करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर चौबीस घण्टे बिजली आपूर्ति आगरा ट्रिपेजियम क्षेत्र में दिये जाने की व्यवस्था है और उसके बावजूद जबकि आगरा के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शीय हैं, स्वयं भुक्तभोगी हैं, आगरा ट्रिपेजियम क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ पीड़ित भी है और उनके कहने के बाद भी अगर सरकार इस तथ्य को स्वीकार करने के बजाय आनाकानी करती है, तो मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहेंगे और यह चाहेंगे कि या तो इस बात की जवाबदेही को सुनिश्चित करें कि यहां पर जो भी इनकी समय-सारणी है, उसके द्वारा आपूर्ति की जा रही है यह सुनिश्चित करायेंगे और ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में चौबीस घण्टे बिजली आपूर्ति करेंगे और साथ ही साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में यदि हो रहा है तो उसका लॉग बुक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मान्यवर, इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री यासर शाह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति की जा रही है, वह पूर्णतः इस बात के लिए सुनिश्चित किया गया है कि रोस्टर के अनुरूप ही बिजली आपूर्ति की जाय और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कम से कम लोकल फाल्ट हो, कम से कम समस्यायें हों, ताकि रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से की जा सके। मा0 अध्यक्ष जी, अगर आपका आदेश होगा तो लॉग बुक प्रस्तुत कर दी जायेगी, सदन के पटल पर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार सीधे-सीधे गलतबयानी कर रही है, सदन को गुमराह कर रही है और प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंक रही है और दर्जनों बार बिजली कटौती करके यह सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है, इसलिए मान्यवर, सरकार की गलतबयानी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, एक निवेदन यह करना चाहता था कि आप मा0 माथुर साहब को इस बात की बधाई दे दीजिए कि उन्होंने आपका आदेश स्वीकार कर लिया, बहिर्गमन का नारा लगाने के बाद उसी प्रश्न में लौट आये, इस बात के लिए उनको धन्यवाद दे मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

यह समझ नहीं पाये, उन्हें लगा कि दूसरा प्रश्न आ गया, इसलिए वह आ गये।

श्री अम्बिका चौधरी-

ऐसा नहीं है मान्यवर, उन्होंने आपका अनुरोध स्वीकार किया है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने यह प्रश्न पूछा है कि बिजली आप कितनी दे रहे हैं, रोस्टर तय करना या न करना इनका काम है। यह तो इनकी कृपा है कि इन्होंने रोस्टर में दो घण्टे, चार घण्टे नहीं बता दिया, नहीं तो कहते कि हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। रोस्टर आप तय करेंगे, बिजली हमें व पूरे प्रदेश की जनता को पूरी चाहिए, जब जनता को पूरी बिजली चाहिए और आप बिजली देने के लिए समर्थ नहीं हैं तो आप गलत तथ्य और गलत बयानबाजी इस हाऊस में करते हो, वह मान्यवर, अभी आपके सामने जो स्वयं जो उत्तर दिया गया, उससे परिलक्षित हो गया कि आपूर्ति और कटौती में क्या फर्क है। मान्यवर, आज प्रदेश का जनमानस बिजली न होने के कारण त्राहिमाम कर रहा है, मुझे लगता है प्रदेश के बार्डर के ऊपर यू0पी0 में ब्लैक आऊट है इस बात का बोर्ड लगाना केवल रह गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मान्यवर इण्डस्ट्री समाप्त हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में मान्यवर बिजली की कमी के कारण किसान को बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है, बड़े शहरों के अन्दर जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि बीस घण्टे है।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल तो पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सवाल ही पूछ रहा था। सवाल सब लोगों ने पूछे, सवाल का एक भी उत्तर सही नहीं आया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बिजली दे नहीं रहे। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपके माध्यम से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि क्या महानगरों में 24 घण्टे बिजली देंगे और किसान के लिये 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायेंगे कि नहीं करायेंगे।

श्री यासर शाह-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार का प्रयास भी है और इस सरकार का इस प्रदेश को कॉन्फिडेन्स में लेकर आश्वासन दिया गया है कि वर्ष 2016 तक शहरों में 24 घण्टे एवं देहात में 16 घण्टे से 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति निर्बाध करायी जायेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आश्वासन तो पहले भी कई बार दे चुके हैं और पहले भी इस प्रकार की बात कह चुके हैं कि 2014 तक देंगे, जब 2014 आया तो 2016 तक देंगे।

श्री अध्यक्ष-

20 मिनट से ज्यादा हो चुका है एक सवाल पर।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस तरह के झूठे आश्वासनों के कारण यह सरकार गुमराह कर रही है, जनता को बिजली देने की स्थिति में नहीं है। मान्यवर, इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् उपनेता भाजपा श्री सतीश महाना के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा भी सवाल है ये। आपने सभी मा0 नेताओं की अपने-अपने ढंग से बात सुनी। मेरा इनसे अलग तर्क है। मैं स्वयं तर्क के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सरकार ने जो वादा किया है कि 10 घण्टे बिजली की आपूर्ति देहात क्षेत्र में की जायेगी, ये कतई भ्रामक और गलत है। मेरे पास रिकार्ड है उसकी कॉपी है। 4 घण्टे, 5 घण्टे, साढ़े तीन घण्टे से ज्यादा किसी भी जगह बिजली की सप्लाई नहीं आ रही है देहात क्षेत्र में। मेरे पास सबूत है इस बात का। यह मेरे पास सबूत है आप देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न तो पूछिये। बहुत समय हो गया, 25 मिनट एक प्रश्न पर हो गये।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इसलिये आपके सामने जो सूचना दे रहे हैं अधिकारी। गलत सूचना दे रहे हैं मैं चाहूंगा आपकी पीठ के माध्यम से कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करावें। ये सूचनायें सब गलत और भ्रामक दी जा रही हैं। एक नया प्रयोग और शुरू कर दिया है। मा0 मंत्री जी के संज्ञान में है या नहीं है। आंधी से कम से कम मेरे जनपद में 500 पोल टूटे हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास कर्मचारी उन्हें लगाने के लिये नहीं हैं। संविदा के कर्मचारी बिना पैसा दिये काम करने के लिये जाते नहीं हैं। अब एक नया फार्मूला और लगा दिया है, मा0 सदस्य शायद नहीं बता पाये। अब एक एस0डी0एम0 साहब और घुस गये हैं बीच में। जब तक एस0डी0एम0 उसमें रिपोर्ट नहीं देगा पोल टूटने की तब तक पोल रिप्लेस नहीं होगा। अब एस0डी0एम0 हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

दैपी आपदा के कारण हुआ होगा कि दैवी आपदा में टूटा कि नहीं।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रक्रिया में 15-15 दिन एक पोल को रिप्लेस करने में लग रहे हैं। एस0डी0एम0 साहब विभिन्न कामों में व्यस्त रहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सुझाव दीजिये न।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आदमी लाइन में खड़ा रहता है। हस्ताक्षर एस0डी0एम0 साहब करते नहीं हैं, पोल रिप्लेस नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह व्यवस्था समाप्त कर दी जाये

और विभाग के अधिकारियों को पूरा अधिकार दे दिया जाये जिससे वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। इस पर मैं जवाब चाहूंगा सरकार का।

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ख)

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013 के अगस्त माह में राष्ट्रीय नदी गंगा की भीषण बाढ़ में बक्शी बांध की एस0टी0पी0 की रिंग बांध टूटने से बचाने हेतु सरकार की योजना

*01-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2013 के अगस्त माह में राष्ट्रीय नदी गंगा की भीषण बाढ़ में बक्शी बांध की एस0टी0पी0 की रिंग बांध टूटने से पूरे नगर क्षेत्र को भारी जल प्लावन का खतरा उत्पन्न हो गया था ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उस समय सुरक्षा के क्या-क्या उपाय किये गये तथा इस पर कुल कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भविष्य में इस तरह की आकस्मिक भयंकर त्रासदी से बक्शी बांध एस0टी0पी0 आदि को बचाने हेतु शासन कोई योजना बना रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जनपद इलाहाबाद में अगस्त, 2013 में गंगा नदी के भीषण बाढ़ में बक्शी बांध की एस0टी0पी0 की रिंग बांध टूटने से पूरे नगर क्षेत्र में जल प्लावन का खतरा उत्पन्न नहीं हुआ था, अपितु जल प्लावन का खतरा उत्पन्न न हो, इसके समुचित उपाय सिंचाई विभाग द्वारा किये गये थे।

सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध की सुरक्षा बालू भरी बोरियां, बांस, बल्ली तथा बोल्डर डालकर की गयी थीं। साथ ही बक्शी बांध स्थित स्लूस गेट को बोल्डर बल्ली तथा बालू भरी बोरियां डालकर प्लग कर दिया गया था। इस कार्य पर कुल रु0 306.20 लाख का व्यय किया गया।

सिंचाई विभाग द्वारा इलाहाबाद में बक्शी बांध पर बने सलोरी एस0टी0पी0 रिंग बांध की पुनर्स्थापना तथा उस पर बोल्डर पिचिंग एवं अन्य अवशेष कार्य हेतु रु0 1240.58 लाख की परियोजना बनाई गई है, जो स्थायी संचालन समिति से अनुमोदित हो चुकी है। अनुमोदित लागत के सापेक्ष रु0 650.58 लाख की धनराशि नगर विकास विभाग द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है तथा आवश्यक धनराशि सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराते हुए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले 25 अगस्त, 2013 को बक्शी बांध पर एक एस0टी0पी0 है, जिसका रिंग बांध टूट गया 8 बजकर 15 मिनट पर चूंकि लगभग एक महीने से लगातार गंगा नदी बाढ़ पर थी, पूरे प्रदेश में थी और इलाहाबाद विशेष रूप से प्रभावित था। हम लोग भी वहां पर थे और उसी समय वह बक्शी बांध टूटा, रिंग बांध और उसका सारा पानी बक्शी बांध के स्लूस गेट पर आकर उसने धक्का मारा और वह भी टेढ़ा हो गया। उस समय बड़ी भयावह स्थिति थी, यदि मा0 मंत्री जी वहां पर होते तो निश्चित ही वह इसमें और ज्यादा लिखते, वहां सही में, वास्तव में जल-प्लवन का

खतरा था और इसी को देखते हुए चूंकि व्यवस्था नहीं थी और हम लोग भी थे और तमाम नागरिक थे, सब लोगों ने मिलकर सवा आठ बजे से लेकर रात आठ बजे तक बोरी, बालू, बांस तथा बल्ली सब लोगों ने लगाया, सब लोगों ने मेहनत किया, जिला प्रशासन ने भी लगाया और उसको रोका जा सका। अगर स्लूस गेट टूट जाता, तो पूरा इलाहाबाद उसमें डूब जाता, लेकिन यह बात सही है कि अब उसमें काम हो रहा है। लेकिन यह जो 306.20 लाख बांस, बल्ली, बोरी तथा बोल्डर में खर्च किया गया है, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्योंकि ये कार्यवाही भी करते हैं, इसमें कितनी बोरियां लगी, कितने का बोल्डर लगा ?

श्री अध्यक्ष-

ये कहां उनके पास सूचना होगी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इसी से यह सम्बन्धित प्रश्न है, इससे बाहर नहीं है, चूंकि 3 करोड़ 6 लाख रुपया एक दिन में खर्च हो गया। इसलिए यह आश्चर्यजनक है, मैं इसमें यह जानना चाहूंगा और इसमें सेना ने भी भाग लिया, सेना के जवान भी साढ़े चार बजे से आए, उन्होंने अपनी मेहनत की और इसमें मजदूरी में कितना खर्च हुआ।

श्री अध्यक्ष-

क्या इसमें सूचना है मा0 मंत्री जी। सूचना नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जिस तरह के हालात वहां थे और जितना बड़ा हादसा हो सकता था, जो बचा आपका भी उसमें सहयोग रहा, उसका अंदाजा आपको अच्छी तरह है, जब इस तरह की इमरजेंसी के काम होते हैं, तो उस वक्त यह कोशिश की जाती है कि हालात काबू में आये, लोगों की जान का नुकसान न हो और ऐसी जगह पर था, जहां बड़ा नुकसान हो सकता था। उस वक्त इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है कि किस चीज में कितना पैसा खर्च हुआ। कितना ही पैसा खर्च हो लेकिन जानी नुकसान न हो, श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी और कोई भी हादसा वहां होता तो बड़ी बदनामी का कारण बन जाता। अब इस वक्त यह तलाश करना कि कितने बैग्स आये थे, उनमें रेत कितना था, मिट्टी कितना था, लेकिन आप सब के सहयोग से उसे काबू किया जा सका। अब एस0टी0पी0 तैयार है, जो नुकसान उसे हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान उसमें हमारा ही हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था और मान्यवर, उस वक्त अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों की गलती महसूस की गयी, उनको सजा भी मिली थी, लेकिन क्योंकि वह एक कुदरत की तरफ से एक ऐसा हादसा था जिस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अधिकारियों की नहीं डाली जा सकती थी, तो अब इसमें हमारा तो काम एस0टी0पी0 का शत-प्रतिशत पूरा है, जो नुकसान हो गया था, वह मुकम्मल हो गया है, उसको ठीक कर दिया गया है और 50 प्रतिशत काम मुकम्मल हो चुका है, बाकी काम प्रगति पर है। हमारे सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, इनका सहयोग भी है, इनके विभाग का काम भी है, दोनों चल रहे हैं और जल्दी ही हम इसे पूरा कर लेंगे, और आप को तो अंदाजा है अर्द्धकुम्भ हो या कुम्भ सरकार की बड़ी प्रॉयरिटी रही है और पूरी कोशिश की गई है कि वहां पर जितना भी बेहतर से बेहतर काम हो किया जा सके और किया भी गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रदेश के महानगरों में अवस्थापना सुविधायें बढ़ाने हेतु शासन स्तर पर नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*02-श्री सतीश महाना, डा0 अरूण कुमार तथा श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में अवस्थापना सुविधायें बढ़ाने हेतु शासन स्तर पर कोई नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

74वें संविधान संशोधन के पश्चात् अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित नगर निकाय का है। प्रदेश के नगर स्थानीय निकायों द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग व 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अन्तरण से दी जाने वाली धनराशि से भी अवस्थापना सुविधाओं के कार्य कराये जाते है। भारत सरकार के वित्त पोषण से संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों यथा-जे0एन0एन0यू0आर0एम0, नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथॉरिटी, नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श में प्रदेश के 07 मिशन शहरों में 33 परियोजनाओं तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में 46 छोटे शहरों की कुल 64 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण स्वीकृत किया जाता है। राज्य सेक्टर के अन्तर्गत ही उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से वित्त पोषित आदर्श नगर योजना, नगरीय सीवरेज, नगरीय पेयजल, नगरीय सड़क सुधार योजना व नगरीय जल निकासी योजना से विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है। इस प्रकार निकायों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों, केन्द्र सरकार के सहयोग व राज्य सरकार के संसाधनों से प्रदेश के महानगरों सहित सभी नगरों में अवस्थापना सुंविधाओं के विकास हेतु समेकित प्रयास किये जा रहे हैं। अतः इस सम्बन्ध में पृथक से किसी नीति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रीमन्, मैंने जवाब तो पढ़ दिया है। इसके अतिरिक्त, यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न है जब सत्र शुरू होता है तो यह अवश्य आता है। इस प्रश्न को लगाने की अच्छी आदत हो गयी है, हमने इसका लम्बा चौड़ा उत्तर दिया है इसमें हमें भी जवाब देने की आदत सी हो गयी है। मान्यवर, मैं महाना जी से कहना चाहता हूं कि क्योंकि आप केन्द्र में है आपकी सरकार वहां पर है आप इस बात की घोषणा यहां पर कीजिये कि जो काम इसमें केन्द्र सरकार को करना है जो कमियां इसमें हैं

उसमें जल्द से जल्द धन उपलब्ध कराने का काम आप करायेंगे ताकि इस प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा मैं सुन नहीं पाया शायद मंत्री जी का माइक साथ नहीं दे रहा था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैंने इसे ठोक-ठोक कर ठीक कर लिया है। (हंसी)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ठोकने की तो आपकी आदत रह नहीं गयी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इतने सुन्दर व्यक्ति की अगर ठुकाई होती तो हम जैसे लोगों का क्या होगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 74वें संविधान संशोधन के पश्चात्। तो मैं 74वां संविधान संशोधन लागू हो गयी है। क्या इसके बाद सारे अधिकार स्थानीय निकायों को दे दिये गये हैं। दूसरे, आपने इसमें 13वें वित्त आयोग और विभिन्न योजना का जिक्र किया है। आपने कहा कि आपको जवाब देने की आदत हो चुकी है इसके बारे में तो इस बारे में कहना है कि पूर्ण उत्तर इसमें नहीं आया है। मान्यवर, जब तक प्रदेश का इन्फास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक प्रदेश दुरुस्त नहीं होगा और फिर तब तक कैसे प्रदेश का समग्र विकास हो सकता है। इसलिए मान्यवर, 2 छोटे-छोटे प्रश्न जो पहले मैंने प्रश्न किया एक वह और दूसरा इन सारी योजनाओं को लागू करने के लिए। आप भी माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे और आप इसको बड़ी अच्छे नजरिये से देखते भी हैं कि एक ही विभाग में भिन्न-भिन्न प्रकार के जो इसमें हैं जैसे मान्यवर, जल निगम अलग हो गया जल संस्थान अलग हो गया, नगर निगम अलग हो गया, विकास प्राधिकरण अलग हो गया यह सारे जितने विभाग हैं इनका आपस में तालमेल ही नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं और इस बात को आप कई बार कह भी चुके हैं। दूसरा प्रश्न मान्यवर, यह है कि शहरों के समग्र विकास के लिए यह जितने विभाग आपने इसमें दिखाये हैं इन सबके लिए एक संयुक्त मानीटरिंग के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी बनाने की बात कहेंगे जिसके अन्तर्गत यह सारी की सारी बाते आती हैं और इसकी मानीटरिंग संयुक्त रूप से की जाय और उसका लाभ जनता को मिल सके। दो प्रश्न हैं एक 74वें वाला और एक यह।

श्री मोहम्मद आजम खां-

महाना जी, जो नहीं कहा वह नहीं कहा अब आप फरमा रहे हैं कि मैं कह चुका हूं मैंने तो नहीं कहा, हां, अच्छे दिनों की सम्भावना जरूर है। बुरे दिनों से अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं की है। कोशिश यह की है कि अच्छे ही दिन रहे और यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि विभागों में समन्वय नहीं है। एक ही छत के नीचे हैं, यह सारे विभाग, जहां तक विकास प्राधिकरण का प्रश्न है यह विभाग तो अलग है बाकी सभी विभाग एक ही जगह पर हैं और मुझे नहीं लगा कि आपका कोई

प्रश्न बना, आपके अच्छे सुझाव हैं आपका प्रश्न भी है और उसी सिलसिले में मेरा उत्तर भी है। आपने 74वें संशोधन के बारे में भी कहा इसमें जहां-जहां जैसी जैसी परिस्थिति होती है अगर कहीं उससे नुकसान होता है तो उसको प्रभावी नहीं करते हैं और इसके बारे में हमसे ज्यादा आप परिचित भी हैं। मैं नहीं समझता कि आपके अन्दर किसी प्रश्न में कोई ऐसी बात हो जिससे आपने मेरे उत्तर से कहीं खिलाफ किया हो। मैं आपके प्रश्न के लिए और आपके सुझाव के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है। मान्यवर, उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, उन्होंने मेरे सुझाव का स्वागत किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारी बाते उन्होंने कही है और मैं एक प्रश्न और साथ में पूछना चाहता हूं। जल निगम और जल संस्थान में आपस में समन्वय नहीं है। आप कहते हैं, आपका मन कह रहा है नहीं है आपका दिमाग कह रहा है नहीं है लेकिन आपकी जुबान कह रही है। एकदम नहीं है आपस में समन्वय। नगर निगम में और जल निगम में समन्वय नहीं है। आपको पता है कि नहीं है जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना के अन्तर्गत नगर निगम जो स्थानीय निकाय है उसका कहीं वह अपनी बात की जानकारी भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं मान्यवर, नहीं है। आप केवल उसका उत्तर नहीं दिये क्योंकि आप का इस प्रकार का उत्तर देने से उन अधिकारियों को शह मिल जाती है उनको बढ़ावा मिल जाता है कि जो वह गलत काम कर रहे हैं उसकी मानीटरिंग करने वाला कोई नहीं है। मान्यवर, मैं बड़ा स्पष्ट और बड़े विनम्र निवेदन के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि उनको मान्यवर, यह मैसेज मिल जाता है कि जब कह रहे हैं कि समवन्य है और है नहीं तो ऐसे ही चलता रहे। आपसे मान्यवर, अपेक्षा थी कि आप यह कहेंगे कि अगर समन्वय नहीं है, उसकी जानकारी आपकी है, आप उस पर कार्यवाही करेंगे उनको कहेंगे कि आपस में तालमेल करो। इसमें मान्यवर, मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी कि अगर आप इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी बना देंगे उसके अन्तर्गत सारी बातें आ जायेंगी तो इसमें सरकार का कौन सा नीतिगत नुकसान कोई हो रहा था कोई ऐसा नुकसान हो रहा था आप जवाब भी मान्यवर, सही नहीं देना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि जो मन में हो वह कहिये दिमाग के हिसाब से आप वैसे भी आप कम बात करते हैं क्योंकि दिल और दिमाग का वैसे भी समन्वय कम होता है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न तो करिये।

श्री सतीश महाना-

मेरा यह कहने का मतलब नहीं है आप थोड़ा इमोशनल टाइप के हैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। आप हमेशा कहते हैं कि मैं दिल से बात करता हूं दिमाग से नहीं। जो दिल में हो वही कहिये मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं दिल से ही कह रहा हूं महाना जी, अगर कोई ऐसी शिकायत है आपकी जिसमें आपको लगता हो समन्वय नहीं है और मैं यह समझता हूं कि नगर निगम और जल निगम में समन्वय नहीं है तो मैं अपने आपको बिल्कुल अक्षम मंत्री और अक्षम अध्यक्ष समझूंगा। अगर कोई भी एक ऐसा

वाकया हो जिसमें आपको लगता हो कि समन्वय नहीं है कहीं आदेशों को नहीं माना गया है या कहीं आपने जो चाहा हो उसकी भी अवमानना हुई हो मैं सख्त कार्यवाही करूंगा अगर मुझे एक वाकया भी आप बता दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से दो छोटे सवाल पूछना चाहता हूं। नं0 1, मान्यवर, जिन नगरों में अधूरी सीवर लाइन पड़ी है, जो रुपया खर्च हो चुका है, वह भी बरबाद हो रहा है, क्या माननीय मंत्री जी उसको पूरा करायेगें और दूसरा प्रश्न, कि जो सुविधायें आज की तारीख में रामपुर को मिल रही हैं, उसके समकक्ष जिलों को जहां स्थानीय निकाय है, उसमें क्या वह सुविधा शाहजहांपुर को भी देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नवाबों का शहर रहा है। केवल जिस पर नवाब की गाड़ी चलती थी, वह सड़क होती थी और जिस पर नवाब की गाड़ी चलती थी, उस पर कोई रामपुर वाला नहीं चल सकता था। आाठवें से ज्यादा शिक्षा नहीं मिल सकती थी, हथकड़ियां और बेड़ियां डाल दी जाती थीं, बेटियां जवान होती थी तो मां-बाप उनको छुपा लिया करते थे। सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, शिक्षा नहीं थी, इंसानियत नहीं थी, हैवानियत का ऐसा बदतरीन दौर था, जिसमें लोग जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिन्दगी गुजारते थे। लेकिन नवाब का महल देखें आप कितना बड़ा महल है। नवाब का किला देखें आप, कोठियां देखें। दिल्ली, बम्बई, नैनीताल, 1947 तक केवल जिन लोगों के मकान पक्के थे, जो नवाब के दस्तरखान पर खाना खाते थे, इसके अलावा एक भी घर पक्का नहीं था। यह था हमारा शहर। अगर वहां दो-चार सड़के बन गयीं तो इतना दर्द क्यों हो गया, वह भी जब वह राम के नाम से है। उसके लिये तो आप जो कुछ कर सकते हैं, करिये। आप शाहजहां हो, आप शाहजहाँ हो और मेरे बारे में कुछ भी कहा जाय, सोशल मीडिया कुछ लिखे लेकिन मैं खुद कहता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मुझसे दोस्ती करने वाले कभी घाटे में नहीं रह सकते। कभी नहीं रह सकते, क्योंकि मैं दोस्तों को धोखा नहीं देता, कभी दोस्तों का इम्तिहान नहीं लेता। क्योंकि इम्तिहान लूंगा तो दोस्त इम्तिहान में पूरा नहीं उतरेगा। मैं आज भी मानता हूं कि खजाने के पैसे से ताजमहल नहीं बनना चाहिये था और जब यह मानता हूं तो रामपुर की रियासत में खजाने के पैसे से बना किला और महल उसे भी गलत मानता हूं।

जहां तक सीवर सिस्टम का ताल्लुक है, पिछली सरकार के दौरान, उसी शहर में जिसकी हल्की सी दास्तान मैंने आपके सामने रखी है, कैसा शहर था। लखनऊ से एक तवायफ गयी थी नाचने के लिये महल में। नवाब का दरबार लगा था, तवायफ का रक्स हुआ, जब रक्स खत्म हुआ तो नवाब ने कहा कि चलों, उसने कहा नहीं। हम फन बेचते हैं जिस्म नहीं। मुगलेआजम, में आपने एक फर्जी कहानी देखी परदे पर, कि अनारकली को दफन कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रामपुर में तूती नाम की इस तवायफ को जिन्दा दफन किया गया और आज भी उसका मकबरा मौजूद है जिसको मैंने मिटने नहीं दिया है। यह है इतिहास हम बदनसीबों का। क्यों मौलाना के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, क्योंकि मौलाना ने इंग्लिस्तान में तालीम हासिल की और जब वतन वापस आये और जिनके बारे में बापू ने यह कहा कि अगर अली

बिरादरान न होते तो हिन्दुस्तान आजाद न हुआ होता। जब वह रामपुर आये तो वह बेड़ियां डाली नवाब ने, जिन्हें पहनकर हाथी नहीं चल सकता था, वह बेड़ियां इंसान के पैरों में डाली गयी। यह था हमारा रामपुर, इसलिये हम पर तो तरस खाइये, हमारी मदद कीजिये। आज भी हम गुलामी के पैरों से कुचले जा रहे हैं, यह बदनसीबी है पूरे देश की। बगैर किसी के नाम की बहस में जाये हुये कि जो लोग अंग्रेजों के कारिन्दे थे, जो अंग्रेजों के लिये काम करते थे, जो हिन्दुस्तान को गुलाम रखना चाहते थे, क्योंकि इसीलिये तो वह नवाब और राजा थे, आज भी सत्ता उन्हीं के पास है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। पिछली सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष उठकर चले गये। उससे पहले हमारी सरकार थी, थोड़े से इलाके में सीवर सिस्टम शुरू हुआ आपने बन्द कर दिया पांच साल में जनता की गाढ़ी कमाई का खजाना, वह मेरा नहीं था, आपका नहीं था, सारा सीवर चोक हो गया, बरबाद हो गया सैकड़ों करोड़ रुपया हमारी व्यक्तिगत नफरत में। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आपका सीवर जल्दी मुकम्मल होगा और जो कमी रह जायेगी जैसा आप चाहेंगे वैसा कर देंगे।

(मा0 सदस्य श्री मनीष असीजा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब रहने दीजिए, अब बहुत हो गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है पूछिये। अब बहुत सवाल हो गये और सवाल से ज्यादा व्याख्यान हो गये।

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी कृपा है आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि मूल प्रश्नकर्ता होने के नाते आपने मुझे अवसर दे दिया। इस पर लम्बी बहस हो चुकी है, मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से थोड़ी सी बात रखकर एक प्रश्न रखूंगा। यह बात ठीक है कि गांव से शहर की तरफ आने का जो सिलसिला है वह इतनी तेजी से है कि शहरी अवस्थापनाओं की जितनी भी हम पूर्ति करते हैं वह कहीं न कहीं कम होती हैं। मेरा इसमें एक सुझाव है और उसी में मेरी आपसे अपेक्षा है कि जितने भी पुराने शहर हैं उनको आप तीन हिस्से में बांट लीजिए। एक तो वह शहर है जब शहरों की शुरुआत हुई जो परम्परागत शहर रहा करता था, दूसरा हर शहर में जैसी आपकी तकरीर है उससे मिलते जुलते कुछ मोहल्ले होते हैं जिनको पॉश कॉलोनी कहा जाता है वह लगभग हर शहर में अच्छे ही होते हैं चाहे वह हजरतगंज हो, चाहे वह आगरा का मॉल रोड हो, कोई भी जगह हो, वह जगह काफी ठीक होती है। मान्यवर, एक जगह जो नगरीय क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कतशुदा जगह है वह जगह है जहां पर ग्रामीण क्षेत्र से आबादी पलायन करके शहर में आकर जुड़ती है और शहर के बाहरी इलाके में बहुत बढ़ी संख्या में वह रहती है उसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं, माइनॉरिटीज के लोग भी रहते हैं, सवर्ण भी रहते हैं लेकिन उन सबमें एक समानता रहती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न कर लीजिए, यह सब तो बजट पर चर्चा के समय कह लीजिएगा।

श्री मनीष असीजा-

वहां सब गरीब लोग रहते हैं। मा0 मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि समेकित प्रयास किये जा रहे हैं, समेकित का मतलब कि सबकी मदद करना। मेरा इसमें एक सुझाव है और फिर एक अपेक्षा प्रश्न के रूप में है कि यह जो बाहर की आबादी है, यहां पर बुनियादी सबसे बड़ी और पहली समस्या पीने के पानी की है और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से जल निकासी की है। मान्यवर, जब सड़क बन जाये तो पीने का पानी, जल निकासी और सड़क, यह जो बाहरी पूरा क्षेत्र है इसके लिए जो आपने यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0, जे0एन0एन0यू0आर0एम0, राज्य वित्त आयोग या 13वें वित्त आयोग का जितना पैसा आता है वह या तो पॉश इलाके में लग जाता है या फिर नगर पालिका के काफी इधर-उधर के मामले बन जाते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इन बाहरी क्षेत्रों के लिए यदि आप एक विशेष कार्य योजना नहीं बनायेंगे तो हालात जस का तस रहेंगे, समेकित विकास का जो आपका मंसूबा है वह पूरा नहीं हो पायेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन क्षेत्रों में व्यापक सर्वे कराकर कम से कम पीने के पानी का और जल निकासी का इन्तजाम कराया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मा0 सदस्य क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हैं और आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं और विधायक भी हैं। मान्यवर, यह सारे आपके प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं। अक्सर जब बड़े शहरों की योजनाएं आती हैं तो दस्तखत करते हुए थोड़ी देर हाथ रुकता है और मैं अधिकारियों से पूछता भी हूं लेकिन मुझे भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। मान्यवर, बड़ी मेहनत से योजनाएं बनकर आती हैं, अब लखनऊ को पॉश कॉलोनियों को अगर नजरअंदाज कर दें तो सरकार कैसे चलाये, सारे अधिकारी तो वहीं रहते हैं, कोई फाइल बनेगी ही नहीं, आगे चलेगी ही नहीं। लखनऊ के अफसरों की नहीं मानेंगे तो आपकी गलियों के लिए कौन लिखेगा तो पहले उनकी माननी पड़ती है। मान्यवर, यह सही है कि बाज-बाज जगह तो इतना पैसा लगता है और इतने अजीब ढंग से लगता है कि आप यह कहेंगे कि यह सरकार की नाकामी है। नाकामी नहीं है कुछ जगहों पर मजबूरी होती है। हम कोशिश यह करें कि बड़े शहरों को और बड़ा बनायें और छोटे शहरों को थोड़ा सा जिन्दा रहने का मौका मिले। मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर समस्या है क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं, शहरों में आकर बसते हैं और एकड़, बीघा, इंचों और फिटों में बिकते हैं, उससे बड़ी समस्यायें खड़ी होती हैं। जितने लैण्ड माफियाज हैं वह बड़े बलवान हैं। अभी मैंने लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय से बात की थी एक बिल्डर ने मस्जिद की जमीन में भी कालोनी बना ली है, वह लखनऊ का बड़ा बिल्डर है, बिल्डर भी मस्जिद के धर्म का है। तो कुछ ऐसी समस्यायें हैं मान्यवर। मुझसे आप उम्मीद यही रखें कि मैं कोशिश करूंगा।

प्रदेश में विगत 05 वर्षों में घटित साइबर क्राइम की घटनाओं तथा उन्हें रोकने हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*03-डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 05 वर्षों में प्रदेश में साइबर क्राइम की कितनी घटनायें हुई हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार साइबर क्राइम की

घटनाओं को रोकने के लिए कोई व्यवहारिक, प्रभावी तथा कारगर नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में पिछले 05 वर्षों में साइबर क्राइम के कुल 576 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिसमें से 117 में आरोप-पत्र, 191 में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है। वर्तमान में 268 अभियोग विवेचनाधीन हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है जो वर्तमान में कार्यरत हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति-उत्तर प्रदेश 2012 बनाई गई है जिसके प्रस्तर संख्या-4.2.4 में साइबर सुरक्षा के विषय पर शासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है।

संसद द्वारा इन्फ्रॉमेशन टैक्नोलाजी ऐक्ट-2000 बनाया गया है जिसमें इण्टरनेट द्वारा हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए प्राविधान किए गए हैं।

साइबर क्राइम की रोकथाम एवं विवेचनात्मक प्रगति तथा अन्य गहन जानकारी हेतु 138 पुलिस उपाधीक्षकों/निरीक्षकों/उप निरीक्षक तथा 136 आरक्षियों को प्रशिक्षित किया गया है। 75 निरीक्षकों/उप निरीक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों मैनपुरी में एक फौजी के एकाउण्ट से 3 लाख रुपये निकाल लिये गये, ऐसी ही घटना हमारे आगरा में भी हुई। एक व्यापारी का ई-मेल एकाउण्ट हैक करके 30 लाख रुपये का फ्राड हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने जो जवाब दिया है उससे स्पस्ट है कि पिछले 05 सालों में 576 अभियोग पंजीकृत हुए साइबर क्राइम के और अभी तक 268 अभियोग विवेचनाधीन है अर्थात आधे के करीब अभी भी विवेचनाधीन हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिन इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग कराकर जिलों में भेजा गया, जिलों में जो साइबर सेल खोली गयी, उन्हें कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गये। जैसाकि मैनपुरी में जिस फौजी के संग फ्राड हुआ वह कई दिनों से घूम रहा है, उसकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं है। जो इंस्पेक्टर साहब यहां से ट्रेनिंग लेकर गये वह डाक बांटने वाले विभाग में बिठा दिये गये, ऐसे ही पूरे जिले में हो रहा है। तो मेरा प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि साइबर क्राइम के जो 268 अभियोग अभी विवेचनाधीन है वह टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम में कब तक पूरी हो जायेंगी, दूसरे जो जिलों में आपने साइबर सेल खोली हैं उनमें कब तक पूरे संसाधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे जिससे वह पूरे तरीके से काम कर सकें। माननीय अध्यक्ष जी, एक और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां तक मुझे जानकरी है पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम की विवेचना के लिये कोई भी साइबर फॉरेन्सिक लैब नहीं है और साइबर क्राइम में टाइम की बहुत महत्ता रहती है। अगर एक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम से आप साइबर क्राइम की जांच नहीं करेंगे तो जो सबूत होते हैं वह सब ब्लैक आउट हो जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस प्रश्न पर कि उनके अनुरूप जो 268 अभियोग विवेचनाधीन है वह कब तक पूरे हो जायेंगे, जो जिलों में आपने साइबर सेल बनायी हैं उन्हें कब तक

संसाधन उपलब्ध करा देगें और तीसरा क्या प्रदेश में सरकार फॉरेन्सिक साइबर लैब खोलने पर विचार करेगी और कब तक खोल दिये जायेंगें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 268 अभियोग विवेचनाधीन हैं इनमें आप अच्छी तरह से परिचित है कि इस तरह के क्राइम में देश और विदेश दोनों जगहों से सम्बन्धित बहुत से क्राइम्स ऐसे हैं जिनका मैं यहां पर जिक्र नहीं कर सकता और कुछ क्राइम्स इस तरह के हो रहे हैं कि अगर उनका संज्ञान लेना शुरू करें तो आम आदमी के अन्दर आग लग जाएगी। कुछ के लिए विदेशों से रिक्वेस्ट की जाती है और वहां इत्तला देकर उसे बन्द कराया जाता है। बहुत से केसेज ऐसे हैं माननीय सदस्य परिचित होंगे कि उनमें विवेचना जारी है। लोकल क्राइम हैं उनमें जल्दी नतीजे आ जाते हैं और जो विदेशों से सम्बन्धित क्राइम्स होते हैं उनमें विवेचना में थोड़ा समय लगता है। जो भी सुविधाएं नहीं हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिए और किया जायेगा। फोरेंसिक लैब के बारे में मेरी जानकारी नहीं है अगर यह नहीं है तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि वह कायम हो जाय।

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी एवं कारगर नीति बनाये जाने की मांग

*04-श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों को रोकने के लिए कोई व्यवहारिक, प्रभावी तथा कारगर नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु विवाद तथा रंजिश को चिन्हित करके सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की गयी है। आक्रमक पक्ष के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की गयी है तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखते हुये अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट तथा एन0एस0ए0 की कार्यवाही भी की गयी है।

प्रदेश में घटित होने वाले जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु गम्भीर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी हैं लूट, डकैती एवं अपहरण के अपराधों में विगत 05 वर्षों में संलिप्त नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों की गतिविधियों की जानकारी कर अपराधों में संलिप्त होने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार हिस्ट्रीशीट खोलकर ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट एवं एन0एस0ए0 के अन्तर्गत कठोर निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है।

जघन्य अपराधों के सफल अनावरण एवं इनमें संलिप्त अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक जनपद में क्राइम ब्रान्च सेल का गठन किया गया है। विशेष अपराधों के नियमित पर्यवेक्षक हेतु प्रदेश के जनपदों का 'हीनियस क्राइम मानिटरिंग सिस्टम साफ्टवेयर' के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण किया जा रहा है। अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखने के लिये 'सी0सी0टी0एन0एस0 योजना' के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है। अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने

के लिये जनपद कानपुर में आधुनिक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है तथा जनपद लखनऊ, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है। अपराधों की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर गश्त एवं पिकेट लगाया जा रहा है। महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा 'वूमेन पावर हेल्प लाइन नम्बर 1090' की शुरूआत की गयी है, जिन पर तत्काल मदद उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के फोन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील एम0एम0एस0 एवं अवांछनीय फोन काल्स किये जाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में 'एन्टी आब्सीन काल सेल' का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद प्रभारियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न पर मुझे अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो डेढ़ पेज का जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है जैसे सम्पूर्ण प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरस्त है। माननीय मंत्री जी स्वयं इस तथ्य से सहमत होगें कि इस सरकार ने अपराधियों के खिलाफ प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रदेश में यह मैसेज जाता कि हम अपराधियों को अपराध करने से रोकने की कार्यवाही करना चाहते हैं। मान्यवर, यह सही है कि एन0एस0ए0 की व्यवस्था है। लेकिन यह एन0एस0ए0 की व्यवस्था किसके ऊपर है। जिन जनपदों के वास्तव में जो असामाजिक तत्व हैं और जिनके ऊपर एन0एस0ए0 लगना चाहिए, अगर उनके ऊपर एन0एस0एम0 लगा होता तो शायद हम आज खड़े होकर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते। मान्यवर, सम्पूर्ण क्राइम लॉ, लॉ ऑफ क्राइम इस बात पर निर्भर करता है कि सच्चाई पर निर्भर कम करता है, गवाही पर निर्भर ज्यादा करता है। आजकल मान्यवर, गवाही मिलना इसलिये मुश्किल है कि गवाहों की सुरक्षा की मान्यवर, कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी के जवाब का जो आखिरी पैराग्राफ है, मैं अपने सवाल के पहले वहां पर दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल मान्यवर, यह कि जो लोग केसेज में गवाही देते हैं पूरा उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है सजा और एक्विटल। क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसे लोगों को जिन केसेज में इन्डीपेंडेंट विटनेस की आवश्यकता होती है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था मान्यवर की है। क्योंकि अगर गवाही नहीं होगी मान्यवर, तो सजा नहीं होगी और सजा नहीं होगी तो मैसेज नहीं जायेगा। मैसेज नहीं जायेगा तो अपराध नहीं रूकेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्डीपेंडेंट विटनेस की सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही की है मान्यवर और नम्बर दो कि जनपदों में जो वास्तव में जो असामाजिक तत्व हैं, क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही माननीय मंत्री जी करवायेंगें। यह दो सवाल है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि अगर गवाही नहीं होगी तो सजा नहीं होगी। अगर सजा नहीं होगी तो समाज में सुधार नहीं आयेगा। जहां भी कहीं ऐसे मामले होते हैं और प्रकाश में आते हैं

कि गवाह किसी दबाव में आकर गवाही नहीं देंगे तो वहां सुरक्षा दी जाती है। अब अगर गवाह अपने तौर पर होस्टाइल हो जाय या क्रिमिनल ही इतना बड़ा क्रिमिनल हो कि उसके लिये कोई गवाही देने की तैयार ही न हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो यह मामला न्यायालय का है। उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। जहां तक एन0एस0ए0 का ताल्लुक है, इधर काफी एन0एस0ए0 का प्रयोग हुआ है। गुन्डा ऐक्ट का प्रयोग हुआ है, गैंगस्टर ऐक्ट का हुआ है। जहां इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी और यह कानून का मामला तो है ही, सरकारों की जिम्मेदारी पहले है। लेकिन इसमें जो समाज की तरफ से एक अजीबो गरीब सन्देश जा रहा है। जो एक हैवानियत का माहौल है। बेटा बाप को मार रहा है, शौहर पत्नी को मार रहा है, पत्नी शौहर को मार रही है, दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। बाप बेटी पर नजर बुरी रख रहा है, यह एक ऐसा सामाजिक पाप भी है, इस पर बहुत विचार की जरूरत भी है। क्योंकि सदन में हम सब बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं और सच्चाइयों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपनी राजनैतिक मजबूरियों के साथ हमें आज नहीं तो कल इस बात पर अवश्य सोचना पड़ेगा कि जिस तरह के अपराध इस वक्त हो रहे हैं उन पर क्या अकेले या सब मिलकर उस पर कोई फैसला ले सकते हैं ? अगर कहीं की कोई ऐसी जानकारी हो जिसमें गवाहों को धमकाया गया हो, या गवाह को किसी सुरक्षा की जरूरत हो तो अवश्य उसकी मदद की जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो आज थानों की फंगशनिंग है वह आज न्यायप्रिय नहीं है। वहां न्याय नहीं होता मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो थानों की फंगशनिंग है डे टुडे की वह न्यायप्रिय कैसे बनाई जाय, क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आज ही जब मैं समीक्षा कर रहा था प्रश्नों की, तो कई अपने तर्जुबे वहां तक कि मैं विधायक होकर भी कभी थाने नहीं जाता, कभी थाने नहीं गया, कभी थाने फोन नहीं करता। मुज्जफरनगर में भी नहीं किया था। नहीं किया था, झूठ नहीं बोलता, लेकिन आप देंखेंगे कि जिस चैनल ने दिखाया था वह माननीय अध्यक्ष जी से क्या कह रहा है। लेकिन हम उसके लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि माफी उस गुनाह की सजा नहीं है। थानों में मैंने आज यह जिक्र किया कि जब मैं गया तो मैंने देखा सस्पेंड भी हुए। यह चेकिंग जरूर होनी चाहिए और इस पर मैंने चाहा भी जरूर है कि थानों में हम इसे खास तौर से सुनिश्चित करें, रात के वक्त थानों में दरोगा और कान्सटेबल्स शराब पिए हुए न हों क्योंकि यह एक ऐसी बुराई हैं जिसके बाद कोई भी गुनाह हो सकता है। आपकी शिकायत सही हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील नहीं है और इन बुराईयों को बुराई नहीं समझती और कोई भी सरकार। अब देखिए, राजस्थान में तो हमारी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अपराध में हम 25वें नम्बर पर आते हैं और वह तीसरे और चौथे नम्बर पर आते हैं लेकिन हम हरगिज यह नहीं मानते हैं कि वहां की सरकारें इन अपराधों को बढ़ावा दे रही है। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में अपराध बढ़े और उसकी बदनामी हो। इन चीजों को गम्भीरता से लिया गया है और जहां भी कमी होगी, उसे दूर करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि क्या मा0 मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए कोई प्रभावी तथा कारगर नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? सरकार ने जो कुछ बताया है, वह अब तक के किए हुए कामों को बताया है। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने 2-3 बातें रख रहा हूं। जो लखनऊ से प्रकाशित समाचार पत्रों के आंकड़े हैं, उनके आधार पर रखना चाहता हूं। सरकार के द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों जिन्हें सरकार अच्छा प्रयास मानती है, हत्या और मौत 7224, बलात्कार की घटनाएं 1911, लूट और चोरी की घटनाएं 4837 हैं, गुण्डागर्दी की घटनाएं 4965 हैं और अपहरण 943 हैं। जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने जिक्र किया है, हम सबको उस पर संवेदनशील होना चाहिए, इसमें इस पक्ष और उस पक्ष का सवाल नहीं है, किसी भी मां, बहन और बेटी के साथ दुराचार या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, समूचे प्रदेश का माथा शर्म से झुकता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन बदायूं की घटना के बाद 86 घटनाएं इस प्रदेश में हुई हैं, केवल इसलिए यह बात कही है, जो कुछ भी मा0 मुंत्री जी ने बताया, हमने घटनाक्रमों और उनकी संख्या के आधार पर प्रश्न पूछा था, मंत्री जी ने उन घटना-क्रमों के आधार पर जो कुछ किया और जो बताया है, लेकिन हमने पूछा था कि क्या कोई कारगर नीति सरकार ने बनायी है जो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा किए उपायों का अगर कोई परिणाम नहीं आया हैं तो सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयां को ठीक करने और उन्हें कम करने के लिए क्या कोई कारगर नीति बनायी जायेगी ? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह है, मंत्री जी ने 1090 का जिक्र किया है, 1090 की सेवा सरकार ने जिस मंशा से शुरू की थी उसका लाभ नहीं आया, घटनाएं बढ़ी हैं। मैं केवल और जानना चाहता हूं कि 1090 सर्विस में कुल कितनी शिकायतें आयीं, उनमें से कितनी निस्तारित हुई और कितनी शिकायतें जायज थी और कितनी शिकायतें सही नहीं पायी गयी, क्योंकि कुछ लोग गलत शिकायतें भी करते हैं, 1090 सर्विस का परिणाम क्या है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी से और जो मैंने कारगर नीति पूछी है, यह अब तक के उपायों और अब तक के क्राइम को देखते हुए क्या सरकार कोई कारगर नीति बनायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो प्रश्न हैं, एक तो यह कि क्या सरकार ने कोई कारगर नीति बनाई है ? सरकार की कारगर नीति है और उसी पर कार्य हो रहा है। जितने सब्र से मैंने सुना है, उतने सब्र से आप भी सुनें। आपने आंकड़े दिए हैं, अखबारी आंकड़े, लेकिन मैं सरकारी आंकड़े दूंगा। 15-03-2012 से 31-05-2014 तक मा0 अखिलेश यादव जी की सरकार में डकैतियों की संख्या है 667, बसपा सरकार की, पिछली सरकार की है 785, राजनाथ सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, 01-11-2000 से 28-02-2002 तक 825 और कल्याण सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में थी 1667, अब से तीन गुना ज्यादा। लूट 6647, बसपा में 9035, फिर भाजपा में 3980 और फिर मा0 कल्याण सिंह जी के जमाने में 7774 हत्यायें अब 10672, बसपा के कार्यकाल में 20891, राजनाथ सिंह जी के जमाने में 9369, कल्याण सिंह जी के जमाने में 15778। बलात्कार थे जिसकी निन्दा करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बलात्कार के मामले अब 5383, बसपा के कार्यकाल में 7343, राजनाथ सिंह जी

के जमाने में 2116, कल्याण सिंह जी के जमाने में 2726। इसके बावजूद भी यह सारी बातें एक गम्भीर सवाल है और सरकार किसी भी तरह के अपराध को न बढ़ने देने के लिए कृतसंकल्प है और कानून व्यवस्था बेहतर बनाये जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न पर मा0 मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं तो मैं मा0 मंत्री जी को एक आंकड़ा और दिखाना चाहता हूं। नेशनल क्राइम ब्यूरो, हमारी सरकार आये हुए अभी एक महीना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने जिस सरकार को पांच साल तक समर्थन दिया था। उस सरकार के कार्यकाल में मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल के जो महिलाओं से सम्बन्धित नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो आंकड़ा है वह है 23836। दूसरी बात, मेरा यह निवेदन है कि मैंने केवल इसलिए आंकड़े बताये थे कि सरकार से मैंने कारगर नीति पूछी थी मैंने कहा था कि सरकार ने अब तक जो काम किया है उसके आधार पर यह अपराध के आंकड़े हैं। इनको कम करने की इच्छा सरकार की होनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है। तब फिर सरकार क्या कारगर नीति बनायेगी। तो मेरे दोबारा प्रश्न पर मा0 मंत्री जी ने आंकड़े दिखाये हैं तो 23836 का आंकड़ा नेशनल क्राइम ब्यूरो का है। दूसरा मैंने मा0 मंत्री जी से पूछा था कि 1090 में कुल कितने प्रकरण पंजीकृत हुए और कितने निस्तारित हुए उसका क्या परिणाम आया। यह मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कड़वी बात है। मैं पहले कह चुका हूं कि नेशनल क्राइम ब्यूरो में मध्य प्रदेश तीसरे नम्बर पर, राजस्थान चौथे नम्बर पर, यह वह हैं जहां पर भाजपा की सरकार है और पच्चीसवें नम्बर पर उत्तर प्रदेश जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न इसका नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितने हैं राजस्थान में कितने हैं। अगर उसी से साम्यता करके सरकार को क्राइम बढ़ाने की मंशा है तो मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उत्तर प्रदेश के अपराध के बारे में यदि चर्चा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेध में अपराध कैसे कम हो इस पर चर्चा कर रहे हैं। किसी दूसरे राज्य में बढ़े हुए अपराधों से साम्यता करने की बात अगर इस सदन में की जाती है तो सरकार की मंशा जाहिर नहीं होती कि वह अपराध को कम करना चाहती है। 1090 पर भी उत्तर नहीं आ रहा है। जो मां, बहन, बहू, बेटियों के साथ वाला बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। उस पर भी उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि केवल आंकड़ों के आधार पर यह सारे आंकड़े इन्होंने दिये हैं। मा0 मंत्री जी ने सारे आंकड़े दिये और डेढ़ पेज की इन्होंने कार्य योजना बता दी।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आंकड़ों के चक्कर में हैं। एक दूसरे का सवालों जवाबों से डाउन करने के चक्कर में हैं।

(भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

(शोर शराबे के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने तो केवल आइना दिखाया है राजस्थान और मध्य प्रदेश का।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री सतीश महाना और राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य श्री दलवीर सिंह जी दोनों लोग एक साथ अपनी-अपनी बात कहते रहे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(शोर के मध्य)

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस प्रकार से पूरा प्रदेश अपराधों से ग्रस्त है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने तो केवल आइना दिखाया है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। हमने तो अच्छे दिनों की बात की नहीं थी। आइना दिखाया है केवल।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आइना देखना चाहते हैं।

(मा0 सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और मा0 संसदीय कार्य मंत्री दोनों लोग एक साथ अपनी-अपनी बात कहते रहे, जिससे किसी की बात स्पष्ट नहीं हो सकी।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सुनहरे सपने दिखाकर पूरे देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, आज दिल्ली का हाल देखिये, क्या हाल है, वहां के अपराध देखिये, बिजली व्यवस्था देखिये, रेल का किराया देखिये, अच्छे दिन आ गये, बुरे दिन के बारे में कहा होता तो अच्छे दिनों का सपना साकार होता।

श्री सतीश महाना-

मैं देख रहा हूं, मान्यवर, हम यहां पर उत्तर प्रदेश के अपराधों पर चर्चा करने के लिये बैठे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अपराधी निरंकुश है। बहन और बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं। आदमी घर से निकल कर वापस लौटकर आयेगा या नहीं आयेगा, यह कहा नहीं जा सकता, पूरे प्रदेश में हा-हाकार मचा हुआ है, हत्याओं का रिकार्ड है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्यों, समाज के साथ छल होगा तो जिक्र नहीं होगा। अच्छे दिनों का जिक्र करके बुरे दिनों में पूरे देश को डालेंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश का अपराध नहीं देखेंगे, उत्तर प्रदेश नजर आयेगा, राजस्थान में भाजपा की सरकार का बलात्कार नजर नहीं आयेगा, मध्य प्रदेश नजर नहीं आयेगा, राजस्थान नजर नहीं आयेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सरकार की धमक समाप्त हो चुकी है, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है, मान्यवर, इस सरकार का इकबाल नहीं है, यह अपराध रोक नहीं सकती है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिये मान्यवर, मैं और मेरा दल इस सदन का बर्हिगमन करता है।

(तत्पश्चात् श्री सतीश महाना के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री की जांच हो रही है, पूरा देश जांच कर रहा है, केन्द्र के मंत्री पर बलात्कार का इल्जाम है, दें जवाब, बलात्कार का इल्जाम है और ये सबसे ज्यादा चैम्पियन हैं इसके।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य प्रश्नकर्ता हूं, मेरे दो-तीन सुझाव हैं और मैं सरकार से जानना चाहता हूं नीति यह पूछी गई है कि क्या नीति बना रहे हैं आप अपराधों को रोकने के लिये, इसमें मैं जानना चाहता हूं जैसे पाबन्द करते हैं 107/16 में, मैं सरकार से जानना चाहता हूं अब तक प्रदेश में पाबन्द होने के बाद रिपीट होने पर कितने लोगों की धनराशि जब्त की गई। दूसरा एक सवाल है ये मा0 मुख्य मंत्री जी का बड़ा महत्वपूर्ण था यह निर्णय 1090 इसमें मैं जानना चाहता हूं प्रदेश के अन्दर दो-चार आदमी बन्द हुए भी, कोई कार्यवाही किसी के खिलाफ हुई भी इसमें। बहुत अच्छा नियम है, बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसमें कोई कार्यवाही भी हुई, किसी को पकड़ा भी गया। तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जब एफ0आई0आर0 करने आदमी जाता है तो थाने में लाल-पीला मुंह करके दीवान बैठा रहता है, बात नहीं करने देता, एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होने देता।

श्री अध्यक्ष-

जरा देखिये, अब प्रश्नों का समय खत्म हो रहा है।

श्री दलवीर सिंह-

इसीलिये तो मैं इनसे कह रहा था, यह तो आंकड़ों के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा मेरे दो सवालों का जवाब दे दें, मा0 मंत्री जी कि कितने पाबन्द लोगों को रिपीट करने पर मतलब उनकी जमानतें जब्त हुईं और यह जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने योजना चलाई थीं लड़कियों के सम्बन्ध में और महिलाओं के सम्बन्ध में इसमें कितने लोगों को जेल भेजा गया, बस केवल दो प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी सूचना है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इसकी सूचना आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश के शहीद पुलिस कर्मियों/जवानों के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एक नौकरी प्रदान करने सम्बन्धी नीति की जानकारी

*05-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहीद पुलिस कर्मियों/जवानों के पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दिये जाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1287/दस-2010, दिनांक 28-7-2010 के अनुसार कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना एवं आतंकवाद, अराजक तत्वों की गतिविधियों में हिंसा के फलस्वरूप मृत्यु में रु0 10,00,000/-दिया जाता है तथा देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं अथवा लड़ाकू/आतंकवादियों अथवा अतिवादी अतिदुर्लभ पहाड़ी ऊंचाईयों/दुर्लभ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्य पालन करते हुए मृत्यु हो जाय तो रु0 15,00,000/-की अनुग्रह राशि की सहायता दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उ0 प्र0 पुलिस आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के अ0शा0प0 संख्या-टी-153/दस-13/96, दिनांक अगस्त, 2013 द्वारा दिनांक 15-6-2012 से 18-7-2013 तक के वीरगति को प्राप्त मामलों में रु0 4,00,000/- एवं स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में रु0 1,75,000/- एवं दिनांक 19-7-2013 व उसके बाद के वीरगति को प्राप्त मामलों में रु0 6,00,000/-एवं स्थायी रूप से अपंग घोषित मामलों में रु0 3,00,000/-की धनराशि आश्रित को प्रदान किया जाता है।

सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशानुसार प्रदेश के शहीद पुलिस कर्मियों/जवानों के पीड़ित परिवारों को नौकरी दिये जाने का प्राविधान है। मृतक कर्मी के परिवार को मृतक आश्रित नियमावली में दिये गये अन्य प्राविधानों के साथ निम्नांकित शर्तों के अधीन कुटुम्ब के एक व्यक्ति को सेवायोजित किये जाने का प्राविधान किया गया है :-

(1) पद के लिये विहित शैक्षिक योग्यता पूरी हो।

(2) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो और

(3) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से 05 वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय-सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लखनऊ समेत बड़े महानगरों एवं नगरों में सफाई की विशेष व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*06-श्री प्रदीप माथुर

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लखनऊ समेत बड़े महानगरों एवं नगरों में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण डेंगू, मलेरिया टाईफाइड एवं दीमागी ज्वर आदि बीमारियों के प्रकोप से माह सितम्बर-अक्टूबर, 2013 में अनेक मौतें हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में सफाई की विशेष व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न सं0-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उक्त प्रकृति के मृत्यु की सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

डेगूं, मलेरिया, टाईफाइड एवं दीमागी ज्वर आदि बीमारियों से बचाव हेतु विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर क्षेत्र की सफाई, फॉगिंग एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे-गोरखपुर में संक्रामक रोगों के बचाव हेतु निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत वार्ड वाइस रोस्टर बनाकर प्रतिदिन एण्टी लारवा (स्प्रेइंग), चूना मैलाथियान (डस्टिंग) एवं फॉगिंग कार्य भी कराया जाता है साथ ही शुद्ध पेयजल हेतु क्लोरिन टैबलेट का वितरण भी कराया जाता है। डेंगू, मलेरिया के बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत सम्मानित जनता को जागरूक करने हेतु पम्पलेट आदि के माध्यम से उपरोक्त रोगों से बचाव हेतु स्वास्थ्य शिक्षा भी दिया जाता है। जल जमाव वाले क्षेत्रों में लारवा के नियंत्रण हेतु एण्टी लारवा का प्रयोग किया जाता है। जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु शुद्ध पेयजल हेतु क्लोरिन टैबलेट का वितरण भी किया जाता है। साथ ही ओटी टेस्ट भी कराया जाता है जिससे पानी की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ मध्य क्षेत्र वजीरगंज वार्ड स्थित जवाहर नगर में सीवर लाइन डालने का कार्य आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

01-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र के वजीरगंज वार्ड में स्थित जवाहर नगर हाथी पार्क के सामने एवं राजेन्द्र नगर वार्ड में पांडेयगंज रेलवे लाइन के किनारे सीवर लाइन नहीं पड़ी है ? यदि हां, तो जवाहर नगर में कब तक सीवर लाइन पड़ने का कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

संदर्भित क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य सीवरेज मास्टर प्लान के अनुसार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV में प्रस्तावित है। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV की परियोजना के प्राक्कलन विरचन का कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के द्वितीय चरण के प्रारम्भ होने पर किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मध्य क्षेत्र में बहने वाले सभी नालों की तली तक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

02-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में बहने वाले सभी नालों की तली तक सफाई सरकार करायेगी ? क्या यह सही है कि हाजी हसनैन नाला, मौलवी गंज, गौस नगर मौलवीगंज, ख्यालीगंज तथा जगत नारायन रोड का नाला भरने से जनता को भारी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त नालों को साफ करने का कार्य हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ में फौजदारी, राजस्व एवं सिविल के लम्बित मामले के निस्तारण हेतु मा0 न्यायाधिकारीगण नियुक्त करने का प्रकरण

03-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ में फौजदारी, राजस्व एवं सिविल के लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु माननीय न्यायाधिकारीगण नियुक्त हैं ? क्या सरकार उक्त लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों के निस्तारण हेतु मा0 न्यायाधिकारीगण के स्थान पर मा0 न्यायमूर्तिगण नियुक्त हैं।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में मध्यस्थता केन्द्र भी संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर स्थित गुंजन बिहार कालोनी में जल निकासी, सीवर लाइन एवं मुख्य मार्ग सहित समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

04-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-07-2013, 06-11-2013 एवं 06-02-2013 जो कानपुर नगर स्थित गुंजन बिहार कालोनी, में जल निकासी, सीवर लाइन एवं मुख्य मार्ग सहित समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या समस्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

गुंजन बिहार कालोनी में जल निकासी एवं मुख्य मार्ग सहित समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लगभग रु0 144.91 लाख के कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं।

गुंजन बिहार कालोनी की मूलभूत सुविधाओं हेतु स्वीकृत कार्यों के विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत धनराशि (रु0 में)
1	जोन-3 वार्ड-88 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 390 गुरूकृपा से बर्रा साउथ होते हुए कर्रही रोड तक नाला निर्माण कार्य।	4725380/-
2	जोन-3 वार्ड-88 के अन्तर्गत गुंजन बिहार में म0 नं0-1103 से गुरूकृपा स्वीट तक नाली एवं साइड पटरी एवं हाटमिक्स प्लांट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	3818780/-
3	जोन-3 वार्ड-88 के अन्तर्गत म0नं0-1250/35 श्री भूप नारायण के मकान से गुरूकृपा स्वीट की दुकान तक डीप ड्रेन का निर्माण कार्य।	2473000/-
4	जोन-3 वार्ड-88 के अन्तर्गत गुंजन बिहार में गुरूकृपा स्वीट हाउस से म0 नं0-5ए अमित तिवारी के मकान तक नाली, साइड पटरी एवं इंटरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	3474171/-
	योग	**14491331**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजीव आवास योजना लागू होने की दशा में नगरों में रह रहे गरीबों को भवन उपलब्ध कराये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

05-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजीव आवास योजना लागू है ? यदि हां, तो कब से और अभी किन-किन नगरों में गरीबों को रहने के लिए भवन उपलब्ध कराये गये तथा वर्तमान समय में इलाहाबाद में किन-किन स्थानों/मलिन बस्तियों में यह योजना प्रचलित/प्रस्तावित है ? क्या माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संगम क्षेत्र मलिन बस्ती संघ बनाम रक्षा विभाग भारत सरकार, राज्य सरकार आदि, याचिका संख्या-15590/2000 में 27 जुलाई 2010 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में संगम क्षेत्र में निवासित गरीबों को भी इस योजना में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजना की प्रारम्भिक तैयारी वर्ष 2013 में शुरू की गयी तथा इस योजना का क्रियान्वयन चरण जून, 2013 से प्रारम्भ हुआ। योजना के प्रारम्भिक चरण में उत्तर प्रदेश के 21 चयनित नगरों में से 11 नगरों यथा-रामपुर, रायबरेली, लखनऊ, आगरा, कानपुर, कन्नौज, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ की 13 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार नगर निगम इलाहाबाद के अन्तर्गत बड़ी बगिया मलिन बस्ती की परियोजना केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा संगम क्षेत्र मलिन बस्ती बनाम रक्षा

विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकार आदि याचिका संख्या-15590/2000 में पारित आदेश दिनांक 27 जुलाई, 2010 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने संगम क्षेत्र के गरीब परिवारों के पुनर्स्थापन हेतु उनके कब्जे में विवादित भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि उपलब्ध कराने के निमित्त भूमि चिन्हांकन के आदेश सम्बन्धित पक्षों को दिये हैं। राजीव आवास योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में 'रिलोकेशन' हेतु निःशुल्क भूमि की उपलब्धता की दशा में ही आवास बनाये जाने का प्राविधान है।

उपर्युक्तानुसार।

इलाहाबाद में एन0जी0आर0बी0ए0 योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालयों/स्नानागारों के निर्माण की वित्तीय वर्ष के अनुसार विवरण की जानकारी

06-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में नगर निगम द्वारा विगत 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 में गंगा रीवर बेसिन अथारिटी तथा अन्य योजनाओं में कितने सुलभ शौचालय, स्नानागार आदि कहां-कहां बनाये गये तथा प्रत्येक पर कितनी-कितनी लागत आयी है और क्या संचालन की कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

एन0जी0आर0बी0ए0 योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक शौचालयों/स्नानागारों के निर्माण के विवरण वित्तीय वर्षवार निम्नवत् हैं :-

- वित्तीय वर्ष 2010-11 में कोई सुलभ शौचालय/स्नानागार निर्मित नहीं कराये गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2011-12 में निर्मित कराये गये सुलभ शौचालय/स्नानागार के विवरण निम्नवत् हैं -

क्र0सं0	कार्य स्थल का नाम	लागत धनराशि	निर्माणकर्ता/संचालनकर्ता संस्था का नाम
1	कन्हईपुर	940953.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
2	कल्याणी देवी	889738.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
3	ट्रांसपोर्टनगर	912261.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
4	नार्थ मलाका (मेडिकल)	659343.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
5	भीमनगर नैनी सब्जी मण्डी	906067.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
6	चौफटका	939391.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
7	करैलबाग (कुष्ठ आश्रम)	976945.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
8	बख्तियारी	432650.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
9	नयापुरा	527680.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
10	फाफामऊ पानी की टंकी के पास	890826.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0

11	ममफोर्डगंज	487792.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
12	दुबे का तालाब	926338.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
13	मुण्डेरा गांव	844037.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
14	फाफामऊ घाट	900333.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
15	सदियाबाद चांदपुर सालोरी	917775.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
16	अल्लापुर बाघम्बरी गद्दी	925331.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
17	कैटिल कालोनी, नैनी	904464.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
18	नीम सरांय	820780.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
19	रसूलाबाद घाट	948000.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
20	नेवादा अशोक नगर	664743.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
21	शंकर घाट	895113.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
22	गढ़ी सराय	757433.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
23	सदियाबाद मलिन बस्ती	820851.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
24	हजारी लाल का हाता (बहादुरगंज)	801196.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0

वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्मित कराये गये सुलभ शौचालय/स्नानागार के विवरण निम्नवत् हैं: -

क्र0सं0	कार्य स्थल का नाम	लागत धनराशि	निर्माणकर्ता/संचालनकर्ता संस्था का नाम
1	2	3	4
1	मधवापुर सार्वजनिक शौचालय	679842.00	ज्योति विकास संस्थान
2	रामबाग सार्वजनिक शौचालय	595850.00	ज्योति विकास संस्थान
3	दारागंज रैन बसेरा सार्व0 शौचा0	556802.00	ज्योति विकास संस्थान
4	एफ0सी0आई0 सार्व0 शौचा0	496831.00	ज्योति विकास संस्थान
5	आलोपीबाग मन्दिर सार्व0 शौचा0	500055.00	ज्योति विकास संस्थान
6	कचेहरी सार्वजनिक शौचालय	596895.00	ज्योति विकास संस्थान
7	मेहदौरी पसियाना सार्व0 शौचा0	573685.00	ज्योति विकास संस्थान
8	विकलांग केन्द्र सार्व0 शौचा0	497480.00	ज्योति विकास संस्थान
9	संजयनगर सार्वजनिक शौचालय	600057.00	ज्योति विकास संस्थान
10	नैनी सेन्ट्रल जेल के सामने	1130391.00	ज्योति विकास संस्थान

11	पी0डी0 टन्डन पार्क	740194.00	ज्योति विकास संस्थान
12	सप्रू मार्ग	873329.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
13	शुर्तखाना मलिन बस्ती	847293.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
14	नैनी रेलवे क्रासिंग	906661.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
15	चिल्ला मलिन बस्ती	791555.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
16	बलुआ घाट चाचर नाला के पास	893310.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
17	सोमश्वर महादेव मन्दिर नैनी	750541.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
18	सोहबतियाबाग पेट्रोल पम्प के पास	620110.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
19	सालोरी मलिन बस्ती के पास	604053.00	सुलभ इंटरनेशनल सो0स0आ0
20	बक्सी बांध के पास	611287.00	ग्रामीण एवं नगरीय विकास संस्थान
21	सी0ए0वी0 इंटर कालेज के पास	613525.00	ग्रामीण एवं नगरीय विकास संस्थान

- वित्तीय वर्ष 2013-14 में कोई सुलभ शौचालय/स्नानागार निर्मित नहीं कराये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया जाना है कि उपरोक्तानुसार वर्णित तालिकाओं में अंकित शौचालय स्नानागार युक्त हैं। उक्त वर्षों में पृथक से कोई स्नानागार के निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है जिन संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उन्हीं संस्थाओं द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

07-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[दिनांक 20-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-75 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ शहर में गोमती को प्रदूषण से बचाने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय

08-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के मध्य में बहने वाली गोमती नदी में गन्दे नाले गिरने से इसका पानी प्रदूषित होता है ? यदि हां, तो गोमती को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। लखनऊ शहर के गोमती नदी में गिरने वाले कुल 26 नालों के उत्प्रवाह को सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पर शोधन करने के उपरान्त शोधित उत्प्रवाह गोमती नदी में प्रवाहित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के राजेन्द्र नगर वार्ड में पाण्डेयगंज रेलवे लाइन के किनारे पानी व सीवर लाइन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

09-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के राजेन्द्र नगर वार्ड में पाण्डेयगंज रेलवे लाइन के किनारे पानी की लाइन व सीवर लाइन नहीं पड़ी है ? यदि हां, तो राजेन्द्र नगर वार्ड में कब तक पानी व सीवर लाइन पड़ने का कार्य शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन का कार्य सीवरेज मास्टर प्लान के अनुसार सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-IV में प्रस्तावित है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के फेज-II के प्रारम्भ होने के उपरान्त योजना के प्राक्कलन विरचन का कार्य प्रस्तावित किया जा सकेगा।

पेयजल हेतु पाइप लाइन के विस्तार का कार्य तेरहवें वित्त आयोग से जलकल विभाग, लखनऊ द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

लागू नहीं।

लखनऊ नगर में राजाजीपुरम् में मवैया होते हुए कालीदास मार्ग तक बहने वाले हैदर कैनाल नाले पर सड़क बनवाकर फुटपाथ दुकानें बनवाये जाने की मांग

10-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में राजाजीपुरम् से मवईया होते हुए कालीदास मार्ग तक बहने वाले हैदर कैनाल नाले को ढककर उस पर सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर सड़क बनाने के साथ फुटपाथ दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दुकानें बनाने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत नदियों का प्रदूषण रोकने की कार्य योजना

11-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत नदियों का प्रदूषण रोकने हेतु कोई कार्ययोजना बनायी गयी है तथा क्या इस कार्य योजना के अनुरूप हो रहे कार्यों से गंगा के प्रदूषण में कमी आयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। गंगा, यमुना व गोमती नदी में 1233.85 एम0एल0डी0 घरेलू अवजल के कारण होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया गया है।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंगा नदी के 21 स्थलों तथा यमुना नदी के 04 स्थलों पर जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण प्रतिमाह नियमित रूप से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड में पी0ए0सी0 चाहरदीवारी के पास खड़ण्जा निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

12-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202091, दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 77 साहू आटा चक्की से बांयी ओर रोड से पी0ए0सी0 चाहरदीवारी तक 165 मी0 सी0सी0/खड़ण्जा रोड बनवाने एवं बन्द नाली खुलवाने के सन्दर्भ में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत क्षेत्र में वार्ड संख्या-77 साहू आटा चक्की से बाई ओर से पी0ए0सी0 चाहरदीवारी तक 165 मी0 सी0सी0/खड़ण्जा रोड बनवाने एवं बन्द नाली खुलवाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड में मैरी जीजस स्कूल रोड से उमराव दीवान के घर तक सड़क निर्माण पत्र पर कार्यवाही

13-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202092, दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 रामपुरम्, मैरी जीसस स्कूल रोड के पीछे, यशवन्त परिहार के पास लल्ला की दुकान से उमराव दीवान के घर तक सड़क निर्माण कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में वार्ड 53 मैरी जीसस स्कूल रोड के पीछे यशवन्त परिहार के पास लल्ला की दुकान साहू की दुकान से उमराव दीवान के घर तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में अवगत कराना

है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के वार्ड-53 सोनी बैंक की कच्ची गलियों के निर्माण एवं मरम्मत सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

14-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 202094, दिनांक 6 जून, 2013 जो वार्ड संख्या 53 रामपुरम् में निकट सोनी बैण्ड के पास की कच्ची गलियों के निर्माण कराने, वार्ड संख्या 53 में लिंक रोड जो 80 फीट से 120 फीट रोड सोनी बैण्ड वाली गली को मिलाती है एवं रामपुरम् में मकान नं0 97 से 51 तक जिस पर बिछा हुआ खड़ण्जा सीवर लाइन डालने के दौरान उखाड़ दिया गया था, की मरम्मत कराने के सन्दर्भ में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-77 में सड़क निर्माण सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

15-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 202074, दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड नं0 77 गिरिजा नगर, रेलवे लाइन के किनारे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बने आवासों के सामने सड़क पर मलबा/मिट्टी डाले जाने एवं सड़क बनवाने के सन्दर्भ में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में वार्ड 77 गिरिजा नगर रेलवे लाइन के किनारे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बने आवासों के सामने सड़क पर मलवा/मिट्टी डाली जानी है एवं सड़क बनवाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-05-2001 के अनुसार सोसाइटियों के

नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद के अनेकों बस्तियों में निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

16-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विभाग के ''शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना'' योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर के नेवादा, गंगानगर, ऊंचवागढ़ी, राजापुर, बेलीगांव, बेनी एवेन्यू, नयापूरा स्टैनली रोड, मेहदौरी गांव, रसूलाबाद, भुलईकापूरा, शिवकुटी पसियाना, चिल्ला, ओमगायत्री नगर पसियाना, सादियाबाद पूरबी भाग, सलोरी, फकीरेगंज कटरा, मटियारा अलोपीबाग, मम्फोर्डगंज, बजरंग नगर अल्लापुर, हैजा अस्पताल अल्लापुर, संजयनगर अल्लापुर तथा डोमनीमऊ, फाफामऊ को वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत शामिल किया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सभी मलिन बस्तियों को सम्मिलित करके निर्माण कार्य करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

इलाहाबाद नगर के नेवादा, गंगानगर, ऊंचवागढ़ी, राजापुर, बेलीगांव, नयापुरा स्टैनली रोड, मेहदौरी गांव, रसूलाबाद, भुलई का पूरा, शिवकुटी, पसियाना, चिल्ला, ओम गायत्री नगर पसियाना, सादियाबाद पूर्वी भाग, सलोरी, फकीरेगंज कटरा, मटियारा अलोपीबाग, मम्फोर्डगंज हैजा अस्पताल अल्लापुर मलिन बस्तियों को वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत शामिल किया गया है। बेली एवेन्यू, बजरंग नगर (अल्लापुर) एवं डोमनीमऊ मलिन बस्ती में सम्मिलित नहीं है। फाफामऊ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बी0एस0यू0पी0 योजना में सम्मिलित है, जबकि संजय नगर अल्लापुर रेलवे स्वामित्व की भूमि पर स्थित होने के कारण आच्छादित नहीं है। मलिन बस्तियों में सम्मिलित उक्त बस्तियों में निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के अनेक एरिया में कतिपय सुविधाओं सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

17-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के बस्की खुर्द दारागंज, कटरा बख्तियारी, पश्चिमी सादियाबाद, राजापुर, बेलीगांव, मेंहदौरी, बेली एवेन्यू, बक्शी कलां दारागंज, म्योराबाद तथा कटरा मिशन कम्पाउन्ड में इण्टरलाकिंग रोड, नाली-नाला निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-12-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता निर्धारित कर धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराये जाते हैं। बख्शीखुर्द, दारागंज, कटरा बख्तियारी, पश्चिमी सादियाबाद, राजापुर, बेली गांव, मेंहदौरी, बेली एवेन्यू, बक्शीकला दारागंज, म्योराबाद तथा कटरा मिशन कम्पाउण्ड में इण्टरलॉकिंग के 13 कार्य धनांक रु0 70,32,387.00 के कराये गये हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त 9 कार्य धनांक रु0 37,11,885.00 के स्वीकृत की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मानव चालित रिक्शे के स्थान पर बैटरी चालित रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की योजना

18-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृद्ध, असहाय एवं कमजोर रिक्शा चालकों को सरकार बैटरी चालित रिक्शा देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो पात्र व्यक्तियों को कब तक बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। प्रदेश के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले निजी स्वामित्व के ऐसे रिक्शा चालकों जो सुनिश्चित तिथि अप्रैल, 2012 तक नगर निकाय में पंजीकृत हैं, को पारम्परिक मानव चालित रिक्शों के स्थान पर मोटर/बैटरी चालित रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके लिये रिक्शा क्रय करने की टेण्डर प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 बाईपास से सतवरी रोड के सामने वाली रोड प्लाट नं0-29 एच0 से न्यू आजाद नगर चर्च तक एवं श्यामनगर से मंगला विहार तक रोड के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

19-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202085 एवं 202087 दिनांक 6 जून, 2013 विषयक कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 बाईपास से सतवरी रोड के सामने वाली रोड प्लाट नं0 29 एच0 से न्यू आजाद नगर चर्च तक एवं श्याम नगर से मंगला विहार तक रोड निर्माण के सन्दर्भ में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र 202085 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के

अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है एवं पत्र संख्या-202087 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्याम नगर से मंगला विहार तक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के वार्ड 77 तुलसी नगर 37वीं पी0ए0सी0 के समीप जल निकासी एवं सीवर भराव, वार्ड 108 में बगाही कब्रिस्तान के अन्दर सी0सी0 रोड, सफेद कालोनी बगाही, ईदगाह मैदान, बेगमपुरवा तथा नई बस्ती में सीवर डालने विषयक-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

20-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्रांक 202088 एवं 202089 दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के वार्ड 77 तुलसी नगर 37वीं पी0ए0सी0 के समीप 30 साल से पानी की निकासी एवं सीवर भराव एवं वार्ड संख्या-108 में बगाही कब्रिस्तान के अन्दर सी0सी0 रोड तथा सफेद कालोनी बगाही, ईदगाह मैदान, बेगमपुरवा तथा नई बस्ती में सीवर लाइन डालने विषयक थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्रों को नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 रामपुरम् निकट शनिदेव मन्दिर 60 फीट रोड में सड़क एवं नाली निर्माण कराने विषयक-पत्र की गई कार्यवाही की जानकारी

21-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202090 दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 रामपुरम् निकट शनिदेव मन्दिर 60 फीट रोड में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने के सन्दर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र वार्ड 53 रामपुरम् निकट शनिदेव मन्दिर 60 फीट रोड में सड़क एवं नाली निर्माण कराये जाने संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ स्थित अलीगंज के सेक्टर-एम0 के मकान नं0 एल-71 के सामने गुलाचीन मन्दिर से ब्राइट वे कालेज की तरफ जाने वाली सड़क के बीचोबीच लगे स्ट्रीट लाइट खम्भे को हटाकर किनारे स्थापित करने विषयक प्रकरण

22-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित अलीगंज के सेक्टर-एम के मकान नं0 एल-71 के सामने गुलाचीन मन्दिर से ब्राइट वे कालेज की तरफ जाने वाली सड़क के बीचोबीच स्ट्रीट लाइट के होने से आवागमन में आम जनता को असुविधा होने के साथ-साथ हादसे भी हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे बीच से हटाकर सड़क के किनारे स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के सआदतगंज वार्ड में स्थित मोहल्ला हसनगंज बावली में जल निगम द्वारा डाली गई पाइप लाइन के कारण वरदान टेन्ट हाउस से लेकर अन्दर की अनेकों गलियों की रोड कटिंग के कारण हो रही असुविधा हेतु मरम्मत कराया जाना

23-श्री मुहम्मद गाजी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सआदतगंज वार्ड में स्थित मोहल्ला-हसनगंज बावली में जल निगम द्वारा कुछ माह पूर्व पानी की पाइप लाइन डाली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वरदान टेन्ट हाउस से लेकर अन्दर की अनेक गलियों की सड़कों में रोड कटिंग की गयी थी, जिसकी दिनांक 22-4-2014 तक मरम्मत नहीं कराई गयी है ? यदि हां, तो उक्त मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वरदान टेन्ट हाउस के पास गली में 60 मी0 पाइप लाइन डाली गयी है। टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर होने के कारण अभी बिटुमिन का कार्य नहीं कराया गया है। सड़क मोटरेबुल है। अधिकतर सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

पाइप लाइन डालने हेतु काटी गयी सड़कों को शेष पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य टेस्टिंग कार्य पूर्ण कर माह जून, 2014 के अन्त तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रदेश के धार्मिक स्थलों एवं आयोजनों के दौरान भगदड़ मच जाने की घटनाओं को रोकने के उपाय

24-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रमुख धार्मिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ में कभी-कभी भगदड़ मच जाने या अन्य कारणों से होने वाले हादसे में लोग हताहत हो

जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु कोई आपदा प्रबन्धन योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। कभी-कभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ में भगदड़ मच जाने या अन्य कारणों से हुये हादसों में लोग हताहत हो जाते हैं।

इस प्रकार के आयोजन के अवसर पर आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा आपातकालीन योजना बनायी जाती है, जिसके अनुरूप कार्यवाही की जाती है। सम्भावित घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक स्तर पर पुलिस बल गैरसरकारी संगठन, समाजसेवियों का सहयोग प्राप्त करते हुए आपदा प्रबन्धन कर श्रद्धालुगण की सुरक्षा हेतु प्रवेश एवं निकास द्वारों एक एकल दिशा आवागमन प्रणाली अपना कर श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

जनपद स्तर पर क्यू0आर0टी0 टीम गठित की जाती है जो तत्काल मौके पर पहुंच कर भीड़ नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया जाता है। भगदड़ आदि रोकने हेतु पुलिस बल को पूर्व में ही जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। धार्मिक स्थल के प्रवेश एवं निकास द्वार आदि पर सी0सी0टी0वी0 कैमरों का भी प्रयोग किया जाता है। यातायात व्यवस्था, फायर टेण्डर एवं अभिसूचना विभाग के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाता है। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर विशेष दृष्टि रखी जाती है एवं लाउडस्पीकर का भी प्रयोग किया जाता है। रास्तों पर बैरीकेटिंग की व्यवस्था की जाती है। धार्मिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के अवसर पर घटनाओं को रोकने तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु आपदा प्रबन्धन योजना बनायी जाती है एवं अस्थायी कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 के नेशनल हाई-वे 2 से आदर्श विहार मंगला विहार प्रथम भवानी नगर के0डी0ए0 कालोनी होते हुए सुजानपुर रोड तक सी0सी0 रोड, भवानी नगर में बाईपास रोड से मैरीजीसस स्कूल व सनराइज स्कूल तक खड़ण्जा लगाये जाने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

25-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 202102, 202103 एवं 202104 दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड 53 के नेशनल हाइ-वे-2 से आदर्श विहार मंगला विहार प्रथम भवानी नगर के0डी0ए0 कालोनी होते हुए सुजानपुर रोड तक 6.5 कि0मी0 सी0सी0 रोड, भवानी नगर में बाईपास रोड से मैरीजीसस स्कूल व सनराइज स्कूल तक खड़ण्जा लगाये जाने एवं सी0ओ0डी0 कालोनी में नाली एवं सड़क निर्माण के सन्दर्भ में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पत्र संख्या-202102 एवं 202104 द्वारा दर्शाये गये क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। पत्र संख्या-202103 द्वारा दर्शायी गयी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53, न्यू आजाद नगर यदुवंशी गेस्ट हाउस के पीछे सड़क एवं नाली निर्माण वार्ड-44 शिव गोदावरी पुलिस चौकी के पास सी0सी0 रोड निर्माण मलिन बस्ती में सीवर एवं नाली निर्माण हेतु प्राप्त हुए पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी

26-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 202115 एवं 202117 दिनांक 7 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53, न्यू आजाद नगर यदुवंशी गेस्ट हाउस के पीछे सड़क एवं नाली निर्माण, वार्ड 44 शिव गोदावरी पुलिस चौकी के पास 100 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण, मलिन बस्ती में सीवर एवं नाली निर्माण के सन्दर्भ में थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है। पत्रांक-202117 के सम्बन्ध में सड़क एवं नाली का व्ययानुमान रु0 02.10 लाख का तैयार करा दिया गया है। स्वीकृत होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सार्वजनिक रूप से बिना अनुमति बिक्री होने वाले मांस, मछली की दुकानों को प्रतिबन्धित करके विक्रेताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की मांग

27-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में सार्वजनिक रूप से बिना अनुमति बिक्री होने वाले मांस, मछली की दुकानों को प्रतिबन्धित करने एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेशान्तर्गत नागर निकायों द्वारा सार्वजनिक रूप बिना अनुमति/बिना लाइसेन्स, विक्रय करने वाले मांस, मछली की दुकानों को प्रतिबन्धित करने एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। नागर निकायों द्वारा ऐसे मांस विक्रेताओं के विरुद्ध चालान एवं जुर्माना वसूल किये जाने की कार्यवाही उ0 प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका

अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रक्रिया नागर निकायों द्वारा अभियान के तौर पर निरन्तर की जाती है।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश संख्या-2207/9-7-12-34ए0क्यू0/2012 दिनांक 13 जुलाई, 2012 द्वारा कड़े निर्देश भी जारी किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में सरकार द्वारा अधिष्ठापित खराब हैण्डपम्पों की रि-बोर कराकर भीषण गर्मी में पेयजल की समुचित सुविधा उपलब्ध कराना

28-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में सरकार द्वारा अधिष्ठापित कितने हैण्डपम्प खराब हैं तथा कितने रि-बोर की स्थिति में हैं ? क्या भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की कोई व्यवस्था विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर महानगर में 14351 हैण्डपम्पों में से 2259 हैण्डपम्प खराब हैं जिनमें से 2200 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में नागर जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कानपुर महानगर 50 सामान्य बस्तियों में 50 अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में कुल 100 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। अब तक सामान्य बस्तियों के 30 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 70 हैण्डपम्प की रि-बोरिंग का कार्य एक माह में पूर्ण कराया जाना लक्षित है। अवशेष हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग कार्य हेतु त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्ताव आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव के स्वीकृत होने की स्थिति में अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 न्यू आजाद नगर, बाईपास रोड, राधिका विद्या मन्दिर से सतबरी रोड तक सी0सी0 रोड तथा वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे के पास दयान भोग के पीछे वाली सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

29-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202081 एवं 202067 दिनांक 06 जून, 2013 जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड 53 न्यू आजाद नगर, बाईपास रोड, राधिका विद्या मन्दिर से सतबरी रोड तक सी0सी0 रोड तथा वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे के पास दयान भोग के पीछे वाली सड़क बनवाने के सन्दर्भ में थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र के संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा के वार्ड-77 गंगा नगर क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी के संदर्भ में दिये गये पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

30-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202083 दिनांक 06 जून, 2013 जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 77 गंगा नगर क्षेत्र में सड़क एवं जल निकासी की व्यापक व्यवस्था के सन्दर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 77 गंगा नगर क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-5097/9-आ-3-2001 (आ0व0) दिनांक 26-5-2001 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 के0डी0ए0 कालोनी, केसा लेन की दूसरी गली, देहली सुजानपुर में सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण के संदर्भ में दिये गये पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

31-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202084 दिनांक 06 जून, 2013 जो जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53, के0डी0ए0 कालोनी, केसा लेन की दूसरी गली, दहेली सुजानपुर में सड़क निर्माण एवं पक्की नाली के निर्माण हेतु दो बार टेण्डर होने के बावजूद रुके कार्य के सन्दर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत सी0एस0आर0 फण्ड द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 के आदर्श विहार राजपूत नगर में श्यामा सदन गेस्ट हाउस के पास सरोज विश्वकर्मा के मकान से फौजी रुद्रपाल के मकान तक सीवर लाइन का अधूरा कार्य पूरा कराने का मामला

32-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53 में आदर्श विहार राजपूत नगर में श्यामा सदन गेस्ट हाउस के पास सरोज विश्वकर्मा के मकान से फौजी रुद्रपाल के मकान तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अधूरा कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। प्रश्न में वर्णित स्थल पर सीवर लाइन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

33-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जल संस्थान द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति की दरें बढ़ाये जाने का आधार तथा आगरा सहित प्रमुख महानगरों की बढ़ी दरों की जानकारी

34-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जल संस्थान द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति (सरकारी जल मूल्य) की दरें बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वृद्धि के निर्धारण का आधार क्या है तथा आगरा सहित प्रमुख महानगरों में यह बढ़ी हुई दरें क्या होगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

विचाराधीन है।

आगरा नगर निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर नुनिहाई व शाहदरा आदि में सड़क क्षतिग्रस्त पुलिया, साइड पटरी, नाला व नाली निर्माण/मरम्मत आदि में औद्योगिक क्षेत्रों से कर/यूजेज चार्जेज के रूप में प्राप्त धनराशि के उपयोग का प्रकरण

35-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश संख्या-3990/9-9-2001-21ज/99, दिनांक 14-12-2001 के अनुपालन में औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले जाने वाले विभिन्न कर/यूजेज चार्जेज की 60 प्रतिशत धनराशि इन्हीं क्षेत्रों के रख-रखाव पर खर्च किये जाने तथा

शेष 40 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी नगर निगमों द्वारा ही किया जाना था ? यदि हां, तो आगरा के औद्योगिक क्षेत्र फाउण्ड्री नगर व नुनिहाई-शाहदरा में इस मद के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों में अब तक आगरा नगर निगम को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है और इससे क्या-क्या विकास कार्य कराये जा चुके हैं ? क्या सरकार इसका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम, आगरा को गत 05 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों से कर/यूजेज/चार्जेस के रूप में रु0 34.67 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। आगरा नगर निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर, नुनिहाई व शाहदरा आदि में सड़कों, क्षतिग्रस्त पुलिया, साइड पटरी, नाला व नाली निर्माण/मरम्मत आदि हेतु रु0 176.22 लाख की धनराशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र में पथ-प्रकाश व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 9.82 लाख के कार्य कराये गये हैं।

उक्त विवरण की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

36-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

37-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर नगर के वार्ड 53 वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे के पास 56 भोग के ठीक पीछे वाली सड़क बनाये जाने के संदर्भ में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202067, दिनांक 06 जून, 2013 जो जनपद कानपुर नगर के वार्ड 53, वीरेन्द्र स्वरूप चौराहे के पास 56 भोग के ठीक पीछे वाली सड़क बनवाने के संदर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त कार्य का व्ययानुमान तैयार कर लिया गया है। स्वीकृत होने पर कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-176-178 पर।

कानपुर नगर के महराजपुर वि0स0 क्षेत्र में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुए 200 हैण्डपम्प मुख्य मंत्री की घोषणानुसार लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

39-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के महराजपुर वि0स0 क्षेत्र में पेयजल के गंभीर संकट को देखते हुए 200 हैण्डपम्प मुख्य मंत्री घोषणा के अनुरूप लगाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-07-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

संदर्भित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रेषित किया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान मण्डल के प्रत्येक मा0 सदस्य को 100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गई है। तद्नुसार अनुमन्य सीमा अर्थात् 100 हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में विधान सभा क्षेत्र महराजपुर जनपद कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्र में कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुए पत्रों पर हुई कार्यवाही की जानकारी

40-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक क-5-नं0-8790, 8791 एवं 8792, दिनांक 10 जून, 2013 जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के सन्दर्भ में थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल निकासी हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नाले के निर्माण के संदर्भ में दिये गये पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

41-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक क-5-नं0-8789, दिनांक 10 जून, 2013 जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल निकासी हेतु विभिन्न क्षेत्रों में नाले के निर्माण के सन्दर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53, रामपुरम्, श्यामनगर में सोनी बैण्ड वाली रोड को पक्का निर्माण कराने विषयक दिये गये पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

42-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 202080, दिनांक 06 जून, 2013 जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 53, रामपुरम्, श्याम नगर में सोनी बैण्ड वाली रोड को पक्का निर्माण कराने के सन्दर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र के संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में यमुनापुर स्थित शहरी क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की गम्भीर समस्या के निदान हेतु शिरोपरि जलाशयों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में यमुनापार स्थित शहरी क्षेत्र में व्याप्त पेयजल की गम्भीर समस्या के निदान हेतु पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित शिरोपरि जलाशयों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-12-2013 आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 31-12-2013 के स्थान पर पत्र दिनांक 30-12-2013 मण्डलायुक्त, आगरा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

जनपद आगरा के वि0 स0 क्षेत्र एत्मादपुर में यमुना पार स्थित शहरी क्षेत्र में व्याप्त पेयजल समस्या का निदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। पेयजल आपूर्ति हेतु आगरा शहर को 25 जोन्स में विभक्त किया गया है। जिनमें जमुना पार क्षेत्र दो जोन्स, ट्रान्स यमुना जोन-प्रथम व ट्रान्स

यमुना जोन-द्वितीय में आता है। इस क्षेत्र में जलापूर्ति जलकल विभाग, आगरा द्वारा जीवनी मण्डी से यमुना जल का शोध कर की जाती है।

ट्रान्स यमुना जोन-प्रथम में टी0टी0जेड0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 2800 कि0ली0 क्षमता का भूमिगत तथा 1500 कि0ली0 व 900 कि0ली0 क्षमता के दो उच्च जलाशयों का निर्माण कराया गया था तथा 18 कि0मी0 लम्बाई में बिछायी गयी वितरण प्रणाली के माध्यम से जलापूर्ति आगरा जलकल विभाग द्वारा की जा रही है।

इसके अतिरिक्त जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत बिछायी गयी लगभग 32 कि0मी0 वितरण प्रणाली में से 30 कि0मी0 वितरण प्रणाली टेस्टिंग कर क्रियाशील कर दी गयी है। ट्रान्स यमुना जोन-प्रथम की शेष वितरण प्रणाली की टेस्टिंग अभी पूर्ण नहीं हो सकी है। इस जोन में एत्माउद्दौला, प्रकाश नगर कछपुरा, सीतानगर मोतीमहल, नवलगंज आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

ट्रांस यमुना जोन-द्वितीय के अन्तर्गत नगला जमुनी, नराइच, कालिन्दी विहार, प्रकाश नगर, नगला किशन लाल, टेड़ी बगिया, इस्लाम नगर इत्यादि में जलापूर्ति व्यवस्था हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत दो उच्च जलाशय क्रमशः 1900 कि0ली0 नराइच (नगला जमुनी) में तथा 2000 कि0ली0 कालिन्दी विहार में निर्मित किये गये हैं। दोनों उच्च जलाशयों हेतु ट्रांस जोन-प्रथम में टी0टी0जेड कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित भूमिगत जलाशय से दोनों उच्च जलाशयों तक बिछायी गयी राइजिंग मेन की व उच्च जलाशय की टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस जोन में 106 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछाये जाने का कार्य कराया जा रहा है। अभी वितरण प्रणाली की टेस्टिंग नहीं हो सकी है। बिछायी गयी वितरण प्रणाली में गैप क्लोजिंग का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में एत्मादपुर कस्बे में पीने के पानी को उपलब्ध कराये जाने हेतु स्थापित नलकूपों की जानकारी तथा खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराया जाना

44-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एत्मादपुर कस्बे में पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए कुल कितने नलकूप स्थापित हैं एवं उनमें से वर्तमान में कितने चालू हैं और कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब नलकूपों को शीघ्र ठीक कराकर, जनता को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

एत्मादपुर कस्बे में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये कुल 06 नलकूप निर्मित हैं जिनमें से वर्तमान में 04 नलकूप चालू हैं तथा 02 नलकूप खराब हैं।

नलकूपों का रख-रखाव नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जा रहा है। इनके मरम्मत कराने का दायित्व भी नगरपालिका परिषद् का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में भातखण्डे संगीत संस्थान (सम विश्वविद्यालय) के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपादान (ग्रेच्युटी) एवं सीमान्त अवकाश/नकदीकरण प्रदान करने विषयक

45-श्री सतीश महाना-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भातखण्डे संगीत संस्थान (सम विश्वविद्यालय), लखनऊ के शिक्षकों को शासनादेश सं0 सी0एस0-03/चार-05-02 (बी0एस0एस0)/04, दिनांक 05 अप्रैल, 2005 द्वारा अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष की गयी है ? यदि हां, तो क्या उन्हें 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के पश्चात् उपादान (ग्रेच्युटी) एवं सीमान्त अवकाश नकदीकरण प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति विभाग (अरुण कुमार कोरी)-

जी हां।

जी हां।

संस्थान के शिक्षकों को 62 वर्ष की आयु के पश्चात् उपादान (ग्रेच्युटी) प्रदान किया जा रहा है। शिक्षक के सेवानिवृत्ति के पश्चात् यदि कोई उपार्जित अवकाश शेष रहता है तो उन्हें सीमान्त अवकाश नकदीकरण प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐतिहासिक इमारत ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये आगरा सिटी को सोलर सिटी बनाये जाने का प्रकरण

46-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविख्यात ऐतिहासिक इमारत ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए आगरा सिटी को सोलर सिटी बनाये जाने का प्रस्ताव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में स्वीकृत किया गया था ? क्या यह सही है कि नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त का मास्टर प्लान तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया जिसे भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2012 में अनुमोदित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

नगर निगम द्वारा समय-समय पर उक्त के सम्बन्ध में स्टेक होल्डर कमेटी एवं सोलर सिटी सेल की समीक्षा बैठक की जाती रही है तथा प्रेस विज्ञप्ति एवं होर्डिंग के माध्यम से सोलर उपकरणों के प्रयोग एवं उनकी उपयोगिता के संदर्भ में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। नगर निगम एवं नेडा के संयुक्त प्रयास से इसके कई सेमिनार भी किये जा चुके हैं।

नगर निगम कार्यकारिणी समिति द्वारा शहर के सभी वार्डों, सामुदायिक केन्द्रों आदि पर पथ-प्रकाश व्यवस्था हेतु 2-2 नग सोलर लाइट लगवाये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी

कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम, आगरा में एम0जी0 रोड, फतेहाबाद रोड के मुख्य चौराहों एवं रामबाग पर ट्रैफिक सिग्नल को सोलर लाइट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर के सभी मुख्य चौराहों पर सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने का प्रकरण

47-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के सभी मुख्य चौराहों पर सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो सभी मुख्य चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे कब तक लगा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सभी मुख्य चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

48-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[1ले बुध के अता0प्र0सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के नगर मोहम्मदी में पुराने ध्वस्त सीवर लाइनों को अधिक क्षमता की पाइप लाइनें डालने का प्रकरण

49-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के नगर मोहम्मदी में ध्वस्त पुराने सीवर लाइनों के स्थान पर जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिक क्षमता के बड़े पाइप लाइन डलवाकर नयी सीवर लाइनें डालने की सरकार के कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

किसी नगर पालिका परिषद् में सीवरेज व्यवस्था प्रस्तावित किये जाने का मानक वहां पर पेयजल व्यवस्था का 135 एल0पी0सी0डी0 (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) होना आवश्यक है। नगर पालिका परिषद् मोहम्मदी जनपद लखीमपुर में पूर्व से निर्मित अवर जलाशय के जीर्ण-शीर्ण होने के कारण जलापूर्ति दो नलकूपों द्वारा सीधे पाइप लाइन के माध्यम से लगभग 37 एल0पी0सी0डी0 की दर से की जा रही है। नगरवासियों द्वारा अपने घरों के शौचालय का संयोजन सैप्टिक टैंक में किया गया है। अतः सीवरेज व्यवस्था के लिये निर्धारित मानकों को पूरा न किये जाने के कारण मोहम्मदी नगर में सीवरेज व्यवस्था प्रस्तावित नहीं की गयी है।

जनपद अलीगढ़ के थाना जवां की गोधा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को थाना बनाने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्यवाही की मांग

50-श्री दलवीर सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-02 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना जवां की गोधा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को थाना बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पुलिस चौकी को कब तक थाना बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पुलिस चौकी गोधा को पुलिस थाना बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद अलीगढ़ नगर निगम के पुराने शहर के क्षेत्र सुरेन्द्र नगर, रामघाट रोड, सेन्टर प्वाइंट, रेलवे रोड, गुलर रोड, सासनी गेट आदि क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त रोडों पर जलभराव की समस्या तथा सी0सी0 सड़क बनाये जाने की मांग

51-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर निगम के पुराने शहर के क्षेत्र जैसे सुरेन्द्र नगर, रामघाट रोड, सेन्टर पाइंट, रेलवे रोड, गुलर रोड, सासनी गेट आदि क्षेत्रों में तारकोल की बनी सड़कें हल्की बारिश में भी क्षतिग्रस्त हो जाने से जल भराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सी0सी0 सड़क बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अलीगढ़ नगर निगम के पुराने शहर क्षेत्र जैसे सुरेन्द्र नगर रामघाट रोड, सेन्टर प्वाइन्ट रेलवे रोड, गुलर रोड तथा सासनी गेट क्षेत्र में पूर्व से सी0सी0 रोड निर्मित है। जहां तक इस क्षेत्र की सड़कों पर जलभराव की समस्या का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अलीगढ़ महानगर की भौगोलिक स्थिति कटोरेनुमा होने के कारण शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों का पानी स्थायी/अस्थाई पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से निकाला जाता है। इस कारण कुछ समय के लिये जलभराव की स्थिति रहती है परन्तु कुछ समय पश्चात् जलभराव नहीं रहता है। वर्तमान में नगर की समस्त सीवर लाइनों की सफाई का कार्य करा दिया गया है तथा नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120 बजट/13, दिनांक 07-06-2013 द्वारा नगर निकायों में सी0सी0 रोड निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की तहसील मुख्यालय परिसर गभाना में मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के तहसील मुख्यालय परिसर गभाना में मुंसिफ कोर्ट स्थापित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-5-912389, दिनांक 10-4-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र में प्रस्तावित न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अभिमत/संस्तुति प्राप्त करने की कार्यवाही शासन के पत्र दिनांक 01-05-2012 द्वारा की गयी। सम्प्रति जनपद अलीगढ़ की तहसील परिसर गभाना में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्थापित करने का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की तहसील मुख्यालय गभाना में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का प्रकरण

53-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-1725/छः-पु0-8-10-02 (स्थापना)/07, दिनांक 29-10-2010 द्वारा तहसील मुख्यालय गभाना, जनपद अलीगढ़ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र क्रियाशील है।

नगर निगम बरेली द्वारा नगर में किये जा रहे जलापूर्ति में कतिपय स्थानों पर क्लोरीनेशन टेस्ट अधोमानक के आधार पर करने विषयक उपाय

54-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगर निगम बरेली द्वारा नगर में किये जा रहे जलापूर्ति में कुछ स्थानों पर जल का क्लोरीनेशन टेस्ट अधोमानक पाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे स्थानों पर मानक के अनुसार क्लोरीनेशन करने का कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर निगम, बरेली द्वारा बरेली नगर में जलापूर्ति में नियमित रूप से समुचित मात्रा में क्लोरीनेशन की जा रही है, जिसका नियमित ओ0टी0 परीक्षण कराया जा रहा है। माह अप्रैल, 2014 व मई, 2014 में कुल 285 क्लोरीन टेस्ट कराये गये, परिणाम मानक के अनुरूप पाये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की मलिन बस्तियों में राजीव आवास योजनान्तर्गत सर्वेक्षित 608 आवासों को निर्मित कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

55-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की मलिन बस्तियों में राजीव आवास योजनान्तर्गत सर्वेक्षित 608 आवासों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5-14580, दिनांक 11-12-2013 नगर आयुक्त बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, किन्तु प्रश्न की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति यह है कि राजीव आवास योजना के अन्तर्गत बरेली की नदौसी एवं नदौसी गौंटिया मलिन बस्तियों के चयनित 608 में से 607 आवासों के उन्नयन का डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 01 आवास पिता एवं पुत्र दोनों के द्वारा आवेदन किये जाने के कारण उसे डी0पी0आर0 में शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में जे0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यांश के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये जा रहे कार्यों का विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

56-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम बरेली में जे0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यांश के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु स्वीकृत 390 लाख रुपये से कराये जा रहे कार्यों के विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-145276, दिनांक 11-12-13 नगर आयुक्त, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। किन्तु प्रश्न की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति यह है कि राजीव आवास योजना के अन्तर्गत बरेली की नदौसी एवं नदौसी गौंटिया मलिन बस्तियों के चयनित 608 में से 607 आवासों के उन्नयन का डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। 01 आवास पिता एवं पुत्र दोनों के द्वारा आवेदन किये जाने के कारण उसे डी0पी0आर0 में शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली नगर के स्लम एरिया में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर के स्लम एरिया में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-247866 दिनांक 12-12-2013 नगर आयुक्त, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बरेली नगर के स्लम एरिया संजयनगर, गौसाई गौटिया, दुर्गानगर, आलोक नगर, जोगीनवादा, डिफेंस कालोनी, सिद्धार्थनगर, सैदपुर, परतापुर, बिहारमान नगला, सुर्खा, मठलक्ष्मीपुर रहपुरा, महलऊ नवविकसित क्षेत्र हैं। इन कालोनियों में अवस्थापना सुविधाओं का आंशिक रूप से अभाव है। उक्त स्लम एरिया में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत नगर निगम एवं डूडा द्वारा समय-समय पर अवस्थापना सुविधाओं हेतु सड़क, नाली निर्माण, पेयजल हेतु हैण्डपम्प की स्थापना का कार्य कराया जाता है। वर्तमान में उक्त स्लम एरिया में नगर निगम में उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत रु0 252.53 लाख के कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

उक्त स्लम एरिया संजयनगर, गौसाई गौटिया, दुर्गानगर, आलोक नगर, जोगीनवादा, डिफेंस कालोनी, सिद्धार्थनगर, सैदपुर, परतापुर, बिहारमान नगला, सुर्खा, मठलक्ष्मीपुर रहपुरा, महलऊ आदि क्षेत्रों में आंशिक रूप में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है। शेष भाग में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मा0 सांसदों/मा0 विधायकों को अतिरिक्त गनर सुरक्षा की सुविधा निजी व्यय पर उपलब्ध कराने तथा दी गई सुविधा में लाभार्थियों की संख्या की जानकारी

58-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने माननीय विधायकों एवं माननीय सांसदों को अतिरिक्त गनर की सुविधा प्रदान की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सभी अन्य माननीय विधायकों जिन्होंने अतिरिक्त गनर की सुरक्षा मांगी है, को क्या शासनादेश के अनुसार 10 फीसदी निजी व्यय पर अतिरिक्त गनर की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में कुल 144 माननीय विधायकों एवं माननीय सांसदों को अतिरिक्त गनर की सुविधा प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या-682 पी0जी0एस0/छः-पु0-2-14-700 (1)/2001, दिनांक 09-05-2014 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा का औचित्य पाये जाने पर अतिरिक्त गनर उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री दीपक पटेल-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

बरेली नगर के औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले जाने वाले कर एवं यूजेज चार्जेज की वसूली व खर्च के विवरण विषयक जानकारी हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र में की गई कार्यवाही की जानकारी

60-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर के औद्योगिक क्षेत्रों से वसूले जाने वाले कर एवं यूजेज चार्जेज की वसूली व खर्च के विवरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-247958, दिनांक 12-12-2013 नगर आयुक्त, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम, बरेली औद्योगिक क्षेत्र में 05 वर्षों के अन्दर कुल प्राप्त धनराशि रु0 158.00 लाख प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु0 60.00 लाख के कार्य स्वीकृत हुए हैं। रु0 31.40 लाख का भुगतान किया जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर रु0 62.00 लाख के कार्य प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में परसाखेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले 500 मीटर लम्बे नाले के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

61-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में परसाखेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले 500 मीटर लम्बे नाले का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-5 नं0-145279 दिनांक 11-12-2013 नगर आयुक्त, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसपर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

यद्यपि कि उक्त पत्र नगर निगम, बरेली को प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु जनपद बरेली में परसाखेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में 290 मीटर लम्बाई में नाले निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 285 मीटर लम्बाई पुलिस चौकी परसाखेड़ा पुलिया हाई-वे तक नाला निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में श्री अनिल अवस्थी निवासी 43, मोहल्ला चौधरी रानी साहब का फाटक थाना किला की पुत्री कु0 अंशी अवस्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल अवस्थी निवासी 43, मोहल्ला चौधरी रानी साहब का फाटक थाना किला जनपद बरेली की पुत्री कु0 अंशी अवस्थी की दिनांक 10 जनवरी, 2014 को संदिग्ध परिस्थितियों में हुयी मृत्यु की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-5 नं0-000870 दिनांक 31 जनवरी, 2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर की आख्या दिनांक 08 जून, 2014 में उल्लेख है कि कु0 अंशी अवस्थी छात्रा बी-टेक मेकेनिकल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के0एन0आई0टी0 सुल्तानपुर की दिनांक 10-1-2014 को हुई मृत्यु के सम्बन्ध में कु0 अंशी के कमरे से सुसाइट नोट प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित है। कि ''नो वन इज रिस्पान्सिबल ओशो मम्मी पापा का सपना तुम्हे पूरा करना है ओके सॉरी पापा लव यू बी''।

उक्त आख्या के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम तहसील मुख्यालय गभाना, ब्लाक मुख्यालय जवां बरौली तालिबनगर, ब्लाक मुख्यालय चन्दौस को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

63-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम तहसील मुख्यालय गभाना, ब्लाक मुख्यालय जवां, बरौली, तालिबनगर, ब्लाक मुख्यालय चन्दौस को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-4-2012 पर आपके पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0/10016071/2012, दिनांक 17-4-2012 द्वारा दिये गये निर्देशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद अलीगढ़ के ग्राम तहसील मुख्यालय गभाना, ब्लाक मुख्यालय जवां, बरौली, तालिबनगर, ब्लाक मुख्यालय चंदौस को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 10-4-2012 पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध शासन के पत्र दिनांक 30-7-12 द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से किया गया था। तदोपरान्त शासन के पत्र दिनांक 4-4-13 द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से शासनादेश दिनांक

10-9-1986 में निर्धारित मानक के अनुसार सम्यक् प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा गभाना, बरौली, तालिबनगर एवं चंदौस को नगर पंचायत बनाये जाने का अलग-अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जोकि शासनादेश दिनांक 10-9-1986 के अनुरूप नहीं था। शासनादेश दिनांक 10-9-1986 के अनुरूप प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा शासन द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से की गयी है। उक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पुनः जिलाधिकारी, अलीगढ़ को अनुस्मरण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के थाना माधोटाडा में पंजीकृत अभियोग संख्या-865/2013 अन्तर्गत धारा-304ए, 498ए भा0द0सं0 एवं धारा-3, 4 दहेज अभियोग में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

64-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के थाना माधोटाडा में पंजीकृत अभियोग सं0-865/2013 अन्तर्गत धारा-304ए, 498ए भा0द0सं0 एवं धारा-3, 4 दहेज अभियोग में सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत के थाना माधोटाडा में मु0अ0सं0-865/2013 अन्तर्गत धारा-304बी, 498ए, भा0द0वि0 एवं धारा-3/4 दहेज अधिनियम बनाम 1-सरनाम सिंह पुत्र किशन सिंह, 2-सूरज सिंह पुत्र किशन सिंह, 3-सत्येन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह, 4-श्रीमती कुसमा देवी पत्नी सूरज सिंह, निवासीगण ग्राम-रूद्रपुर पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त सरनाम सिंह को दिनांक 05-10-13 को एवं अभियुक्त सत्येन्द्र सिंह को दिनांक 26-12-13 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। नामित अभियुक्त सरनाम व सत्येन्द्र के विरुद्ध साक्ष्य संकलन के आधार पर जुर्म सिद्ध होने पर सरनाम के विरुद्ध आरोप-पत्र ए-193, दिनांक 23-11-2013 व सत्येन्द्र सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र ए-193 ए दिनांक 12-1-14 मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जा चुका है। नामित अभियुक्त सूरज सिंह व श्रीमती कुसमा देवी की गिरफ्तारी शेष है। विवेचना प्रचलित है।

प्रदेश में प्रत्येक थाने में भारसाधक पदाधिकारी के स्थान पर पुलिस निरीक्षक स्तर के कर्मचारी की नियुक्ति के प्रकरण पर शासन के निर्णय की जानकारी

65-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक थाने में भार साधक पदाधिकारी के स्थान पर पुलिस निरीक्षक स्तर के कर्मचारी की नियुक्ति का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक क्रियान्वित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-4147/6-पु-1-08-120/2008, दिनांक 11-12-2008 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्रों के सभी थानों को निरीक्षक स्तर का किया गया।

उक्त शासनादेश दिनांक 11-12-2008 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या-3888/6-पु-1-13-135/2013, दिनांक 07-02-2014 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल थानों के 2/3 थानों पर निरीक्षक तथा 1/3 थानों पर उप निरीक्षक को थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार निर्णय क्रियान्वित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में अरबी-फारसी बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त मदरसा स्कूल तथा अनुदान प्राप्त स्कूलों की जानकारी, शेष मदरसों को अनुदान देने की मांग

66-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में अरबी-फारसी बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त कितने मदरसा स्कूल हैं तथा उनमें कितने अनुदान प्राप्त है ? क्या सरकार शेष मदरसों को अनुदान देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण की आख्यानुसार जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के 05 मदरसे हैं जिनमें 04 मदरसों की मान्यता स्थायी तथा 01 मदरसे की मान्यता अस्थायी है। इनमें से 02 मदरसे अनुदान पर हैं।

आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता की तिथि के आधार पर निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार पात्र होने पर अनुदान सूची पर लिया जाता है।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना कराये जाने की मांग

67-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-धौरहरा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना न होने के कारण 70 कि0मी0 दूर जनपद मुख्यालय पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील धौरहरा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

अधीनस्थ न्यायालयों पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का पूर्ण नियंत्रण होता है। न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में पहले मा0 उच्च न्यायालय का अभिमत/संस्तुति प्राप्त की जाती है। वर्तमान में जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति प्राप्त नहीं है।

जनपद इलाहाबाद में दिनांक 31-10-2013 को जिला न्यायालय के अधिवक्ता श्री संदीप पाण्डेय के भाई की नृशंस हत्या के बाद चश्मदीद गवाह पर हमला होने के बावजूद नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रकरण

68-श्री दीपक पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में दिनांक 31-10-2013 को जिला न्यायालय के अधिवक्ता श्री संदीप पाण्डेय के भाई श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय की दोपहर 11 बजे दिन में गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई तदुपरान्त उपरोक्त घटना के चश्मदीद गवाह राजेश कुमार को भी उन्हीं हमलावरों ने दिनांक 17-11-2013 को गोली मार दी, जिससे ये गम्भीर रूप से घायल हो गये ? क्या घटना के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों घटनाक्रमों के नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अधिवक्ता श्री संदीप पाण्डेय के भाई श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय की हत्या पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश एवं वर्चस्व को लेकर दिनांक 31-10-2013 को किये जाने के सम्बन्ध में थाना-करछना पर मु0अ0सं0-322/13, धारा-147, 148, 149, 302, 34 भा0द0वि0 विरुद्ध कमलाशंकर पुत्र रामनरायण, अखिलेश्वर पाण्डेय पुत्र भैरो प्रसाद, सीतला प्रसाद पुत्र भैरो प्रसाद, राजेश्वर पाण्डेय पुत्र अज्ञात व अन्य दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत कराया गया, जिसमें मुख्य आरोपी कमलाशंकर पुत्र रामनरायण निवासी ग्राम-खांईं, थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 03-11-2013 को हत्या में प्रयुक्त दो नाली बन्दूक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस अभियोग की विवेचना क्राइम ब्रांच, इलाहाबाद तथा बाद में क्राइम ब्रांच, कौशाम्बी स्थानान्तरित की गयी।

क्राइम ब्रांच, कौशाम्बी की विवेचना के उपरान्त अभियुक्त कमलाशंकर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र सं0-7/14 दिनांक 26-01-2014 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। शेष अभियुक्तों की नामजदगी गलत पाये जाने पर गिरफ्तारी नहीं की गयी। मुकदमा उपरोक्त मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

इसी क्रम में श्री संदीप पाण्डेय के भाई राजेश पाण्डेय पुत्र सोभनाथ पाण्डेय ग्राम खांईं को दिनांक 17-11-2013 को प्रातः 5.30 बजे जान से मारे जाने की नीयत से गोली मारी गई, जिससे राजेश पाण्डेय को गम्भीर चोटें आयीं। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-339/13, धारा-307, 506 भा0द0वि0 विरुद्ध राजेश्वर पाण्डेय उर्फ बड़ेबाबू पुत्र श्री भैरो प्रसाद, बबलू पुत्र रामनरायण व अखिलेश्वर पुत्र भैरो प्रसाद समस्त निवासीगण खांईं थाना करछना पंजीकृत हुआ। इसकी विवेचना वर्तमान क्राइम ब्रांच, जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रचलित है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विवेचक द्वारा कोई भी निर्देश प्राप्त न होने के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2014 तक हुए साम्प्रदायिक दंगों में हुई मृत्यु पर कार्यवाही तथा दंगा रोकथाम हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

69-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2014 तक कुल कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ? दंगों में कितने लोगों की मृत्यु हुयी तथा कितनों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि दंगों की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2014 तक 01 साम्प्रदायिक दंगा जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह दंगा जनपद मुजफ्फरनगर के समीपवर्ती जनपदों मेरठ, सहारनपुर, बागपत व शामली में भी फैल गया।

दंगे में जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बागपत व शामली में कुल 65 व्यक्तियों (2 अज्ञात) की मृत्यु हुयी। उक्त घटना में कुल 566 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिसमें कुल 4881 अभियुक्त नामजद/प्रकाश में आये।

सरकार द्वारा इन दंगों को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(1) जनपदों में बनायी गयी दंगा नियंत्रण योजना में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही।

(2) पुलिस का आम जनता के प्रति मित्र छवि उपस्थित करना।

(3) कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिये जनता की कठिनाइयों को दूर किया जाना।

(4) महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़-छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर महिला हेल्पलाइन 1090 चालू किया जाना।

(5) समाधान दिवसों पर जनता की शिकायतों को गुण-दोष एवं प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाना।

(6) समय-समय पर विभिन्न कार्यशालायें आयोजित कर पुलिसजनों को सद्व्यवहार प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

70-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

71-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मा0 उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी में मकान नं0-ए-1103/1 से 1103/17 तक के सामने स्थित पार्क में अवैध कब्जा हटाया जाना

72-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी में मकान नं0-ए-1103/1 से 1103/17 तक के सामने स्थित पार्क में कुछ वर्ष पूर्व अवैध कब्जा हटाया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान समय में पुनः उसी स्थान पर खान डेरी द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल का निरीक्षण कराकर अवैध कब्जा हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर कालोनी में मकान नम्बर-ए 1103/1 से 1103/5 तक के सामने एक पार्क स्थित है, जिसमें एक मन्दिर बना हुआ है तथा उस पार्क में किसी का कोई अवैध कब्जा नहीं है। शेष ए0-1103/6 से 1103/17 के सामने कोई पार्क की भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर खान डेरी के संचालक श्री फखरूल हसन द्वारा पूर्व में बाउन्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसका ध्वस्तीकरण परिषद् द्वारा वर्ष 1981 में करा दिया गया था, जिस पर वर्तमान समय में मा0 उच्च न्यायालय में श्री फखरूल हसन बनाम उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के मध्य वाद विचाराधीन है। जिस कारण इस भू-भाग पर परिषद् द्वारा कोई ले-आउट प्रस्तावित नहीं किया गया है। वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर मा0 न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत में एम0एस0सी0 योजना के अन्तर्गत राजकीय तकनीकी संस्थान (जी0टी0आई0) स्थापित करने का जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा प्रेषित-पत्र पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी

73-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में एम0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत राजकीय तकनीकी संस्थान (जी0टी0आई0) स्थापित करने का जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2013 को प्रेषित प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्राविधिक शिक्षा विभाग की जानकारी के अनुसार जनपद पीलीभीत में पालिटेक्निक की स्थापना के सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा विभाग ने अपने पत्र दिनांक 02-07-2012 द्वारा 5 एकड़

निःशुल्क एवं निर्विवाद भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा जिलाधिकारी, पीलीभीत से की गई थी। तत्क्रम में जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा राजस्व ग्राम चुर्रासकतपुर, परगना तहसील बीसलपुर की भूमि गाटा संख्या-388 क्षेत्रफल 1.615 हेक्टेयर जो अभिलेखों में नहर कोठी के नाम दर्ज होने के कारण अपने पत्र दिनांक 11-4-2013 द्वारा प्रकरण प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं गाटा संख्या-389 क्षेत्रफल 0.555 हेक्टेयर में से 0.416 हेक्टेयर जो अभिलेखों में स्कूल फार्म के नाम दर्ज होने के कारण प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुमति/स्वीकृति हेतु संदर्भित किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि की अनुमति प्राविधिक शिक्षा विभाग को प्रदान कर दी गई है तथा सिंचाई विभाग में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 48 जनपदों के 144 विकास खण्डों एवं 18 नगरीय क्षेत्रों को एम0एस0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है जिसमें से जनपद पीलीभीत के दो विकास खण्ड अमरिया एवं पूरनपुर चयनित हैं। राजस्व ग्राम चुर्रासकतपुर विकास खण्ड बीसलपुर में स्थित है। उक्त ब्लाक एम0एस0डी0पी0 से आच्छादित नहीं है।

जनपद आगरा के नगर पालिका परिषद् एत्मादपुर में लगे हैण्डपम्पों में से खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने की कार्यवाही करने की मांग

74-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगर पालिका परिषद् एत्मादपुर में कुल कितने हैण्डपम्प लगे हैं एवं उनमें से कितने हैण्ड पम्प वर्तमान में खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्ड पम्पों को शीघ्र ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद आगरा के नगर पालिका परिषद् एत्मादपुर में कुल 146 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है, जिनमें से 80 हैण्डपम्प खराब है।

हैण्डपम्पों का रख-रखाव नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जा रहा है एवं इनके मरम्मत कराने का दायित्व भी नगर पालिका परिषद् का है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले के आवास संख्या-494 के निकट विधायक निधि से लगाये गये हैण्ड पम्पों की स्थापना में की गई गड़बड़ी के सम्बन्ध में मा0 विधायक के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

75-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 श्री इन्द्रजीत कोरी, विधायक घाटमपुर, फतेहपुर का पत्र दिनांक 29-01-2014 जो कानपुर नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले के आवास संख्या-494 एवं इसके 01 किलोमीटर दायरे में वर्ष 2013-14 में विधायक निधि से इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की स्थापना में की गई अनियमितताओं की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्न में वर्णित स्थलों पर हैण्डपम्पों की स्थापना यू0पी0 एग्रो, कानपुर द्वारा की गयी है। प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु मण्डलीय अभियन्ता, यू0पी0 एग्रो, 123/355, फजलगंज, कानपुर से अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय प्रकल्प खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, कानपुर के पत्र संख्या-895/एम-22/32 दिनांक 11-6-2014 द्वारा अनुरोध किया गया है। इस प्रकार प्रश्नकर्ता के पत्र के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही नगर विकास विभाग से अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत लगाये गये हैण्डपम्पों के खराब होने से रि-बोर कराकर पेयजल सुविधा प्रदान करने की मांग

76-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से कितने हैण्ड पम्प कार्यरत हैं तथा कितने हैण्ड पम्प खराब हैं ? क्या सरकार पेयजल की उपलब्धता के दृष्टिगत खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत 554 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प स्थापित हैं जिसमें से 340 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प कार्यरत हैं तथा 214 हैण्डपम्प रि-बोर योग्य हैं।

शहरी क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के रि-बोर का कार्य जिला योजना (नगरीय पेयजल) के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत कार्य जिला योजना समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता की स्थिति में कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में वि0 ख0 अम्बियापुर के ग्राम रिसौली को आबादी के मानक के आधार पर ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की मांग

77-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में वि0ख0 अम्बियापुर के ग्राम रिसौली की आबादी लगभग 15000 से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित किये गये मानक विषयक शासनादेश संख्या-6250/9-1-86-77सा(3)/82, दिनांक 10-09-1986 में कुल 20,000 की जनसंख्या पर नगर पंचायत बनाये जाने का प्राविधान है जबकि ग्राम पंचायत, रिसौली विकास खण्ड अम्बियापुर की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 10082 है।

जनपद बदायूं के बिल्सी वि0स0 क्षेत्र की नगरपालिका बिल्सी उझानी तथा नगर पंचायत कछला में नई बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने विषयक प्रकरण

78-श्री मुसर्रत अली बिट्टन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिल्सी विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका बिल्सी उझानी तथा नगर पंचायत कछला में नई आबादी की कई बस्तियां विकसित हुई हैं, जिनमें मूलभूत सुविधाओं जैसे-सड़क निर्माण कार्य, विद्युतीकरण, पेयजल आदि की सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद् बिल्सी की विकसित नई बस्तियों में विद्युतीकरण करा दिया गया है तथा पेयजल एवं सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

नगर पालिका परिषद् उझानी की विकसित बस्तियों में पालिका द्वारा सड़क/नाली के निर्माण एवं पेयजल हेतु पाइप लाइन डालने का कार्य कराया गया है। विद्युत विभाग द्वारा पोल लगाने पर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाई गयी है।

नगर पंचायत कछला में पूर्व तीन वर्षों में कोई नई बस्तियां नहीं बसाई गयी हैं। नगर पंचायत के दसों वार्डों की बस्तियों में सड़क, प्रकाश व्यवस्था एवं पेयजल की सुविधायें उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने से लग रही जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु सरकार के उपाय

79-श्री दलवीर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रतिदिन लगने वाले जाम की समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अलीगढ़ शहर की जाम की समस्या के निदान हेतु निम्न उपाय किये गये हैं :-

1-नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा प्रशासन के सहयोग से समय-समय पर सड़क पटरियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर हटाया जाता है।

2-सारसौल चौराहा, कबर कुत्ता चौराहा तथा पड़ाव दुबे चौराहे पर सिग्नल लाइट्स लगाकर यातायात सुगम बनाया जा रहा है।

3-अलीगढ़ महानगर की सीमा के अन्तर्गत पार्किंग की समुचित व्यवस्था हेतु नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा 10 पार्किंग स्थल निम्नवत् चिन्हित किये गये हैं :-

(1) क्वार्सी चौराहे के निकट,

(2) जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम के निकट,

(3) डी0ए0वी0 कन्या इण्टर कालेज के निकट,

(4) कृष्णा काम्पलेक्स के सामने, आगरा रोड,

(5) टाइगर लॉक की बाउन्ड्रीवाल के निकट,

(6) सिटी हाई स्कूल की बाउन्ड्रीवाल के निकट,

(7) जिला पुस्तकालय के निकट,

(8) बीमा हास्पिटल के निकट,

(9) सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं ए0टू0जेड0 की बाउन्ड्रीवाल के निकट,

(10) प्राइवेट बस स्टैण्ड के सामने कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल के सामने खैर रोड,

चिन्हित स्थलों पर मिट्टी भराव का कार्य एवं इण्टरलॉकिंग आदि का कार्य कराया जा रहा है।

4-मुख्य मार्गों की सड़कों का चरणबद्ध रूप से चौड़ीकरण, नगर के आन्तरिक मार्गों के साथ मुख्य मार्गों की मरम्मत का कार्य एवं जलभराव के कारण यातायात समस्या आदि के निदान हेतु नगर के अन्तर्गत नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका मैनपुरी को प्रथम श्रेणी में उच्चीकृत किया जाना

80-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 08-09-1993 को उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी द्वारा जनपद मैनपुरी भ्रमण के दौरान आयोजित सार्वजनिक सभा में नगर पालिका मैनपुरी को प्रथम श्रेणी में उच्चीकृत किये जाने की घोषणा तथा वर्ष 1996 में शासन द्वारा इसे प्रथम श्रेणी में उच्चीकृत किये जाने के आदेश भी जारी किये गये थे ? यदि हां, तो उच्चीकृत नगर पालिका को मिलने वाली सुविधायें अभी तक नगर पालिका मैनपुरी को प्राप्त न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

शासनादेश संख्या-2856/नौ-9-95-2बी/93, दिनांक 22 जनवरी, 1996 द्वारा नगर पालिका परिषद् मैनपुरी को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका घोषित करते हुए नगर पालिका को तद्नुसार वांछित

आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के निर्देश जिलाधिकारी, मैनपुरी को दिये जा चुके हैं। जिलाधिकारी, मैनपुरी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार सुविधायें अनुमन्य करायी जायेंगी।

81-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दिनांक 20-06-2014 को अता0 प्रश्न सं0-74 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ शहर में घनी आबादी के बीच बहने वाले नालों को ढके जाने की सरकार की योजनाओं की जानकारी

82-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में घनी आबादी के बीच बहने वाले नालों को ढकने की योजना है ? यदि हां, तो उनमें से कितने नाले ढके जा चुके हैं तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष खुले हुए नालों में बच्चों, बुजर्गों तथा जानवरों के गिरने की हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में उनको ढके जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में मुख्य सड़कों के किनारे फुटपाथ पर निर्मित नालों को ढकने का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर नगर निगम द्वारा कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में मलिन बस्तियों में शुष्क शौचालयों के निर्माण कार्य को रोकने की सरकार की कार्यवाही की जानकारी

83-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर की कितनी मलिन बस्तियों में शुष्क शौचालय का निर्माण विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 में कराया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में ऐसी कितनी दलित बस्तियां शुष्क शौचालय का निर्माण कराने हेतु चिन्हित की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त शुष्क शौचालयों का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

''सफाई कर्मचारी और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993'' व ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के अनुसार शुष्क शौचालयों का निर्माण किया जाना प्रतिबन्धित है।

प्रदेश के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में विधायकों की संस्तुति पर सौ हैण्डपम्प लगाने की कार्यवाही

84-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरों में पेयजल की गम्भीर समस्या को देखते हुए शहर के विधायकों की संस्तुति पर सौ हैण्डपम्प प्रतिपूर्ति लगाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो शहरी क्षेत्र के विधायकों को सौ हैण्डपम्प अपने क्षेत्र में लगाने का अधिकार 2013-14 के वित्तीय वर्ष में मिलेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के अन्तिम दिन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सभी मा0 सदस्यों को 100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा की गयी थी, जिसमें प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र सम्मिलित हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में शहरी क्षेत्रों में इसका वित्त पोषण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के ''प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास'' मद से किया जाना निर्देशित है।

उक्त घोषणा वर्ष 2013-14 के लिये ही की गयी थी तथा यह घोषणा प्रत्येक मा0 सदस्य को 100 हैण्डपम्प दिये जाने तक सीमित है।

प्रश्न नहीं उठता।

85-श्री रोशन लाल वर्मा-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत बकरा, मुर्गा, मछली, सुअर तथा महिष वंशीय पशुओं के मांस की अवैध बिक्री पर रोकथाम लगाने की कार्यवाही करने विषयक

86-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत क्या बकरा, मुर्गा, मछली, सुअर तथा महीष वंशी पशुओं के मांस की मण्डियां हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नगर पालिका परिषद् में संचालित अवैध मांस बिक्री स्थलों को प्रतिबन्धित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद् बीसलपुर द्वारा वर्ष 2002 में प्रकाशित गजट के अनुसार निर्गत लाइसेन्स के आधार पर मांस का विक्रय किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

थानों में नियुक्त भारसाधक पदाधिकारियों में आरक्षण कोटा की समुचित व्यवस्था कराने विषयक

87-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक थानों में नियुक्त भारसाधक पदाधिकारियों में से 21 प्रतिशत अनु0 जाति 27 प्रतिशत पिछड़ी जाति एवं 8 प्रतिशत अल्पसंख्यकों हेतु स्थान आरक्षित

हैं ? यदि हां, तो क्या यह आरक्षण व्यवस्था पूर्ण रूप से क्रियान्वित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-3150/6-पु-1-07-98/95, दिनांक 18-7-2007 में निहित प्रावधानों के अनुसार जनपदों में निरीक्षक प्रभारी/थानाध्यक्षों के पदों पर 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इसलिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत कोटा में से मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में थाना सिद्धार्थनगर स्थित आनन्द कुमार बौद्ध के पुत्र को अगवाकर हत्या किये जाने विषयक नेता विरोधी दल के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

88-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0 प्र0 का पत्र संख्या-26/ने0वि0द0/2014, दिनांक 10-01-2014 जो कि जिला सिद्धार्थ नगर के थाना सिद्धार्थनगर स्थित आनन्द कुमार बौद्ध के पुत्र को अगवाकर हत्या किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

दिनांक 14-10-2013 को आनन्द कुमार बौद्ध पुत्र राजमणि, निवासी सिविल लाइन, तेतरी बाजार, थाना व जिला-सिद्धार्थनगर ने थाना-सिद्धार्थनगर पर आकर अपने 14 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार बौद्ध की लाश सिसहनिया स्थित पोखरे में होने की लिखित सूचना थाने में दिया, उक्त सूचना में यह भी अंकित है कि उसका पुत्र दिनांक 11-10-2013 से ही समय लगभग 05.00 बजे शाम से घर से लापता था। उक्त सूचना पर आवेदक के पुत्र की लाश पोखरे से निकलवा कर पंचायतनामा सम्बन्धित कार्यवाही करने के उपरान्त मृतक के शव को दिनांक 15-10-2013 को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण पी0एम0 कर्ता डाक्टर द्वारा मृतक का विसरा सुरक्षित रखा गया। उक्त विसरे का डाकेट बनवाकर श्रीमान, सी0जे0एम0 महोदय सिद्धार्थनगर से आदेशित करवाने के उपरान्त आरक्षी भूप सिंह द्वारा दिनांक 22-10-2013 को लाट संख्या-9344/2013 पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ में दाखिल किया गया। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण दिनांक 02-12-2013 को इस सम्बन्ध में अनुस्मारक-पत्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ को आरक्षी ना0पु0 रामभेज के माध्यम से प्रेषित किया गया। पुनः एक अन्य अनुस्मारक

दिनांक 03-03-2014 को मुख्य आरक्षी भूप सिंह के माध्यम से प्रेषित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में उप निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण अभी परीक्षण क्रम पर नहीं आया है। पुनः दिनांक 04-06-2014 को अनुस्मारक-पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु उप निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण अभी परीक्षण क्रम पर नहीं आया है। इसी क्रम में यह भी अवगत कराना है कि वादी आनन्द कुमार बौद्ध उपरोक्त के लिखित प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-633/2014 धारा-302/201 भा0द0वि0 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सिद्धार्थनगर में पंजीकृत है। विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होते ही सन्दर्भित प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से दो प्रमुख शहरों आगरा व बनारस में गन्दगी, जल भराव की समस्या का स्थाई निराकरण तथा सफाई की समुचित व्यवस्था कराया जाना

89-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश के दो प्रमुख शहरों आगरा व बनारस में गंदगी एवं जल-भराव की विकराल समस्या को दूर करने एवं पर्यटन पर भी पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के स्थायी निराकरण हेतु सफाई व्यवस्था के निजीकरण किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

तकिया हाजी नुसरत उत्तरी काश्मीरी मोहल्ला, थाना शहादतगंज, जिला लखनऊ के निवासियों से वक्फ पदाधिकारियों द्वारा अवैध वसूली तथा उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायती पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

90-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को सम्बोधित आपके कार्यालय का पत्र संख्या 7038/ओ0एस0डी0 (जे0)/2014, दिनांक 05-05-2014 जो कि तकिया हाजी नुसरत उत्तरी काश्मीरी मोहल्ला, थाना-सहादतगंज, जिला-लखनऊ के निवासियों से वक्फ पदाधिकारियों द्वारा अवैध वसूली एवं उत्पीड़न किये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

आवेदिका का उक्त मकान किराये का है, जिसके सम्बन्ध में आवेदिका पक्ष का सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं मो0 अनवार तथा मो0 अजीज आदि से विवाद है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय लघुवाद, लखनऊ के यहां वाद संख्या-327/93, वक्फ तकिया हाजी नुसरत अली शाह बनाम मो0 अजीज व मो0 शरीफ (आवेदिका के स्व0 पिता) विचाराधीन है। तत्कालीन वक्फ सेक्रेटरी मो0 अनवार के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर वक्फ बोर्ड द्वारा जांच करायी गयी और जांच के

आधार पर उनके विरुद्ध वक्फ एक्ट 1995 की धारा 67 (2) में कार्यवाही शुरू की गयी, सुनवाई के पश्चात् फैसला रिजर्व कर लिया गया। इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध गालीगलौज व मारपीट किये जाने का आरोप जांच से असत्य एवं निराधार पाया गया है, जो महज पेसबन्दी में अंकित किया गया। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द0प्र0सं0 की कार्यवाही हेतु चालानी रिपोर्ट दिनांक 26-05-14 को मा0 न्यायालय ए0सी0एम0-षष्टम लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के ग्राम पंचायत मैना मौजपुर मैना कलन्दर गढ़ी व ई0जू0 मौजपुर की ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना

91-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खंड खुर्जा के ग्राम पंचायत मैना मौजपुर, मैना कलंदर गढ़ी व ई0जू0 मौजपुर अर्धनगरिये हैं तथा इन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या लगभग 20 हजार है ? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित किये गये मानक विषयक शासनादेश संख्या-6250/9-1-86-77सा(3)/82, दिनांक 10-09-1986 में कुल 20,000 की जनसंख्या पर नगर पंचायत बनाये जाने का प्राविधान है जबकि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा के उक्त तीनों ग्राम मैना मौजपुर मैना कलंदर गढ़ी व ई0जू0 मौजपुर की वर्तमान जनसंख्या-20,000 से कम लगभग 13697 है।

जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में कब्रिस्तानों एवं अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने की मांग

92-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी हेतु कुल कितने कब्रिस्तानों तथा अन्त्येष्टि स्थलों को चिन्हित किया गया है ? क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों एवं अन्त्येष्टि स्थलों की चाहरदीवारी का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 07 कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया था जिसके सापेक्ष 04 कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 03 कब्रिस्तानों की चहारदीवारी निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा में चहारदीवारी निर्माण हेतु कुल 9 कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया है जिसके लिए आवश्यक धनावंटन कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका खुर्जा के परिक्षेत्र से बाहर नयी बसावट को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित करने विषयक

93-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका खुर्जा के परिक्षेत्र से बाहर नयी बसावट हो गयी है परन्तु इन बसावटों में विकास कार्य न तो नगर पालिका द्वारा कराया जा रहा है, न ही विकास खंड द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बसावटों को नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका खुर्जा के चारों ओर विकसित नई आबादी (ग्राम पंचायत-आबादनगर, इस्लामाबाद, झमका, उस्मापुर, नेहरूपुर, हजरतपुर, किलामेवई, मोहल्ला करीमनगर उर्फ ढाकर व गोसपुरटेना) पालिका के परिक्षेत्र से बाहर होने के कारण पालिका द्वारा इनमें विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

शासनादेस संख्या-2896/नौ-8-2001-94जे/2001, दिनांक 01 अगस्त, 2001 में निर्धारित मानकों के पूर्ण होने एवं पंचायतीराज विभाग की अनापत्ति पर ही नगर पालिका परिषद्, खुर्जा के सीमा विस्तार की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में हैदर कैनाल नाला के ऊपर 08 कि0 मी0 में 6 लेन सड़क निर्माण की लखनऊ नगर निगम की योजना की जानकारी

94-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में यातायात के दबाव पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लखनऊ के हैदर कैनाल नाला के ऊपर 08 कि0मी0 में 6 लेन सड़क निर्माण की लखनऊ नगर निगम की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना में कितना व्यय प्रस्तावित है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना में कितना कार्य सम्पन्न हो गया व शेष कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

रु0 534.80 करोड़ का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है।

हैदर कैनाल नाले के कैण्ट रोड ओबर ब्रिज से राजभवन के पीछे प्रेरणा स्थल के समीप की पुलिया तक के लगभग 840 मीटर लम्बाई के भाग को ढककर लगभग 03 वर्ष पूर्व मार्ग निर्माण किया गया है। अवशेष कुल लगभग 7.40 कि0मी0 के नाले को ढककर मार्ग निर्माण का रु0 534.80 करोड़ का प्रस्ताव लखनऊ नगर निगम द्वारा नवम्बर, 2013 में तैयार किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल, ग्राम जेडा, थाना एका, जिला फिरोजाबाद की भतीजी के साथ अपहरण कर सामुहिक दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

95-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को सम्बोधित प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन का अ0शा0प0 संख्या 761/पीएसजी/2013, दिनांक 24-12-2013 जो सरोज कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल, ग्राम जेडा, थाना एका, जिला फिरोजाबाद की भतीजी के साथ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में यह अवगत कराना है कि दिनांक 19-11-13 को वादी श्री सरोज कुमार थाना-एका, जनपद फिरोजाबाद के शिकायती पत्र के क्रम में उसकी भतीजी सुरवा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में पु0अ0सं0-17/13 धारा 376 घ, 352, 504, 506 भादवि बनाम 1-विशेष 2-प्रवेश 3-प्रवेश की पत्नी का मामा नाम पता अज्ञात 4-अरविन्द 5-प्रमोद 6-दलवीर 7-एक व्यक्ति अज्ञात महिला थाना फिरोजाबाद पंजीकृत किया गया।

विवेचना में मेडिकल रिपोर्ट से बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं हुई तथा एक्स-रे रिपोर्ट से कथित पीड़िता की उम्र 21 वर्ष का होना पाया गया। विवेचना दौरान बयान वादी, पीड़िता अंकित कर घटना स्थल का निरीक्षण भी किया गया तथा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पीड़िता की सास, ससुर व मां के बयान दर्ज किये गये। पीड़िता सुरवा देवी का झलकारी बाई महिला अस्पताल हजरतगंज, लखनऊ में गर्भ परीक्षण भी कराया गया।

तत्क्रम में विवेचनात्मक कार्यवाही, मेडिकल परीक्षण व उपलब्ध साक्ष्यों से नामित अभियुक्तों द्वारा सुरवा देवी के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि नहीं पायी गयी। अतः विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं0-17/14, दिनांक 30-5-14 को मा0 न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है जो सम्प्रति विचाराधीन मा0 न्यायालय है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ पश्चिमी उ0 प्र0 में बनने की संस्तुति करने का सरकार का विचार

96-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ पश्चिमी उ0प्र0 में बनने की संस्तुति करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद में रूहेलखंड मंडल की दूरी अधिक होने के दृष्टिगत रूहेलखंड मंडल का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ बेंच से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 संघ सूची की प्रविष्टि संख्या-78 की व्यवस्था के अनुसार उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

प्रश्न नहीं उठता।

97-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत बड़हलगंज फायर स्टेशन के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की जानकारी

98-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत बड़हलगंज फायर स्टेशन का निर्माण कार्य ग्राम परसा में हो रहा था, परन्तु उसका निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फायर स्टेशन का अधूरा निर्माण कार्य पूरा कराकर स्टाफ एवं अग्निशमन गाड़ियां/यंत्र उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत बड़हलगंज फायर स्टेशन का निर्माण कार्य वर्तमान में किया जा रहा है।

निर्माण कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। वर्तमान में थाना बड़हलगंज में अग्निशमन/उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

99-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के पास नगला परसोती नगला भर्ती एवं नगला प्यारे में पानी की निकासी न होने से हो रहे जलभराव की समस्या

100-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के पास नगला परसोती, नगला भर्ती एवं नगला प्यारे में पानी की निकासी हेतु नाला न होने के कारण जलभराव की समस्या बनी हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लों में नाला निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

आगरा शहर के अन्तर्गत आगरा कैण्ट ताजमहल के निकट नगला परसोती की जल निकासी हेतु निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये हैं :-

1-ताजगंज जोन-2 नगला परसोती नई आबादी श्री उमाशंकर/कप्तान के मकान से देवरी रोड सैमरी स्थित आर0डी0 ध्रुव टेण्ट हाउस के सामने नाला निर्माण कार्य।

2-ताजगंज जोन-2 सरवन नगर में श्री राजू के मकान से नगला परसोती होकर उमाशंकर के मकान नगला परसोती नई आबादी तक नाला निर्माण कार्य।

उपरोक्त कार्य में क्रमांक-1 पर अंकित कार्य प्रगति पर है एवं क्रमांक-2 पर अंकित कार्य निविदा प्रक्रिया में है।

नगला भर्ती की जलभराव की समस्या के निदान हेतु नगला भर्ती में भी भगवती प्रापर्टी से दुर्गा स्वीट ग्वालियर रोड तक नाला निर्माण हेतु आगणन धनांक रु0 56.17 लाख का तैयार किया गया है जो धन की उपलब्धता के आधार पर ही कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

अत्यधिक नीचे स्तर पर बसा हुआ नगला प्यारे क्षेत्र में जलभराव की स्थिति में नगर निगम द्वारा पम्प लगाकर समय-समय पर जल निकासी की जाती है। समस्या के स्थायी समाधान हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर आयी तकनीकी आपत्ति को ठीक कर संशोधित प्रस्ताव अतिशीघ्र तैयार कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, आगरा द्वारा महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0 प्र0 जल निगम, आगरा को पत्र दिनांक 29-11-2012 प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री इन्द्रजीत सहायक अध्यापक बाल गृह ढैलवारा ललितपुर की बीमारी के कारण मांगी गयी सहायता के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

101-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के 3सरे सोमवार के अता0प्र0 सं0-27 के उत्तर में सरकार द्वारा कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के 3सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-27, श्री इन्द्रजीत कुशवाहा, सहायक अध्यापक, बाल गृह ढैलवारा (ललितपुर) के द्वारा 03 वर्षों से बीमारी के कारण मांगी गयी सहायता के सम्बन्ध में है।

श्री इन्द्रजीत कुशवाहा, सहायक अध्यापक राजकीय बाल गृह बालक ढैलवारा, ललितपुर के स्वयं की चिकित्सा पर हुए व्यय रु0 2,81,483/- (रु0 दो लाख इक्यासी हजार चार सौ तिरासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति शासन के पत्र सं0-979/60-1-13-1-14 (14)/13, दिनांक 23-8-2013 द्वारा की जा चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, ललितपुर द्वारा श्री इन्द्रजीत कुशवाहा को उक्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में रामाधीन सिंह रोड हसनगंज, डालीगंज कुछ लोगों द्वारा हरी मन्दिर के पीछे व संतोषी माता मन्दिर के सामने अवैध निर्माण को हटाने की कार्यवाही

102-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में रामाधीन सिंह रोड हसनगंज, डालीगंज में कतिपय लोगों द्वारा हरी मन्दिर के पीछे व सन्तोषी माता मन्दिर के सामने अवैध निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गली की पैमाइश कराकर अवैध निर्माण हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

अतिक्रमण हट गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत न0पा0 परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0-11 मवईखुर्द में कृष्णा चौहान के मकान से कन्हैया यादव के घर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

103-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के अन्तर्गत न0पा0 परिषद् मुगलसराय के वार्ड नं0 11 मवईखुर्द में कृष्णा चौहान के मकान से कन्हैया यादव के घर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग 5नं0 140994 दिनांक 07-08-2013 को अधिशासी अधिकारी न0पा0परिषद्, मुगलसराय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त सड़क का आगणन तैयार किया गया है। बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त निविदा आमंत्रित कर सड़क निर्माण कार्य कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के शहर की मुख्य सड़कों के निर्माण की योजना बनाये जाने की मांग

104-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के शहर की मुख्य सड़कें रोडवेज कोतवाली से प्लास्टिक काम्पलेक्स मार्ग, मालवीय मार्ग, गांधी कलाभवन से कचहरी मार्ग, दक्षिण दरवाजा से रेलवे स्टेशन मार्ग, जिला चिकित्सालय से कैली चिकित्सालय मार्ग दक्षिण दरवाजा से करूआ बाबा मार्ग, रेलवे स्टेशन से सुचींहटटा मार्ग, वरदहिया चौराहा से मेंहदावल मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों के निर्माण के लिये कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद बस्ती के शहर की मुख्य सड़क रोडवेज कोतवाली से प्लास्टिक काम्पलेक्स मार्ग को लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत रु0 3137.46 लाख की प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रु0 501.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं सुधार का कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। मालवीय मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गांधीकला भवन से कचहरी मार्ग ठीक एवं आवागमन हेतु सुलभ है। दक्षिण दरवाजा से रेलवे स्टेशन मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कराकर आवागमन हेतु सुलभ करा दिया गया है। जिला चिकित्सालय से कैली चिकित्सालय मार्ग पालिका सीमा तक सी0सी0 मार्ग है, जो ठीक है। शेष मार्ग का निर्माण राज्य आपदा मोचक निधि से 02 कि0मी0 हो चुका है। शेष 02 कि0मी0 का कार्य माह दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी0 कार्यांश के अन्तर्गत बस्ती सड़क परियोजना लागत रु0 2376.94 लाख पर स्वीकृत है जिसकी पुनरीक्षित लागत रु0 3085.42 लाख हो गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत दक्षिण दरवाजा से करुआबाबा मार्ग का निर्माण कार्य सम्मिलित है। रेलवे स्टेशन से सुर्ती हट्टा मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में बी0आर0जी0एफ0 (बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। बरदहिया चौराहे से मेंहदावल मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत हेतु रु0 58.78 लाख का आगणन लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित किया गया है। यह कार्य धन की उपलब्धता पर कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के अग्निशमन केन्द्रों में चालकों की कमी, पानी की जलापूर्ति न होने से निष्क्रिय पड़े हाइड्रेन्टों को ठीक कराने की व्यवस्था कराये जाने की मांग

105-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती के अग्निशमन केन्द्र में चालकों की कमी, पानी की जलापूर्ति न होने तथा शहर के 15 फायर हाइड्रेन्टों में से 13 निष्क्रिय होने के कारण आग लगने पर सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार चालकों की कमी तथा निष्क्रिय पड़े हाइड्रेन्टो को ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अग्निशमन केन्द्र बस्ती में चालकों की कमी नहीं है। जलापूर्ति हेतु लगे 15 फायर हाइड्रेन्टों में से 13 फायर हाइड्रेन्ट निष्क्रिय होने के कारण शहर में स्थित 15 नलकूपों में फायर सर्विस वाहनों

में पानी प्राप्त करने हेतु फ्लैन्च लगवा दिया गया है, जिससे किसी भी अग्नि दुर्घटना में पानी प्राप्त किया जाता है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत चौराहों (बाजार) आदि में जल निकासी की उचित व्यवस्था कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत चौराहों (बाजार) आदि में जल निकासी की उचित व्यवस्था कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-04-2013 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत विभिन्न चौराहों पर जल निकासी की उचित व्यवस्था हेतु आगणन, विरचन एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 न्यायिक संशोधन विधेयक द्वारा क व ख के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के पूर्व से चले आ रहे 1 प्रतिशत आरक्षण को बहाल करने तथा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 न्यायिक संशोधन विधेयक द्वारा क व ख के पदों में भूतपूर्व सैनिकों के पूर्व से चले आ रहे 1 प्रतिशत आरक्षण को बहाल किये जाने व चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-07-2013 पत्र संख्या क-5 नं0 123459 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 04-07-2013 कार्मिक विभाग में सीधे प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि उक्त पत्र श्री गोविन्द नारायण मिश्र के पत्र दिनांक 06-08-2013 के संलग्नक के रूप में कार्मिक विभाग में मुख्य मंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

श्री मिश्र के पत्र दिनांक 06-08-2013 के साथ ही मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 04-07-2013 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समूह 'क' एवं 'ख' के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को 01 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

108-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विधवा पेंशन की धनराशि मंहगाई देखते हुए बढ़ाये जाने की मांग

109-श्री सतीश महाना-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधवा पेंशन की कितनी धनराशि दी जा रही है ? क्या सरकार महंगाई को देखते हुए उसे बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अरुण कुमारी कोरी-

प्रदेश में पति की मुत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत रु0 300/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने का प्रकरण नीतिगत है, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर यथावश्यक निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में निजाम चौराहा यशोदा नगर से नमक फैक्ट्री चौराहा यशोदा नगर तक मुख्य मार्ग एवं गोपाल नगर आरा मशीन की सड़क की मरम्मत का प्रकरण

110-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में निजाम चौराहा यशोदा नगर से नमक फैक्ट्री चौराहा यशोदानगर तक मुख्य मार्ग एवं गोपाल नगर आरा मशीन की सड़क वर्तमान में बारिश के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुख्य मार्ग एवं सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत क्षेत्र अविकसित सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/9अ-3-2001(अ0व0), दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा छावनी में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से दो कि0मी0 की दूरी पर स्थित महादेव नगर, जंगजीत नगर एवं बसन्त बिहार आदि मोहल्लों की गलियों में नाली, खड़न्जा बनाने तथा जलभराव/गन्दगी आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने विषयक

111-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आगरा छावनी में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल से दो किमी0 की दूरी पर स्थित महादेव नगर, जंगजीत नगर एवं बसन्त बिहार आदि मोहल्लों की गलियों में खड़न्जा व नाली की स्थिति अत्यन्त दयनीय है ? क्या यह सही है कि उक्त मोहल्लों में जलभराव एवं गन्दगी के कारण बीमारियां पनप रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्लों में विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

वर्षात के समय जलभराव होता है, जो कुछ समय बाद स्वतः निकल जाता है। जलभराव होने के कारण बीमारी का कोई प्रकरण नगर निगम, आगरा के संज्ञान में नहीं आया है।

आगरा नगर निगम द्वारा उक्त मोहल्ले महादेव नगर, जंगजीत नगर, बसन्त बिहार आदि में गत वित्तीय वर्ष में रु0 72.14 लाख के कार्य नाली निर्माण व सड़क निर्माण के कार्य कराये गये हैं।

धन की उपलब्धता के आधार पर ही समय-समय पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में दयाल पैराडाइज गोमतीनगर से विराम खण्ड, आशियाना कालोनी कानपुर रोड योजना तथा माल एवन्यू लखनऊ आदि जगहों पर वृक्षों का पर्याप्त पानी न मिल पाने का मुख्य कारण पेड़ों की जड़ों से टाइल्स हटवाने का प्रकरण

112-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में दयाल पैराडाइज गोमती नगर से विराम खण्ड गोमती नगर को ले जाने वाली सड़क, आशियाना कालोनी कानपुर रोड योजना तथा माल एवेन्यू लखनऊ आदि जगहो पर वृक्षों की जड़ों के पास टाइल्स लगाकर उन्हें ढक दिया गया है जिससे पेड़ों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों के पास लगी टाइल्स हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

इण्टरलॉकिंग टाइल्स के मध्य स्थित रिक्त भाग से वर्षा जल रिस कर पेड़ों की जड़ों में प्रवेश करता है।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर शुल्क तथा फीस का शुद्ध मुनाफा छावनी परिषदों के देने विषयक प्रकरण तथा लाभ से छावनी वासियों के लिये कल्याणकारी योजना के संचालन की मांग

113-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर कर शुल्क तथा फीस का शुद्ध मुनाफा जो नगर पालिकाओं को दिया जाता है, क्या वह छावनी परिषदों को भी दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से नगर विकास विभाग के अन्तर्गत चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ छावनी क्षेत्र के वासियों को दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद-243 आई के अधीन प्रत्येक पांच वर्षों के बाद राज्य के सकल शुद्धकर राजस्व में प्रदेश की स्थानीय निकायों के अंश निर्धारित करने, नये कर आरोपित करने तथा इन निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्राविधान है, जिसके अनुपालन में वर्तमान में तृतीय राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश की निकायों को धनराशि अंतरित हो रही है, जिसमें प्रदेश के कुल कर राजस्व का 7.5 प्रतिशत धनराशि प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को क्रमशः 40, 40 और 20 प्रतिशत के अनुपात में राज्य सरकार के निर्णयानुसार दिया जा रहा है। उपरोक्त में छावनी परिषदों का कोई अंश निर्धारित नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जलकल विभाग/नगर निगम लखनऊ में विभिन्न वर्गों में 280 रिक्त पदों को पुराने दैनिक वेतन भोगियों से भरे जाने की मांग

114-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ के पत्रांक 2070 दिनांक 01-03-2013 द्वारा शासन से विभिन्न वर्गों के 280 रिक्त पदों को भरे जाने की अनुमति मांगी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुराने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उक्त पदों पर समायोजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में जलकल विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इन रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत नहीं हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके कार्यरत पद पर ही विनियमित किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

115-श्री राजेश त्रिपाठी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

मेरठ जिले में नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा मलिन बस्तियों में लगाई गई सोडियम एवं हाईमास्क लाइटों की जांच के संदर्भ में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

116-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सीएम/वि0को0/एम0पी0जी0 10435110/2014 जो मेरठ जिले में नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा मलिन बस्तियों में लगाई गई सोडियम एवं हाई मास्क लाइटों की जांच के संन्दर्भ में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्न में अंकित मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम0पी0जी0-10435110/2014 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु समविषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0-10435111/2014 प्राप्त हुआ है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के उपघटक बेसिक सर्विसेज फार अर्बन पुअर (बी0एस0यू0पी0) योजनान्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 सूडा इकाई प्रथम के द्वारा जनपद मेरठ की विभिन्न मलिन बस्तियों में सोडियम एवं हाई मास्क लाइटें लगवाई गयी हैं। विभिन्न बस्तियों में 5,041 लाइटें एवं 86 हाई मास्क स्थापित की गई हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा मलिन बस्तियों में विद्युतीकरण के कार्यों को कराया गया है। अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ द्वारा 04 सदस्यीय समिति के माध्यम से विद्युतीकरण के कार्यों के अन्तर्गत 70, 150, 250 वाट व हाई मास्क लाइटों का स्थलीय निरीक्षण कराकर नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत मेरठ के विभिन्न मार्गों पर नगर बस चलाये जाने सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

117-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सीएम/वि0को0/एम0पी0जी0 10435093/2014 जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत मेरठ के विभिन्न मार्गों पर नगर बस चलाये जाने से संबंधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के भोला रोड से रोहटा रोड को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण विषयक प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

118-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सीएम/वि0को0/एम0पी0जी0 10435103/2014 जो मेरठ कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के भोला रोड से रोहटा रोड को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ के स्वामित्व की सड़क है। इस पर नगर निगम, मेरठ के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की ऐतिहासिक इमारत घण्टाघर की घंटी को ठीक करने के संदर्भ में प्राप्त पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

119-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सीएम/वि0को0/एम0पी0जी0 10417483/2014 जो जनपद मेरठ की ऐतिहासिक इमारत घंटाघर की घंटी को ठीक करने के संदर्भ में है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि घण्टाघर की उक्त घड़ी काफी वर्ष पुरानी, घण्टाघर के स्थापना के समय की है। इस घड़ी के जानकार मिस्त्री से सम्पर्क साधा जा रहा है। जानकार मिस्त्री उपलब्ध होने पर घड़ी को ठीक कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिये गाइड लाइन बनाने की सरकार की योजना

120-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई गाइड लाइन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-316 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम ए0टी0एम0 एवं बैंकिंग क्राइम की रोकथाम की सरकार की योजना

121-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम ए0टी0एम0 एवं बैंकिंग क्राइम हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए पुलिस बल को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग से लैस कर एक अलग विंग बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मेरठ के नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नेशनल हाइ-वे की समस्याओं के समाधान हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

122-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10420016/2014 जो जनपद मेरठ के नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे की समस्याओं के समाधान से संबंधित है, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद मेरठ के नगर निगम सीमा के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे की वर्तमान में कोई समस्या नगर निगम, मेरठ के स्तर पर लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के निजी अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट (कचरा) के निस्तारण से सम्बन्धित प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

123-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10418730/2014 जो जनपद मेरठ के निजी अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट (कचरा) के निस्तारण से सम्बन्धित है, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजमा खां-

राजकीय एवं निजी अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट (कचरा) का निस्तारण जनपद-मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुबन्ध के आधार पर सिनर्जी कं0 द्वारा कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत जल निगम द्वारा कराये गये कार्यों विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-क-5-नं0-8799 दिनांक 10 जून, 2013, जो जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत जल निगम द्वारा कराये जा रहे कार्यों में अनियमितता विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-06-2013 में छावनी विधान सभा के अन्तर्गत वार्ड संख्या-44 राजीव नगर, ओम पुरवा, लाल बंगला, हरियाणा दाल मिल के पीछे आदि क्षेत्र में पुरानी लगभग 30 वर्ष पूर्व बिछायी गयी सीवर लाइन, जो पूरी तरह से ध्वस्त है, जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत उसकी मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने का उल्लेख है।

उक्त के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना है कि विधान सभा क्षेत्र छावनी के अन्तर्गत उपरोक्त संदर्भित क्षेत्र कानपुर नगर के सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 में सम्मिलित है। सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1 सीवरेज कार्यों यथा नवीनीकरण, नई सीवर लाइन बिछाने आदि के कार्यों हेतु एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृत एवं धनावंटन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त क्षेत्रों में सीवरेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत सड़क निर्माण के संदर्भ में प्राप्त पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

125-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-क-5-नं0-8794 व 8795, दिनांक 10 जून, 2013 जो जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा के अन्तर्गत सड़क निर्माण के संदर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के मुस्लिम बाहुल्य छावनी वि0स0 क्षेत्र में वार्ड नं0-53 आदर्श विहार देहली से सुजानपुरा में सोसाइटी नं0-119 से 138 तक क्षतिग्रस्त सड़कों को बनवाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

126-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक संख्या-202077 दिनांक 6 जून, 2013 जो कानपुर नगर के मुस्लिम बाहुल्य छावनी विधान सभा क्षेत्र में वार्ड नं0 53 आदर्श विहार देहली से सुजानपुरा में सोसाइटी म0 नं0-119 से 138 तक क्षतिग्रस्त सड़क एवं वार्ड 54 बाबूपुरवा कालोनी ब्लाक नं0-271 व 272 तथा ब्लाक 273 व 274 एवं ब्लाक नं0 275 के पीछे नाली व सड़क बनवाने के संदर्भ में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र में वार्ड संख्या-53 आदर्श विहार देहली से सुजानपुरा सोसाइटी मकान नं0-119 से 138 तक क्षतिग्रस्त सड़क सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। शासनादेश संख्या-05097/ 9-अ-3-2001 (अ0व0) दिनांक 26-5-2001 के अनुसार सोसाइटियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य किये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व विकास प्राधिकरण का है।

वार्ड नम्बर-54 बाबूपुरवा कालोनी ब्लाक नम्बर-271 व 272 तथा ब्लाक नम्बर-273 व 274 एवं ब्लाक नम्बर-275 के पीछे नाली व सड़क बनवाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत क्षेत्र श्रम विभाग कालोनी का है, जो नगर निगम को हस्तगत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-54 न्यू लेबर कालोनी में सीवर की सफाई कराने की मांग

127-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 54 न्यू लेबर कालोनी में सीवर की कई वर्षों से सफाई नहीं की गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सफाई कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। सफाई की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई जगहों पर समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

128-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-क-5 नं0-113052, दिनांक 10 जून, 2013 जो कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई जगहों पर समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय में ''हमारी बेटी उसका कल'' योजना के अन्तर्गत छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 20,000/- एक मुश्त धनराशि के स्थान पर रु0 30,000/- दिलाने की मांग

129-श्री सतीश महाना-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ''हमारी बेटी उसका कल'' योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अल्पसंख्यक परिवार की हाई स्कूल उत्तीर्ण ऐसी बालिकाओं

जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 36,000 रुपये से अधिक नहीं है, को अग्रेतर शिक्षा एवं विवाह के लिये एक मुश्त 30 हजार रुपये की धनराशि अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना का लाभ अन्य वर्ग एवं जाति की कन्याओं को भी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। अल्पसंख्यक समुदाय में विशेषकर महिलाओं की आर्थिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा **''हमारी बेटी उसका कल''** योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक परिवार की हाई स्कूल उत्तीर्ण ऐसी बालिकाओं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु0 36000/- तक है, को अग्रेतर शिक्षा एवं विवाह के लिये एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013-14 में अधिक से अधिक छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत रु0 20,000/- का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया गया था। यह योजना अधिसूचित अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, जैन, पारसी एवं बौद्ध वर्ग के लिये संचालित है।

कानपुर महानगर स्थित गुंजन विहार कालोनी बर्रा दक्षिणी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कालोनियों को समस्त अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने जाने की मांग

130-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर स्थित गुंजन विहार कालोनी, बर्रा दक्षिणी कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विगत 20 वर्ष पूर्व विकसित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी में समस्त अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो गुंजन विहार कालोनी में अवस्थापना सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

गुंजन विहार कालोनी में जल निकासी एवं मुख्य मार्ग सहित समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के क्रम में लगभग रु0 144.91 लाख के व्ययानुमान तैयार कर सक्षम अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है, जो निविदा प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के गोवंश की हत्या को रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

131-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर संख्य-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10419899/2014 जो जनपद मेरठ के गोवंश के हत्या को रोकने एवं इनके दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद मेरठ में वर्ष 2012 एवं 2013 में घटित गोवंश की हत्याओं में संलिप्त अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	कुल पंजीकृत अभियोगों की सं0	खारिज	चालान	एफआर	पीआई	नामजद अभियुक्तों की सं0	प्रकाश में आये	गलत	गिरफ्तार	हाजिर अदालत	कुर्की	चालान	गिरफ्तारी को शेष	अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी निरोधात्मक कार्यवाही			
														गैंगेस्टर एक्ट	एनएसए	गुण्डा एक्ट	110जी
2012	73	1	62	9	1	184	9	12	134	46	0	180	1	0	0	1	14
2013	95	0	81	6	8	258	8	20	161	47	0	205	38	0	0	12	28

प्रश्न नहीं उठता।

[12.20 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23-06-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 39 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं।

पहली सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत टेवां-पश्चिम शरीरा मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ की समितियों के लम्बित वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सलिल विश्नोई की अनुपस्थित। छठी सूचना श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज कैथोला को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी की कटान से प्रभावित ग्रामों को वर्षा से बचाये जाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री हाजी मुसर्रत अली विट्टन की (अनुपस्थित), दसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के लोकतन्त्र सेनानियों की पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा में अवैध रूप से संचालित चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही कर बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 रमेश चन्द बिन्द की जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह की जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा श्री राम प्रसाद त्यागी, फार्मासिस्ट का स्वीकृत वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू की जनपद सहारनपुर के निर्वाचन क्षेत्र मनिहारन स्थित ग्राम भगवानपुर में नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चूंकि 2 माननीय सदस्य नहीं हैं। अच्छा चलिये, बाजपेयी जी आपका ले लेते हैं, कल नहीं होगा फिर। एक तो डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचना ले ली और दूसरी सूचना श्री पूरन प्रकाश जी की ले लेते हैं। ये दोनों सूचनायें ले लिया।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री धर्मपाल सिंह, श्री सुदेश शर्मा, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री विक्रम सिंह, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री मनीष रावत,

श्री कालीचरन सुमन, श्री उमाशंकर, श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री दीपक पटेल, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री उमेश पाण्डेय, श्री राजबली जैसल, श्री रामहेत भारती, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री ओम कुमार, श्री राकेश बाबू।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न विद्युत समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्म सिंह सैनी-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र नकुड़, जनपद-सहारनपुर में 33/11 के0वी0 के विद्युत उपकेन्द्र पढेड़, चिलकाना, गढेड़ा, नवादा, सरसावा, चौरीमण्डी, खेड़ाअफगान, फन्दपुरी, टाब्बर, नकुड़, खण्डवा, जभीरण आदि पर विद्युत सप्लाई रोस्टर के अनुसार नहीं दी जा रही है। 4 से 5 घण्टा ही विद्युत आपूर्ति हो रही है जिससे किसानों एवं ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों, ग्रामीणों एवं नगरवासियों ने धरना प्रदर्शन से लेकर लिखित, मौखिक सभी तरह से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन वहां के उच्चाधिकारियों ने विद्युत सप्लाई रोस्टर की समस्या का समाधान नहीं किया जिससे वहां के रहने वाले किसानों, ग्रामवासियों एवं नगरवासियों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर पढेड़, चिलकाना, गढेड़ा, नवादा, सरसावा, चौरीमण्डी, खेड़ा अफगान, फन्दपुरी, टाब्बर, नकुड़, खण्डवा, जभीरण में रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई की मांग करता हूं।]

जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत टेवां-पश्चिम शरीरा मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र 252-मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत टेंवा-पश्चिम शरीरा मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत अनुदान संख्या-58 से स्वीकृत किया गया था। अवमुक्त धनराशि से निर्माण कार्य कराया गया, परन्तु अवशेष धनराशि की स्वीकृति जारी न होने के कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क गड्ढ़े में तब्दील हो गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता में असंतोष व्याप्त है। जनहित में मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ की समितियों के लम्बित वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[महोदय, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ की समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को विगत कई वर्षों से वेतन आदि का भुगतान नहीं हो रहा है। जिससे समितियों में कार्यरत कर्मचारियों का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है यहां तक की बच्चों की पढ़ाई लिखाई व दवाई कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों के विगत कई वर्षों से रोके गये वेतन व समस्त देयकों का भुगतान कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।]

जनपद फिरोजाबाद के कतिपय क्षेत्रों में व्याप्त पेयजल संकट का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, नगर फिरोजाबाद में नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में गिरते हुए भूगर्भ जल स्तर तथा 400 फीट नीचे हाई फ्लोराइड, आर्सेनिक युक्त अशुद्ध खारा पानी होने के कारण पेयजल आपूर्ति की भीषण समस्या बनी हुई है तथा बहुत बड़ी संख्या में नगर के निवासियों को टैंकरों के माध्यम से खरीद कर पानी की आपूर्ति लेनी पड़ रही है। भीषण गर्मी के इस मौसम में नगर में पीने के पानी के अभाव में आये दिन कानून व्यवस्था भंग हो रही है, तथा बड़े पैमाने पर प्रशासन, पुलिस एवं पीड़ित जनता का टकराव हो रहा है।

उक्त समस्या के सम्बन्ध में जल निगम द्वारा झेड़ा झाल से सतही जल (कच्चा जल) लेकर शोधन कर फिरोजाबाद तक लाने एवं वितरण करने की योजना हेतु 498.00 करोड़ की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है।

उक्त परियोजना को धरातल पर लागू कराने एवं सिंचाई विभाग तथा जल निगम के मध्य सतही कच्चे जल की सुनिश्चित आपूर्ति हेतु समझौता प्रपत्र का जी0ओ0, डी0पी0आर0 तथा आवश्यक प्रावधान स्टेट फण्ड (राज्य निधि) से कराये जाने की महती आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए फिरेाजाबाद के नागरिकों को पेयजल की भीषण समस्या से निजात दिलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र झेड़ाझाल परियोजना को आरम्भ कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज कैथोला को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[मान्यवर, रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही मानव जीवन में स्वास्थ्य सुविधाओं का होना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है बिना बेहतर चिकित्सा सुविधा के मानव का जीवन स्वस्थ एवं सुखमय नहीं हो सकता है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो रायबरेली एवं छत्रपति शाहूजी महराज नगर जनपदों की सीमा से लगा हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय भी लगभग 60 किमी0 है, तथा रायबरेली एवं छत्रपति शाहूजी महराज नगर जनपद मुख्यालय भी लगभग 60-70 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। जनहित को मद्देनजर रखते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र रानीगंज कैथोला, प्रतापगढ़ को उच्चीकृत करके 30 शैय्याओं वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना अति आवश्यक है। जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों का समुचित उपचार हो सके। चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अत्यन्त ग्रामीण क्षेत्र है जहां से उपरोक्त जनपद मुख्यालय की दूरी 60-70 किमी0 के लगभग है, ऐसे में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित लोगों को समुचित चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल पाती है। उक्त चिकित्सालय में आने वाले 75 प्रतिशत से अधिक मरीज भर्ती होने के काबिल रहते हैं जिसमें प्रसूति एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं। अतः उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज कैथौला जनपद प्रतापगढ़ को उच्चीकृत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों का उचित इलाज हो सके और उनको असमय मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज कैथौला, प्रतापगढ़ को अभी तक उच्चीकृत न किये जाने के कारण तथा लोगों का समुचित इलाज न होने से क्षेत्रीय लोगों में चिन्ता, कुण्ठा तथा रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर के टाउन एरिया केमरी में उपमण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है तथा यहां पर मण्डी न होने के कारण कृषकों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण किसान बहुत परेशान व दुखी हैं यहां पर उप मण्डी बनाये जाने के लिये सिंचाई विभाग की जमीन मण्डी परिषद् द्वारा क्रय की जा चुकी है जिसका भुगतान लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपये सिंचाई विभाग को मण्डी परिषद् द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व दिया जा चुका है मगर अभी तक यहां पर कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है जिससे यहां

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृषकों में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है। इस मण्डी का कृषक हित में अविलम्ब निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया की तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी की कटान से प्रभावित ग्रामों को वर्षा से बचाये जाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, बलिया जनपद के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटान से प्रभावित ग्रामों को इस बरसात में सुरक्षित करने के लिये जनपद के बाढ़ विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2014 के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है जो चिन्तनीय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया में घाघरा नदी के किनारे स्थित है। इसके नजदीक के गांव बिहार, डूंहा, लिलकर, कुण्डीयापुर, कसौडा, सिसाटार, गोसाईपुर, खरीद, पुशौत्ति पट्टी, निपनिया, बहपुरा, ललुई एवं मनियर का इलाका कटान एवं बाढ़ से प्रभावित है जिसमें मौनी बाबा का प्राचीन मंदिर, जंगली बाबा का आश्रम, बालखण्डी नाथ जी का मन्दिर जो बहुत ही प्राचीन मन्दिर है। नदी के किनारे स्थित है। कटान एवं बाढ़ से प्रभावित है इसके बचाने के लिये ठोकर बनाकर इसको सुरक्षित करने का प्रस्ताव सिंचाई मुख्यालय लखनऊ में लम्बित है जिस पर अभी तक धन आवंटित नहीं हुआ है। कई जनपदों में बाढ़ राहत एवं बचाव के लिये धन जारी हो चुका है। परन्तु बलिया जनपद एवं सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में कटान एवं बाढ़ प्रभावित गांवों को बचाने एवं किसानों को पुर्नस्थापित करने का कोई ठोस उपाय नहीं होने से जनता में आक्रोश है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल बलिया जनपद के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के दर्जनों गांवों एवं ग्राम डूहां बिहरा में स्थित बालखंडी नाथ जी का प्राचीन मन्दिर, मौनी बाबा का आश्रम, जंगली बाबा का मन्दिर को बचाने हेतु ठोकर बनाने एवं कटान रोकने हेतु धन अवमुक्त किया जाये।]

जनपद पीलीभीत के लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, उ0प्र0 शासन द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन प्रदान किये जाने की घोषणा एवं प्रतिबद्धता की गई है परन्तु ज्ञात हुआ है कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री नारायण लाल निवासी टिकरी माफी थाना बीसलपुर को अभियोग संख्या 320/1975 धारा 33 एवं 43 डी0आई0आर0 थाना बीसलपुर नेतराम पुत्र श्री प्यारे लाल गांव जोगीठेर थाना बीसलपुर को अभियोग संख्या-311/1975 धारा 43 एवं 40 डी0आई0आर0 थाना बीसलपुर विष्णु दयाल पुत्र

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री पूरनलाल निवासी गांव रौतापुर थाना बिसण्डा अभियोग सं0 03/1976 थाना कोतवाली पीलीभीत तथा नेतराम पुत्र तोताराम निवासी गांव अंटागोटियां थाना अमरिया को अभियोग संख्या-165/1975 धारा 36/43 डी0आई0आर0 थाना अमरिया निरुद्ध किया गया तथा न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया गया। उपरोक्त चारों लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है बार-बार पत्राचार किया गया है।

दुःखद है कि अब तक संबंधित अधिकारिताओं ने उक्त लोकतंत्र सेनानी की पेंशन स्वीकृत न करके व्यवस्था का उपहास किया है। ज्ञात हुआ है कि लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था अधिनियमित व्यवस्था नहीं की गई है जो अपरिहार्य है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर कार्यवाही करने की कृपा की जाय।]

जनपद महोबा में अवैध रूप से संचालित चिटफण्ड कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही कर बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

[महोदय, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि प्रदेश के अन्य जगहों की तरह मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र महोबा में बी स्टार इन्फ्रास्ट्रक्चर नाम की बिना रजिस्ट्रेशन एक चिटफंड कम्पनी का जून के प्रथम सप्ताह में डी0एम0 आवास के पास कार्यालय खोलकर संचालित किया जा रहा था। जिसके कुछ कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहर के अनेक स्थानों में लुभावने कार्यक्रमों के जरिये अपने बातों में फंसाकर अतिशीघ्र धन दोगुना करने का लालच देकर गुमराह कर रहे थे। कुछ वर्ष पूर्व भी महोबा में एक इसी तरह की कम्पनी लोगों का करोड़ो लेकर रातों रात रफूचक्कर हो गई थी, उपरोक्त बी स्टार कम्पनी के बारे में जागरूक लोगों तथा पत्रकारों के खुलासा करने पर पुलिस ने कार्यालय पर दिनांक 17-2-2014 को छापा मार कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिये गये लोग अधिकारियों को कोई वैध प्रपत्र कम्पनी के प्रस्तुत नहीं कर सके, फिर भी दोषी लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए हुए जनहित में उपरोक्त कम्पनी के खिलाफ शासन से दण्डात्मक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी-

[महोदय, संज्ञान में लाना है कि जनपद गोरखपुर के हमारे विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत आने वाले मामखोर-बेलसड़ा मार्ग सांउखोर, सेमरा मार्ग से टाडा गांव तक जाने वाले मार्ग, जमीन शुक्ल में समय स्थान भीटी मार्ग, रामजानकी मार्ग से लखनौरी मोहन पौहरिया मार्ग, राम जानकी मार्ग (मदरिया) से बरहजे गांव मार्ग, चिलवा (गोला) पुल से धौरहरा परसिया मार्ग, धुरियापार पहाड़पुर-मोरारपुर-बढ़या पकवा नहर मार्ग, डेईडीहा-बेलपार पाठक पहर मार्ग, रामजनकी मार्ग झुलिया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से महुलिया पोयल मार्ग, नेवादा से सरया महुनिया होते खखाइजखोर मार्ग, गोला कौड़ीराम पर पहाड़पुर से कोंहरी कोंहरा-पकड़ी मार्ग, हरपुर-बाथबुजुर्ग मार्ग, गोपालपुर-झरकटा-बारानगर मार्ग, पिडहनी-बैरियाखास मार्ग, पिडहनी-बेलवादाखिली कोडर नीलकंठ मार्ग, सेमरा रोड से ददरी मार्ग, रामजानकी मार्ग से छपिया उमराव मार्ग, बडगो से रामपुर गडरी महेशपुर पकड़ी मार्ग, गोला कौड़ीराम पर बर्राह चौराहे से पकड़ी मार्ग, डाडी सिघरी भूपगढ़ मार्ग, राम जानकी मार्ग बरडीहा से कोटिया निरंजन मार्ग, पटना पौहरिया मार्ग, बडहलगंज भेंसवली मार्ग, ओझौली मार्ग, जैसी सड़कें पूरी तरह जर्जर होकर टूट गई हैं। इन सड़कों पर चलना अब सम्भव नहीं है। इन सड़कों के पुनर्निर्माण के लिये कई बार अधिकारियों से कहा गया फिर भी सड़कें नहीं बनी जिससे जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि जनहित में उपरोक्त सड़कों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रमेश चन्द्र विन्द-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के विकास खण्ड पहाड़ी के अन्तर्गत बेलवन नदी पर पुल निर्माण न होने से दर्जनों गांव पूर्णतया प्रभावित होते हैं। पुल का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को ब्लाक मुख्यालय, थाना पडरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय आदि जाने हेतु लगभग 10 कि0मी0 के बजाय लगभग 35 कि0मी0 तक दूरी तय करनी पड़ रही है जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक समय एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पुल निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता रेलवे क्रासिंग से जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आये दिन आशंका बनी रहती है। बरसात के दिनों में आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। क्षेत्रीय जनता द्वारा बेलवन नदी पर पुल निर्माण हेतु स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन से कई बार अनुरोध किया जा चुका है परन्तु अभी तक पुल निर्माण हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति अत्यधिक जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बेलवन नदी पर पुल के निर्माण किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा श्री राम प्रसाद त्यागी, फार्मासिस्ट का स्वीकृत वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय विषयक की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी द्वारा निदेशक के पत्र दिनांक 05-07-2013, 06-01-2014 एवं जिलाधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 28-05-2014 के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बावजूद श्री राम प्रसाद त्यागी फार्मासिस्ट का नवम्बर, 2013 से अब तक का वेतन तथा स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का भुगतान रोक रखा है जिस कारण श्री त्यागी का परिवार विषम आर्थिक संकट से ग्रसित है तथा जीवन मौत के बीच संघर्षरत है। मा0 राज्य मंत्री श्री शंखलाल माझी के जिला चिकित्सालय बांदा के भ्रमण दिनांक 17-12-2012 के दौरान डा0 एस0डी0 त्रिपाठी, डा0 अनुराग श्रीवास्तव, डा0 विनीत सचान एवं डा0 बलवीर के दायित्वों के निर्वहन में कमी के दृष्टिगत कार्यवाही अनुसूचित जाति से भिन्न चिकित्सकों के विरुद्ध नहीं की गई। केवल अनुसूचित जाति के डॉ0 बलवीर के विरुद्ध की गई नीति के अनुरूप शासन सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा परन्तु जानबूझकर अनुसूचित जाति के कर्मियों का उत्पीड़न नैसर्गिक न्याय एवं मानवता के प्रति गैर कानूनी है जिसे निक्षेपित किये जाने की अपेक्षा तथा श्री त्यागी के रोके गये देयकों का भुगतान कराना प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से तत्काल वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के निर्वाचन क्षेत्र मनिहारन स्थित ग्राम भगवानपुर में नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र रामपुर मनिहारन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा के ग्राम भगवानपुर में नदी का पुल है जो ब्लाक रामपुर मनिहारन व ब्लाक नागल को जोड़ता है तथा इससे लगभग 60 गांव सीधे जुड़ते हैं परन्तु अभी तक उक्त पुल का निर्माण नहीं किया गया है। उक्त पुल न होने से बरसात में 60 गांवों से सम्पर्क टूट जाता है। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान ग्राम दूधली बुखारा व ग्राम हसनपुर (बलस्वा) (ब्लाक बलिया खेड़ी) में नदी पर पुल नहीं है क्षेत्रवासियों के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की गई है परन्तु बरसात महीने में वह भी कारगर साबित नहीं हो रहा है यही हाल ग्राम कल्लरपुर का है जहां कल्लरपुर एवं धाकादेई के बीच नहर पर पुल है जो टूटी हुई है। पुल टूटने से कई गांवों का सम्पर्क टूटा है। क्षेत्रवासियों को इसकी वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोकमहत्व के उक्त गम्भीर विषय पर पुलों का निर्माण न होने से यदि पुल है तो जर्जर अवस्था में होने से जनता आक्रोशित एवं भयभीत है। मैं उक्त तीनों पुलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने हेतु सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मेरठ नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी हेतु ओडियन एवं आकू नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[महोदय, मेरठ नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी हेतु ओडियन नाला, आकूनाला मुख्य रूप से उपयोग में आते हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकिन निम्नांकित कारणों वश पूर्ण क्षमता से जल निकासी नहीं कर पाते।

1-सिल्ट से अटे पड़े हैं, तलीझाड़ सफाई का कारण नहीं बताते हैं, अधिकारी।

2-नालों पर नगर निगम के पूर्व अधिकारियों के काल में स्थाई अतिक्रमण हो गया है।

3-नाले के पटरी को लीज पर दे दिया गया है।

4-नालों की शेपिंग कर इनकी चौड़ाई में एकरूपता लाने की कार्यवाही आवश्यकता है। टेढ़े-मेढ़े बहते हैं।

वर्षा ऋतु सामने है, लेकिन अधिकारी बिल्कुल चिन्तित नहीं हैं।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा में भूमि/मकानों पर रजिस्ट्री के साथ लिये जाने वाले 2% विकास शुल्क को क्षेत्र के विकास में लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत होने वाली भूमि/मकानों की रजिस्ट्रियों से 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह 2 प्रतिशत विकास शुल्क रूप में प्राप्त धन को विकास कराने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद् मथुरा एवं मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद् मथुरा को उन क्षेत्रों में विकास कराने के लिये दिया जाता है। जिन क्षेत्र से भूमि/मकान आदि की रजिस्ट्री हुई तथा उनसे 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में रजिस्ट्री/स्टाम्प से प्राप्त किया परन्तु पिछले पांच वर्षों से प्राप्त 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त करोड़ों रुपयों का कोई भी विकास नगर पालिका परिषद् मथुरा एवं मथुरा- वृन्दावन प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य उन क्षेत्रों में नहीं कराया गया है तथा इन 2 प्रतिशत प्राप्त करोड़ों रुपये का विकास कराने का लेखा जोखा उपरोक्त विभागों के पास नहीं है। और इस अर्जित 2 प्रतिशत विकास के रूप में प्राप्त धन को दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही मथुरा नगर पालिका परिषद् मथुरा की अध्यक्षता द्वारा पिछले लगभग दो वर्षों से विकास कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा पिछले माह से नगर पालिका परिषद् मथुरा की अनियमितताओं की रिपोर्ट भी शासन को प्रेषित की जा चुकी है। जिसके कारण स्थानीय स्तर पर विकास न कराने पर जनता में भारी आक्रोश एवं रोष है।

अतः इस जनहित व लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से पिछले कई वर्षों से 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में प्राप्त करोड़ों रुपये से संबंधित क्षेत्रों में विकास कराये जाने की मांग करता हूं।]

[12.25 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में कुल दस सूचनायें थी, यह सब अपोषणीय हैं स्वीकार नहीं की गई।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजयेपी-

मा0 अध्यक्ष जी सुन तो लीजिये, अगर विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित न हो तो आप अस्वीकृत कर दीजियेगा। सुन तो लीजिये कम से कम। मा0 अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिये। ये विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित है। नियम 300 मेरा है, औचित्य का प्रश्न, आप एक बार सुन तो लीजिये कम से कम।

श्री अध्यक्ष-

बताइये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा भी सुन लें।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, सुन ले, ये विधायकों से सम्बन्धित है सदन में 403 विधायकों के लिये घोषणा....

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, सुनिये तो आपका यह मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गई घोषणा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के विधायकों की भांति शहरी क्षेत्रों के विधायकों के क्षेत्रों में भी 100-100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प प्रतिस्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है तो यह आश्वासन बनता है, ये नियम-300 नहीं बनता है। आप खन्ना जी के यहां जाइये, उनसे पता लगाइये वह उसकी जांच करके बतायेंगे देखिये मैं सबका विषय पढ़े दे रहा हूं और कहे दे रहा हूं। पहला डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी का वर्तमान सत्र में नियम-311 के अन्तर्गत सूचनायें न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इसमें सूचना नियम-311 की नहीं ली जा सकती क्योंकि वह देखिये मेरे विवेक पर आपका उठाया हुआ प्रश्न है इसलिये यह स्वीकार नहीं होता। दूसरा श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का है नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिये गये उत्तर सदन की कार्यवाही का हिस्सा न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चूंकि जब 301 आता है तो उसका उत्तर सीधे विभाग आपको भेजता है, उसकी कार्यवाही जब सदन अगली बार चलता है तो उसको यहां रखा जाता है, इसलिये इसका प्रश्न नहीं बनता है। तीसरा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का है कि विधान सभा के वर्ष 2013 के सत्र में नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अब कौन सी सूचना थी, किसका उत्तर नहीं मिला, यह अस्पष्ट है इसलिये नहीं लिया जायेगा। आप लिखकर दीजियेगा। चौथे श्री संजय प्रताप जायसवाल जी का है, जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र रुधौली विकास क्षेत्र सेल्टौवा गोपालपुर में वर्ष 2006-2007 में निर्मित पशु चिकित्सालय के क्षतिग्रस्त होने एवं पशु चिकित्सकों एवं स्टाफ की तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। अब पशु चिकित्सालय क्षति ग्रस्त हो गया तो इसमें कहां आता है। ऐसे ही श्री बब्बन सिंह चौहान का भी है। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी अब आप बोलिये।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने आपसे कह दिया कि 301 का उत्तर सीधे जाता है। अब आप बैठिये आप भी यहां बैठे होते तो यही कहते।

विधान सभा के वर्तमान सत्र के कार्यक्रम की सूचना विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आपका संरक्षण चाहता हूं। पिछले कई सत्रों से ऐसा हो रहा है सरकार के द्वारा विधान सभा का तिथिवार कार्यक्रम बहुत विलम्ब से आता है उसके कारण विधान सभा के सचिवालय के द्वारा जो मा0 सदस्यों को नियमों में सूचनायें देने या सरकारी संकल्प या विधेयक की सूचना दी जाती है, उसमें विलम्ब होता है। मा0 सदस्य अपने उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। मैं इस बात का भी एक उदाहरण बड़ी विनम्रतापूर्वक आपके सामने देना चाहता हूं। मान्यवर, कि असरकारी विधेयक और संकल्प की लॉटरी के लिये आपके यहां से सूचना जारी होती है, मा0 सदस्यगण उत्तर प्रदेश विधान सभा यानि इन्डीविजुअल विधायक को जानी चाहिये। वह जितने कम समय में आता है, वह संभव नहीं हो पाता है आपके लिये। मैं दो बातें कहकर आपका संरक्षण प्राप्त करना चाहता हूं कि एक तो सरकार कार्यक्रम शीघ्र भेजे दूसरा यह कि मा0 सदस्यगण को सूचना मेल से फैक्स द्वारा जिलाधिकारी, न कि विधान मण्डल दल को। मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की सूचना जिलाधिकारी के माध्यम से मा0 सदस्यगण को व्यक्तिगत उनके आवास पर क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाए और मेल द्वारा या फैक्स नम्बर जिसका भी कार्यालय में उपलब्ध हो मेल आई0डी0 पर या फैक्स के द्वारा उपलब्ध कराई जाये जिससे कि सदस्यगण नियमावली में प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर सकें और आपका संरक्षण प्राप्त कर सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि औचित्य के इस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देने पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

आपने ही इसके पहले इस तरह के कई सवाल उठाये थे और आपने कौल शखधर के पुस्तक का भी उद्धरण दिया था और उसमें यह लिखा है कि यदि सत्र अल्पसूचना पर या आपातिक रूप में बुलाया जाये तो प्रत्येक सदस्य को आवाह्न-पत्र पृथक-पृथक निर्गत करना आवश्यक न होगा फिर चाहे वह मीडिया के माध्यम से चाहे अखबारों के माध्यम से, चाहे जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना दे दी जाये। ये पहले से ये है, आपका कहना यह है कि व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया और ये अखबारों के माध्यम से और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई थी और इस पर हम फिर विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। अब आप बैठिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि समय से करें मा0 सदस्यों को सूचना दें सूचना प्राप्त करने का अधिकार मा0 सदस्यों का है। मान्यवर, समाचार-पत्रों से सूचना मिलती है कि असरकारी विधेयक, संकल्पों की लाटरी निकाली जायेगी। आप जिलाधिकारियों के माध्यम से फैक्स सूचना के द्वारा इसे भिजवा सकते हैं। आप मान्यवर, सदस्यों के हित में इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

आप देखें असरकारी विधेयकों/संकल्पों के बारे में यह कहना है कि 25 जून को लिये जायेंगे। उसमें आप सबके असरकारी संकल्प लिये जायेंगे।

नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं का उत्तर सदन की कार्यवाही का हिस्सा न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप कृपापूर्वक मा0 सदस्यों की 301 की सूचनाओं को स्वीकार करते हैं उसको आपकी पीठ से अंगीकार किया जाता है। उसमें आंशिक कार्यवाही सरकार की ओर से हो पाती है। हम चाहते हैं कि जो भी उन पर कार्यवाही हो और सरकार की ओर से उत्तर आयें वह सदन की कार्यवाही का अंग बनाये जायें। आप इस सम्बन्ध में मा0 मंत्रियों को निर्देश दें कि जो भी वह उत्तर उनके सम्बन्ध में एक महीने बाद दें वह कार्यवाही का अंग भी बने और पूर्ण उत्तर दिये जायें। आप इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

आप देखिये ऐसी परम्परा रही है कि अभी तक ऐसे उत्तर कार्यवाही का अंग नहीं बने हैं। माननीय सदस्यों को इसके उत्तर दिये जाते हैं। यदि उन उत्तरों में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप नियमों के अन्तर्गत उसकी सूचना हमें दे सकते हैं। उसमें जो अधिकारी गलत सूचना देते हैं उसमें दण्ड का भी प्राविधान है। इसलिये इसको स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है इसलिये अस्वीकार करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, मेरी सूचना ले लीजिये आप हमारी नोटिस देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं दिखवा लूंगा। आप आगे चलने दीजिये।

[12.36] उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का पंचम् प्रतिवेदन†

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (श्री उदय राज)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का पंचम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1991-1992 तथा 2008-2009 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की

† छापे नहीं गये।

रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित वन निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का सप्तम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 तथा 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का अष्टम् प्रतिवेदन†

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का अष्टम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन (नलकूप निगम) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का नवम् प्रतिवेदन†

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का नवम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1995-1996 तथा 2001-2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का दशम् प्रतिवेदन†

श्री उदयराज-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का दशम् प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का एकादश प्रतिवेदन†

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का एकादश प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

† छापे नहीं गये।

वर्ष 2003-2004 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (पिकप) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013-2014) का द्वादश प्रतिवेदन†

श्री उदयराज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समति (2013-2014) का द्वादश प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड व तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम शिवनगरा के गाटा संख्या-519 में स्थित तालाब पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर उसकी उचित गहराई तक खुदाई कराये जाने विषयक श्री कृष्ण निवासी जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 राकेश कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड व तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम शिवनगरा के गाटा संख्या-519 में स्थित तालाब पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाकर उसकी उचित गहराई तक खुदाई कराये जाने विषयक श्री कृष्ण निवासी जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसकी मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित कर दी जायेंगी।

[12.38] जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रूदपुर में गोरखपुर देवरिया मार्ग पर गौरी बाजार से रूद्रपुर बाईपास होते हुए मदनपुर बरहज मार्ग तथा दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर होते हुए खजुहा चौराहे तक की सड़क का सुदृढ़ीकरण चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने विषयक श्री नन्दलाल गुप्ता आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में गोरखपुर देवरिया मार्ग पर गौरीबाजार से रुद्रपुर बाईपास होते हुए मदनपुर बरहज मार्ग दुग्धेश्वर नाथ मन्दिर होते हुए खजुहा चौराहे तक की सड़क का सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने विषयक श्री नन्दलाल गुप्ता व श्री सतीश निषाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14 में कुछ नहीं है।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

[12.39] अल्प सूचित प्रश्न से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रकरण

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मेरा विशेषाधिकार का एक प्रकरण है। मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न लगाया था अल्पसूचित में।

श्री अध्यक्ष-

आज लिखकर दिया है आपने ? पहले लिखकर दे दो तब उठाओ।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, उठा तो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

पहले लिखकर हमको दे दो तब तो कुछ समाधान करेंगे। लिखकर दे दें, आप हमको लिखकर दे दीजिये जो आप उठाना चाहते हैं।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपकी मंशा के ऊपर है अगर आप स्वीकार करना चाहें तो कर लें हम रख दें अपनी बात, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने एक प्रश्न लगाया था जो अल्पसूचित में स्वीकृत भी हुआ था क्योंकि आजकल जो तमाम प्रकरण चल रहे हैं बलात्कार से सम्बन्धित उसमें यह था कि जो शौचालय बन रहे हैं, जो शौचालय गांव में बन रहे हैं पंचायत राज विभाग से उसके बारे में आंकड़े और कुछ तथ्य मांगे थे लेकिन आज मुझे चिट्ठी पकड़ाई गई कि इसे सचिव महोदय ने, विभाग ने असमर्थता व्यक्त की है और इसे जनरल रूटीन में आगे बढ़ा दिया। तो इतना महत्वपूर्ण विषय है और यही न्यूज, जो मैंने मांगी है वह अखबारों में प्रकाशित कर दी गयी है उस विभाग के द्वारा सूचना दे दी गयी है, प्रकाशित अखबारों में सूचना दे दी जा रही है और सदन में नहीं दिया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-63 और नियम-64 में विशेषाधिकार से सम्बन्धित नियम दिये गये हैं, उल्लिखित हैं और श्रीमन्, सदन के सम्मुख जब विशेषाधिकार हनन की कोई स्थिति तात्कालिक तौर पर उत्पन्न हो उन स्थितियों में मात्र सीधे आपसे निवेदन किया जा सकता है और आपसे अनुज्ञा लेकर के आपकी अनुमति से इन बातों को रखा जा सकता है। श्रीमन्, नियम-64 में स्पष्ट है कि सबसे पहले हमको इसकी दो प्रति कापी आपके यहां देनी पड़ेगी उसके बाद ही आप इसकी अनुमति देंगे तो मैं सिर्फ यह अनुरोध करता हूं कि किसी भी सदस्य के द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाता है तो उससे गम्भीर कोई बात नहीं हो सकती, उसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। क्योंकि नियमों की अनदेखी अगर हम ही करेंगे तो विशेषाधिकार को बात कैसे करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

देखिये अखिलेश जी, यह प्रश्नों से सम्बन्धित आपका विशेषाधिकार यह मेरे ही ऊपर उठेगा और मेरे ऊपर तो विशेषाधिकार उठाया नहीं जा सकता। इसलिये आप बैठ जाइये, यह नहीं बनता।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

यह जो अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं और मीडिया में सूचना दे रहे हैं, हाउस को लिखकर भेज रहे हैं क्या यह उचित है।

श्री अध्यक्ष-

यह विशेषाधिकार नहीं बनता, आप बैठ जायें।

मद संख्या-16 में कुछ नहीं है।

[12.39] उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन का अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

बजट पर साधारण चर्चा के दिनों में कार्य-स्थगन प्रस्ताव न दिये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल और सभी दलीय नेता यहां उपस्थित हैं। आज बजट पर 4 दिन की साधारण चर्चा है और यह परम्परा रही है कि जब बजट आता है तो उस विषय में फिर कार्य-स्थगन, क्योंकि सदस्यों को उसमें पूरी बात कहने की छूट होती है। तो उसमें फिर कार्य-स्थगन प्रस्ताव लाने का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। माननीय मौर्या जी ने और आप सभी लोगों ने मिलकर 19 तारीख को कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैंनें माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिये भी कहा था, लेकिन माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी सदन के वेल में आ गये थे और सदन अव्यवस्थित हो गया था इसलिये माननीय मौर्या जी कुछ बांते कहकर अपने दल के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये थे। तो इस प्रकार यह प्रश्न एक बार यहां उठ चुका है और अगर आप फिर कानून व्यवस्था पर चर्चा करायेंगे तो फिर आपको जो बजट पर बोलना है, उसमें

नोट-दिनांक 3 जुलाई, 2014 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा है।

† छापा नहीं गया।

उन्हीं बातों को दोहराना हो जायेगा। जबकि एक बार सदन में जो बात आ जाती है, दुबारा वह फिर नहीं आनी चाहिये। यह मैं आपसे आग्रह करता हूं और इस पर क्या आपकी राय है ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, सदन अनुशासित, संयमित और नियमित ढंग से चले इस पर समय-समय पर पीठ से निर्देश आते रहते हैं। मान्यवर, लम्बे अरसे तक इस सदन के आप सदस्य भी रहे हैं। इस सर्वोच्च पीठ पर दूसरी बार आपको जाने का मौका भी मिला है। इसलिये सूरज को दिया दिखाना हम उचित नहीं समझते। आपका इतना लम्बा राजनीतिक तजुर्बा है। अव्यवस्थित सदन में कभी भी किसी भी विषय पर पूर्व में भी चर्चा नहीं हुयी है और न कभी किसी सदस्य के द्वारा बात प्रस्तुत की गयी है। सदन व्यवस्थित कराने की जिम्मेदारी पीठ की होती है। पीठ से आपका निर्देश मिला, विषय पर अपनी बात रखने के लिये मैं खड़ा भी हुआ, सदन व्यवस्थित नहीं था, इसके लिये मैं आपसे बार-बार अनुरोध भी कर रहा था। लेकिन मान्यवर, आपके द्वारा सदन को व्यवस्थित कराये जाने का उस समय कोई कारगर उपाय नहीं निकाला जा सका। जिसके चलते आपके निर्देश पर मैं चाहते हुए भी सदन के पटल पर अपनी बात नहीं रख सका। मान्यवर, जो काम पीठ का है उसे न सत्तापक्ष कर सकता है, न विपक्ष कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति कर सकता है। सदन को पूरा व्यवस्थित कराने की पूरी जिम्मेदारी पीठ की है अगर सदन व्यवस्थित नहीं था तो सदन के किसी भी सदस्य की न तो कोई जवाबदेही बनती है और न ही जिम्मेदारी बनती है। मान्यवर, आपके पास इतने अधिकार हैं, उस पीठ को इतने अधिकार सदन ने दे रखे हैं कि सदन को व्यवस्थित कराने के लिए यदि आप चाहें तो सदन व्यवस्थित हो सकता है। इसलिए अपनी जवाबदेही का भार हम पर डाल करके इस विषय का अन्त करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कोई भार नहीं डाला है बल्कि मैंने आपकी राय पूछी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी आप कार्य-स्थगन पर बोलेंगे कानून-व्यवस्था पर बोलेंगे और फिर जब आप बजट पर चर्चा प्रारम्भ करेंगे तो सदन की यह परम्परा रही है कि एक बार कही गई बात को दोहराया नहीं जाता उस पर मैंने पूछा कि आपकी क्या राय है। जो इसमें बोलेंगे तो क्या उसमें फिर वही बात दोहरायेंगे यह मैंने आपसे पूछा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बजट पर चर्चा के दौरान मैं नियम-56 की सूचनाओं का जिक्र नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

जो आप नियम-56 में बात कहेंगे उसे दोबारा आप बजट की चर्चा में नहीं कहेंगे। यही तो नियम है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपकी इस विधान सभा की संचालन नियमावली मान्यवर, आपकी पीठ के द्वारा ही दी गई व्यवस्था का एक हिस्सा है और सभी सूचनाओं का अपना अलग-अलग महत्व होता है तो स्वाभाविक रूप से जो सूचना तीन-चार दिन लगातार लम्बे समय से लम्बित चली आ रही है यदि आज

मौका आया है तो मैं आपसे इतना ही कृपापूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि दो-दो मिनट सभी मा0 सदस्यों को अवसर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा कि मा0 मंत्री श्री अम्बिका चौधरी साहब ने अवगत कराया कि मा0 मुख्य मंत्री जी दो बजे के बाद ही आयेंगे यानी कि आने के बाद ही चर्चा शुरू हो सकेगी तो समय का सदुपयोग भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने को बता दीजिए कि कितने मिनट बोलेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यदि आपका निर्देश होगा तो मैं बोलूंगा ही नहीं लेकिन अगर पीठ सबको संरक्षण देती किसी पर बहुत मेहरबान हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[12.40] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23-06-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना (1) श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री मुसर्रत अली बिट्टन, श्री राजबली जैसल, श्री दीपक पटेल, श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री राजनरायन, श्री मो0 इकबाल, श्री उमेश पाण्डेय, श्री लोकेश दीक्षित, श्री जमील अहमद काजमी, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री अली यूसुफ अली, श्री सुरेश बंसल (2) श्री सतीश महाना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (3) श्री प्रदीप माथुर, श्री विवेक कुमार सिंह, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री संजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री विजय कुमार दुबे, श्री दिलनवाज खां, श्री मो0 मुस्लिम, श्री राधेश्याम, श्री दलजीत सिंह, श्रीमती उमाकान्ती, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री गयादीन अनुरागी (4) श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश एवं श्री भगवती प्रसाद की प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री वीरपाल राठी, श्री तेजपाल सिंह एवं श्री सुदेश शर्मा की प्रदेश में गन्ना किसानों के लगभग 8000 करोड़ के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई व डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की वर्ष 2014 की सी0पी0एम0टी0 परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक हो जाने की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी में दिनांक 20-6-2014 को श्री शैलेन्द्र जायसवाल व्यापारी के साथ हुई लूट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की सूचना पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की एक गम्भीर घटना है, एक नाबालिक लड़की का बलात्कार हुआ है। इस पर मान्यवर, मुझे सुन लें। आज सुबह मैंने सूचना लगायी थी।

श्री अध्यक्ष-

आज नहीं लिया जा सकता, अभी आप कानून-व्यवस्था पर बोलेंगे उसमें अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र की घटना है।

श्री अध्यक्ष-

सरोज जी, आज नहीं हो पायेगा, बहुत सूचनायें हैं। आप अपने नेता जी को दे दीजिये, मौर्या जी उस पर बोल देंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

आप कल दे दीजियेगा, अब बैठिये। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी, अपनी बात रखिये, दो मिनट में अपनी बात रखिये। अब [x x x] मत कहियेगा, [x x x] शब्द असंसदीय है, यह मैं पहले आपको बता दे रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

आप कहने के लिये इशारा कर रहे हैं या न कहने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

न कहने के लिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसका परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में [x x x] माफिया, अपराधी, अराजकतत्व बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अराजकता फैल रही है और जिसके नाते आज पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बलात्कार, हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, बैंक डकैती और डकैती की घटनायें बेतहासा बढ़ी हैं। मान्यवर, प्रत्येक दिन दर्जनों से ज्यादा बलात्कार की घटनायें जिस तरीके से हो रही हैं कि प्रदेश की महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। यही नहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि कानून के रखवालों की भी हत्या करने में उनको कोई चिन्ता नहीं रहती। आज सभी राजनीतिक पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि भी इन अराजकतत्वों की गोली के शिकार हो रहे हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के तमाम जनप्रतिनिधि इन गुण्डे, माफिया, अपराधियों की गोली के शिकार हुए हैं। यही नहीं मान्यवर, आज अराजकतत्वों का हौसला इतना बुलन्द हो गया कि किसी भी बहिन-बेटी का अपहरण

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करना, बलात्कार करना और बलात्कार के बाद हत्या करके लाशों को पेड़ पर टांग देना, यह सरकार को उन्होंने नई चुनौती का आगाज किया है। यही नहीं, बदायूं की घटना के बाद लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा इस प्रकार से पेड़ों की डालों पर लाश टांगने की घटना प्रकाश में आयी है जो बहुत ही गम्भीर व चिन्ता का विषय है, साथ ही साथ बेखौफ अपराधियों के हौसले का भी यह प्रतीक है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इस तरीके के अराजक माहौल में स्कूल, कालेज में जाने वाली छोटी-छोटी बेटियां भी डर रही हैं। अभिभावकों को भी चिन्ता हो गयी है कि हमारी बेटी वापस घर सुरक्षित लौटेगी या नहीं लौटेगी। यही नहीं आज शिक्षा का मन्दिर भी इन अपराधियों के दुष्कर्म का क्षेत्र बन गया है। अभी मेरठ मेडिकल विश्वविद्यालय में इसी प्रकार की एक घटना घटी थी। यही नहीं अभी कल बागपत के बड़ौत में दो चार साल और 6 साल की इतनी कम उम्र की बच्चियों के साथ भी इसी प्रकार का दुर्व्यवहार और दुष्कर्म की घटना हुई है। मान्यवर, आज जिस तरीके से अपराधियों का खौफ है यह केवल सरकार के लिये ही नहीं बल्कि समाज के लिये भी चिन्ता का गम्भीर विषय है। पूरे प्रदेश की गम्भीर समस्या बन गई है गुण्डे माफिया और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिये सरकार को कठोर होकर आगे आना चाहिए इसीलिये इस लोक महत्व और अविलम्बनीय सूचना पर मैं सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं। जिससे कि इस समस्या का कोई निदान और हल निकल सके और इन अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत आपको धन्यवाद कि आपने समय-सीमा का ध्यान रखा। विषय को आपने उतना ही उठाया जितना उठना चाहिए था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सही बात तो यह है कि मैं समय का हमेशा ध्यान रखता हूं और आपकी पीठ के निर्देश का शत-प्रतिशत पालन करता हूं। लेकिन व्यवधान तब होता है जब मुझसे ज्यादा पीठ बोलने लगती है तब समय लग जाता है।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल को पूरा यह प्रीविलेज है वह जितना चाहे बोलें लेकिन कभी-कभी बोलते-बोलते बात इतनी बिगड़ने लगती है कि हमारा हाउस ही असंयमित होने लगता है तब हस्तक्षेप करना पड़ता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस समय नेता विरोधी दल केवल समय का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं बल्कि सरकार का भी ध्यान रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

उन्हें अभी अपनी बात कहनी है।

श्री सतीश महाना-

माननीय मंत्री जी कितने सहमत हैं मेरी बात से कि वह खिलखिलाकर हंस रहे हैं। मान्यवर, आज पूरा प्रदेश अपराधियों की गिरफ्त में है।

श्री अध्यक्ष-

आप केवल ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री सतीश महाना-

मैं ग्राह्यता पर ही बोलूंगा आप मेरा नोटिस देख लें। मान्यवर, केवल डेढ़ पेज की योजना दिखाकर प्रदेश में अपराधों को नहीं रोका जा सकता है। प्रदेश में अपराधों को रोकने के लिये सरकार में इच्छा शक्ति चाहिए सरकार का इकबाल चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार अपराधियों को संरक्षण देते हुए नजर आती है तो उस समय प्रदेश की कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। एक अपराधी को संरक्षण देने से कहीं न कहीं संदेश चला जाता है कि आप अपराध करोगे तो आपको कहीं न कहीं पुरस्कार मिलने वाला है। आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है। मान्यवर, हम सब लोगों ने देखा कि प्रदेश में चुनाव से पहले तो अपराध बढ़े ही थे लेकिन चुनाव के बाद अपराधों की बाढ़ आ गई दो बच्चियों के साथ दुराचार करके उनकी लाश पेड़ पर टांग दी जायेगी उसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कम्प मच जाएगा तो आदमी डर सा जाता है बहन बेटियों का घर से निकलना बन्द सा हो गया है उस समय जब बहुत प्रचारित हुआ मीडिया के माध्यम से राजनीतिक दलों ने विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया तो लगा कि शायद उस अपराध के बाद कहीं न कहीं कोई दबाव होगा लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि जिस दिन यह बदायूं की घटना हुई उसके दूसरे दिन फिर बहराइच में घटना हो गई। जब लगा कि अब अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा उसके तीसरे दिन देखा कि हमीरपुर में पुलिस वालों ने थाने के अन्दर एक युवती के साथ दुराचार कर दिया बात वहीं तक नहीं रुकी अलीगढ़ में न्यायिक अधिकारी के साथ दुराचार कर दिया मुझे अफसोस तो तब होता है यह कहने में कि जब हमीरपुर में थाने के अन्दर दरोगा और सिपाहियों ने रेप किया उस समय उनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं हुई उसके दूसरे दिन फिर एक रेप की घटना हो गई सरकार क्या संदेश देना चाहती है क्या डेढ़ पेज की कार्य योजना सुना देने से अपराध रुक जाएगा इससे अपराध रुकने वाला नहीं है। किसी एक अधिकारी को कुर्सी से हटाकर उसकी जगह दूसरा अधिकारी बिठा देने से भी अपराध रुकने वाला नहीं है। यह अपराध तक रुकेगा जब वास्तव में लगेगा कि सरकार अपराध को रोकने की इच्छाशक्ति रखती है। उन अपराधियों के ऊपर कार्यवाही करने के लिये तब अपराध रुकेगा। मान्यवर, मैं बहुत गम्भीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है, अधिकारियों पर से जनता का विश्वास उठ चुका है। मेरे पास एक व्यक्ति आया। एक छोटा सा रेस्टोरेन्ट चलाता है। उन्होंने कहा कि शाम को उस रेस्टोरेन्ट के ऊपर कुछ अपराधी आये जो कि सत्ता पक्ष के राजनैतिक दल के कार्यकर्ता थे। उन्होंने वहां पर किसी से कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ मांगी जबरदस्ती पी और उसके पैसे भी नहीं दिये और उनसे झगड़ा करके उनकी पिटाई भी की। मेरे को यह जानकारी मिली। मैंने सम्बन्धित थानेदार को बोला कि जाकर इसको देखो। अगले ही दिन जिनकी तरफ से कार्यवाही होनी थी वह आये, मैंने सोचा कि शायद मेरे पास धन्यवाद देने आये होंगे इनको ऐसा लगता होगा कि मैंने उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये कहा। मेरे पास आकर रोने लगे। मान्यवर, मैं इस घटना का जिक्र इसलिये करना चाहता हूं कि यदि सरकार इसका संज्ञान सीरियसली नहीं लेगी तो अपराधी निरंकुश हो जायेंगे पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ हो जायेगा और जनता बेचारी मारी जायेगी।

मान्यवर, मुझे रोकर कहने लगे कि भाई साहब यह जो कल की घटना हुई है इसमें आपने कार्यवाही करने के लिये कहा है, आपसे प्रार्थना है कि इसमें अब कुछ न करिये। तो मैंने कहा कि क्यों भइया, अब इसमें क्यों कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उनको थाने में बुलाया है। वह कहने लगे कि जो अपराधी है वह स्मैक के धंधे में लिप्त है इसीलिये पुलिस का उनको संरक्षण प्राप्त है। इनके खिलाफ तो पुलिस वाले कुछ कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन अपराधी कल फिर आकर हमको परेशान करेंगे। क्या लोकतंत्र में जनता के ऊपर इतना दबाव होना चाहिए कि वह अपराधियों से त्रस्त होकर अपराधियों और पुलिस का गठजोड़ कह कर अगर उसको कोई संकट आता है कोई तकलीफ आती है तो उस बात को भी वह कहने में डरेंगे। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है। अगर यह होने लगा तो अपराधियों से त्रस्त होकर अपराधियों को पुलिस का गठजोड़ होने के कारण हम शिकायत नहीं करेंगे और उसके बाद आप हमें आंखें दिखायेंगे। अगर इसी प्रकार के आंकड़े आपने प्रस्तुत करते हैं तो जो जनता का संदेश होता है, वह मान्यवर, पिछले महीने की 16 तारीख को जनता के सामने आ गया। मान्यवर, लोकतंत्र में इससे बड़ी और सजा कोई नहीं हो सकती, एक सत्ताधारी राजनीतिक दल के लिये कि जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, उस प्रदेश में मान्यवर, उनके परिवार के अलावा कोई दूसरी सीट जनता जिताने के लिये तैयार नहीं है। मान्यवर, अगर आप इससे भी सबक नहीं लेना चाहते, आप अपराधियों और अपराध के ऊपर निरंकुश नहीं करना चाहते तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात किसी भी सरकार के लिये नहीं हो सकती। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता विजय पंडित की नोएडा में हत्या कर दी गई। हत्या केवल इसलिये कर दी गई कि वह एक राजनैतिक दल से सम्बन्धित कार्यकर्ता थे। केवल इसलिये हत्या कर दी गई कि उन्होंने सत्ता पक्ष की बात मानने से इंकार कर दिया था। उसके ऊपर मान्यवर, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से उसमें सी0बी0आई0 जांच की मांग करता हूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाय। असली अपराधी सामने आ जायं और उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाय और उन अपराधियों को संरक्षण देने वाले भी सामने आ जायं और उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो जाय। मान्यवर, आप राजनैतिक चश्मे से अपराध को देखना चाहते हैं। मान्यवर, अपराध का कोई राजनीतिक चश्मा नहीं होता। अपराध केवल अपराध के रूप में होता है। आप जिस समय राजनैतिक चश्मे से अपराध को देखेंगे आप पूरे प्रदेश में अपराध के ऊपर किसी तरह से अंकुश नहीं लगा पायेंगे। मान्यवर, बहुत सारे ऐसे राजनैतिक दल के कार्यकर्ता जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया। अपराधियों के खिलाफ अगर कोई सामने आता है तो उसके ऊपर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। क्यों ? क्यों सरकार का इकबाल ऐसा नहीं है। क्यों सरकार की धमक ऐसी नहीं है ? क्यों सरकार का संदेश ऐसा नहीं है ? मान्यवर, एक, केवल एक अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने से अपराध रुक सकता है। अधिकारी वही हैं, अधिकारी वही रहेंगे। मान्यवर, लोकतंत्र में जनता ने किसी अधिकारी को नहीं चुना कि वह उस कुर्सी पर बैठ जायेगा तो अपराध कम हो जायेंगे। जनता ने सरकार को चुना है कि आपको हम चुनते हैं कि कैसे आप उन अधिकारियों के ऊपर कैसे लगाम लगाने का प्रयास आप करते हैं। यह जिम्मेदारी आपकी है। मान्यवर, इन दो वर्षों के अन्द आपने कितने अधिकारियों का उलट फेर करके कितना अंकुश लगा लिया और मुझे लगता है कि मान्यवर, सरकार अगर ईमानदारी से अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दे तो आधे से ज्यादा इनकी पार्टी के लोग जेलों में होंगे। इसलिये क्योंकि वह अपराधी है, इसलिये क्योंकि उनको अपराध के ऊपर संरक्षण मिला है। मान्यवर, आपको इस बात की जानकारी होगी, केवल आपने पढ़ा ही नहीं होगा।

फिरोजाबाद में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर के अन्दर घुस कर उनको तंग करने का प्रयास किया गया, उनका उत्पीड़न करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, उनके साथ [x x x] करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, यह तो आप भाषण में भी कहेंगे, आप ग्राह्यता पर बोलिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा आपसे एक निवेदन है, मैं आपका पूरा सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं इस पर आप चर्चा स्वीकार कर लीजिये, यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, केवल इतना ही नहीं है, मैं ही यह बात नहीं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के राजनैतिक दल के मुखिया, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने मंत्रियों की बैठक में यह कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है कि कौन-कौन मंत्री अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि कौन मंत्री खनन और भू-माफिया का काम कर रहा है, उन्होंने ही कहा है कि उनके पास सबके रिकार्ड है, मान्यवर, जो भी अपराध के रिकार्ड सरकार के पास है, वह सार्वजनिक होने चाहिए, वह जनता के बीच में आना चाहिए कि कौन-कौन मंत्री कौन अपराध कर रहा है और केवल इतनी सजा कि इन्होंने यह अपराध किया है और उनको उस स्थान से हटा दिया गया। मान्यवर, यह अपराध से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

आप इस पर चर्चा मांगेंगे। जब उसमें अपनी पूरी बात कहियेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं केवल इतना ही बता रहा हूं जो मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने मंत्रियों की बैठक में कहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो सच्ची बात होती है, वह कड़ुवी होती है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, यहां पर पुलिस की शिकायत है, कोई अपराधी किसी मकान पर कब्जा करने जाता है तो मकान मालिक से कहा जाता है कि तुम कागज ले आओ, कब्जा करने वाले से नहीं कहा जाता है कि तुमने कब्जा क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, ऐसी स्थिति में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो जायेगा। आज जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, बहन-बेटियों का कोई संरक्षक नहीं होगा, मान्यवर, तो उस समय प्रदेश में अनारकी की स्थिति होगी, उस स्थिति को पैदा करने की

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मान्यवर, हमारी इस नियम-56 की सूचना को स्वीकार किया जाए और इस पर विस्तार से चर्चा कराई जाए और जो भी अपराधी उसमें लिप्त हैं जिसके लिये सरकार और सरकार के मुखिया ने इंगित किया है, वह सारी की सारी बातें सामने आनी चाहिए। मान्यवर, सरकार अपना इकबाल समाप्त कर चुकी है, सरकार की इच्छाशक्ति समाप्त हो चुकी है। सरकार अवसाद में है, इसलिये मान्यवर, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने के लिये इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि मान्यवर, नियम-56 में इस पर चर्चा करा लें।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मैंने सोचा था कि यह सरकार जो मैज्योरिटी से आयी है, यह पूरे प्रदेश को कन्ट्रोल करेगी और एक अच्छा माहौल प्रदेश का बनेगा। लेकिन मान्यवर, आप देखिये, जबसे यह सरकार आई है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, स्थिति भयावह होती जा रही है, आम व्यक्ति का जीना दुश्वार हो गया है जो क्रिमिनल्स है, वह बेखौफ प्रदेश पर हावी होते जा रहे हैं, लूट, बलात्कार की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, रोज बलात्कार के किस्से हो रहे हैं, स्टूडेन्ट सुरक्षित नहीं हैं। आप अखबार के पन्ने खोल कर देखिए, आप टेलीविजन देखिए, आप रेडियो सुनिये, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, जिस दिन प्रत्येक पेज का प्रत्येक कालम ऐसे मुद्दों से भरा हुआ न हो। मान्यवर, आज आम आदमी डरा हुआ है, खौफ से दबा हुआ है और आज स्थिति यह है कि पुलिस बेकाबू हो गयी है, पुलिस जो रक्षक होती है, वही भक्षक बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि पुलिस वाले ही क्राइम करा रहे हैं, उनको राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है और उस राजनैतिक संरक्षण के रहते हुए आम आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता है। मा0 अध्यक्ष जी, आज स्थिति यह है कि एक आम आदमी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा सकता है। उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाती है और क्राइम के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं कि हमारा क्राइम इतना नीचे आ गया है। स्थिति यह है कि हम लोगों ने सोचा था कि मा0 मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र श्री अखिलेश यादव जी बहुत सुयोग्य और सुव्यवस्थित व्यक्ति हैं उन्होंने कोशिश की थी परन्तु मैं समझता हूं कि क्राइम कंट्रोल करने की बात आज उनके बस में नहीं रह गयी है। कल ही सरकार की नाक के नीचे मीराबाई मार्ग पर शराब व्यापारी के कर्मचारी की हत्या की जाती है। 14 जून, 2014 को अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रानीबाजार में कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक श्री जंगबहादुर सिंह जी के बेटे श्री महेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ दद्दन की हत्या की जाती है। इसी तरह 24 मई, 2014 को जनपद अमेठी के थाना मुसाफिरखाना में सर्राफा व्यवसायी राजेश कुमार की हत्या की जाती है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर जी, जब आप मुख्य मंत्री जी के सामने बोलेंगे तो फिर इन बातों को फिर आप नहीं दोहरा पायेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आज स्थिति यह हो गई है कि फिरोजाबाद में अभी दो पुलिस वालों की हत्या की गयी। अभी 27 मई, 2014 को घटना सआदतगंज गांव में खेत में गयी दो नाबालिक किशोरियों के

साथ बलात्कार हुआ। उन दरिन्दों पर क्या कार्रवाई हुयी। बहुत दिनों तक मजाक बनता रहा। फिर फाइनल राउन्ड में जांच सी0बी0आई0 को दे दी गयी। मान्यवर, तमाम ऐसे बलात्कार के किस्से है। प्रदेश में तमाम खौफजदा महिलायें हैं जिनके लिये सड़कों पर चलना अब सम्भव नहीं रहा। छात्रायें स्कूलों में जाने में डरती हैं। आज आम आदमी रात को सुरक्षित सो नहीं पाता है कि कब डकैती पड़ जाये। आज हाई-वे डकैत बिल्कुल सक्रिय है। आप हाई-वे पर सड़कों पर चलिये, कब लुट जायें, कब पिट जायें पता नहीं। मान्यवर, आज हालत यह है कि मथुरा में जो रिफाइनरी है वहां पाइप लाइनों में बेखौफ छेद करके लोग तेल निकाल रहे हैं। ऐसी व्यवस्था कभी भी नहीं हुयी। मान्यवर, खनन माफियाओं ने पूरे प्रदेश में सिर उठा रखा है। इन सब मामलों में कुछ नहीं हो रहा। तो यह कहा जाएगा कि क्या सत्ता पक्ष ने इन सबको संरक्षण दे रखा है। मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा। अब सवा दो साल, ढाई साल होने को आ गये आखिर यह सरकार कब तक सोती रहेगी। कब जागेगी सरकार इन अहम मुद्दों को लेकर। सरकार तमाम नीतियां बनाने की, बड़ी-बड़ी बात करती है। किसी भी व्यवस्था पर कोई काबू नहीं है। मैं समझता हूं कि बार-बार ताश की गड्डियों की तरह अधिकारियों के स्थानान्तरण करने से काम चलने वाला नहीं है। आप रोज एस0एस0पी0 बदलते हैं। आपको बदलना है तो नीचे जो थानेदार है जो पुलिस प्रशासन की सबसे सशक्त व्यवस्था कहलाती है जिनको तमाम लोगों का संरक्षण प्राप्त है। उनकी व्यवस्था को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक प्रदेश की कानून-व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। एस0एस0पी0 को बदलने से काम नहीं चलने वाला है। आज स्थिति यह है कि आज थानेदारों, सिपाहियों को एस0एस0पी0, डी0आई0जी0, आई0जी0 का भी डर नहीं है। वह थानेदार और सिपाही हनक के साथ कहते हैं कि सत्ता और सरकार हम चला रहे हैं। एक दरोगा का स्थानान्तरण कराना मुश्किल है। एस0एस0पी0, डी0आई0जी0, आई0जी0 और डी0जी0पी0 को हटाना बहुत आसान है। आज सिपाही और दरोगा इस सरकार में इतने पावरफुल हो गये हैं कि वह डी0जी0पी0 को भी हटवा सकते हैं। वह एस0एस0पी0, डी0आई0जी0, आई0जी0 को भी हटवा सकते हैं। जब इतने लोअर स्तर पर उन पुलिस वालों के इकबाल इतने बुलन्द होंगे तो क्राइम कैसे कंट्रोल होगा। आज समाज में भय व्याप्त है। आज सामाजिक स्थितियां दुर्दशा के दौर से गुजर रही हैं। मान्यवर, बड़ा गम्भीर विषय है। इस विषय पर नियम-56 में चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पूर्व साथी नेता विरोधी दल, नेता भारतीय जनता पार्टी, मा0 प्रदीप माथुर जी बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। मैं इन बिन्दुओं से इस विषय से अलग हटकर मैं सरकार का संज्ञान आपके माध्यम से कराना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में इन सवा दो वर्षों में ऐसा माहौल रहा जैसे सरकार बिल्कुल निश्चिन्त है और जिसका जो मन था, उसने सवा दो वर्षों में वह काम किया। कतई भयमुक्त अपराधी रहे, भयमुक्त माफिया रहे, भयमुक्त खनन माफिया रहे, भयमुक्त बिल्डर्स रहे, यह जितने भी लोग थे उन्होंने भयमुक्त तरीके से समाज में काम किया। हमारे जनपद अलीगढ़ में इन सबसे अलग हटकर एक व्यवस्था है, हमारे यहां स्लाटर हाउस बिना कानून के चल रहे हैं, मवेशियों का कटान बिल्कुल खुले में हो रहा है, अपराधी डकैती और कत्ल करना और लूट करना हमारे यहां बन्द कर दिया है, केवल डकैती हो रही है तो मवेशियों की हो रही है, एक

मवेशी की कीमत, दुधारू पशु की 50 हजार रुपया बनती है। कटने के बाद उसी की कीमत एक लाख रुपया बनती है। बिल्कुल भयमुक्त होकर अपराधी मवेशियों की डकैती करने के लिये गोली चला रहे हैं, आदमियों की हत्या कर रहे हैं, किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह इतना अतिमहत्वपूर्ण विषय है कानून-व्यवस्था का, इस पर निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सवा दो साल इनके बिल्कुल व्यर्थ गये, यह भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, आपकी सरकार ने इच्छा शक्ति 15 दिन से व्यक्त की है, 15 दिन से जबसे आपकी सरकार ने इच्छा शक्ति व्यक्त की है, उस वक्त से कानून-व्यवस्था में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ है, अगर यह इच्छा शक्ति आपकी सवा दो वर्ष रही होती तो आपको आपकी सरकार को यह दिन देखने के लिये नहीं मिलते। मैं बहुत कुछ इसलिये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे साथी सुदेश शर्मा की बहुत इच्छा है इस विषय पर दो शब्द कहने के लिये, मैं अपना समय उनको देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, सुदेश शर्मा इस पर नहीं बालेंगे, उन्होंने तो गन्ना किसानों पर दिया है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 में इस सदन में नेता विपक्ष, नेता भाजपा, नेता कांग्रेस, हमारे दल के नेता श्री दलवीर सिंह जी ने बहुत कुछ कहा है, मान्यवर, आज स्थिति यह है प्रदेश में कोई सरकार सत्ता में नहीं है, ठेकेदार चला रहे हैं सरकार को, आप चाहे जिस स्तर पर देख लें, अगर आपके पास ठेकेदार हैं तो आपकी एफ0आई0आर0 भी होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी, अगर बीच में ठेकेदार नहीं हैं तो आपकी एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं हो सकती है। सीना काट कर यमुना का बालू का दोहन हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, जे0सी0बी0 चल रहे हैं ट्रैक्टर चल रहे हैं, हम फोन करते हैं, हम फोन करते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं भाई क्या हो रहा है, कहते हैं नहीं-नहीं जी, ऊपर से आदेश हैं। कौन सा आदेश ऊपर का, कहां से आदेश जा रहा है, बरबाद हुई पड़ी यमुना नदी। इतना ही नहीं मान्यवर, हमारे जनपद मथुरा में एक टोल-टैक्स है महुवन में, मेरे क्षेत्र में पड़ता है, अगर वहां का हमारा किसान, नागरिक अगर अपनी समस्या के लिये डी0एम0 के पास आता है, कचहरी आता है, अपने काम से आता है, डाक्टर के यहां दवाई लेने आता है, वकील प्रैक्टिस करने आता है, जनप्रतिनिधि योजनाओं के लिये कहने आता है तो उसकी गाड़ी खड़ी करवा लेते हैं लाइये पहले 200 रुपये। आने-जाने के लिये व्यक्ति 200 रुपये रोज कहां से दें। जबकि बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ठेकेदार अवैध वसूली स्थानीय लोगों से नहीं करेगा, लेकिन यह खुलेआम चल रहा है। अभी दो महीने पहले की बात है मान्यवर, मेरे ऊपर भी था, हम वहां से आ रहे थे, गाड़ी के ऊपर विधान सभा का कार्ड लगा हुआ है, विधायक लिखा हुआ है, गाड़ी में विधायक बैठा हुआ है, नहीं जी पैसे लाइयेगा। अरे भाई काहे के पैसे। इतनी बात होती है, उससे पहले गुण्डे आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह टोल टैक्स तो केन्द्र का विषय है।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं लॉ एण्ड आर्डर के बारे में बता रहा हूं मान्यवर, मैं ठेकेदार की बात कर रहा हूं, सी0ओ0 आता है, एस0ओ0 आता है, मेरे ऊपर ठेकेदारों द्वारा हमला किया गया, जिसमें

मैंने एफ0आई0आर0 कराई, लेकिन मेरी एफ0आई0आर0 पर ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई न होकर सी0ओ0 रिफाइनरी द्वारा ठेकेदारों को आश्रय देकर उल्टा हमारे खिलाफ यानी इस सदन के मेम्बर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, आज दो महीने हो गये, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इतना ही नहीं पुलिस की देख-रेख में खुलेआम बालू खनन, मिट्टी खनन ठेकेदारों की सह पर चल रहा है, लॉ एण्ड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है पूरे प्रदेश में सरकार को ठेकेदार चला रहे हैं, फर्जी प्रमाण-पत्रों पर फर्जी कागज तैयार करके। पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई के विरुद्ध मैं नियम-56 के तहत इस पर चर्चा कराना चाहता हूं और इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप इस पर कुछ बोलेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, इनसे कह दीजिये, दोहरायेंगे नहीं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो आपकी आज्ञा होगी और जो डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी का सुझाव होगा, मेरे लिये तो दोनों बहुत मूल्यवान हैं। इनके बगैर तो हमारा चलता नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, अभी नियम-56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन के माध्यम से मा0 नेता प्रतिपक्ष, अन्य दलों के नेतागण और सम्मानित सदस्यों ने जो सूचना दी है और इस सूचना के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है और कुछ घटनाओं का उल्लेख भी किया है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था कोई इस तरह का शब्द नहीं है कि उसका एक सीमित सन्दर्भ में उल्लेख किया जाये और सीमित सन्दर्भ में उसका उल्लेख करके उससे सम्बन्धित कोई बात कह दी जाये और उतने से ही कानून-व्यवस्था ठीक है या कानून-व्यवस्था खराब है इसका आंकलन कर लिया जाये। सरकार का यह मानना है कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर ही कि कानून-व्यवस्था ठीक या कानून-व्यवस्था खराब है, का आंकलन नहीं होना चाहिये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि संवेदनशील सरकारें सिर्फ आंकड़ों के आधार पर कि कानून-व्यवस्था अच्छी है या कानून-व्यवस्था खराब है, इसका आंकलन अगर किया जाता है तो इसको सही नहीं मानती। यद्यपि इसका उल्लेख किया जाता है। प्रतिपक्ष भी करता है सरकार भी करती है। कई बार तुलनात्मक दृष्टि से हमको ये बातें रखनी पड़ती हैं सदन में कि किस दौर में क्या स्थितियां रहीं लेकिन श्रीमन्, परिस्थितियों से अलग जो बातें मा0 सदस्यगण ने आज रखी हैं तो मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह सिर्फ संवेदनशील ही नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गम्भीरता से महसूस करती है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं सारे निर्देश दिये हैं और सख्ती से उन निर्देशों का पालन हो और इसकी समीक्षा मा0 मुख्य मंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। अन्य मंत्रियों को जो निर्देश हैं और उन्होंने जो अपना कार्यकलाप रखा है, उसमें उन्होंने स्वयं इस बात को सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और इसकी समीक्षा तक स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं और मुझे आज इस सदन में अच्छा लगा कि विपक्ष के सम्मानित सदस्य ने एक दल के नेता ने यह स्वीकार किया कि इसके परिणाम भी सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों से कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है। मैं इस सच्ची सूचना के लिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और यह सदन

इसीलिये है मान्यवर कि हम समस्याओं पर गम्भीरता से चर्चा करें और सरकार जो समस्यायें विपक्ष द्वारा उठायी जाती हैं उनके निराकरण के लिये गम्भीरता से प्रयास करें। श्रीमन्, बलात्कार की घटनाओं की चर्चा हुयी। मैं विनम्रतापूर्वक इस सदन में कहना चाहता हूं कि यह इतना संवेदनशील विषय है और इसको हम सबको उतनी गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। मा0 सदस्यगण ने भी कहा है, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि यह सरकार के लिये ही नहीं, समाज के लिये भी चिन्ता का विषय है और सचमुच यह सरकार के लिये नहीं, सम्पूर्ण समाज के लिये चिन्ता का विषय है। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष दिसम्बर में, दिसम्बर, 2013 में नहीं, दिसम्बर, 2012 में एक घटना दिल्ली में हुई बलात्कार की। निर्भया की जो घटना हुयी तो ऐसा लगा, उस घटना के बाद जो देश में स्थितियां बनीं और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को भी उसमें स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। ऐसी स्थितियां बनीं कि अब बलात्कार के बारे में सारा देश जागृत हो गया है। दिल्ली का पूरा ट्रैफिक हफ्तों बन्द हो गया, सारी चीजें ठप हो गयीं, मेट्रो बन्द हो गयी। मान्यवर, ऐसा लगा कि देश जाग गया इस घटना के बाद और इन बलात्कार की घटनाओं पर पूरा समाज एक जुट हो करके अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करेगा। सरकारें भी तद्नुसार कदम उठायेंगी और गम्भीर से गम्भीर कार्यवाही होगी।

मान्यवर, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चला करके उनको फांसी की सजा दी गयी। उसके अपराधी ने स्वयं ग्लानिबोध से जेल में फांसी लगा ली जो मुख्य अभियुक्त था। उसके बाद भी श्रीमन् दुखद विषय यह है कि इतनी बड़ी घटना और इतने बड़े जागृति के प्रयास के बाद भी देश में बलात्कार की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा फिर मैं कहूंगा। मैं उल्लेख नहीं करूंगा कि किस राज्य में कितना है। मध्य प्रदेश में क्या होगा कि राजस्थान में हो गया कि दिल्ली में हो गया लेकिन स्थितियां यह है कि सामूहिक बलात्कार होते हैं दूसरे प्रदेशों में मान्यवर, उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है और एक महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली में संसद के सामने जहां धरना दिये जाने की स्थिति है, लगातार धरना हो रहा है, एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं हो रही है। हमारी सरकार ने इसको इतनी गम्भीरता से लिया कि बलात्कार की घटनाओं के बारे में, मान्यवर, बदायूं की घटना का जिक्र सबसे ज्यादा जोर से हुआ। मैं ये बात कहूं, इसके पहले एक और बात कहना चाहता हूं। मैं देश के प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी को उद्धरित करना चाहता हूं उन्होंने भी मेम्बर आफ पार्लियामेंट से यह कहा कि महिलाओं पर होने वाली हिंसा और खास तौर से बलात्कार के मामले में बहुत संवेदनशील रहे और इस पर समीक्षात्मक ढंग से बात न करें। मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने यह कहा और उस पर एक्सपर्ट ओपीनियन नहीं कहीं कि अगर किसी के साथ बलात्कार हुआ तो कई लोग विशेषज्ञ राय देने लगते हैं कि साहब ये तो ऐसा हो सकता है ये डेढ़ इंच है, ये सवा इंच है, ये फलॉ हो गया, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया तो मा0 अध्यक्ष जी इसलिये इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि सचमुच यह विषय इतना संवेदनशील है कि हम सब लोगों को इसलिये नहीं कि विपक्ष अगर कोई आरोप लगाता है सरकार पर तो यह कोई बड़ी गम्भीर बात हो गई। आप अपनी बात कह सकते हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी बातें आती हैं, सरकार उनका प्रबन्ध भी करें और उसके सम्बन्ध में आपकी शंकाओं का निराकरण भी करे और यह सुनिश्चित करें कि अपराध की बढ़ती हुई स्थिति है या कोई अपराध होता है तो उसमें अपराधियों को दण्डित करने का काम करे। मान्यवर, तमाम लोगों ने कई बातें कहीं और

उसमें महाना जी ने भी एक बात कही कि साहब इसीलिये परिवार के लोग गये, बाकी लोग नहीं आये, सरकार अवसाद में है। सरकार अवसाद में नहीं है। कुछ लोग जीत के उन्माद में है और ये उन्माद अच्छा नहीं होता है। जीत का उन्माद अच्छा नहीं होता है, उल्लास ठीक है, उत्साह में रहना ठीक है, लेकिन उन्माद में आना ठीक नहीं है। आपकी बात मैंने सुनी अब आप सुनिये। ये उन्माद ठीक नहीं है और यह उन्माद कई तरीके के प्रभाव पैदा कर रहा है। उन्माद कई तरीके के प्रभाव पैदा कर रहा है। यह उन्माद का ही नतीजा है कि आप उन चीजों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं उनमें जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमें हैं, उनको प्राथमिकता से सुना जाए। ए0डी0आर0 की रिपोर्ट आती है कि संसद में जो बैठे हुए लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भारतीय जनता पार्टी में है, उसके आंकड़े भी हैं। मैं कोई गलत बात कह रहा हूं, मैं बैठ जाता हूं, आप उनको सुन लें मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग अक्सर सुनते रहे हैं कि हमें दूसरे सदन के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए मा0 मंत्री जी इतने वरिष्ठ आदमी हैं। मा0 प्रधानमंत्री तक तो...

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं, नहीं मैंने तो अपनी तारीफ की कोई आलोचना नहीं की।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

लेकिन यह संसद के अपराधियों की चर्चा इस सदन में करें मुझे लगता है कि यह सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं मा0 अध्यक्ष जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे नियमों का भी पता है और मा0 अग्रवाल साहब ने हमें इशारा किया इसके लिये उनका धन्यवाद। मैंने किसी पर टिप्पणी नहीं की। प्रधान मंत्री जी की संवेदनशील के लिये मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने सबको रोका है जो लोग टैक्निकल एक्सपर्ट बन रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री जी ने रोका है, मैं यह कह रहा हूं। टेक्निकल एक्सपर्ट आपको रोका है प्रधानमंत्री जी ने मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

किसने रोका है आप जानते हैं और कौन विश्लेषण कर रहा है आपको पता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं बता रहा हूं। मैं जानता हूं, इसीलिये मैंने कहा ये जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं मान्यवर, बलात्कार पर टिप्प्णी के उनको रोका है प्रधानमंत्री जी ने ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, इसलिये यह जो आक्षेप, आरोप आये हैं बदायूं की घटना का केवल उल्लेख कर रहा हूं। मान्यवर, जितनी त्वरित और जितनी सख्त कार्यवाही सरकार ने की है मैं दावे के साथ इस बात को दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें जितनी सम्पूर्ण कार्यवाही और जितनी त्वरितगति के साथ कार्यवाही की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण देश में नहीं मिल सकता और इतनी कार्यवाही करने के बाद भी तत्काल मुल्जिमान की गिरफ्तारी, फोरेन्सिक तरीके से उसकी जांच का सारा प्रबन्ध और

डी0जी0पी0 तक और सारे उच्चाधिकारियों तक मान्यवर, जो भी सम्भव है का मुआइना इन सारी बातों को करने के बाद पीड़ित परिवार की मदद और इन सबसे आगे बढ़कर भी इसके बाद भी अगर उनकी मांग हुई सी0बी0आई0 की तो सी0बी0आई0 की जांच हुई। सी0बी0आई0 की जांच के बारे में कहना चाहता हूं हमारे इसी सदन के बैठे साथियों ने कार्य-स्थगन में बोलते हुए हमारे साथियों ने जो कहा है, मान्यवर, उनको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि सी0बी0आई0 की कितनी आलोचना, सी0बी0आई0 की कितनी अविश्वसनीयता और सी0बी0आई0 के कितने पक्षपात की बातें सदन की कार्यवाहियों में आपने कही हैं, मैं उद्धिरत नहीं करना चाहूंगा बार-बार ये बातें आई हैं लेकिन हर बार सी0बी0आई0 के कह देने से यह बातें पूरी होने वाली नहीं हैं। सवाल कानून-व्यवस्था का है तो इस कानून-व्यवस्था को ठीक रहना चाहिए प्रदेश में ताकि कोई सामान्य नागरिक, कोई महिला, कोई लड़की शान से सड़कों पर चल सके उसको जीवन का भय नहीं हो। उनको सम्मान का भय नहीं हो। सम्मान और भय न हो, सम्पत्ति का भय न हो, निर्भय होकर रह सकें और अपराधी भयाक्रांत हों। इस दिशा में सरकार ने प्रयास किये हैं और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मान्यवर, इसमें अब सिपाहियों को जिलों के नजदीक बार्डर के नजदीक तैनाती न करने का एक निर्णय है। यह सही है कि कुछ मामलों में सिपाहियों का इन्वाल्वमेंट पाया गया है क्योंकि वह उसी जिले के थे और वही पर पोस्टेड थे, इसीलिये यह निर्णय लेने का काम सरकार ने किया है। इन सिपाहियों को अब बार्डर डिस्ट्रिक्ट, उस जिले से दूर भेजा जायेगा। मान्यवर, जो भी घटनायें हुई हैं उसमें जिम्मेवारी फिक्स हुई है और यह भी कहा गया है सरकार की ओर से कि जिलाधिकारी और एस0पी0 को जिम्मेवार ठहराया जायेगा यदि किसी घटना पर तात्कालिक तौर पर अनदेखी हो जाती है यदि कोई कमीपेशी होती है। मान्यवर, कानून-व्यवस्था के प्रश्न पर सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और सरकार द्वारा उठाये गये कड़े कदमों के फलस्वरूप इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं। कानून-व्यवस्था पर सरकार अति गम्भीर है। अपराध बिल्कुल शून्य तो नहीं हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम हों इस पर सरकार कदम उठा रही है। क्योंकि मानव का जबसे इतिहास से तभी से अपराध होने की बातें हैं। इसलिये अपराध न्यूनतम हों इस पर सरकार बहुत गम्भीर है। मान्यवर, जो नियम-56 की अनिवार्य मानक हैं कि सूचना सुनिश्चित घटना पर आधारित हो, अविलम्बनीय हो, तात्कालिक हो, वह उन मानकों को पूरा नहीं करती है इसलिये जिन माननीय सदस्यों ने इस पर नोटिस दी है उसके सम्बन्ध में यही कहना चाहूंगा कि यह मानकों को पूरा नहीं करती हैं इसलिये इसको अस्वीकार करने का कष्ट करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इतनी महत्वपूर्ण सूचना को इतनी मजाक में उड़ा दिया है। मान्यवर, इसीलिये चाह रहा हूं कि इसको आप चर्चा के लिये स्वीकार कर लें। मान्यवर, चूंकि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना है इसमें चर्चा होने पर ही सही और सभी तथ्य सदन के सामने आ सकेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चर्चा के अभाव में पुलिस प्रशासन में निचले स्तर पर अधिकारियों के द्वारा जो लीपापोती है वह सरकार के संज्ञान में नहीं आयेगी और प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पायेगी। मान्यवर, आपने कहा कि सी0बी0आई0 जांच स्वीकार कर ली गयी है। आपके डी0जी0पी0 इस पर एक अलग बयान दे रहे हैं वह केवल एक नहीं एक साथ बलात्कार की घटना की बात कह रहे हैं। मान्यवर, यह तय करने का काम तो डाक्टरों का और अदालतों का है जो तय करें

कि बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है। सी0बी0आई0 जांच में भी यह बात सामने आयेगी। मान्यवर, अगर डी0जी0पी0 ने लीक से हटकर बयान दिया है तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है और उनको उस पद से क्यों नहीं हटाया गया है। मान्यवर, डी0जी0पी0 ने सरकार की भाषा बोली है और अपराधियों को बचाने का दुस्साहस किया है उनको पद से हटाया जाना चाहिए। मान्यवर, जब आप इसको चर्चा के लिये स्वीकार करेंगे तभी सही तथ्य सामने आयेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से यहां पर कही गयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो बोल चुके हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बोल तो यह भी चुके थे।

श्री अध्यक्ष-

वह नेता प्रतिपक्ष हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अपराध और अपराधियों के ऊपर किसी भी प्रकार का सरकार का अंकुश नहीं है। जो भी बात मैंने विस्तार से कही थी जैसे हमने नोएडा काण्ड की बात करी थी इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्माद की बात इन्होंने कही है उन्माद कितने दिनों में खत्म हो जाता है यह तो आपको पता चल चुका है पिछले दो सालों में कि उन्माद खत्म हो गया। उन्माद मान्यवर, खत्म नहीं हो सकता उत्साह जरूर है और इस उत्साह को मान्यवर, हम आपके द्वारा किये गये जो अपराधीकरण है उस पर अंकुश लगाकर ही मानेंगे। मान्यवर, चूंकि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की इच्छाशक्ति नहीं है सरकार की धमक नहीं है, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है यह अपराध रोकने की स्थिति में नहीं हैं। इनका कोई भी ऐसा उत्तर नहीं आया है जिससे हम समझ सकें कि सरकार अपराध को रोकेगी इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री सतीश महाना अपने भाजपा दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

आप बहिष्कार कर रहे हैं तो वैसे ही चले जाते इतना बोलकर जाने की क्या जरूतर थी।

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, चाहे माननीय सदस्य कहें, चाहे माननीय नेता विरोधी दल कहें, माननीय नेता विरोधी दल का पद संवैधानिक है और यही कष्ट है कि एक नेता दूसरे नेता एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते-लगाते इस स्थिति पर पहुंच गयी विधान सभा और लोक सभा कि नेता गलत, सरकार गलत और दूसरी सब सही। जब यह कानून बना 10-15 प्रतिशत अवांछित लोग जो समाज में थे उसके लिये यह कानून बना उनके लिये, उनके लिये पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है। आज समाज में 90 प्रतिशत अराजकता की स्थिति है। चाहे वह किन्हीं कारण से हो मैं उस कारण में नहीं जाना चाहता, पहले 10 प्रतिशत समाज के लिये यह सब बना था समाज व्यवस्थित था, समाज ठीक से

चलता था, समाज एक दूसरे को भला बुरा देखता था, समाज कुछ निर्णय लेता था उस जमाने में भी कानून की रक्षा के लिये यह कानून बने पुलिस प्रशासन रखा गया। 90 प्रतिशत जनता इस समय अराजकता की स्थिति में है। यह कह देना कि सरकार की कमी है तो सरकार पूरी मुस्तैदी से उस पर अंकुश लगा रही है। डी0जी0पी0 ने बयान दिया हम भी बयान देते हैं अखबार के लोग बयान देते हैं। डी0जी0पी0 एक बड़ा अधिकारी है उसके मन में आया उसने डाक्टर से पूछा होगा वही उसने बयान दिया अगर किसी के बयान पर हम विधान सभा में चर्चा करें कि क्यों उसने बयान दिया यह तथ्यपरक नहीं है माननीय अध्यक्ष जी अगर विपक्ष चाहता है तो नियम में यह कार्य-स्थगन मंजूर करने लायक आपकी पीठ से नहीं है। मेरी यह सलाह है आपसे कि यह नियम-56 में नहीं आ रहा है लेकिन विपक्ष इसी पर ईमानदारी से चर्चा करना चाहता है तो इसको किसी दूसरे नियम में ले आये दो घण्टा, ढाई घण्टा इस सदन में चर्चा हो और आये कि आखिर में विपक्ष में कमी है, सरकार में कमी है, अधिकारी में कमी है, समाज में कमी है क्योंकि बहुत छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई है तो इसमें समाज पर भी अंकुश लगाने की कार्यवाही सारे सदन को सोच विचार करके कदम उठाना पड़ेगा। आज कोई समाज सुधारक नहीं हो रहा है सभी एम0एल0ए0, एम0पी0, मंत्री, मुख्य मंत्री, प्रधानमंत्री, केन्द्र में मंत्री किसकी सत्ता आये किसकी सत्ता जाये इसी में सारी पार्टियां उलझी हुई हैं। देश किधर जा रहा है समाज किधर जा रहा है इसकी कभी विधान सभा में चर्चा नहीं होती है अगर विपक्ष करने को तैयार है तो हमारी सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल चुस्त है। कन्ट्रोल की हुई है कोई सरकार इतना कन्ट्रोल नहीं कर सकती। हम विपक्ष में थे तो हम भी वही बात कहते थे यह विपक्ष में है तो वही बात कहते हैं। यही कहते कहते समाज इस स्थिति में पहुंच गया है इसलिये आवश्यकता है कानून-व्यवस्था को देखने के साथ-साथ हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज में जो अव्यवस्थायें फैल रही हैं, समाज में जो लोग कानून-व्यवस्था को तोड़कर सड़क पर आना चाहते हैं ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिये पूरे विधान सभा के सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि सरकार मुस्तैद है कानून-व्यवस्था दुरुस्त है और यह नियम-56 में स्वीकार करने के योग्य नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बल दे दिया यह कह करके कि इस प्रकार की घटनाओं से 90 प्रतिशत जनता चिन्तित है। यानि यह चर्चा के योग्य है इसलिये मैं इस पर चर्चा स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि पहले मैंने निवेदन कर दिया कि कोई बात है भी नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कह दी है मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि सी0बी0आई0 को इन्वेस्टीगेशन दिये जाने के पूर्व जो इन्वेस्टीगेशन लोकल पुलिस का है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल है और यह डी0जी0पी0 के मन में आने का बयान नहीं है यह बयान है उनके पार्ट आफ इन्वेस्टीगेशन में जो सूचनायें और जानकारी उनके पास आई है वह उन्होंने किसी अवसर पर कहा, डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर है तो मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं अब यह पूरा इन्वेस्टीगेशन सी0बी0आई0 के पास है तो डी0जी0पी0 ने क्या कहा उसके आधार पर इन्वेस्टीगेशन नहीं है यह जो तथ्य है फोरेंसिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो गवाहों के बयानात हैं, जो मौका-मुआयने की

रिपोर्ट है उस आधार पर इसका इन्वेस्टीगेशन आगे प्रोसीड हो रहा है और इसी आधार पर इसमें आगे मान्यवर अदालत में मुकदमा चलेगा, सजा होगी। डी0जी0पी0 साहब ने जो इन्वेस्टीगेशन में तथ्य आया है उसी का उल्लेख किया है। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता इसलिये इसको अस्वीकार करने, अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल प्रकरण को मोड़ दिया। यह कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित प्रदेश की तमाम समस्याओं को लेकर के विषयवस्तु रखा गया था आपने घटना विशेष की जिसकी सी0बी0आई0 जांच हुई है हम उसके विषय में विशेष कुछ कह भी नहीं रहे हैं। वह तो उदाहरण के रूप में आया है। इसलिये मान्यवर, चूंकि प्रदेश की समस्याओं से सम्बन्धित और विशेष रूप से बढ़ते हुए अपराध और कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित यह चिन्ता है। इसलिये मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा और चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा कराने का अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलीय नेताओं को सुना, माननीय मंत्री जी को भी सुना, चूंकि 4 दिन जनरल डिबेट होना है, जनरल चर्चा होनी है, इसमें सारी बातें आप विस्तार से रखेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर अलग से चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं है। उसमें आपकी सारी बातें आ जायेंगी, इसलिये मैंने आप सबको सुना, माननीय मंत्री जी को सुना और इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार चर्चा से मुकर रही है और अपराधियों को संरक्षण देने का पाप कर रही है, कानून-व्यवस्था को ध्वस्त करने में सरकार की भी भूमिका है, इसलिये मान्यवर, प्रदेश की जनता को हम [x x x] माफिया, अपराधियों के हाथ में नहीं सौंपना चाहते और सरकार के इस रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(नेता विरोधी दल अपनी पार्टी के सदस्यों सहित सदन से चले गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वीर पाल राठी जी।

श्री वीर पाल राठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि इन्होंने कहा कि प्रदेश कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है, इसकी किसी को कोई चिन्ता नहीं है। यहां मैं देख रहा हूं कि सदन एक बुखार के मामले को लेकर घण्टों चल जाता है। लेकिन गन्ना पेमेन्ट जो 8 हजार करोड़ प्रदेश की जनता का चीनी मिलें दबायें बैठी हैं, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। बसपा पार्टी ने चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी कई बार बहिर्गमन कर गयी लेकिन गन्ने पर सवाल नहीं उठाया। इसकी चिन्ता है तो सिर्फ लोकदल को है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे हैं, यहां पर बसपा के लोग भी बैठे हैं, तमाम विपक्ष के नेता बैठे हैं।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह कहना उचित नहीं है, हमने इस गन्ने के विषय पर पहले भी सूचना दी थी और आज भी दी है।

श्री वीर पाल राठी-

मैं निवेदन यह करूंगा कि मेरी इस बात का आप लोग समर्थन करें कि जिस प्रदेश के किसानों ने बड़ी मेहनत करके गन्ना पैदा किया और उस गन्ने का पेमेन्ट नहीं मिल रहा है। कितने अफसोस और ताज्जुब की बात है कि 2012-2013 का भी अभी बकाया है। 2012-13 के आंकड़े आये हैं कि 24 हजार करोड़ बाकी है। यह अखबारों के आंकड़े हैं, मैं इसे नहीं मानता। मान्यवर, आप आंकड़े मंगा लीजिये, अकेले मन्नतपुर चीनी मिल में 2012-13 के गन्ना पेमेन्ट का जो ब्याज है, वह अकेले 24 करोड़ एक गन्ना मिल पर है। मेरा निवेदन है कि आज गन्ना पेमेन्ट न होने के कारण प्रदेश के किसानों की स्थिति ऐसी हो गयी है और किसानों में इतना रोष है जो छात्र आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बी0सी0ए0, एम0बी0ए0, बी0 टेक0, एल0एल0बी0 इन छात्रों की फीस का प्रबन्ध नहीं हो पा रहा है। किसान अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ हो रहा है। मैं इस सदन से तमाम दलों से भी निवेदन करूंगा कि यह तमाम लोग गन्ना पेमेन्ट पर जोर दें और जो 17 चीनी मिलों की आर0सी0 जारी हुयी है, इनको गिरफ्तार कराने में सहयोग करें। यहां पर चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री रहे, उनकी आवाज ही कानून था। आज भी यहां मुख्य मंत्री बने बैठे हैं, इनकी आवाज कानून नहीं है। मैं इस बात की सदन से मांग करना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह की आवाज कानून है तो इनकी आवाज कानून क्यों नहीं है। क्यों गन्ने का पेमेन्ट नहीं हो रहा है। मान्यवर, आज किसान की आर0सी0 काटी जा रही है, बिजली की देय है और चीजों की देय है, उनको तो जेलों में ठूंसा जा रहा है और मिल मालिक मस्ती काट रहे हैं।

(इस समय 1 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

मिल मालिकों के ऊपर कोई जोर नहीं, कोई कानून नहीं, एक साधारण किसान के लिये कानून है लेकिन मिल मालिकों के लिये कोई कानून नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक किसानों के गन्ने का पेमेन्ट न हो तब तक किसानों को जारी आर0सी0 बन्द होनी चाहिये, किसानों को जो जेलों में ठूंसा जा रहा है उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए और जो किसानों के बच्चे छात्र हैं उनको जीरो फीस पर एडमिशन मिलना चाहिए।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा) (बैठे हुए)-

किसान कहां पकड़े जा रहा हैं।

श्री वीरपाल राठी-

किसान तो बहुत पकड़े जा रहे हैं आपको जानकारी नहीं है क्योंकि आप मंत्री हैं ना, जब सड़कों पर आओगे तो पता चलेगा कि किसान कहां पकड़े जा रहे हैं। आपको पता नहीं है मैं रोज किसानों को छुड़ा रहा हूं। मान्यवर, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि पिछली दफा इस सदन के अन्दर हमने धरना दिया था और सदन ने आश्वासन दिया था कि मिल चलने से पहले।

(मा0 मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राणा द्वारा बैठे-बैठे बोलने पर)

श्री वीरपाल राठी-

सदन में नंगे भी हुए थे, मजबूरी थी और यदि आप पेमेन्ट नहीं करोगे तो नंगा फिर होना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें और गन्ने का भुगतान सुनिश्चित कराये अन्यथा हम चार-पांच दिन के बाद जो बजट सत्र है, यहां पर धरना देंगे और [x x x] जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सुदेश शर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने गन्ने के बकाया भुगतान पर किसानों के लिये नियम-56 के अन्तर्गत मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपने साथी मा0 विधायक श्री वीरपाल राठी से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जहां पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों को आठ हजार करोड़ रुपया मिल मालिकों के ऊपर बकाया है और जहां हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट के द्वारा भुगतान कराने का आदेश दिया जा चुका है कि सरकार भुगतान को सुनिश्चित कराये लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो सरकार अपने को किसानों की हितैषी कहती है वह आज तक मिल मालिकों से भुगतान नहीं करा पा रही है। अभी हमारे मंत्री साथी ने हमारे साथी को बीच में टोक कर कहा कि कौन से किसान प्रदेश के अन्दर बन्द हो रहे हैं। मैं मा0 महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सत्ता के चश्में को उतारकर आप देखें कि रोज तहसीलों के अन्दर चाहे बिजली की रिकवरी हो, चाहे बैंक की रिकवरी हो, चाहे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये गये लोन की रिकवरी हो उसके लिये रोज न जाने कितने अनगिनत किसान तहसीलों में बन्द करके जेलों में भेजे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कौन से किसान बन्द हो रहे हैं। बन्द हो रहे हैं किसान वहां पर मैं बड़ी ईमानदारी और दावे के साथ इस बात को सदन के अन्दर कहना चाहता हूं और हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है तो फिर ऐसी क्या वजह है कि इस सदन ने माना, मा0 मुख्य मंत्री जी भी इस ओर चिन्तित हैं उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त की थी, सदन के अन्दर कई बार यह बयान दिया जा चुका है कि किसानों का भुगतान शीघ्र ही कराया जायेगा। उनकी बहन बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही हैं, जो अगली फसल बोनी है वह बुवाई लेट हो रही है उनको बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करा पा रही है। मैं इस सदन के माध्यम से मा0 अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब तक किसानों का भुगतान कराना यह सरकार सुनिश्चित न कर ले तब तक के लिये किसानों की तमाम आर0सी0 जो भी काटी गई है उनको सरकार स्थगित करने का काम करे। तब तक किसानों के खिलाफ उन आर0सी0 के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक कि उनके गन्ने का भुगतान सुनिश्चित न कर लिया जाए। मान्यवर, आज यदि आप बाजार से कुछ भी खरीदने के लिये जाते हैं तो यदि आप पांच रुपये की चीज भी खरीदेते हैं तो पहले वह ठेली वाला भी आपसे पहले पैसा प्राप्त कर लेता है और बाद में सामान देता है। मान्यवर, जहां इस देश और प्रदेश की खुशहाली का रास्ता गांवों के किसानों से होकर जाता हो। उसी प्रदेश के किसान की यह दुर्दशा कि उसने अपने लाखों रुपये का माल मिल मालिकों के ऊपर डाल दिया और आज उसका भुगतान नहीं हो रहा है। वह लोग कहते हैं कि हमको घाटा हो रहा है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक हमारे यहां मोदी शुगर मिल है मैं कहना चाहता हूं कि उसी मोदी शुगर मिल से, मोदी नगर के अन्दर सबसे पहले मोदी शुगर मिल की स्थापना हुई। उसी मोदी शुगर मिल से आज उन मोदियों ने विदेशों में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली और यदि उनको एक-आध साल घाटा भी होता है तो क्यों नहीं दूसरी इण्डिस्ट्रयों से उनको रिकवर करके पैसा दिलाया जाता है। मान्यवर, जब तक इन इण्डस्ट्री वालों के खिलाफ जो उनकी और भी फैक्ट्रियां हैं उस आर0सी0 में उनकी अन्य प्रापर्टियों को भी अटैच नहीं किया जायेगा तब तक उनके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना चाहिए और मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही को रोककर अविलम्ब जनहित में इस पर चर्चा कराया जाना आवश्यक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं और एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा अपने सीनियर साथियों से आपके माध्यम से कि देखने में आता है कि हमारे चंद नेता हैं, विद्वान साथी हैं हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लेकिन सदन का सारा समय केवल उन्हीं के इर्द-गिर्द घूम करके रह जाता है और जो नये नौजवान आये हैं कम से कम उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। इसकी पुनरावृत्ति बार-बार नहीं की जानी चाहिए। मैं उसकी भी आपसे मांग करता हूं।

इसके साथ ही अपने स्थगन प्रस्ताव पर मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर सदन में चर्चा करायी जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक बहुत गम्भीर विषय पर और प्रदेश के किसानों से जुड़े विषय पर यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अपनी नोटिस के माध्यम से मा0 राठी जी और सुदेश शर्मा जी ने रखा है। इसमें इस बात की चिन्ता व्यक्त की गयी है कि किसान के गन्ना मूल्य का बकाया है तो उसको ले करके उनकी स्थिति जो है, उनके सम्मुख जो कठिनाइयां हैं उनका उल्लेख अपने कार्य-स्थगन के माध्यम से किया है। दो-तीन बातों की मांग आपने की है। आपने कहा है कि एफ0आई0आर0 क्यों नहीं की जाती ? मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें सिर्फ एक कदम नहीं उठाया, सरकार ने कदम यह उठाया कि जो वर्ष 2012-13 की गन्ना मूल्य बकाया आप बता रहे हैं मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कुल मिला करके 44 करोड़ रुपये वर्ष 2012-2013 का बकाया है बाकी 99.98 प्रतिशत जो बनता है उतना दे दिया गया और उसके भुगतान की भी व्यवस्था की गयी है। अभी अपना बजट भाषण रखते समय मा0 मुख्य मंत्री जी ने उल्लेख किया था कि उन्होंने 400 करोड़ रुपया इस मद में रखा है कि अगर सहकारी चीनी मिलों का किसी भी वर्ष का अगर कोई भी गन्ना मूल्य का बकाया है तो उसके भुगतान के लिये सरकार अपने बजट से उसका बन्दोबस्त कर रही है। मिलें सिर्फ अदा करें, ऐसा नहीं है, उसके अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था भी की है। मैं समझता था कि मा0 सदस्य इसकी सराहना करेंगे क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है। बजटीय व्यवस्था से गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान की व्यवस्था पहली बार इस सदन में हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है, यह ऐतिहासिक कदम है। 17 चीनी मिलें जो निजी चीनी मिलें हैं। उनके खिलाफ आर0सी0 जारी की गयी है राठी जी ने उसका उल्लेख भी किया है और जिस-जिस डेट को आर0सी0 जारी की गयी है और जितने एमाउण्ट की जारी की गयी है यह दोहरा करके मैं वक्त जाया नहीं करूंगा क्योंकि नोटिस देने वाले मा0 सदस्य ने स्वयं इसको बताया है कि 17 मिलों के खिलाफ आर0सी0 जारी की

गयी। आपका कहना है कि एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज हुई ? मैं आपसे उल्लेख करना चाहता हूं और सुदेश जी पहले मोदी नगर से ही शुरू करता हूं मोदीनगर चीनी मिल के खिलाफ थाना मोदीनगर में भा0द0वि0 की धारा-420, 120बी के अन्तर्गत पेराई सत्र, 2012-2013 का गन्ना मूल्य भुगतान न करने के सम्बन्ध में अनिल गुप्ता अधिशासी, एम0पी0 बंसल मुख्य अधिशासी एवं सुनील गुप्ता निदेशक के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है। मलकपुर चीनी मिल जनपद बागपत में मलकपुर चीनी मिल के खिलाफ बड़ौत थाने में आई0पी0सी0 की धारा-420/465/467/468/120बी गन्ना अधिनियम, 1953 की धारा-22 बी के अन्तर्गत उनके एक्जीक्यूटिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इस तरह से मैं अगर विस्तार से हर चीनी मिल के खिलाफ की गई कार्यवाही को रखूंगा तो समय लगेगा मैं यह जरूर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जितनी माननीय सदस्यों की चिन्ता है उससे अधिक सरकार चिन्तित है। सिर्फ आर0सी0 जारी करके वसूली की ही कार्यवाही नहीं की गई बल्कि एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई। जहां तक किसानों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की बात है। मैं सदन में इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसानों के खिलाफ बकाये के सम्बन्ध में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही किये जाने पर सरकार ने स्पष्ट रोक लगा रखी है। अगर आज नहीं एक दो दिन बाद भी किसी सुनिश्चित घटना की तारीख सहित आप जानकारी देंगे तो मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसके लिये दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। सरकार ने पहली बार यह सुनिश्चित किया है कि किसानों के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी। अगर किसान ने जमीन पर कर्जा लिया है तो उसकी वसूली के लिये उत्पीड़नात्मक कार्यवाही तो नहीं ही होगी बल्कि किसान की जमीन की नीलामी नहीं होगी। यह कदम सरकार ने उठाया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। यह अनोखा कदम सरकार ने गन्ना किसानों के हित में उठाया है। माननीय सदस्य श्री राठी जी ने कहा कि [x x x] मेरा निवेदन है कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय माननीय सदस्य की शायद यह मंशा भी नहीं होगी सदन धमकी से नहीं चलेगा यह शब्द उचित नहीं है इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता-

इसे दिखवा लेंगे अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अनुरोध है कि इसे कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य को सुना माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रख दी इस सूचना को ध्यानाकर्षण के लिये कह देते हैं।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये के लिये बजट में प्राविधान किया गया है ऐसा पहली बार किया गया है इसके लिये मैं निश्चित रूप से सरकार को बधाई देना चाहता हूं लेकिन मान्यवर, साथ ही साथ अभी उन्होंने कहा कि मोदीनगर मिल के खिलाफ

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही ने निकाल दिया गया।

एफ0आई0आर0 दर्ज की गई अन्य चीनी मिलों के खिलाफ भी एफ0आई0आर0 दर्ज की गई लेकिन मैं सदन के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि इनमें से किसी अधिकारी या मिल मालिक की गिरफ्तारी भी हुई है या केवल एफ0आई0आर0 ही दर्ज हुई है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो एफ0आई0आर0 दर्ज कराने से क्या लाभ। जिस मोदीनगर की आप बात कर रहे हैं आज भी वहां का अधिकारी खुलेआम घूम रहा है उसने 6 माह बाद अपना इस्तीफा दे दिया। किसी भी मिल मालिक के खिलाफ एफ0आई0आर0 नहीं हुई है और पिछले साल के बकाये का जो यह खुद 40-44 करोड़ बता रहे हैं भुगतान नहीं हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा।

(श्री वीरपाल राठी एवं श्री सुदेश शर्मा विरोध स्वरूप सदन त्याग कर चले गये)

(इस समय 2.00 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

जब गन्ने का बजट आयेगा, तब कहियेगा, मैंने श्री वीरपाल राठी और अन्य माननीय सदस्यों को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अब यह एक सी0पी0एम0टी0 परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक हो जाने के सम्बन्ध में है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, कल सी0पी0एम0टी0 की प्रदेश में प्रवेश परीक्षा आयोजित थी। अचानक कई सेन्टरों पर तो बच्चों ने एक-एक घण्टे पेपर दे दिया उसी बीच में एक सूचना आने के कारण उसकी पुष्टि होने के कारण पूरे प्रदेश में सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और वह परीक्षा 20 तारीख को होगी ऐसी घोषणा की गई है और सेकेन्ड सेट आफ पेपर से होगी। मुझे इस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे यह कहना है कि इतना बड़ा अन्याय छात्र और छात्राओं के साथ हुआ। 15 सेन्टर कुल प्रदेश में थे। प्रदेश के जितने जिले हैं वह इन 15 सेन्टरों में समाहित किये गये थे। लोग अपने-अपने गृह जनपदों को छोड़कर परीक्षा केन्द्र के जनपद तक आये। लड़के लड़कियां अपने-अपने गार्जियन के साथ आये और किन्हीं लोगों के द्वारा यह दुष्कृत करने के कारण पेपर लीक करने के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मैं दो तीन बातें आपके संज्ञान में आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि यह परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार के0जी0एम0यू0 से यह जवाब पूछना है कि आखिर अब तक यह पेपर सरकारी ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रखे जाते थे, यह निर्णय किसने और क्यों लिया कि यह पेपर बैंक के स्ट्रांग रूम में रखे जायेंगे और उस बैंक के स्ट्रांग रूम में जो सी0सी0टी0वी0 कैमरे से युक्त परिसर नहीं हैं। अर्थात् सीधे-सीधे बहुत बड़ा षड़यंत्र इसके पीछे है। बच्चों को तो जो मानसिक कष्ट हुआ वह अपनी जगह अलग है। मैं केवल आर्थिक संकट के युग में जो आर्थिक कष्ट परिवार के लोगों को हुआ उसके बारे में सरकार से निवेदन है कि इसकी जांच करें। अगर उचित समझें तो मेरी मांग है कि इसकी जांच सी0बी0आई0 से करानी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराओ। एक तरफ एस0टी0एफ0 जांच करेगी। एक मामले की दो जांचें ठीक नहीं, यह बिन्दु मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लेकिन कौन अपराधी है और कौन उसका संरक्षणदाता है अगर यह पकड़ में नहीं आया तो मान्यवर, यह घटनाक्रम फिर दोहराया जायेगा। मैं सरकार से इस पर सख्त कार्यवाही की ओर सी0बी0आई0 जांच की मांग करता हूं। इसके अलावा

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि परिवार के लोगों को जो आर्थिक संकट हुआ है उसके बारे में मैं सरकार से व्यय भार की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी यह मांग है कि 20 तारीख को जब बच्चे एग्जाम देने आयें तो उनको अपने गृह जनपद से परीक्षा जनपद तक आने का बस का किराया, रेल का किराया और उस शहर में टिकने और खाने का खर्चा सरकार उनको दे और जो लोग पकड़े जायं और जो उनके संरक्षणदाता हों उनके आर्थिक स्रोत से सरकार भरपाई कर ले अपने खर्चे की और सी0पी0एम0टी0 के परीक्षा प्रवेश-पत्रों के लीक होने की जो परम्परा है यह हमेशा के लिये शांत हो। यह मांग मैं इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से करता हूं। इस प्रस्ताव के माध्यम से कृपा करके सदन के कार्य को स्थगित करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि यह परीक्षा के0जी0एम0यू0 नहीं कराता। यह प्रवेश परीक्षा सरकार कराती है। यह एक सरकारी परीक्षा है। के0जी0एम0यू0 इसका माध्यम है, इसलिये सीधी जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, अभी कल की घटना है। के0जी0एम0यू0 के अधिकारी का लिखित बयान आ गया और जहां यह पेपर लीक हुए वहां के डी0एम0 का बयान आ गया। यह पहली बार मैंने देखा है कि जनपद का जिलाधिकारी अपने शासन के द्वारा आयोजित परीक्षा के सम्बन्ध में खुले आम टिप्पणी कर रहा है कि सरकार ने परीक्षा बड़ी लापरवाही के साथ कराई। मैं बहुत बिन्दुवार प्रश्न रख रहा हूं। डी0एम0 का बयान अखबारों में है। मान्यवर, मैं बिन्दुवार अपनी बात रख रहा हूं। डी0एम0 ने कहा 22 तारीख को परीक्षा होनी थी, 20 तारीख तक मुझे बताया नहीं गया कि हमारे जनपद में कहां-कहां केन्द्र हैं, हमने कोई व्यवस्था नहीं की। जब 21 तारीख को मैंने फोन किया और फैक्स किया, तब मुझको सूचना दी गयी। अर्थात् एक जिलाधिकारी अपने ही शासन द्वारा आयोजित इस परीक्षा के ऊपर एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। इसलिये जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिये, के0जी0एम0यू0 की है या उस जिलाधिकारी की है। जिलाधिकारी के स्तर पर भी यह लापरवाही है।

अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, जब इतने बड़े स्तर पर परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो एस0एस0पी0 और डी0एम0 की बैठकें होती हैं और परीक्षा केन्द्र पर क्या सावधानी ली जायेगी, इसकी तैयारियां की जाती हैं। एक डी0एम0 इस प्रकार से बयान दे करके अपना सारा बोझ कहीं और लाद दे, यह स्वीकार्य नहीं है। दूसरी चीज अध्यक्ष जी, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है या जानबूझ करके परीक्षा को रोकने का षड़यंत्र किया गया है ? क्योंकि लीक ऐसे नहीं होता लीक का मतलब होता है कि किसी ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना जो पता न चले और पेपर लीक हो जाए। बैंक में घुस करके बक्शा तोड़ना, सील तोड़ना, इसे लीक नहीं कहते हैं, इसे डकैती कहते हैं। बैंक के अन्दर डकैती की गयी है। अध्यक्ष जी, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं एम0बी0बी0एस0 की परीक्षा को ले करके ढेर सारे माफिया चल रहे हैं, हर साल लोग पकड़े जाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि जो सवाल रखे गये थे जिन लोगों ने माफियागीरी की है। जिस भी नाम से की हो, वह सवाल उनसे मेल खाते नहीं थे इसलिये किसी भी हालत में हमें परीक्षा रुकवा देना है, इसलिये ताला तोड़ने का नाटक किया गया हो क्योंकि अभी यह तय नहीं है कि उसमें से प्रश्न-पत्र निकाले गये हैं। इसलिये अध्यक्ष जी, यह खेल और भी गम्भीर है। यह खेल परीक्षा माफियाओं का है जो किसी भी

हालत में प्रश्न-पत्रों को अपने हिसाब से बंटवाना चाहते हैं चूंकि नहीं बंटवा पाये हैं, इसलिये उन्होंने ताले तोड़ करके परीक्षा को रुकवाने का काम किया है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस सम्पूर्ण परीक्षा की व्यवस्था पर बहुत गम्भीर अन्वेषण होना चाहिए इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि 20 जुलाई को जो पेपर मिलेगा, वह सचमुच लीक हुआ नहीं होगा। हो सकता है, 20 जुलाई का ही पेपर लीक हो और कल का पेपर तो लीक करने का सिर्फ खेल खेला गया हो। मैं आग्रह करना चाहता हूं, एक अविश्वसनीयता का संकट है, एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई करने वाले बच्चे लाखों खर्च करके आते हैं और अगर उन्हें यह पता चलेगा कि सी0पी0एम0टी0 में इस प्रकार के खेल हो रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार उसमें इन्वाल्व है, यह आरोप अभी तक मैंने लगाया नहीं है लेकिन सरकार को गम्भीरता से जांच करा करके कम से कम 20 जुलाई से पहले पेपर के तीसरे और चौथे सेट को तो फिर भी हटाया जा सकता है, चार सेट पेपर बनते हैं हो सकता यह उन दो सेटों का खेल हो। पेपर नये भी बनाये जा सकते हैं। सरकार को सचमुच इसकी गम्भीर जांच करानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो 20 जुलाई को परीक्षा होनी है, उसमें यह जो दो सेट पेपर हैं, वह भी इस्तेमाल न किये जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत गम्भीर प्रश्न की ग्राह्यता पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मा0 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी और मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने जो तथ्य रखे हैं उनमें मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। तीन बातें मैं उसके अतिरिक्त कहना चाहता हूं। नम्बर-1, एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। जिन हाथों ने इसकी पब्लिशिंग की, उन हाथों से पब्लिशिंग से लेकर उनके ट्रान्सपोर्टेशन और जहां पर जिस कस्टडी में यह रखे गये थे, पूरी तरीके से उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सेफ कस्टडी में और सेफ तरीके से उसे गन्तव्य स्थान तक पहुंचाये तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी बनती है जिनको इन्हें ले जाना था और जिसकी कस्टडी में इन्हें रखना था। यह बहुत बड़े षड़यंत्र का हिस्सा है क्योंकि कोई साधारण आदमी यह काम नहीं कर सकता और जहां यह रखा गया है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनको बिना इन्वाल्व किये हुए और उनकी साजिश के यह काम हो जाए। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि इसके तार केवल उत्तर प्रदेश में हों क्योंकि पहले भी इस तरह की एक-आध घटनाएं हुई हैं, मैं उनके ऊपर जाकर ज्यादा टाइम खराब करना नहीं चाहता, केवल उनके संज्ञान और उनसे सबक सीखना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो। तीसरी बात कि सी0बी0आई0 जांच की मांग क्यों की। इसलिये कि उत्तर प्रदेश की जांच एजेन्सी होगी तो वह उत्तर प्रदेश में तो प्रभावी जांच कर सकती है लेकिन अगर इन घटनाओं के दूसरे प्रांतों में तार जुड़े हों तो उसके लिये दिक्कत आयेगी। इसलिये हमारी मांग है कि अगर सी0बी0आई0 से जांच करायी जायेगी तो हो सकता है कि समय थोड़ा ज्यादा लगे लेकिन वह इसकी जड़ तक पहुंच भी जायेगी और जो दोषी होगा उसको ठीक प्रकार से सजा भी मिल सकती है। इसलिये चूंकि हम लोग एक गम्भीर प्रश्न पर अपने विचार रख रहे हैं। इसलिये सरकार इसको गम्भीरता से लेकर इसकी सी0बी0आई0 जांच रिकमेंड कर दे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। आपने मौका दिया, मैं आभारी हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्यगण ने अपने कार्य-स्थगन की सूचना के माध्यम से जो सी0पी0एम0टी0 का पेपर लीक होने की घटना है उसका उल्लेख किया। यह विषय जितना गम्भीर है उतनी गम्भीरता से रखने का भी काम किया है। इसमें मा0 बाजपेयी जी ने, अग्रवाल साहब ने खन्ना जी ने तीनों मा0 सदस्यगण ने गम्भीर बातें कही हैं कोई आक्षेपात्मक बात नहीं कही है। यह बहुत गम्भीर विषय है और गम्भीर इसलिये है कि मान्यवर, यह कोई पहली बार घटित नहीं हुआ है। अगर हम इसको रूटीन मानकर इसकी अनदेखी करते हैं तो भविष्य के लिये यह और खतरनाक साबित होने वाली चीज है। कभी रेल भर्ती में, कभी सी0आर0पी0 की भर्ती में कभी मेडिकल की भर्ती में इसके पहले की परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। मान्यवर, ऐसी स्थितियों में मैं किसी ओर नहीं ले जाना चाहता जहां तक एक प्रदेश के मुख्य मंत्री को इस तरह की धांधली के कारण जेल जाना पड़ा हो, बाहर है कि भीतर उल्लेख करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी प्रदेश के मुख्य मंत्री पर ऐसे आरोप लग रहे हों। मान्यवर, ऐसे मामलों में परीक्षाओं की शुचिता को बनाये रखना होगा अन्यथा वह नौजवान जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपना स्थान हासिल करना चाहता है अपनी योग्यता के बल पर, वह हताश भी होगा और उसकी हताशा से कल न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक खराब वातावरण पैदा होगा और उसके चलते समाज में बिखराव पैदा होगा। इसलिये इन प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को बहुत सख्ती से देखना पड़ेगा। जिन समस्याओं की ओर आपने जिक्र किया है कि कैसे वहां चले गये, कैसे वहां टूट गया तो इन सबकी ही तो जांच हो रही है।

मान्यवर, अगर किसी बैंक के स्ट्रांग रूम में रखे जाने के बाद स्ट्रांग रूम के खुलने के बाद उसके स्ट्रांग रूम में ही पेपर की सील टूटी हुयी मिलती है उसमें से पर्चे निकले कि नहीं यह तो जांच का विषय है लेकिन अगर सील टूटी है तो यह मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि पर्चे निकाले गये हों, हो सकता है कि पर्चे रखे गये हों हो सकता है कि फोटो स्टेट किया गया हो, हो सकता है कि नहीं किया गया हो। जो भी परिस्थितियां हैं लेकिन यह जांच का विषय है लेकिन यह जांच बहुत गम्भीरता से होनी चाहिए और इसके अलावा अगली बार जो 20 तारीख जो डेट रखी गयी है। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी तरीके की कोई धांधली न हो सके। जो सुझाव आपने रखे हैं तो जांच एजेन्सियों को उन सुझावों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। उन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार इसको सुनिश्चित करेगी कि जिन बिन्दुओं पर आपने आज चिन्ता व्यक्त की है। उन बिन्दुओं पर जांच एजेन्सी गम्भीरता से विचार करे। एक बात सी0बी0आई0 की आयी। अगर प्रत्येक घटना में हम सी0बी0आई0, सी0बी0आई0 करें और अपनी इस पुलिस व्यवस्था को बन्द करके यह कहें कि अब सी0बी0आई0 ही देखें। कौन सी घटना सी0बी0आई0 लेगी कौन सी घटना सी0बी0आई0 नहीं लेगी क्या स्थिति बनेगी। जांच में अगर कोई ऐसी स्थिति आयेगी तो आप अपनी मांग रखेंगे तो उस पर समय के अनुसार बात की जायेगी। लेकिन हमारी एस0टी0एफ0 सक्षम है। चाहे कोई भी मुख्य मंत्री रहा हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, एस0टी0एफ0 का शानदार ट्रेक रिकार्ड है और उसने अच्छा काम करके दिया है। उसी एस0टी0एफ0 को इसकी जांच दी गयी है। निष्पक्षता से जांच होगी, अपराधी दण्डित होंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। परीक्षा को फिलहाल इस तरीके से इस ढंग कराया जायेगा कि उसमें किसी को

कोई गुंजाइश नहीं मिले। इन सारी बातों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इस सदन को, सरकार पूरी तरह गम्भीर है। मान्यवर, कार्य-स्थगन की ग्राह्यता उस दर्जे की है नहीं कि आप इसको स्वीकार करें, इसलिये मान्यवर, इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने भी रखा, बिना किसी वाद-विवाद के बिना किसी आक्षेप के रखा। हमारा सिर्फ इतना निवेदन है आपसे और आपका संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं कि आप इसे अग्राह्य करने के बजाय इस पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने से ही पहले क्यों कह देते हैं।

मैंने बाजपेयी जी को सुना, डा0 साहब को सुना और मा0 खन्ना जी को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना, इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट चाहूंगा। मा0 चौधरी साहब बैठे हैं, इसलिये ज्यादा कहना है। आप सुन लेंगे जरा कायदे से।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की एक सूचना थी जो वाराणसी में दिनांक 20-6-2014 को श्री शैलेन्द्र जायसवाल व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में है, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

मा0 सरोज जी चूंकि आज लम्बा विषय था कानून-व्यवस्था का। तो इसमें सरकार के पास सूचना आई नहीं होगी, इसलिये अगर इसे आप कल देंगे तो उचित रहेगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, आप ध्यान आकृष्ट कर दीजिये, मुझे सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं, मान्यवर, यह जनपद कौशाम्बी के मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक गम्भीर घटना है। एक सियाराम व्यक्ति हैं ग्राम पचम्भा थाना करारी जनपद कौशाम्बी के जो निहायत गरीब आदमी है और जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। यह दिनांक 05-04-2014 को रोजाना की तरह मजदूरी के लिये बाहर गये हुए थे और जब यह शाम को लौटे तो इन्होंने देखा कि इनकी बेटी कुसुम देवी जो 14 साल उम्र की थी, उसका घर से अपहरण कर लिया गया। अब जैसे ही इन्हें सूचना मिली, पूरे घर में हाहाकार मच गया, मोहल्ले वाले जुटे, गांव वाले जुटे और किसी भी तरह उस लड़की का पता

आस-पास के गांवों में नहीं चला। तुरन्त इन्होंने थाना करारी को सूचना दिया कि मेरी लड़की गायब हो गई, मुकदमा लिखा जाना चाहिए। मान्यवर, थानाध्यक्ष करारी ने न 05 को मुकदमा लिखा, न 06 को मुकदमा लिखा, 07 को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने भी बात किया तब जाकर के मुकदमा लिखा गया अपहरण का और उसका जो अपराध संख्या-119/14 धारा-363/366 यह अंकित किया गया। मान्यवर, मेरा सिर्फ यह कहना है उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं, मैं भी बहुत जगह गया हूं, बहराइच में गया हूं, अपहरण कर के महिला को जो हैं हत्या कर के पेड़ पर टांग दिया गया, आप बदायूं गये वहां पर देखा, पूरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये मेरे क्षेत्र की घटना है मान्यवर, ढाई महीना हो गये, मैंने भी कई बार पुलिस के अधिकारियों से, थानाध्यक्ष से बात किया और वह सब इसको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं मान्यवर, आज तक ढाई महीने में उस लड़की का अता-पता नहीं चला है कि वह लड़की गई कहां, नाबालिग लड़की और उसके घर वालों का बुरा हाल है रो-रो कर के मान्यवर, मैं राजनीति नहीं करता, मैं सिर्फ आपके माध्यम से मा0 चौधरी साहब से यह चाहता हूं कि इस पर त्वरित कोई कार्रवाई करा दें और उसकी लड़की की बरामदगी करा दें, यह मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें जो समुचित कार्रवाई होगी, वह कराई जायेगी।

[2.20] आय-व्ययक पर चर्चा की मद का समय बाकी रहने एवं मुख्य मंत्री के आने तक कार्य-सूची की अगली मदें लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अभी तो दस मिनट बाकी हैं, आय-व्यय की चर्चा की मद में।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, ऐसा करें कि तब तक आगे की मदें ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी 10 मिनट बाकी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसा करें, तब तक आगे की मदें ले लें। थोड़ी सुविधा हो जायेगी। अगर नेता प्रतिपक्ष अगर शुरू करना चाहें तो मुख्य मंत्री जी आ ही रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं। मुख्य मंत्री जी आयें, तब ही नेता बोलेंगे। तब तक नियम-51 ले लिया जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, किसी भी मद की अग्रेयता तय करने का आपको अधिकार है, आप कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[2.21] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 23-6-2014 को नियम-51 के कुल 61 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर की उपेक्षा एवं अव्यवस्था के सम्बन्ध में दूसरी सूचना श्री गयाचरण दिनकर की जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारियों द्वारा आदेश के बावजूद श्री रामप्रसाद त्यागी का भुगतान रोके जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री दिलनवाज खां की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम दौलतपुर कला में अवैध दुकानें बनाकर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में तथा चौथी सूचना डा0 धर्म सिंह सैनी की सहारनपुर के ग्राम शुक्रताल में सड़क के किनारे नाली व सड़क के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। पांचवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यूनिट मानचित्रों की स्वीकृति न किये जाने के सम्बन्ध में, छठी सूचना श्री ओम कुमार की बिजनौर के नहटौर और हल्दौर के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त डाक्टर, दवा तथा पैथोलोजी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री जगपाल की जनपद सहारनपुर ग्राम सलेमपुर से ग्राम पीकी तक राजवाहे की पटरी पर सड़क व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री योगेन्द्र पाल सिंह की जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेठी में एक भी ट्यूबवेल न होने के सम्बन्ध में तथा नौवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली में गिरते जल स्तर एवं नदियों के प्रदूषित पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा में रश्मिनगर, कमलानगर कालोनी की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

क्र0	नाम
1	श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
2	श्री राज कुमार रावत,
3	श्री काली चरन सुमन,
4	श्री अनिल कुमार,
5	श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
6	श्री बृजेश कुमार,
7	श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत,
8	श्री अगयश राम सरन वर्मा,
9	श्री इन्द्रजीत सरोज
10	श्री धर्मपाल सिंह,
11	श्री पंकज गुप्ता,
12	श्री विक्रम सिंह,
13	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
14	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
15	डा0 अरुण कुमार,
16	श्री रवीन्द्र जायसवाल,

क्र0	नाम
17	श्री सलिल विश्नोई,
18	श्री उमेश पाण्डेय,
19	श्री रामहेत भारती,
20	श्री भीम प्रसाद सोनकर,
21	श्री सन्त राम कुशवाहा,
22	श्री राजेश त्रिपाठी,
23	श्री राकेश बाबू,
24	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
25	श्री गुलाब चन्द्र सरोज,
26	श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन,
27	श्रीमती रूबी प्रसाद,
28	श्री दलजीत सिंह,
29	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,
30	श्री सुरेश बंसल,
31	श्री रोशन लाल वर्मा,
32	डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी,
33	श्री अजय कुमार 'लल्लू',
34	श्री संजय कपूर,
35	श्री मनबोध प्रसाद,
36	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',
37	श्री अमरपाल शर्मा,
38	श्री मनीष असीजा,
39	श्री सिनोद कुमार शाक्य,
40	श्री रामचन्द्र यादव,
41	श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
42	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
43	श्री रामवीर उपाध्याय,
44	श्री प्रभू दयाल बाल्मिकी,
45	श्री दलवीर सिंह,
46	श्री पूरन प्रकाश,
47	श्री सुदेश शर्मा,
48	श्री सुरेश कुमार खन्ना,
49	डा0 मोहम्मद मुस्लिम,
50	श्री प्रदीप माथुर तथा
51	डा0 धर्मपाल सिंह।

जनपद सहारनुपर के ग्राम दौलतपुर में पुल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं इसे पढ़ देता हूं। मा0 सदस्य विधान सभा श्री प्रदीप चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 21-2-14 को मा0 अध्यक्ष.....

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[विधान सभा को दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ग्राम दौलतपुर में पुल का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि दो राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है। इसकी कार्य अवधि पूर्ण हो चुकी है। पुल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस पुल को अतिशीघ्र बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

मा0 सदस्य द्वारा उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि जनपद सहारनपुर में विधान सभा क्षेत्र गंगोह में लिखनौती-मानपुर-दौलतपुर के निकट यमुना नदी पर सेतु निर्माण कार्य इन्टरस्टेट कनेक्टीविटी योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-624/23/12-10/54एन0एच0/07, दिनांक 11-08-10 द्वारा लागत रु0 2929.15 लाख स्वीकृत है एवं अनुबन्ध संख्या-08/एस0ई0-स0पुर/2010-11, दिनांक 13-9-10 के अन्तर्गत निर्माणाधीन है जो दो राज्यों उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमाओं को जोड़ता है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस कार्य पर रु0 500.00 लाख, वर्ष 2011-12 में रु0 300.00 लाख, वर्ष 2012-13 में 472.38 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 500.00 लाख आवंटन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कार्य पर कुल रु0 1772.38 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

अनुबन्ध के अनुसार इस कार्य की समाप्ति की अवधि दिनांक 08-08-13 को पूर्ण हो चुकी है। माह जनवरी, 2012 से जून, 2012 के मध्य मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से खनन बन्द रहा तथा वर्ष 2013 में 15 से 17 जून के मध्य हुई भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण हथनीकुण्ड बैराज से 8.25 लाख क्यूसेक पानी एवं माह फरवरी, 2014 के प्रथम सप्ताह में लगभग 75000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण सेतु का निर्माण क्षेत्र लम्बे समय तक जलमग्न रहा है, जिसके कारण निर्माण कार्य में व्यवधान रहा है।

यमुना नदी में बहाव के निरन्तर परिवर्तन के कारण सेतु की पुनरीक्षित जी0ए0डी0 14 पीयर के स्थान पर 20 पीयर अनुमोदित की गई है, जिसके कारण कार्य की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है। सभी 20 कुओं के निर्माण कार्य तीव्रगति से प्रगति में है, जिसमें 05 कुओं में बाटम प्लगिंग का कार्य तथा 05 कुओं में इण्टरमीडिएट प्लगिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं दो पी0एस0सी0 गाडर का निर्माण भी पूर्ण किया जा चुका है। पहुंच मार्ग के दोनों ओर मिट्टी के कार्य की प्रगति अन्तिम चरण में हैं सेतु की लम्बाई 577.90 मीटर है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में सेतु एवं पहुंच मार्ग की कुल भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 51.7 प्रतिशत है। उक्त सेतु का पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों के बैकों का कर्ज माफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

जनपद बरेली के 124 शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में डा0 अरूण कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24-2-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद बरेली के .....

श्री उमाशंकर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद बरेली के 124 शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाने तथा खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की मांग की गई है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बरेली नगर निगम क्षेत्र में कुल 2660 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापित हैं, जिसमें जनपद बरेली का 124 शहर विधान सभा क्षेत्र भी सम्मिलित है। इन हैण्डपम्पों के सामान्य खराबी से बन्द होने की सूचना प्राप्त होने पर 24 घण्टे में (अधिकतम 48 घण्टे में) ठीक कराने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा 11 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा 40 हैण्डपम्पों को रि-बोर किये जाने का कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम, बरेली द्वारा 100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का कार्य कराकर चालू करा दिया गया है।]

[3.00] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष अब आप बजट पर साधारण चर्चा प्रारम्भ करें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी ने 2014-15 का भारी-भरकम बजट 274704.59 करोड़ का प्रस्तुत किया है लेकिन इस बजट से यह साबित हो गया कि मा0 मुख्य मंत्री

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जी को बैकफुट पर आना पड़ा और मान्यवर इस बजट से झुनझुने की आवाज गायब। मान्यवर, यही नहीं इन तमाम लोकलुभावन वायदों और नारों के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन नौजवानों के बलबूते पर अपनी बहुमत की सरकार बनायी जिनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने सपने दिखाये, आज इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इस बजट में मुख्य मंत्री जी ने चुनावी घोषणा-पत्र में नौजवानों के लिये की गयी घोषणाओं और प्राथमिकताओं को अलविदा कह दिया है। उन नौजवानों के लिये की गयी घोषणाओं जिसमें बेरोजगारी भत्ता, लैपटाप और कन्या विद्या धन जैसी योजनायें सम्मिलित थी, हमारी बेटी उसका कल, टैबलेट प्रदान करना जैसी योजनाओं को अलविदा कर दिया है। इस तरीके से मा0 मुख्य मंत्री जी ने नौजवानों के अरमानों पर हथौड़ा चलाने का काम किया है। मान्यवर, इन सारी घोषणाओं को अलविदा कहने का मतलब माननीय मुख्य मंत्री जी ने साबित कर दिया है कि इन योजनाओं पर वह धन नहीं दे पायेंगे। नौजवानों की बेहतरी के लिये उनके कल्याण के लिये उनके भविष्य के निर्माण के लिये उनको तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के लिये और उससे जोड़ने के लिये उनके शिक्षा के क्षेत्र के उन्नयन के लिये नहीं बल्कि लोक सभा में चुनावी वोट हथियाने के लिये किया गया था और जब लोक सभा चुनाव में यह सारे वायदों और नारों का करिश्मा काम नहीं आया आपको नौजवानों ने वोट नहीं किया तो कहीं न कहीं मा0 मुख्य मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्हें अलविदा करने का काम किया है। मान्यवर, इन घोषणाओं के आधार पर आप यह मानते थे कि नौजवान फिर से आपको वोट करेंगे वह नौजवान आपके बहकावे में नहीं आये आपके झांसे में नहीं आये हैं, आपके लोकलुभावन नारों और कोरे वायदों के चक्कर में नहीं आये।

मान्यवर, यही कारण है कि लोक सभा चुनावों के ठीक बाद और करारी पराजय के बाद जब माननीय मुख्य मंत्री जी अपना तीसरा बजट आज पेश कर रहे हैं तो इसमें नौजवानों के लिये पूर्व में किये गये सारे के सारे वायदे जो चुनावी घोषणा-पत्र में आपने उनसे किये थे उनको झुनझुने के रूप में पकड़ाने का काम आपने पूर्व में किया था वह झुनझुना पूरी तरह से इसमें गायब हो गया है। आपके तमाम लोक लुभावन वायदे और नारे इसमें गायब हैं। आपने जो नौजवानों को बहलाने का पहले काम किया था और आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम किया था वह सब गायब हो गया है। मान्यवर, आपकी असलियत का पता इस बजट के माध्यम से नौजवानों को लग गया है। आपके बजट से पता चल गया हम सबको कि अब आया है ऊंठ पहाड़ के नीचे। यह सबको मालूम हो गया है। हम किसी को धोखे में रखकर एक बार तो वोट हासिल कर सकते हैं और उसके बलबूते पर बहुमत की सरकार बना सकते थे। लेकिन जो लोक सभा में परिणाम आये उसके आधार पर कहा जा सकता है कि काठ की हांडी बार-बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। यह चुनावी परिणामों से और आपके बजट से साबित हो गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टैबलेट की बात कही गयी दो बार बजट में उसका प्रावधान भी किया गया 540 करोड़ रु0 का प्रावधान किया था लेकिन एक भी टैबलेट प्रदेश में बटती कही भी दिखायी नहीं दी। एक भी नौजवान के हाथ में वह टैबलेट नहीं दिखायी दी। मान्यवर, इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने रिक्शा वालों के लिये बड़ी घोषणायें की पहले ही बजट से उनको सब्जबाग दिखाये और रिक्शा वालों को बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराने की बात कही उनको सौर ऊर्जा युक्त बैटरी की रिक्शा उपलब्ध कराने की बात कही और यह कहा कि उनको यह रिक्शा जल्द मिलेगा। मान्यवर, 2012-13 का बजट चला गया पिछले साल का बजट चला गया

अब यह नया बजट आया है इसमें कहीं भी वह बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराने की बात नजर नहीं आती है। 2012-13 का बजट आया तो सिम्बोलिक प्रतीक के रूप में 12 रिक्शा बैटरी वाला रिक्शे वालों को दे करके बड़ी वाहवाही लूटने का प्रयास किया था। मान्यवर, जब 2012-13 में 100 करोड़ रुपया प्राविधानित था एक भी बैटरी वाला रिक्शा नहीं दिखाई पड़ा, जीरो पर आउट हो गया। 2013-14 में 400 करोड़ रुपया प्राविधानित था प्रतीक के रूप में मात्र 12 रिक्शे बांटे गये, अब 2014-15 में 300 करोड़ रुपया आवंटित हुआ रिक्शा आयेगा नहीं आयेगा यह तो भविष्य बतायेगा लेकिन मान्यवर, रिक्शे वाले लगातार ढाई साल से टकटकी लगाये बैठे हैं कि अब बैटरी वाला रिक्शा आयेगा, हमको हाथ-पांव चलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमको पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी रिक्शेवालों को बैटरीवाला रिक्शा देने की डुगडुगिया लगातार पीटते जा रहे हैं। लेकिन कोई रिक्शा दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये हवाहवाई सपना दिखा करके उनको अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस बजट पुस्तिका में लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन मद में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है लगता है कि इस पर भी खतरे की घंटी है और मान्यवर, अब लगता है इन तमाम योजनाओं को अलविदा कर माननीय मुख्य मंत्री जी को शायद अब नौजवानों से मोह भंग हो गया तकनीक से जोड़ने का जो दिवास्वप्न दिखा रहे थे वह खत्म हो गया और साथ ही साथ अब प्राथमिकताएं बदल गयीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी बातों को गम्भीरता से सुन रहे हैं जब तक नेता प्रतिपक्ष बोलें तब तक माननीय कोई सदस्य मुख्य मंत्री जी के पास न आये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी को जब पहले हम इन बातों के लिये आगाह किया करते थे तो बड़े अच्छे-अच्छे लच्छेदार भाषण करके यह कहा करते थे कि यह विपक्ष का धर्म है विपक्ष कुछ कहेगा लेकिन जो हम कहते थे आज माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर अमल किये और शायद लोकतंत्र में मान्यवर, जनता को बहुत दिन तक गुमराह नहीं किया जा सकता, नौजवानों को लम्बे अर्से तक धोखे में नहीं रखा जा सकता और यही कारण है कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी लीक से हट करके नौजवानों से मोह भंग करके नये रास्ते पर चलने की शुरुआत किये हैं। लेकिन मान्यवर, जो अपनी प्राथमिकताओं की योजनाओं के प्रति गम्भीर नहीं, जो अपनी चुनावी घोषणाओं के प्रति गम्भीर नहीं जो अपने वायदों के प्रति जिस पर सरकार बनाया उसके प्रति गम्भीर नहीं तो उधार की योजनाओं पर यह सरकार कितनी खरी उतरेगी यह तो भविष्य ही तय करेगा। मान्यवर, वैसे भी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है 21 करोड़ आबादी हो चुकी है इससे भी बड़ा बजट लाते माननीय मुख्य मंत्री जी तो कोई बड़ी बात नहीं होती बजट लाना बहादुरी नहीं है बल्कि उस बजट का सदुपयोग समय पर हो इस बात की प्राथमिकता सुनिश्चित होनी चाहिए लेकिन मान्यवर, यह हम 2014-15 का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन मान्यवर, यह हम 2014-15 का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं लेकिन यह सरकार अपने पिछले बजट के प्रावधानित पैसे का भी ठीक से सदुपयोग नहीं कर पायी। 2012-13 के बजट में प्रावधानित इनकी 190 योजनायें, जिन पर 4062 करोड़ रुपया बजट आवंटित हुआ था, बिना खर्च हुये वापस करना पड़ा क्योंकि मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी बजट तो प्रावधानित कर

दिये लेकिन विभाग से प्रस्ताव ही नहीं आये और प्रस्ताव न तैयार करने के चक्कर में भारी भरकम प्रावधानित बजट की स्वीकृत रकम वापस जाने के लिये मजबूर हुयी। 76 योजनायें जिसके प्रस्ताव तो आये थे, बजट स्वीकृत हुआ था। 1 हजार 168 करोड़ रुपया लेकिन पूरी रकम बिना खर्च किये वापस हुयी। यानि अपनी योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता नहीं है। यही कारण है कि इन पैसों को वापस जाना पड़ता है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करने के पहले अपने पिछले बजट के प्रावधानित बजट के द्वारा स्वीकृत खर्च को वापस किये जाने के लिये दोषी लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही की। माननीय मुख्य मंत्री जी की प्राथमिकता के अनुसार बजट में प्रावधानित पैसा होने के बावजूद भी बिना काम हुये पैसा वापस क्यों गया, इसका मतलब है कि सरकार की नीयत कहीं न कहीं काम करने के प्रति दुविधात्मक है और यही कारण है कि मान्यवर, इस तरीके से तमाम योजनायें अधर में लटक जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बजट में प्रावधान तो करते हैं, काम करने की जिज्ञासा इससे मालूम होती है लेकिन अगर उसका कार्यान्वयन नहीं होता, प्रावधानित बजट का सदुपयोग नहीं होता, कार्य योजनाओं का पैसा वापस जाता है तो यह सरकार की अक्षमता है और यह सरकार पर एक प्रश्नचिन्ह लगाता है और इतना भारी भरकम बजट पारित करने पर भी कहीं न कहीं सवाल उठाता है।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में सुविधाओं के विकास और वर्चुअल क्लास रूम के स्थापना के लिये एक बार चार करोड़ रुपया और एक बार एक करोड़ रुपया स्वीकृत किया था लेकिन मान्यवर, यह भी वापस हुआ। यही नहीं 2013-14 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना की भी योजना बनाई थी। उसके लिये 6.98 करोड़ रुपये का बजट भी पारित हुआ लेकिन मान्यवर, वह जहां का तहां पड़ा रहा, चैप्टर क्लोज, नो डेवलपमेन्ट नो वर्क पैसा वापस। मान्यवर, किसान सेवारथ के लिये मा0 मंत्री जी ने।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) (बैठे हुए)-

असर तो पड़ा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप तो वहां बैठे हो, असर तो आप पर पड़ेगा। मान्यवर, किसान सेवारथ के लिये 30.50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था, 62 प्रतिशत धन खर्च ही नहीं हुआ। जब आपकी प्राथमिकताओं की योजनाओं का यह हाल है तो उधार की योजनाओं पर कितना काम होगा, यह मान्यवर, बिल्कुल मुख्य मंत्री जी का अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मा0 मुख्य मंत्री जी आपने बुन्देलखण्ड में जल संचयन और सिंचाई के लिये 18.59 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था लेकिन काम का दर अनुमोदित न होने के कारण पैसा यथावत् वैसे ही पड़ा हुआ है, काम हुआ ही नहीं, गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। इसलिये मान्यवर, हम समझते हैं कि इतने बड़े बजट से क्या होगा जब यह सरकार पूर्व में प्रावधानित बजट को खर्च ही नहीं कर पाती है तो फिर बजट लाने का औचित्य क्या उठता है। बजट तो इसीलिये लाया जाता है कि जिससे प्रदेश की बेहतरी के लिये तरक्की के लिये, उन्नति के लिए, सभी समाज के उत्थान के लिये, प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये, प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिये हम काम करें। लेकिन जब सरकार के अन्दर

काम के प्रति दृढ़ इच्छा ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, उसके इरादे ही नेक नहीं हैं तो मान्यवर, हम समझते हैं कि इतने भारी-भरकम बजट को ला करके प्रदेश की जनता पर बोझ डालने के सिवाय यह और कुछ नहीं है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मा0 मुख्य मंत्री जी ने बड़ी प्राथमिकता के आधार पर कन्या विद्याधन जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी कई जगह खुद गये, आपके सभी मा0 मंत्रीगण विभिन्न जनपदों पर दौरा किये, युद्धस्तर पर काम करने के बाद भी 28 जिले में कन्या विद्याधन नहीं बंट पाया। मान्यवर, यह आपकी प्राथमिकता की योजनाएं थीं और मान्यवर, यही नहीं मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी प्राथमिकताओं में किसान हैं, कृषि हैं, गांव है, गरीब है लेकिन इतने बड़े बजट व्यवस्था में इनको केवल रेवड़ी दी गई है। कृषि जिसको मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इस बात के लिये स्वीकार किया कि तीन चौथाई जनता आज भी कृषि पर आधारित है, गांव में रहती है उसको इतने बड़े बजट से कृषि पर मात्र 7625 करोड़ रुपया आवंटित किया है। मान्यवर, 21 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर जिसमें चिकित्सा, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सभी सम्मिलित है 14377 करोड़ रुपये।

मान्यवर, जो समाज के अन्तिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति गरीबी और लाचारी के दौर से गुजर रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिये 25522 करोड़ रुपये। इसमें अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति शामिल है, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं वह सभी शामिल है। अगर मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में गांव, गरीब की आवाज पर जोर दिया। उनकी प्राथमिकताओं को गिनाने का काम किया। उनके नाम पर बड़ी-बड़ी बातें की तो स्वाभाविक रूप से बजट भी इन पर बड़े पैमाने पर होना चाहिए था जिससे हम केवल घड़ियाली आंसू नहीं बल्कि सही मायने में उस अति पिछड़े समाज को जो सभी प्रकार के विकास से वंचित है, जो रोटी, कपड़ा, मकान के लिये भी मोहताज है, आजादी के 64 साल बीत जाने के बाद जो शिक्षा से वंचित हैं, हम उसको मुख्यधारा में खड़ा कर सकें, हम विकास से जोड़ सकें। लेकिन उस पर पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में मा0 मुख्य मंत्री जी कहीं न कहीं कोताही कर गये। माननीय अध्यक्ष जी, विशेष रूप से शिक्षा, किसी भी प्रदेश, देश और समाज के अन्दर विकास का मानक शिक्षा होती है। मान्यवर, तीनों प्रकार की शिक्षा पर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तीनों पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने कुल 41,583 करोड़ रुपया दिया है और यह कहा है कि हम इतने प्रतिशत ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन मैंने देखा था पिछले बजट से आने वाले बजट में पैसा ज्यादा रहता है लेकिन यहां तो कम देखने को मिला। मा0 मुख्य मंत्री जी ने 2013-2014 में माध्यमिक शिक्षा में 10367 करोड़ रुपया दिया था लेकिन इस बार के बजट में 7880 करोड़ रुपया दिया।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की। अगर सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन के बजट के बढ़े हुए धन को माइनस कर दिया जाए तो यह भी पिछले ही सत्र के बजट के बराबर है। मान्यवर, जबकि बेसिक शिक्षा हमारी नींव है। कल का प्रदेश, कल का भारत, कल का समाज कैसा होगा, इन्हीं नौनिहालों पर निर्भर करता है। अगर हम इन बच्चों को तालीम नहीं दे सके, पढ़ाई नहीं दे सके तो स्वाभाविक रूप से यह हमारी संतानें भविष्य में गरीब, लाचार, भिखारी के रूप में दर-दर की ठोकर खाते रहेंगे। स्वाभाविक रूप से अगर हमारा भविष्य इसी प्रकार से लाचार होगा तो आने वाला उत्तर प्रदेश और देश भी गरीब और लाचार होगा लेकिन जिन पर बेहतर पैसों की

व्यवस्था करनी चाहिए थी ऐसे मदों में कटौती यह प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा है अगर हम शिक्षा में कटौती करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम समाज को पीछे ले जाने का काम करेंगे। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी जून, जुलाई के महीने में 10 हजार बेसिक शिक्षा के अध्यापक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और मान्यवर, 72 हजार 825 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती लम्बे समय से लम्बित है। 2012-13 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद अपने बजट भाषण की पुस्तिका में कहा था कि 72 हजार 825 अध्यापकों की भर्ती प्रचलित है वर्ष 2012-13 चला गया, वर्ष 2013-14 चला गया और इस वर्ष का भी आधा समय चला गया लेकिन सरकार की रफ्तार जहां एरोप्लेन, ट्रेन जैसी होनी चाहिए वह बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रही है तीन साल में यह सरकार 72 हजार 825 अध्यापकों की भर्ती तक नहीं कर सकी तो हम समझते हैं कि शिक्षा के प्रति यह सरकार कितनी गम्भीर है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। जबकि मान्यवर, 2010 में शिक्षा के अधिकार ऐक्ट के तहत प्राथमिक या परिषदीय विद्यालयों में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण करना शिक्षकों की भर्ती में सुनिश्चित कर दिया गया है। यहां पर जो आपकी विभागीय शिक्षा नियमावली ऐक्ट है उसमें भी आपने टी0ई0टी0 को अर्हता के रूप में स्वीकृति दी है मान्यवर, विगत सरकार में 90 प्रतिशत तक काम पूरा हो गया था लेकिन खुदुर-बुदुर की नीयत से सरकार मा0 उच्च न्यायालय में गई जिन्होंने भी उनकी भर्ती पर मुहर लगा दी फिर भी मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई सर्वोच्च न्यायालय ने भी मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय को यथावत् बहाल रखते हुए 12 सप्ताह के अन्दर भर्ती करने के निर्देश दिये लेकिन यह सरकार है कि इसके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। यह सर्वोच्च न्यायालय को ठेंगा दिखा रहे हैं। यह ठेंगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को नहीं दिखा रहे हैं बल्कि उन नौजवानों को जिन्होंने आपको पूर्ण बहुमत दिया है उनको दिखा रहे हैं। उनको रोजगार देने में आप अवरोध का काम कर रहे हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में अध्यापकों की भर्ती हो जाती तो हो सकता है कि बेसिक शिक्षा में कुछ बेहतर सुधार होता।

आज कोई विद्यालय मात्र एक शिक्षा मित्र के सहारे चलता है कहीं एक शिक्षक और शिक्षा मित्र है और कहीं-कहीं पर तो एक-एक शिक्षक के सहारे तीन-तीन विद्यालय चल रहे हैं। आप वहां पर इसलिये ध्यान नहीं देते क्योंकि वहां पर घुरहु कतवारू सुमारू और मंगली के बच्चे पढ़ते हैं वहां गांव के गरीब किसानों, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिये उनको राम भरोसे छोड़ दिया गया है और मान्यवर, हम समझते हैं कि अगर यही सोच है तो उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्ग होने वाला है। इसलिये मान्यवर, हमको खुशी होगी जिस दिन शिक्षा मित्र अध्यापक हो जायेंगे। उनके अध्यापक होने से अध्यापकों की भरपाई इसलिये नहीं होगी कि वे तो आज भी शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं। केवल उनके पद में परिवर्तन होगा, उनकी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। आप उनको अध्यापक बनाये लेकिन बड़े पैमाने पर विद्यालयों में शिक्षकों का जो अभाव है उसकी भर्ती के लिये अभियान भी चलायें जिससे कि बेसिक शिक्षा दम तोड़ न सके बल्कि वह आगे बढ़े और जहां सबसे गरीब, लाचार, समाज के सबसे अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति का बच्चा पढ़ने जाता है उसको भी उसके घर, आंगन में, उसको अपने गांव में उच्च शिक्षा मिल सके इसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर, यहां यह दृष्टान्त देना मैं समीचीन समझता हूं। जब मैं खुद प्राइमरी का छात्र था, अपने ही गांव के प्राइमरी में जब मैं

पढ़ने जाता था तो प्राइमरी में उस समय 8 अध्यापक होते थे। कभी-कभी 9 अध्यापक होते थे। लेकिन जिस प्राइमरी स्कूल में 8 और 9 अध्यापक होते थे। एक-एक क्लास में एक-एक अध्यापक हिस्सा आता था। कभी-कभी जिन कक्षाओं में बच्चों की संख्या ज्यादा होती थी उनको दो भाग में बांटकर एक-एक अध्यापक के पाले में उन बच्चों की जिम्मेदारी दी जाती थी। आज पूरे विद्यालय को एक अध्यापक, कहीं-कहीं एक शिक्षा मित्र और कहीं-कहीं एक अध्यापक तीन-तीन विद्यालयों को देखता है तो स्वाभाविक रूप से हम समझते हैं कि यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। इस पर बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में इस मामले को इसलिये ला रहा हूं कि किसी भी प्राथमिकता से ज्यादा महत्व इसको दे करके इस कमी को पूरा करने का कदम उठायेंगे जिससे कि दम तोड़ती बेसिक शिक्षा फिर से उत्थान के रास्ते पर बढ़ सके और जो भी बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई पड़ता रहा हो उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहीं दरिया दिली से बजट दिया और कहीं केवल ठेंगा दिखाया। हमें इस बात का ऐतराज नहीं कि आप मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, बदायूं पर ज्यादा मेहरबानी करें। करें, मेहरबानी करें, आपका गृह जनपद है, कार्यक्षेत्र है। (माननीय संसदीय कार्य मंत्री के कुछ बोलने पर) आप पहले भी धौंस जमाकर इतना उठा ले गये हैं कि अब ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं। मान्यवर, आज अच्छा होता इस बजट का समुचित लाभ पूरे प्रदेश के सभी जनपदों को जाता। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पीड़ा का संज्ञान ले लीजियेगा और जब कभी भी अनुपूरक बजट आये तो उसमें रामपुर को जरूर शामिल करियेगा। यह हमारी सिफारिश है। (हंसी)

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, बेसिक शिक्षा का जवाब हम दे दें ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

यह बात नहीं है। उन अध्यापकों को तलाश कराइये जिन्होंने इनको तैयार किया है और उनको सदन में पेश कराइये और उन्हें सदन में पेश किया जाए क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि इतना उग्र नेता उन्होंने कैसे बनाया ? (हँसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो इन सारी बातों को इसलिये ला रहे हैं कि वह माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में आयें, लेकिन मा0 मंत्रीगण अभी भी मा0 मुख्य मंत्री जी को अंधेरे में रखना चाहते हैं और इसमें विषयान्तर करके इस गम्भीर बात को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी इसके जीते-जागते नमूने हैं, उदाहरण है। तमाम अपनी ही घोषणाओं और वायदों के मुताबिक बड़ी कल्याणकारी योजनाओं को आपने संचालित किया, लेकिन उससे कभी राजनीति में रिटर्न नहीं मिलता और न आप उससे अपेक्षा करिये। इसकी अपेक्षा मत करिये लेकिन बेसिक शिक्षा के लिये जो बेहतर है, कौन शिक्षक होगा, कौन नहीं होगा, मायने यह नहीं रखता, लेकिन जो भी होगा, इस बेसिक शिक्षा को पटरी पर ले जाने का काम करेगा। अगर हम यह कह देंगे कि वह न हमारे हैं, न आपके हैं, मौका आने पर वह न हमारे साथ खड़े होंगे और न आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन यह कह करके हम बेसिक शिक्षा को राम भरोसे नहीं छोड़ सकते, यह कह करके हम बेसिक शिक्षा का खात्मा नहीं कर सकते, बेसिक शिक्षा पर जो राहू-केतु का ग्रहण लगने जा रहा है, उसको

खत्म नहीं कर सकते। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पूर्वांचल पर आखिर मेहरबानी करने में कोताही क्यों ? मान्यवर, आप भी पूर्वांचल से आते हैं और हमारे तमाम मा0 सदस्य भी जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं जो पूर्वांचल से आते हैं, अरे, एक बार पूर्वांचल पर भी तो मेहरबान होइए। मात्र 291 करोड़, पूरे पूर्वांचल के लिये मात्र 291 करोड़। अरे, कहां इतना बड़ा बजट और कहां 291 करोड़। इतने बजट में यह तो दाल में नमक जैसा भी नहीं है। मान्यवर, इसी तरीके से बुन्देलखण्ड जो अति पिछड़ा है, 758 करोड़, उसकी भौगोलिक परिस्थिति के मुताबिक हम इसको पर्याप्त नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्वांचल से कम है या ज्यादा है, लेकिन हम इसको पर्याप्त नहीं कह सकते।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की परिभाषा में 1, 2, 3, 4 जिले नहीं आते, उत्तर प्रदेश की परिभाषा में प्रदेश के सभी जिले आते हैं और आप प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, सभी जिलों के लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर कोई विकास की बात आगे बढ़ेगी तो हमारे जिले में भी आयेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, अभी हमारे भाई दलबीर सिंह जी सरकार की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन बजट में एक भी पैसा नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। तो मान्यवर, इस तरीके से यह बजट भेदभावपूर्ण है, साथ ही साथ इसमें पूरे प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया है, क्षेत्र विशेष की प्राथमिकताएं हैं, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी इन सब बातों का गम्भीरता से संज्ञान लें और जब कभी भी ऐसा मौका आये तो बराबर का महत्व पूरे प्रदेश के लोगों को देने का काम करें तो हम समझते हैं कि अच्छी बात होगी और अच्छी शुरुआत भी होगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के साथ ही साथ मान्यवर, इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अवस्थापना एवं औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से भी लम्बी-चौड़ी बातें की। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात को भी इस बजट भाषण के माध्यम से बताया कि 12 जून, 2014 को नई दिल्ली में निवेशक सम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया भर से 150 कम्पनियों ने भाग लिया। कनाडा, नीदरलैण्ड, तुर्की, पोलैण्ड, इटली, ताइपे देशों के राजनयिकों ने भाग लिया। मा0 मुख्य मंत्री जी यह कौन सी नई बात है। आपने तो 2013-14 के बजट के पहले 27 जनवरी से 29 जनवरी तक ग्लोबल पार्टनरशिप समिट 2013, आगरा भी किया था। लेकिन ग्लोबल पार्टनरशिप समिट 2013, आगरा के परिणाम जीरो। वहां भी 1300 से अधिक निवेशक, उद्यमी, कार्पोरेट जगत के महत्वपूर्ण व्यक्ति भाग लिये थे। लेकिन वही ढाक के तीन पात। उसका कहीं कोई नतीजा निकलकर नहीं आया। जब ग्लोबल पार्टनरशिप समिट 2013, आगरा टॉयटॉय फिस्स हो गया तो निवेशक सम्मेलन 12 जून, 2014 भी उसी दुर्गति को प्राप्त होगा। इसलिये बजट में कहना कोई चीज अच्छी जरूर लगती है लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी क्या आपने कभी पलटकर देखा कि ग्लोबल पार्टनरशिप समिट 2013, आगरा का इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ। जब उसका इम्प्लीटेंशन अभी तक नहीं हुआ तो निवेशक सम्मेलन 12 जून, 2014 का कार्यान्वयन होगा या नहीं होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

शुभ-शुभ न बोलेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम तो चाहते हैं हो। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी अगर आप नहीं चाहेंगे।

(हँसी)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मैं क्या करूं बतायें ? मैं उधर आ जाऊं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं इधर आने के लिये बहुत जल्दी मौका दूंगा, आप इधर आयेंगे हम उधर आ जायेंगे। हम उचित समय पर आयेंगे और जब हम उचित समय पर आयेंगे तो आपको उचित समय पर यहां भेज देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

सदन के बाहर मुंगेरी लाल खड़े हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 मुख्य मंत्री जी आज उद्योग और अवस्थापना के लिये चिन्तित तो हैं लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी आपके संज्ञान में मैं पहले भी लाया आज भी ला रहा हूं कि कोई भी उद्यमी यहां तब तक नहीं आयेगा जब तक आप कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करके उसके लिये वातावरण नहीं तैयार करेंगे। इसका अभाव है। आप जानते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि आपके लाख प्रयास करने के बाद भी गाड़ी पटरी पर आगे क्यों नहीं बढ़ी। इसीलिये कि यहां पर कोई भी आने के पहले हजार बार सोचता है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने खुद इसी विधान मण्डल के सत्र में उच्च सदन में इस बात को स्वीकारा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बलात्कार में 30, हत्या में 10, डकैती में 09 और लूट में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकारा और लिखित जवाब में स्वीकारा, इस साल जनवरी से मार्च तक यानी तीन महीने में 1209 हत्यायें, 51 डकैती, 776 बलात्कार और 783 लूट की घटनाएं घटीं, यह मा0 मुख्य मंत्री जी का जवाब है, जिन्होंने इस बात को स्वीकारा। मान्यवर, हकीकत को स्वीकारने के बाद परिणाम अच्छे आने के आगाज होते हैं, लेकिन हम अगर इस बात को झुठलाते रहेंगे कि बेहतर कानून-व्यवस्था है, फलां-फलां प्रदेशों से बेहतर कानून-व्यवस्था है, यहां उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्य मंत्री और सरकार आपकी बनाई है तो जिस जनता ने उत्तर प्रदेश की बागडोर आपके हाथों में सौंपी है, उसको देश के किसी दूसरे प्रदेश से लेना-देना नहीं है, किसी प्रदेश में क्या है उत्तर प्रदेश के लिये मायने नहीं रखता, उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता उसकी जवाबदेही आपसे चाहती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज बड़े पैमाने पर अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं, चूंकि आपने सुबह कहा था, आपका निर्देश था कि मैं [x x x] शब्द का प्रयोग न करूं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपने प्रयोग कर ही दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हम तो मान्यवर यह कहने जा रहे थे कि मैं नहीं कहूंगा, मान्यवर अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि आज उनको न कानून का खौफ, न पुलिस का खौफ, न सरकार का खौफ आज वह

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बेखौफ होकर के उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध और जनता पर कहर बरपा कर रहे हैं जिसके नाते बड़े पैमाने पर बलात्कार, हत्या, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती, लूट इत्यादि बेतहाशा बढ़े हैं। मान्यवर, यही नहीं, अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि इसी जून महीने में एक दर्जन लाशें पेड़ की डालों पर लटकती मिली, इसके पहले अपराध होते थे।

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई निघासन में)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं उस पर बता रहा हूं अभी निघासन के बारे में भी बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

बीच में टीका-टिप्पणी न करें, इन्हें बोलने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी जब आपके मुख्य मंत्री जी जवाब नहीं दे पायेंगे तो आप खड़े होकर उसकी भरपाई कर दीजियेगा। अगर आपके मुख्य मंत्री जी इतने अक्षम हैं कि आपको बोलने की जरूरत पड़ती है तो आप बोलिये, मैं बैठ जाऊं। माननीय अध्यक्ष जी, बदायूं की घटना के बाद, बदायूं में दो बच्चियों की पेड़ पर लाश टांगने के बाद, गोण्डा में, सीतापुर में,

(सत्ता पक्ष की ओर से आवाज आई कि सीतापुर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी)

मान्यवर, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, अगर कोई गलत कहता है तो मैं उसको चुनौती देता हूं। रायबरेली में, देवरिया में, हाथरस में, लखनऊ में, इटावा में, मुरादाबाद के राजूपुर मिलक में, बहराइच के रानीपुर गांव में, अलीगढ़ के लोधा कस्बे में और प्रतापगढ़ के आकफतनपुर में।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि यह तो आपका ही जिला है)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अब मेरा जिला है तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगा ? मान्यवर, मैं इसको इसलिये कह रहा हूं कि इतने ही दरम्यान, इतने ही कम समय में एक दर्जन जगहों पर लाशों को पेड़ों पर टांग करके अपराधियों ने समाज को चुनौती दी है, सरकार को चुनौती दी है।

(सदस्य श्री अनूप गुप्ता द्वारा यह कहे जाने पर कि आप सीतापुर की आत्महत्या की घटना को हत्या कह रहे हैं)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपनी बात जब बोलियेगा तो कहियेगा। अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिये। यह परम्परा नहीं है। अरे, आपने कह दिया, अब हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, ये अपराधी समाज के सामने चुनौती बन करके खड़े हो गये। सरकार के सामने एक नयी चुनौती का आगाज किया है और उनके बुलन्द हौसले इस बात को इंगित करते हैं कि आज वे कितने बददिमाग हैं, कितने उनके हौसले बढ़ गये हैं कि अब केवल अपहरण, दुराचार और हत्या उनके लिये छोटी घटना होती है। अपना भय और आतंक पैदा करने के लिये उन्होंने एक नया रास्ता खोजा है। हम समझते हैं कि ये केवल सरकार के लिये ही नहीं समाज के लिये भी चिन्तनीय

विषय है। इस पर गम्भीर होना पड़ेगा। ऐसे अपराधियों पर बेमुरव्वत होकर कड़ाई से पेश आना होगा। अभी हमारे कुछ सदस्य लखीमपुर की बात कर रहे थे। वह घटना हमारी सरकार में हो या आपकी सरकार में हो। लखीमपुर में हो या किसी भी जिले में हो, हम उसको अच्छा नहीं कह सकते और जहां तक रही लखीमपुर की घटना की बात तो वहां भी जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आया तुरन्त सी0बी0आई0 की जांच वहां भी कर दी गयी थी इसलिये हम अपराधियों के किसी भी कृत्य को जायज नहीं ठहरा सकते। हमारी सरकार का हो या आपकी सरकार का हो। हमारी सरकार में जितने भी अपराधियों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, वे जेल की सलाखों में गये। यहां तक कि हमारी सरकार के कुछ विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी ने भी अगर भूलकर कानून को हाथों में लिया तो उसके साथ भी कोई मुरव्वत नहीं हुयी। वह भी जेल की सलाखों में गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से इन घटनाओं को हमने इसलिये यहां पर प्रस्तुत किया कि अगर सरकार कुम्भकर्णी नींद में हो तो अभी समय है, जग जायें और मान्यवर, इन पर अंकुश लगाने का प्रयास करे। मा0 अध्यक्ष जी, यही नहीं मा0 मुख्य मंत्री जी ने खुद विधान मण्डल के उच्च सदन में जवाब देते हुये अभी 3 दिन पहले स्वीकारा इस बात को कि थानों पर हमले बढ़े। 2012 में 8, 2013 में 23 और 2014 में मई तक 7 हमले थानों पर हुये हैं। पुलिस चौकी पर भी हमले हुये, 2012 में 12, 2013 में 9 और 2014 में मई तक 10 हमले हुये हैं और पुलिस पर हमले हुये 2012 में 165, 2013 में 242 और 2014 में 60 मई तक। यह मा0 मुख्य मंत्री जी का जवाब है।

यह स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे, यह मुख्य मंत्री की भाषा और जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य आपको बता रहे हैं और मान्यवर, सदन चल रहा है इसके बावजूद भी अपराधियों को कोई भय डर नहीं। सदन का भी डर नहीं, सरकार का भी डर नहीं, पुलिस का भी डर नहीं और इस सदन के दरम्यान 16 जून से बात करते हैं, जब हम यहां बैठकों में मशगूल थे, फिरोजाबाद में 16 जून को दो पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरठ में 18 जून को पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। 18 जून को बरेली में दरोगा और सिपाही को भीड़ ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। 19 जून को अम्बेडकर नगर में जगन्नाथपुर, मोहम्मदीपुर आलापुर पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। 19 जून फैजाबाद में राजापुर गांव में खड़न्जा का विवाद सुलझाने के लिये गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। 19 जून आगरा में दबंगों ने दरोगा की पिस्टल छीनी और फायर किया। 20 जून नोएडा में अगवा युवती को छुड़ाने आये एक सिपाही को अपहरणकर्ताओं ने गोली मारी। 22 जून को मैनपुरी में पुलिस को बंधक बनाया। 22 जून को कन्नौज में चौकी इंचार्ज प्रेमपुर की पिटाई की। मान्यवर, हमने इसको इसलिये कहा कि अगर इसी तरीके से पुलिसकर्मी आज पुलिसकर्मियों की पिटायी क्यों होती है।

श्री सोबरन सिंह यादव-

मैनपुरी में कहां पुलिस को बंधक बनाया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

फिरोजाबाद के दो पुलिस कर्मियों के हत्यारों की सुराग में पुलिस फिरोजाबाद की आई थी मैनपुरी। गांव के लोगों ने उनको दौड़ा लिया, पिटाई की। मान्यवर, आज इतने थानों पर पुलिस चौकियों पर, पुलिस पर हमला क्यों ? अगर इसी तरीके से थानों पर, पुलिस पर चौकियों पर हमला होता रहेगा तो जनता का पुलिस से भरोसा उठ जायेगा अगर कहीं न कहीं इन पर आज हमले हो रहे हैं

तो इसका मतलब है या तो जनता की जवाबदेही की कसौटी पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं या पुलिसकर्मी जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं या पुलिसकर्मियों से कानून की हिफाजत का विश्वास जनता में नहीं रह गया है। मान्यवर, जिस खाकी वर्दी को देख करके सारे लोग उम्मीद किया करते थे कि हमें इंसाफ मिलेगा। आज अगर लोग उसके दुश्मन होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कानून से लोगों को विश्वास उठ रहा है। कहीं न कहीं खाकी की वर्दी से जो अपराधियों में डर और भय हुआ करता था, वह खत्म होता नजर आ रहा है। अगर आज पुलिस कर्मियों पर अपराधी भारी हो रहे हैं तो इसका मतलब अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो रहा है। अगर कोई ग्रामीण पुलिसकर्मी या थाने को घेरता है या हमला करता है तो इसका मतलब वह अधिकारी पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारी की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है। जनता की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये जो उसे उत्तरदायित्व सौंपा गया है। कहीं न कहीं उसके प्रति वह उदासीन है, जिसके नाते जनता का गुस्सा, उसको झेलना पड़ता है। इसलिये ऐसे मामलों को बहुत गम्भीरता से लेना होगा। मान्यवर, सरकार को सोचना होगा और साथ ही साथ प्रभावी कार्यवाही करनी होगी। आज बड़े पैमाने पर अपराध जो बढ़े हैं। हमने जो मा0 मुख्य मंत्री जी के हवाले से अभी हाल का दिया गया उनके वक्तव्य का कुछ अंश रखा है। इन अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही हो। मा0 मुख्य मंत्री जी दुष्कर्म, बलात्कार, दुराचार की घटनाओं को देखते हुए आपने वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत 15 नवम्बर, 2012 में की। मान्यवर, स्वाभाविक रूप से आपके मन में यह दर्द था कि हम इस प्रकार के कृत्य पर रोक लगायें।

मान्यवर, पीड़ितों को इंसाफ दिलायें और अपराधियों को सबक सिखाये। इसी कारण और इसी नीयत से आपने वूमेन पावर लाइन की स्थापना की है। आपकी अच्छी नीयत साफ तब तक नजर नहीं आयेगी जब तक आप पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिये कठोर कदम नहीं उठायेंगे। जब तक आप अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह अपराध बढ़ते रहेंगे। मान्यवर, 2,19,504 शिकायतें 1090 पर अंकित हुई। मान्यवर, इसमें से लगभग 2,05,613 शिकायतों का निस्तारण हुआ है। मान्यवर, केवल लखनऊ में ही 28714 शिकायतें आयीं जिसमें से 14510 शिकायतों का निस्तारण हुआ जिसमें अधिकतर पीड़ित छात्रायें थीं यह आपका आंकड़ा है मान्यवर। आपकी नीयत साफ थी इसलिये मान्यवर आपने इस वूमेन पावर लाइन की स्थापना की लेकिन उसके निस्तारण के लिये इतना कम स्टाफ आपने आवंटित किया है। कुल टोटल 25-30 स्टाफ है। जो इस वूमेन पावर लाइन को चलाने के लिये और शिकायतों के निस्तारण के लिये लगाया गया है। मान्यवर, 2,19,504 शिकायतों के निस्तारण के लिये इतना कम स्टाफ लगा है। इस पर आप विचार करें इसको बढ़ाने पर विचार करें ताकि हमारी पीड़ित बहन बेटियों को इंसाफ मिल सके। उनको सुरक्षा मिल सके और अपराधियों को उसका सबक सिखाया जा सके। तो इसलिये इस पर आपको प्रभावी कार्यवाही करने की जरूरत है। यदि मान्यवर हम आपराधिक घटनाओं का जिक्र करेंगे तो हमारे पास इसकी लम्बी चौड़ी सूची है। लेकिन इतना जरूर है कि आप चाहें निवेशकों का सम्मेलन कर लें आप चाहें आगरा समिट कर लें जब तक आपकी कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी लोगों को आप उसके अनुकूल वातावरण नहीं देंगे तब तक कोई भी उद्यमी अपना अपहरण कराने, अपनी हत्या कराने, गोली खाने के लिये यहां नहीं आयेगा। मान्यवर, जो कटु सत्य है उसका संज्ञान आपको लेना चाहिये। वास्तव में निवेशकर्ता

आपके यहां तभी आयेंगे जब आप यहां उनको उसके अनुकूल वातावरण प्रदान करेंगे। आपको इसके लिये अपराधों पर नियंत्रण के लिये कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आज जिस तरीके से मान्यवर, सरकार अपराधियों के सामने बौनी साबित हुई है उससे बात बनने वाली नहीं है। मान्यवर यद्यपि माननीय मुख्य मंत्री जी दिन आ जायेंगे सब मामले ठीक भी हो जायेंगे। माननीय अम्बिका चौधरी जी जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी के अन्दर आंखें दिखाने का गुण आ जायेगा उस दिन सब कुछ अच्छा हो जायेगा। लेकिन आप लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी को [x x x] बनाये रखा है ताकि आपको मनमानी करने का मौका मिला रहे। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि...

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय नेता विरोधी दल ने शब्द कहा है उसको वापस करवाइये। ऐसा नहीं है कि वह जो चाहे बोल देंगे। [x x x] शब्द जो कहे हैं इसको वापस लीजिये। यह शब्द जो इन्होंने कह दिया है इसको वापस करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

देख लेंगे, देख लेंगे।

एक बार में एक ही माननीय सदस्य बोलें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो शब्द इस्तेमाल किया है माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह इनका शब्द कतई नहीं है यह मुख्य मंत्री जी की फुआ जी का हो सकता है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, यह शब्द वापस लिया जाय।

मान्यवर, मैं चाहती हूं यह शब्द वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना भाषण जारी रखें, फातिमा जी, आप बैठ जायें। बोल लेने दीजिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यह [x x x] शब्द वापस लें।

श्री अध्यक्ष-

वह हम कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसके लिये फिट है इसके लिये फिट है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, इससे शिक्षकों की शिक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आप बड़ी वरिष्ठ सदस्य हो गयी हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि [x x x] शब्द जो है माननीय मुख्य मंत्री जी को अच्छा लग रहा है और वह मुस्करा रहे हैं आपको क्यों पीड़ा हो रही है।

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, यह जो [x x x] शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तो बात केवल फुआ तक है अगर यह चाहें तो फुआ से आगे बात बढ़ा दें अगर आपकी इच्छा हो तो।

श्री अध्यक्ष-

यह निकाल दिया जायेगा। यह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायेगा, आप बोलें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह असंसदीय है ही नहीं।

श्री अखिलेश यादव-

अगर फुआ से बात आगे चाहते हो तो बता दें। अध्यक्ष महोदय, अगर फुआ से बात आगे चाहते हो नेता विरोधी दल तो इसको बता दें। किसी ने एक बार थोड़ी बहुत उठायी थी बाद को क्या-क्या जला था यह पता होगा इनको इन्होंने पूरी सीमाएं तोड़ दी थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये इसी तरह से हनक के साथ आये, स्वागत करूंगा मैं तो चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं। मान्यवर, इनके लोग यह नहीं चाहते कि मुख्य मंत्री अपने तेवर में आयें। थोड़ा सा तेवर में आये तो इनके मंत्रि-मण्डल के सारे मंत्री इधर-उधर दायें बायें घूमने लगे लाइन पर आ गये और मैं चाहता हूं कि यह बरकरार रहे।

मैं तो जहां हूं यहां रहूंगा, डरिये आप लोग और माननीय अध्यक्ष जी जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने में मैं कतई कोताही नहीं करूंगा और सत्ता पक्ष के लोगों को अगर सही बात सुनने का धैर्य न हो तो मान्यवर, वह आपसे निवेदन कर लें, मैं बोलना बन्द कर दूंगा। लेकिन लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्वहन करने के लिये स्वामी प्रसाद मौर्य को न डर है, न भय है, न सरकार की कोई हनक इसे कम कर सकती है और जिनके दामन में दाग नहीं, हजार सरकार भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती।

श्री अम्बिका चौधरी-

अरे मौर्य जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं, सेहत खराब हो जायेगी, गुस्सा मत कीजिये, कृपया अपनी बात कहिये।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइये। माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग मुझको विधिवत् सुनना चाहते हैं इसलिये बीच में टोका-टाकी करके हमें मौका देते हैं कि आप और अच्छी बात करिये। मैं सुनाऊंगा, आप घबड़ाइये मत।

उद्यान मंत्री (श्री पारसनाथ यादव)-

माननीय नेता विरोधी दल, यह सदन है और पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि देश का आईना है और देश के लोग देख रहे हैं। आज जिस बिन्दु पर चर्चा हो रही है। यह इतने बड़े प्रदेश का बजट है, उस पर चर्चा होनी चाहिये। लेकिन हर बात में कभी [x x x] कभी कोई बात कह कर इतना समय बरबाद करना और कभी धमकी देना कि इतना ताकतवर नहीं हो गये हैं। स्वामी प्रसाद जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मुझे कोई डरवा नहीं सकता, ऐसा सदन में आप न बोलें, यह मैं नम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया चर्चा जारी रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई नया सदस्य कहता तो बात समझ में आती लेकिन यह हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप उन टिप्पणियों पर क्यों जाते हैं, आप अपनी बात कहिये।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैनपुरी में भी इन्होंने इसी तरह मंच से बोला था।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें। वहां क्या हुआ, उसकी चर्चा छोड़िये। नेता प्रतिपक्ष, आप चर्चा जारी रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के सदस्य का मन दुखाने के लिये मैं नहीं बोल रहा हूं। सोई हुयी सरकार को जगाने के लिये बोल रहा हूं और यह मेरा धर्म है। इस धर्म से हम पीछे नहीं हटेंगे और जो सही बात है उसे सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। मान्यवर, अब माननीय वरिष्ठ मंत्री जी, वह हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अरे आप उन टिप्पणियों का कहां तक जवाब देंगे।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अब आते हैं बिजली पर जिसके नाते पूरा प्रदेश परेशान है। आज जो पूरे प्रदेश में चरमराई बिजली व्यवस्था है, उसके विषय में बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता इसलिये नहीं है कि कई बार

(सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज सरकार ने बिजली आपूर्ति के लिये जो समय सारिणी निर्धारित की है वह भी बिजली अगर मिलती होती तो मैं इनको धन्यवाद देता। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 10 घण्टे की बिजली आपूर्ति का निर्धारण आपके द्वारा किया गया है तो इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन मान्यवर, आज वह नहीं हो रहा है, दर्जनों बार कटौती का सामना करना पड़ रहा है यहां तक कि जो आपकी निश्चित समय सारिणी आपूर्ति की है उसमें भी बड़े पैमाने में कटौती करके ग्रामीण क्षेत्रों में चार-पांच घण्टे बिजली दी जा रही है, शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार की देन नहीं रही है। लेकिन शायद हमारे सत्ता पक्ष के लोग इस बात को भूल गये कि जब हमारी सरकार थी तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम बिना कटौती के 14 घण्टे बिजली देते थे, महानगरों को बिना कटौती के हम 24 घण्टे बिजली देते थे, जिला मुख्यालयों पर हम 20 घण्टे बिजली देते थे और टाउन एरिया तहसीलों में हम 18 घण्टे बिजली देते थे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, जितना आप मौर्या जी को टोकेंगे, मौर्या जी उतना ही उद्विग्न हो करके आगे बढ़ेंगे, इसलिये आप शान्त रहें। मा0 मौर्या जी चर्चा आप जारी रखें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, शायद सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों को यह नहीं मालूम है कि नेता सदन भी बोलेंगे और चर्चा का जवाब देंगे अगर हमारे सदस्य उनके बोलने में व्यवधान डालेंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा तो मान्यवर, जब इनको अच्छा नहीं लगेगा तो यह भी अगर हमारे बोलने में व्यवधान डालते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है।

श्री प्रदीप यादव-

ऐ मौर्या....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

हट, बैठ, क्या बात करता है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया शान्त हो जाएं। मा0 मौर्या जी आप अपनी चर्चा जारी रखें। आप इतना उत्तेजित न हों, आप बैठ जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह आचरण है सदस्य का। मान्यवर, प्रदेश में 24 घण्टे बिजली मिल सके इसलिये मान्यवर, हमारी सरकार ने 35 हजार मेगावाट की नई योजनाएं शुरू की थीं। इसलिये मान्यवर, यह आरोप-प्रत्यारोप लगाने से बिजली व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त नहीं होने वाली है। हमे पर्याप्त बिजली प्रदेशवासियों को देनी है, यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है। प्रदेश ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और जब जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है तो जनता की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम भी मान्यवर, सरकार का है, इसलिये एक-एक करके कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ था शायद यदि उनकी जानकारी में सारे तथ्य होते तो यह बयान नहीं आते। मान्यवर, हमारी सरकार ने 35 हजार मेगावाट की नई परियोजनायें शुरू की थीं। इसके साथ ही साथ हमने प्रदेश में विद्युत कमी को....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मौर्या जी, यह सदन है, सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए, आप किसी सभा में नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आर्या जी, बैठिये।

श्री उदयराज-

आप किसी जनसभा में नहीं बोल रहे हैं विधान सभा के अन्दर बोल रहे हैं, कुछ नया हो तो बताइये कि कहां क्या शुरुआत की थी ? उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला मुख्यालय बता दें कि ब0स0पा0 सरकार में 22 घण्टे बिजली मिली हो। विधान सभा के भीतर सही तथ्य रखें। इस तरह का भाषण नहीं करना चाहिए। मौर्या जी, एक भी जिला बता दें जहां 24 घण्टे बिजली मिली हो।

श्री अध्यक्ष-

उदय राज जी, बैठिये, मौर्या जी के बोलने दीजिये। मौर्या जी 1.20 मिनट हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये फेज-1 प्रक्रिया के अन्तर्गत 2700 मेगावाट बिजली लम्बे समय के लिये क्रय करने का अनुबन्ध किया था। जिसको वर्तमान सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया। कुछ सदस्यों ने इस बात की जानकारी चाही कि हमारी सरकार में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये थे।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 नेता प्रतिपक्ष सिर्फ यह बता दें कि 05 साल में कौन सा बिजली का कारखाना इन्होंने लगाया था ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद में 2000 मेगावाट का हमने उस समय प्रस्ताव किया था, करछना, इलाहाबाद में....

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, एक कारखाना इन्होंने लगाया हो तो बस उसका नाम बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ओबरा में 200 मेगावाट का प्लाण्ट कई वर्षों से बन्द पड़ा था जिसको हमने प्रयास करके 200 मेगावाट बिजली की बढ़ोत्तरी करने का काम किया था। यह हमारी सरकार में हुआ था।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, कोशिश और प्रयास क्या होता है यह हमें पहले बता दें। एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो उसका नाम बता दें। नेता जी के समय में जो आप लोगों ने बिजली का कारखाना श्रीनगर, उत्तराखण्ड में लगवाया था जो लग करके तैयार हो गया आप लोग 05 साल तक ट्रांसमिशन की लाइन तक नहीं बिछा सके, अगर एक भी खम्भा लगाया हो तो बता दें। अगर समय चाहते हों तो आधा घण्टे का समय ले लें, उसमें बता दें।

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी पूछ रहे हैं कि एक भी कारखाना, पावर प्लाण्ट लगाया हो तो आनपरा-बी, आनपरा-सी हमने लगाया, मेजा का प्लाण्ट हमारे जमाने में लगा और 25 हजार मेगावाट की योजना हमने तैयार की।

श्री अखिलेश यादव-

तारीख बताइये कि कब लगाया ?

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी आप अपनी बात जारी रखिये। आज महामहिम राज्यपाल जी का शपथ ग्रहण भी है, जल्दी खत्म करना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह परियोजनाएं कब शुरू हुई उनके आंकड़े सरकार के पास रहते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 9 एम0ओ0यू0 साइन किए उसमें एक पर भी इन्होंने कुछ किया हो तो बता दें। कैसे एम0ओ0यू0 साइन किए हैं यह बताएं।

श्री रामवीर उपाध्याय-

अनपरा डी0 हमने लगाया अनपरा सी0 हमने लगाया मैं उस समय ऊर्जा मंत्री था बारा हमने लगाया करछना हमने लगाया रोजा की शुरुआत हमने की।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब बैठ जाएं। माननीय मौर्य जी, आज महामहिम राज्यपाल महोदय आए हुए हैं उनको शपथ भी लेना है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिए कि दूसरे विभाग पर भाषण दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार के पास सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है तो मान्यवर, अगर उत्तर दिया भी जा रहा है तो सरकार उसको सुनना भी नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष-

आपको एक घण्टा 25 मिनट हो गया सरकार सुन रही है आप कह रहे हैं कि सरकार सुनना नहीं चाहती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अभी माननीय उपाध्यक्ष जी ने उत्तर दिया जो खुद ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने खुद बताया कि अनपरा सी0 लगाया अनपरा डी0 लगाया और मेजा लगाया करछना लगाया तमाम योजनाओं को उन्होंने गिना दिया।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, जल्दी खत्म करें। महाना जी बहुत बेचैनी में हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

चीनी मिलों को कोयले से विद्युत उत्पादन की अनुमति भी हमारी सरकार ने दिया जिसमें 400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन हो।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिजली की बात कर रहे हैं कि चीनी मिलों को इन्होंने अनुमति दी। इनसे पूछिये कि को-जनरेशन की पालिसी कौन लाया था नेता जी यह पालिसी लाए थे। अब इनसे कहिए कि यह विभाग बदले उस पर भाषण दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकारें अनवरत चलती रहती हैं। जिस चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हमने इम्प्लीमेंट किया।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, बगल में बिजली मंत्री बैठे हैं वह सहायता कर दें और बता दें कि कब को-जनरेशन की पालिसी आई थी। आप बता दें ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं नेता सदन को आश्वस्त कर दे रहा हूं कि आगे भी आप जो योजना छोड़कर जाएंगे उसका क्रियान्वयन और इम्प्लीमेंटशन हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, हम लोगों ने जो पालिसी बनाई थी जिसके तहत चीनी मिलें लगनी थीं जो लगी थीं उत्तर प्रदेश में यह बता रहे थे हम उसको अपनी सरकार में चालू रखेंगे तो आप यह बता दें नेता प्रतिपक्ष कि रोका किसने था यह बता दें। पालिसी किसने रोकी थी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, पालिसी भले ही आपकी सरकार में तय हुई हो लेकिन उस पालिसी को अमली जामा हमारी सरकार ने दिया था।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय मौर्य जी, यह बता दें कि रिकार्ड के लिए इन्होंने किया क्या था। इन्होंने पालिसी बन्द की कि नहीं की यह तो चीनी मिलें बेच रहे थे वह तो सरकार बदल गई और हम लोग बचा ले गए।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, टोका-टाकी से आगे बढ़िए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय नेता सदन बार-बार खड़े होकर बार-बार एक चीज को मांगेंगे तो हमें लगता है कि कल भी हमें बजट भाषण करना पड़ेगा। माननीय नेता सदन को हो जवाब देना ही देना है वह तो विस्तार से जवाब देंगे। अगर कहीं कोई बात हमको कहना होगा हम फिर कहेंगे।

(सदस्यों के हंसने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शान्त रहें, बोलने दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सारे लोगों को अकेले धराशायी कर रहा हूं। क्या बात करते हो। (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, चर्चा जारी करें। एक घंटा 30 मिनट हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हैं या नहीं है। बिजली दर बढ़ाये जाने की सुनिश्चित साजिश चल रही है। मान्यवर, अभी कैग रिपोर्ट के अनुसार 11,562 करोड़ की हानियां 5 बिजली कम्पनियों को उठानी पड़ी। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब से दो बार बिजली दर बढ़ाया गया और यह पहली सरकार है जिसने रेग्यूलेटरी चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगा करके पुनः दर बढ़ाने की तैयारी में है। मान्यवर, हम जो बिजली अपनी योजनाओं से 3 रुपया 65 पैसे प्रति किलोवाट लेते हैं एन0टी0पी0सी0 से 3 रुपये 32 पैसे प्रति किलोवाट लेते हैं। वहीं पर रोजा पावर प्रोजेक्ट से 6 रुपये 6 पैसे में, बजाज हिन्दुस्तान से 7 रुपये 75 पैसे में और रोजा पावर प्रोजेक्ट सेकेन्ड से 6.06 पैसे में।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, यह जो हिसाब किताब बता रहे हैं मैं इनसे केवल जानना चाहता हूं कि जिस समय रोजा का बिजली कारखाना लगा था वह किस दर पर लगा था और इनकी सरकार ने उसको कितने रुपये बढ़ाकर बिजली खरीदने का फैसला लिया था ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, हमारी सरकार में 4 रुपये से ज्यादा किसी भी बिजली कम्पनी से कोई बिजली नहीं खरीदी गई थी।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल इतना पूछा है रोजा के बारे में, नेता प्रतिपक्ष अगर मदद चाहते हैं तो इनके बगल में बिजली मंत्री जी बैठे हैं, उनके समय में विभाग रहा होगा तो वो बता देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं खुद बता रहा हूं जिसकी जानकारी मुझे है। अधिकतम 4 रुपये से ज्यादा किसी भी बिजली....

श्री अखिलेश यादव-

मैंने सवाल यह पूछा है आपसे कि जब रोजा का कारखाना लगा था बिजली का। समाजवादी पार्टी की सरकार में लगा था उस समय दर क्या थी और दर किसने बढ़ाई, किसकी सरकार के समय में बढ़ी, यह बता दें ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय पूरी डिटेल तो नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास सारे रिकार्ड होंगे, हम कल देखकर बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा कल अपने भाषण में बता दीजिएगा। माननीय मौर्या जी, आगे चलें कब तक बिजली से चिपके रहेंगे, आगे बढ़िये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं तो चल रहा हूं, लेकिन चलने तो दें।

श्री अखिलेश यादव-

यह कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय नेता सदन, यह अखबार नहीं आपका आफिशियल पेपर है, जिस पर रेट दिये है। यह पावर कारपोरेशन का है।

श्री अखिलेश यादव-

किस साल का है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह है 2014-2015 का जो आपके पावर कारपोरेशन ने प्रस्तावित किया है, उसका चार्ट है और बकाये अधिकारियों के द्वारा साइन्ड और स्वीकृत पेपर है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आप से यह कहेंगे कि जेब में 100 रुपये का नोट रखा हैं, आप कहेंगे कि 500 का है। अरे, इन्हें कहने दीजिए, आप कहिए जो कहना है। अब आप जेब के पैसे गिनाने लगेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, अब आगे चलिए। महाना जी बेचैन हो रहे हैं।

(श्री राम लाल अकेला कुछ बोलने के लिए खड़े हो गए)

आप बैठिए। नेता प्रतिपक्ष खड़े है, आपको नहीं खड़ा होना चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी मंशा केवल इतनी थी कि आज प्रदेश के सामने जो बिजली की इतनी दिक्कतें हैं और हो सकता है कि पावर कारपोरेशन के लोग आपके संज्ञान में न लाये हों इसलिए मैंने आगाह कर दिया कि अगर इस दर पर बिजली खरीदी जायेगी तो पूरे प्रदेश के लोगों पर इतना अधिक अतिरिक्त भार पड़ेगा जिससे आपकी सरकार की किरकिरी होगी। आप चाहें तो सरकार की किरकिरी होने से पहले ही बचा सकते हैं। मान्यवर, अभी तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, झारखण्ड और बिहार से मंहगी बिजली वर्तमान में ले रहा है। इसीलिए हमने कहा कि मान्यवर, कभी-कभी अधिकारी अपने तौर तरीके से सब कुछ तय कर लेते हैं, ऊपर तक बात नहीं पहुंचती, हो सकता है कि यह बात नेता सदन के संज्ञान में न आई हो इसीलिए हमने तथ्यात्मक आंकड़े रखे हैं और एक चीज मा0 नेता सदन और बता दूं, मैं कभी पेपर का संज्ञान नहीं लेता हूं। मैं लिखा पढ़ी के साथ आता हूं, अब यह बात सही है कि सत्य बात थोड़ा चुभती है। बात चुभती हो, वह बात दीगर है, लेकिन मैं जो बात रखता हूं, तथ्यात्मक रखता हूं और मेरा प्रयास रहता है कि आपको आपके अधिकारी गुमराह न कर सकें, इसीलिए मैं सावधान करता रहता हूं और यहां पर रह करके मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन सारी कमियों को इंगित कर दूं जिससे समय रहते आप सावधान रह करके प्रदेश को किसी भी मुसीबत से बचा सकें।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, 01 घण्टा 35 मिनट हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सत्तापक्ष के लोग हमें ज्यादा सुनना चाहते हैं तो पीठ को क्या दिक्कत होनी चाहिए, आपकी तो हमारे ऊपर सदाशयता बनाये रखनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सारी विपक्षी पार्टियों के आप नेता हैं, उन लोगों से पूछिये ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं अब तक अपनी बात को समाप्त कर दिया होता, अगर बीच में बार-बार सदस्य खड़े होंगे तो स्वाभाविक है, ज्यादा समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बोलिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, इसी के साथ-साथ जो वर्तमान बिजली बजट प्राविधानित है, देखने में वह ज्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से 5 बिजली कम्पनियों पर 11 हजार करोड़ का घाटे का सौदा करना पड़ा, हम समझते हैं, ऐसी चरमराई व्यवस्था की हालत में यह बजट कम पड़ जायेगा। मान्यवर, इसी तरीके से गन्ना किसानों की भी बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में वर्ष 2013-14 के बकाये के भुगतान का जिक्र तो किया। लेकिन जो अभी वर्तमान का सत्र है जिसमें पेराई सत्र पूरा हुआ। गन्ना किसानों को बड़े पैमाने पर बकाया बाकी है। 7529 करोड़ रुपया चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। मा0 उच्च न्यायालय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज सहित भुगतान का निर्देश भी दिया। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी जवाब देते वक्त कहेंगे कि हमने इतने चीनी मिल मालिकों पर एफ0आई0आर0 करायी। एक साल पहले क्यों नहीं। आज जब किसानों के बच्चे भुखमरी के कगार पर आ गये। उनकी पढ़ाई, लिखाई, दवाई प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर गन्ना किसान की बेटियों की शादी रुकी हुयी है उनकी बेटियों की पढ़ाई रुकी हुई है। ऐसी हालत में जिस कड़ाई के साथ मा0 मुख्य मंत्री जी को इन चीनी मिल मालिकों के साथ पेश आना चाहिए था। गन्ना किसानों के घावों पर मरहम लगाना चाहिए था वह नहीं किया।

मान्यवर, यहां मैं यह अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने गन्ना किसानों को ब्याज सहित भुगतान कराने का काम किया था। जिन चीनी मिल मालिकों ने भुगतान करने में आनाकानी की थी उनको जेल की सलाखों में भेजने का काम किया था और एक-एक पाई गन्ना कसानों के बकाये का भुगतान हमारी सरकार ने कराया था। लेकिन मान्यवर, अभी जो बकाया मूल्य चीनी मिलों पर है। सहकारी चीनी मिलों पर जिसमें कुल 23 चीनी मिलें हैं 646 करोड़ रुपया बकाया है। निजी चीनी मिल जो कुल 95 हैं इन पर 6883 करोड़ रुपया बकाया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि वह गन्ना किसान जो आज बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ गन्ना तैयार करता है कि चीनी मिल में जाने के बाद हमें पैसा मिलेगा और हम अपने परिवार का पालन-पोषण करेंगे। रोटी, कपड़े, मकान की व्यवस्था करेंगे। पढ़ाई लिखाई दवा की व्यवस्था करेंगे। बेटे बेटी की शादियों की व्यवस्था करेंगे। आज वह हाथ पर हाथ रखकर बैठा है और चीनी मिल मालिक आज इतने लापरवाह हो गये कि मा0 उच्च न्यायालय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी वह कहीं भी किसानों पर हमदर्दी जताने में आगे नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से में कहना चाहता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार यह कहकर नहीं बच सकती कि हम प्रयास कर रहे हैं बल्कि सरकार को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चीनी मिल मालिकों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए और गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिए केवल एफ0आई0आर0 कराने से नहीं अगर उनको जेल की सलाखों में भेजना पड़े तो उनको जेल की सलाखों में भेजकर गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। मान्यवर, यह हमारी मांग है और मान्यवर, इसके साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो गन्ना किसानों में निराशा है उनकी जो परेशानियां हैं

उनकी जो समस्यायें हैं सरकार उनके साथ खड़ी होकर उनके बकाये भुगतान को सुनिश्चित कराने का काम करना चाहिये। यही नहीं मान्यवर, आज सरकार को कुछ भले ही देर में सही सद्बुद्धि आना शुरू हो गई है, कल तक जो हमारी सरकार पर ताने कसा करते थे, आज हमारे रास्ते पर चलने की शुरूआत कर दी है। जब पुलिस कर्मियों को सुदूरवर्ती जिलों में तैनाती का आदेश हमारी सरकार ने किया था, इन्होंने चुनाव के पहले वायदा किया कि हम आपको अपने जिले में तैनात कर देंगे, जिले में तैनात कर दिये, ढाई साल के अन्दर उत्तर प्रदेश अराजकता का शिकार हो गया और मा0 मुख्य मंत्री जी को अपना वह फैसला वापस लेना पड़ा और हमारी ही सरकार के तर्ज पर इनको फिर अपने निकटवर्ती जनपदों से दूर तैनाती देने का आदेश देना पड़ा। मा0 मुख्य मंत्री जी जब सरकार बनी थी, उस समय हमारे इस फैसला का आपकी सरकार ने विरोध किया था, लेकिन आज फिर वही रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हुए, इसलिए कि हमारा पहले का फैसला सही था। मान्यवर, यही नहीं, थाना दिवस बन्द कर दिया गया था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी उस व्यवस्था को मा0 मुख्य मंत्री जी ने समाधान दिवस के रूप में फिर से प्रारम्भ किया और मान्यवर, जब बसपा सरकार की एक-एक नीति आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की शुरुआत कर दिये हैं, जो इस बात को साबित करता है कि हमारी सरकार द्वारा लिये गये फैसले सही थे, उचित थे, व्यवहारिक थे और यही कारण है कि धीरे-धीरे आपको बैक-फुट पर आना पड़ रहा है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी दिखाये के लिए सदन के अन्दर हमारे पड़ोसियों से बहुत लड़ते नजर आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी इन पर मेहरबानी है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कुछ तो डरो, ऊपर वाले का कोई डर नहीं रह गया क्या।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने देश के प्रधान मंत्री का लोक सभा क्षेत्र वाराणसी जहां पर उन्होंने केन्द्र सरकार से घाटों की बेहतरी के लिए 18 करोड़ रुपया दिया, आप भी उन पर मेहरबान होकर 30 करोड़ रुपया उनको दिये। मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा पर मेहरबानी मेरी नहीं नेता जी की रही है, तो चलिये नेता जी के रास्ते पर आप चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष समझ नहीं पा रहे हैं, एक तो इन्होंने खाना नहीं खाया इसकी वजह से नाराज हैं और भूल जा रहे हैं थोड़ा। मा0 अध्यक्ष महोदय, जो घाट के लिए पैसा दिया है बजट में यह बहुत पहले घोषणा में स्वीकृत है पुराने, यह नेता जी की पुराने सरकार में जिस समय घाट थे, कुछ काम हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ था, इस समय काम शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

अभी कितना समय लेंगे मौर्या जी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बस खत्म करने चल रहा हूं, मान्यवर, जो भी बिजली है, पूरे प्रदेश को बराबर दें, केवल प्रधान मंत्री के क्षेत्र पर मेहरबानी बरसा करके हमारे पड़ोसियों से जो मोहब्बत आप दिखाने का काम कर रहे हैं हम समझते हैं, एक तरफा प्यार नहीं चलेगा। मान्यवर, प्रदेश के सभी जनपदों में समान रूप से.....

श्री अध्यक्ष-

वो खड़े हो गये, चौधरी जी। आपने बनारस का नाम लिया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आप इसके प्रत्यक्षदर्शी और गवाह हैं कि मैं सन् 1989 से चुनकर यहां आता रहा हूं, वाराणसी विश्व के मानचित्र पर अपना अनूठा स्थान रखता है। इस कारण मेरी मांग हमेशा रही है कि काशी के अनूठेपन को देखते हुये उसको 24 घण्टे बिजली दी जाये और भी अनेक विकास कार्य किये जायें। लेकिन इस बात का बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी को, नेता सदन को कि उन्होंने उस मांग को सम्मान दिया और यही नहीं सदन में सारे नियमों के साथ मैं उठाता रहा हूं और व्यक्तिगत रूप से जब भी मिलता रहा हूं, मैं वाराणसी की बात करता रहा हूं। आप कहते रहे हैं कि मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा बनारस के लिये तो इस बार इन्होंने बहुत ही सदाशयता दिखलाई और काशी की जनता पर मैं कहूं, उनकी सदाशयता है, उनकी कृपा हैं कि उन्होंने 24 घण्टे बिजली देने का आदेश कर दिया।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

ये पड़ोसियों की बात नहीं हैं, ये काशी की बात है जो सर्वविद्या की राजधानी है, जो सन्त कबीर दास, सन्त तुलसी दास और रविदास की कर्मस्थली है। जो आपका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय है, जहां आप भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो जो इस तरह से मरने के बाद भी और मरने के पहले भी मां गंगा सबके काम आती हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन एक बार करना चाहता हूं देश-विदेश के लोग आते रहते हैं। वहां अगर कुछ किया जाता है तो वो निश्चित रूप से एक अनूठी और प्रशंसा की बात होगी और मा0 मुख्य मंत्री जी और हमारी पार्टी लाइन हमारी अलग है, वह अलग बात है लेकिन जो उन्होंने काशी की जनता के लिये किया है उसके लिए यह हमेशा याद किये जायेंगे कि उन्होंने 24 घण्टे बिजली काशी को दी है और मैं काशीवासियों की तरफ से आपके (मा0 मुख्य मंत्री जी) प्रति हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 दादा जी बहुत वरिष्ठतम् सदस्य हैं और उनके संघर्षों के प्रयास से भले ही मोदी पर मेहरबानियां बरसी हों। धन्यवाद और बधाई के पात्र दादा जी ही हैं लेकिन उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आगे बात बढ़ाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप कितना समय लेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं। इसी तरीके से मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 करोड़ रुपये की योजना का लाभ सदन के सभी मा0 सदस्यों को बराबर मिलना चाहिये जबकि इस योजना का लाभ केवल एक पार्टी विशेष के लिये मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा किया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप सदन के नेता हैं। अगर सदन के नेता हैं तो सभी मा0 सदस्य और सभी पार्टियां आपके सामने बराबर हैं इसलिये इसमें जो भी 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है सदन के सभी मा0 सदस्यों को इससे आच्छादित किया जाना चाहिये और साथ ही साथ बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ सभी मा0 सदस्यों के माध्यम से पूरे प्रदेश में जाना चाहिये।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

5 साल तक हम भी हैण्डपम्प मांगते रहे। वर्ष 2007 से 2012 तक हैण्डपम्प मांगते रहे। केवल 100 मीटर सड़क की योजना दी थी, आपकी सरकार ने।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि तमाम बातों का बड़े पैमाने पर अभाव है। योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रतिब्द्धता नहीं है। प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। यहां तक की अपनी प्राथमिकताओं की घोषणाओं के प्रति भी सरकार की वचनबद्धता नहीं है और साथ ही साथ इस बजट से प्रदेश के आगे भविष्य में दुर्दशा न होने पाये इसीलिए मैंने तथ्यात्मक बातों को आपके माध्यम से सदन में लाने का प्रयास किया। नेता सदन के संज्ञान में यह लाया कि इसमें तमाम ऐसी ये बातें हैं जिनका मान्यवर, आप समय रहते सावधान होकर, प्रभावी कार्यवाही करके प्रदेश को समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। इसीलिए मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के इस बजट भाषण का विरोध करता हूं, क्योंकि यह निराशाजनक है, गरीब विरोधी है, गांव विरोधी है, किसान विरोधी है और साथ ही साथ, इनकी प्राथमिकताओं का झुनझुना भी गायब है। इसीलिए मान्यवर, मैं मजबूती के साथ अपनी बात रखता हूं।

(श्री सतीश महाना, श्री राम गोविन्द चौधरी दोनों के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, थोड़ा समय बचा है, राम गोविन्द जी अभी बोल लें आप कल बोल लेंगे। महाना जी इनको बोल लेने दीजिए ज्यादा ये नहीं बोलेंगे। एक इधर से और उधर से बोल लें। देखिए ऐसा है एक नेता बोल लें फिर ये बोल लें, फिर आप बोल लें फिर ये बोल लें।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यह आशय नहीं था।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर बोलने का हमें जो अवसर दिया....

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसा आचरण उन्होंने किया, वैसा ही आचरण ये भी कर रहे हैं। इनमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपका समय नहीं बच पा रहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमने विरोधी दल का सम्पूर्ण विपक्ष का बजट पर चर्चा सुनी है।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह बजट भाषण था। यह कोई तरीका नहीं है। अगर आपने तय कर लिया कि आप लोगों ने मिली-जुली कुश्ती करवानी है तो हम लोगों के यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, जिनकी सीमायें तय नहीं होतीं उनकी अपनी सीमाएं खुद तय करनी होती हैं।

(श्री सतीश महाना, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था क्या है सुन लेने दीजिए ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ हूं, जबकि मा0 नेता प्रतिपक्ष बैठ गए थे, उनके बैठने के बाद मैं खड़ा हुआ हूं। इनके खड़े रहते मैं खड़ा नहीं हुआ हूं मान्यवर। नेता प्रतिपक्ष के बैठने के बाद मैं खड़ा हुआ हूं, मैं बैठा नहीं हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष को मान्यवर, ठीक है कि बहुत सारे अधिकार होते होंगे। जिनके असीमित अधिकार होते हैं, उनको अपने अधिकार तय करने होते हैं। जिनके लिए संविधान में लिखा हुआ है कि इनके लिए समय-सीमा तय नहीं है। उनको स्वयं अपनी समय-सीमा तय कर लेनी चाहिए मान्यवर, दूसरे के कहने के ऊपर उन्हें समय-सीमा तय नहीं करनी चाहिए। सबको इस बात को समझने की आवश्कता है, जो लंबा बोला जाये और ज्यादा समय तक बोला जाए, उसका ज्यादा प्रभाव पड़े इस बात की वजह को कोई सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। आप दो घंटे भाषण देंगे और अगर आप अपनी सीमाएं नहीं तय करेंगे तो मान्यवर समाज उसकी सीमाओं के देखता है और सारे लोग

उसकी सीमाओं को देखते हैं और मान्यवर, यह बहुत गंभीर बात है, जो मैं कह रहा हूं। ऐसे ही हल्की-फुल्की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे मन के अंदर पीड़ा है। मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, आज बजट के ऊपर मान्यवर, साल भर का लेखा-जोखा होता है आज उस पर भी हम गंभीर नहीं हो सकते हैं अगर उसको भी हम सही तरीके से नहीं रख सकते हैं। ऐसे अगर आपको आंकड़ा ही देना है, 6000 घटनाएं हुई हों तो उन 6000 घटनाओं का आंकड़ा देने में ही 2 दिन लग जायेंगे।

[4.28] बजट चर्चा के समय सदस्यों के चर्चा में भाग लेने हेतु निर्धारित क्रम

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोबिन्द चौधरी)-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बजट पर रखे गये अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा विभाग का जिक्र किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस सम्बन्ध में मुझे कुछ बोल लेने दें। आपने कहा भी कहा था कि जब माननीय नेता विरोधी दल बोल लेंगे तब आप मुझे मौका दे देंगे। आपने कहा था कि एक उधर से और एक इधर से बुला लेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस पर विचार कर लें। मान्यवर, आप देखें 1980 में ही ऐसी व्यवस्था थी फिर 1984 और 1989 में यही व्यवस्था लागू थी। आप उस व्यवस्था को लागू करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं वर्ष 1980 में आया था तो हमारे दल के सदस्यो की संख्या कम थी और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। उस समय यादवेन्द्र सिंह जी उपाध्यक्ष थे, उस समय एक व्यवस्था चलती थी कि एक इधर से और दो उधर से बोलते थे, उन्होंने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया था और यह कहा था कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग जब सदन में आते हैं तो यहां संख्या बल को नहीं देखा जाता है, एक इधर से सदस्य बोलेगा तो एक उधर से सदस्य बोलेगा। वही परम्पर चली आ रही है। पिछली बार भी यही परम्परा थी माननीय मुख्य मंत्री जी जब यहां पर आते हैं तो विपक्ष के माननीय नेतागण बजट पर अपनी बात कहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी उसको सुन लेते हैं तब उसके बाद साधारण चर्चा शुरू होती है। यही परम्परा पिछले टर्म में भी थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेतागण जब बोलते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में रहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वह एक-एक सदस्य के भाषण को सुनें। ऐसे अवसरों पर माननीय दलीय नेतागण अपनी बात रखते हैं अपने दल के बारे में कहते हैं अपने दल की सोच के बारे में बात कहते हैं। माननीय राम गोबिन्द चौधरी आप दो तीन मिनट में अपना स्पष्टीकरण देना चाहें तो दे लीजिये। उसके बाद महाना जी को बोल लेने दें।

[4.29] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को हमने पूरी तरह से सुना है उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में भी अपनी बात सदन में रखी है। बेसिक शिक्षा विभाग पर इस सदन में चिंतन हो यह जरूरी है। मान्यवर, मेरा मानना है कि बेसिक शिक्षा पर इस सदन को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मान्यवर, हमारी सरकार जब बनी थी और हम लोग जब बजट लाये थे तो हमने इस सदन के अन्दर कहा था कि माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जायें और वहां प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई और

उसकी लिखाई के सम्बन्ध में देखें और अपने लोगों से जानकारी प्राप्त करें और उसको सुधारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगायें और जहां सुधार करने की बात हो वहां पर सुझाव दें हमको हम उसको पूरी तरह से लागू करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन है यह सत्य बोलने के लिए है। जब आप भी माननीय नेता विरोधी दल की छोटी उम्र के रहे होंगे तो आपने प्राइमरी पाठशाला में पढ़ाई की होगी कक्षा 1 व 2 के लिए एक ही टीचर होते थे जब कक्षा 5 में आते थे तो 2 टीचर हो जाया करते थे। उस समय बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई हुआ करती थी। मेरे साथ के पढ़े हुए दो-दो छात्र कलेक्टर हैं और मैं राम गोबिन्द चौधरी जनता का सेवक हूं और आपके सामने हूं।

श्री अध्यक्ष-

कल आपकी चर्चा जारी रहेगी। आप बैठ जायें।

श्री सतीश महाना-

आप पूरा बजट भाषण में अपनी बात कहियेगा।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

बजट भाषण ही तो मैं कर रहा हूं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप एक मास्टर से समझ गये और वह 9 मास्टरों से नहीं समझ पाये तो इसमें किसका दोष है उनका है कि आपका।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

सारा दोष आपका है। माननीय अध्यक्ष जी, ज्यों ही मेरी सरकार आई हमने 72825 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। जब हमने विज्ञापन निकाला और काउन्सिलिंग प्रारम्भ हो गयी तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कुछ लड़कों को पैसा दे करके हाई कोर्ट में रिट दाखिल करवाया हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया, प्रभावित रहा। फिर हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया और उस फैसले के विरोध में सरकार और कुछ लड़के दोनों लोग गये सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अन्तरिम आदेश दिया कि दो महीने के अन्दर आप नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करें और जैसा फुल बेन्च का जब आर्डर होगा तो उस पर वह लागू होगा हम उसकी भी तैयारी शुरू कर दिये हैं। मान्यवर, 13 हजार 97 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की, 41 हजार अनुदेशकों की मैंने नियुक्ति की, फिर 29,833 शिक्षकों की भर्ती के लिए मैंने विज्ञापन निकाला फिर कुछ लोग कोर्ट में चले गये वह प्रक्रिया बाधित रही फिर हाई कोर्ट ने कहा हमसे कि आप नियुक्ति करिये। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है उसी के तहत यहां लम्बित है। सुन लीजिए पूरी बात उन्होंने कहा है फिर न्याय विभाग में मामला गया है (व्यवधान) सुन लीजिए मान्यवर, 10 हजार नियुक्ति और गतिमान है शिक्षा विभाग में जब से हम लोग आये हैं।

[4.36] बजट चर्चा हेतु समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष-

यह बात आप अपने भाषण में जब कहियेगा तब कह लीजिएगा। यह समय निर्धारित है कि नेता जब बोलेंगे तो 15 से 20 मिनट और माननीय सदस्य जब बोलेंगे तो 8 से 10 मिनट।

[4.37] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हम नियुक्ति की प्रक्रिया में चालू हैं हमने दो-दो, तीन-तीन बार केन्द्र सरकार से जा करके आग्रह किया है कि आप नियुक्तियों में हमको दीजिए पैसा और नियुक्ति की कार्यवाही हम प्रारम्भ कर देंगे लेकिन उन्होंने हमको अनुमति नहीं दी। हम एक लाख 75 हजार शिक्षा मित्र, वह अध्यापक नहीं थे वह शिक्षा मित्र हैं एक लाख पचहत्तर हजार शिक्षा मित्रों को माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर सहायक अध्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है। कार्यवाही गतिमान है उसका अध्यादेश निकल गया है, उसका जीओ भी निकल गया है, कहां बाधित है शिक्षा, बाधित है लेकिन मन से बाधित है। जितने टीचर हैं अगर सभी माननीय सदस्य लग जायें अपने-अपने क्षेत्रों में तो जितने टीचर हैं वही बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए शिक्षकों की कमी है लेकिन उसको पूरा करने में सरकार पूरे जोरशोर से लगी हुई है और जल्द से जल्द पूरी नियुक्तियां हो जायेंगी। श्रीमन् आप हमको बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर बोलियेगा दूसरे भाषण में।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, फिर बोलेंगे बजट पर।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, फिर रोकने का, कहने का फायदा क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने समय बता दिया कि जो दलीय नेता बोलेंगे 15 से 20 मिनट और जो माननीय सदस्य बोलेंगे 8 से 10 मिनट।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, बजट जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है साल भर का कि प्रदेश की जनता को क्या मिलने वाला है, उनके हित में कैसे काम होने वाला है, उनके जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है कैसे आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता हैं, उसका प्रतिबिम्ब होता है। मान्यवर, बजट में मैं बहुत लम्बा चौड़ा यहां आंकड़े नहीं दूंगा अगर एक ही विषय के ऊपर कहां कौन सा अपराध हुआ है अगर दो हजार अपराध हुए हैं तीन हजार अपराध हुए तो उनको 3 दिन तक गिनाया जा सकता है और वह पूरा नहीं होगा, कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मैं आलोचना के लिए नहीं बोल रहा हूं बात यह है कि हम लोग मिलकर जो बजट प्रस्तुत है सत्तापक्ष और विपक्ष की बराबर की जिम्मेदारी होती है कि बजट की प्लानिंग सही तरीके से हो। हड़बड़ाहट के अन्तर्गत प्लान किया गया बजट जनता के हित में नहीं होता। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक हित और राजनीतिक लाभ, नफा और नुकसान दोनों ध्यान में रखते

हैं। लेकिन मान्यवर, जिस समय बजट बनाया जाय उस समय यदि राजनीति और वोट को ध्यान में रखकर यदि बजट बनाया जाय तो जनता का हित नहीं हो सकता। मान्यवर, इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि सरकार पूरे प्रदेश में सबके लिये बराबर की होती है। सरकार यह जिम्मेदारी लेती है कि हम पूरे प्रदेश का हित करेंगे। बजट बनाते समय सरकार इस बात का ध्यान नहीं रख सकती कि इस व्यक्ति ने मुझे वोट दिया यह मेरा आदमी है और इसने नहीं दिया, यह मेरा आदमी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर बजट नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मैंने कहा कि अगर वोट को ध्यान में रखकर बजट बनाया जायेगा तो उस समय प्रदेश में मान्यवर, असमानता का वातावरण पैदा हो जायेगा और वह असमानता तब दिखती है जिस समय कोई भी विकास के काम कराने होते हैं और जब प्रभारी मंत्री वहां पर जाते हैं तो अपने विधायक अपनी राजीतिक दल के विधायकों के साथ भेदभाव करते हैं। मान्यवर, जिस समय मंत्री पद की शपथ ली जाती है, उस समय भी यह कहा जाता है कि मैं बिना भेदभाव के काम करूंगा। लेकिन जिस तरह वह भेदभाव मंत्री वहां बैठकर करते हैं, प्रभारी मंत्री के रूप में चाहे हों, चाहे वह जनता के हित के लिये विकास योजनाओं का पैसा देने के लिये हो, उस समय केवल वह किसी जनता के साथ भेदभाव नहीं करते, बल्कि अपनी उस ली गयी शपथ के विपरीत भी काम करने का काम करते हैं। जबकि वह कहते हैं कि हम बिना भेदभाव के सबके हित का काम करेंगे। हमारे बहुत से साथियों ने शपथ ली है और मैंने भी ली है, सभी सदस्यों ने ली है। बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ सदस्य हैं जो मेरे से भी सीनियर होंगे। यह याद हो जाता है, शपथ की तीन-चार लाइनें।

आदरणीय चौधरी जी, मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं। तो मान्यवर, ऐसा बजट भेदभावपूर्ण होगा तो उससे असमानता होगी और जिस समय असमानता होगी, उस समय घृणा का वातावरण होगा तो उससे वैमनस्यता होगी और जब वैमनस्यता बढ़ेगी तो उस समय प्रदेश विकास की तरफ नहीं, बल्कि विनाश की तरफ जायेगा। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहने जा रहा हूं कि यदि हैन्डपम्प भी देना है तो जैसा कि भारतीय संस्कृति में कहा गया है, मानव संस्कृति में भी यह कहा गया है कि पानी पिलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात और कोई हो नहीं सकती। जिस समय मान्यवर, पानी पिलाने के लिये छोटे से नल दिये जायेंगे और यदि उसमें भी भेदभाव होगा तो यह राजनीतिक दृष्टि से केवल कुछ विधायकों का अपमान ही नहीं होगा बल्कि यह उस मानवता का भी अपमान करने का प्रयास होगा। अब पीने का पानी भी आप नहीं दे सकते, उसमें भी आप भेदभाव करेंगे। आप धार्मिक आधार पर भेदभाव करेंगे, आप जातीय आधार पर भेदभाव करेंगे, जिस समय आप इन आधारों पर भेदभाव करेंगे तो इससे जातीय वैमनस्यता बढ़ती है। यह बात बजट में लिखी है और मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी को कुछ देने की बात होती है तो उसका विरोध नहीं होता, जैसे आज सवेरे हमारे माननीय खन्ना जी ने कोई बात कही थी तो उन्होंने यह नहीं कहा था। मैं बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी रिसपेक्टफुली माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि एक जिले को न दिया जाय, बल्कि उन्होंने यह कहा था कि अगर एक जिले को दिया जाय तो दूसरे जिले को छोड़ा न जाय। अगर किसी जिले को देने का विरोध किया जाता है तब तो वैमनस्यता होती है लेकिन अगर किसी जिले के साथ दूसरे जिले को बराबरी से उठाने की बात होती है तो मान्यवर, वह वैमनस्यता नहीं कहलाती। मैं चौधरी साहब आपको दिखाऊंगा, अगर चौधरी साहब आपने बजट भाषण न पढ़ा हो।

आप अभी कहें तो मैं अभी पढ़ देता हूं। मान्यवर, जिस समय सबको ध्यान में रखकर बजट बनाया जायेगा तो उससे समरसता बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा और तब प्रदेश प्रगति की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा कि बजट बनाने के लिये सबसे पहले अच्छी प्लानिंग का होना आवश्यक है। आपने अच्छा बजट बना दिया तो केवल इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, अच्छी प्लानिंग के साथ मान्यवर, उसका अच्छा क्रियान्वयन होना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी जिला योजना बनती है, उसमें सभी लोग सहमत होंगे, बोलें या न बोलें, वह आपकी बात है। केवल वार्षिक योजना जिस समय तय होनी होती है, उस समय प्रभारी मंत्री जाकर साल में एक बैठक करते हैं, उसके अलावा उसके क्रियान्वयन के लिये, उसकी मॉनीटरिंग के लिये कोई बैठक कभी नहीं होती। आप बजट दे देंगे और आप इस बात के लिए खुश हो जायेंगे कि हमने बजट अच्छा प्लान करके अच्छा दे दिया और प्रदेश विकास के पथ पर आगे चल पड़ा, मान्यवर, उसकी मॉनीटरिंग की जरूरत है और उसकी कान्स्टेंट मॉनीटरिंग, लगातार मॉनीटरिंग की जरूरत है और जिस समय काम हो जाता है तो उसका मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या लाभ मिला, जनमानस के लिए जो बजट तैयार किया गया उससे क्या नफा हुआ और कितना नुकसान हुआ। नफा और नुकसान जिस समय तय होगा, जनता के हित के लिए दिये गये पैसे जब जनता तक पहुंचाने की बात होगी तो उस समय हम बजट को एक सफल बजट कह पायेंगे। मान्यवर, मैंने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों पर बात नहीं करूंगा। मान्यवर, बजट तब अच्छा होगा जिस समय हम प्रदेश की प्रति कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात करें। मान्यवर, जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो प्रदेश का विकास करके हम देश के विकास में अपना महती योगदान करते हैं। मान्यवर, बजट उत्पादक और रोजगार सृजक होना चाहिए। मान्यवर, बजट वह सबसे अच्छा होगा जिसमें गरीब के लिए रोटी-कपड़ा मकान हो, बजट वह अच्छा होगा जिसमें हम दवा की बात करेंगे, जिसमें हम शिक्षा की बात करेंगे।

(सत्तापक्ष के द्वारा बैठे-बैठे बोलने पर)

मान्यवर, वह कह रहे हैं कि बजट में नहीं है, इस बात को रिकार्ड में आना चाहिए। मान्यवर, दो सालों के अन्तर्गत यह इस सरकार का तीसरा बजट है क्या तीसरे बजट में जिस समय मा0 मुख्य मंत्री जी खड़े होकर इस बात का जवाब देंगे क्या उस समय आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे कि दो बार जो बजट प्रस्तुत किया गया उसका लाभ जनता को मिला या नहीं मिला। लोकतन्त्र में मान्यवर, हम परिणामों की बात नहीं करते हैं, परिणाम आते हैं और चले जाते हैं, लोकतन्त्र में किसी एक सरकार ने ठेका नहीं लिया हुआ है, आप कब आये हैं, कब नहीं आये हैं, मुझे नहीं मालूम है, यह एक प्रक्रिया है। व्यक्ति जिस पद पर बैठता है उस पद की जिम्मेदारी होती है। आपने अपने बजट में कहा कि प्रथम चरण में लोगों को, नौजवानों को उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लैपटाप दिये थे, टैबलेट्स की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता दिया था, मान्यवर, यह बजट में लिखा हुआ है। जब प्रथम चरण में नौजवानों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने लैपटाप वितरण, बेरोजगारी भत्ता आदि दिये थे। क्या आपने उसकी मॉनीटरिंग की कि जो प्रथम चरण में आपके बजट प्रावधान थे, नौजवानों का भविष्य उज्ज्वल बनाने और उनका भविष्य संवारने के लिए

तो आपने कितना संवारा नौजवानों का भविष्य, कितना उज्ज्वल हो गया उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य क्या उसकी आपने मॉनीटरिंग की, इसका भी हिसाब-किताब यदि बजट में रखते तो अच्छा होता। इसे आप नहीं रख सकते थे क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं है। मैंने कहा कि अनियोजित तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से जब आप अपना बजट रखेंगे तो उस समय दो साल बाद आपको अपने चुनाव मैनिफेस्टो के तहत की गई घोषणाएं समाप्त करनी पड़ जायेंगी जो आपने समाप्त कर दीं। यदि प्लान्ड होता तो आप घोषणाएं समाप्त नहीं करते बल्कि उसे आगे बढ़ाते। अभी अपराधों के बारे में चर्चा कर रहे थे मा0 नेता प्रतिपक्ष, जिस समय वह कह रहे थे तो उस समय सत्तापक्ष के जो हमारे सम्मानित नेतागण बैठे हुए उन्हें किस समय किस बात पर क्या टिप्पणी करनी है उन्हें सोच समझ कर करनी चाहिए। जिस समय वह कह रहे थे कि लाशें पेड़ों पर लटक रही थीं उस समय वहां यह जवाब नहीं आया कि नहीं लटक रही थीं बल्कि जवाब यह आया कि शुरुआत आपने की थीं, मान्यवर, शुरुआत आपने की थी और उसे आगे बढ़ाने का काम आपने किया। एक शब्द जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, जिसे मा0 अध्यक्ष जी ने विधान सभा की कार्यवाही से निकालने की बात की थी, उस शब्द का यहां से एक बार प्रयोग किया गया और आपके यहां से 50 बार प्रयोग किया गया। क्या आप इस बात को नहीं समझते हैं कि अगर एक कोई शब्द जो मुझे नहीं अच्छा लगा, अगर यहां से प्रयोग किया गया तो उसको पचास बार कहा गया कौन से ऐसे सदस्य हैं आपके जिन्होंने रिपीट नहीं किया और एक-एक बार नहीं चार-चार बार आपने उस शब्द को रिपीट किया, आपको तकलीफ नहीं हुई थी कि उस शब्द को रिपीट नहीं करना चाहिए था, होनी चाहिए थी। आप विधान सभा के अन्दर कोई बात कह रहे हैं आप सड़क के ऊपर, चौराहे के ऊपर राजनीतिक परिचर्चा के लिए नहीं खड़े हुए हैं।

मान्यवर, हम जिस समय बजट के ऊपर बात करते हैं तो बहुत सी बातें हमारे जेहन में हैं। जनता ने हमें चुन करके भेजा है, हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि जिस समय उत्तर प्रदेश के विकास की बात होगी, उत्तर प्रदेश की अच्छी चर्चा होगी तो आपका अगर सीना गर्व के साथ चौड़ा होगा तो हमारा भी होगा, जिस समय बुराई होती है तो उस समय छांटकर बुराई नहीं होती है। अगर मेरे जैसा सदस्य या कोई सदस्य पहली बार भी चुन करके आये हैं। अगर प्रदेश की सीमाओं के बाहर जाते हैं और कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है कि इस प्रदेश से आये हैं, कोई बुराई करता है तो तकलीफ बराबर से होती है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कह दें कि हमारे से मतलब नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। हमें उसको सुनना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई लम्बे-चौड़े आंकड़ों के साथ बात नहीं करना चाहता और दो घण्टे का भाषण नहीं देना चाहता लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान में अवश्य डालना चाहता हूं। कानून-व्यवस्था के बारे में बात हुई। माननीय मुख्य मंत्री जी आप बहुत अच्छे हैं धमक होनी चाहिए। एक घटना अगर बदायूं में दुर्भाग्यपूर्ण हो गयी थी तो उसको रुकना चाहिए था उस घटना को रुकना चाहिए था, वह लगातार प्रदेश के अन्दर हफ्ते भर घटनायें होती रहीं, एक दिन के बाद दूसरे दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन, क्यों ? क्या हम पूरे प्रदेश को कुछ थानेदारों के ऊपर या कुछ अधिकारियों के हाल के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या ?

कोई एक अधिकारी आकर बड़े पद पर बैठ जायेगा तो सारा कुछ ठीक हो जायेगा। हम इसलिए यहां पर बैठे हुए हैं क्या ? हम लोग यहां पर इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि जिस अधिकारी से सरकार जैसा चाहेगी उस अधिकारी को इस तरह से काम करना पड़ेगा, उस अधिकारी को वैसे काम करने के लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है उसे करना ही पड़ेगा। हम उसको कैसे कह सकते हैं अगर नौकरी करनी है तो करना पड़ेगा। सरकार सरकार चलायेगी, सरकार कुछ अधिकारी नहीं चलायेंगे। इस बात के लिए भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहां पर मान्यवर, अवस्थापना सुविधाओं की बात कही गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी, जब आपने पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत किया था, सत्र प्रारम्भ होना था उसके बाद आपने आगरा सम्मिट किया तब भी आपने यहां कहा था कि बहुत बड़े आर्थिक निवेश का एम0ओ0यू0 साइन किये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप अपने उत्तर भाषण में बोलेंगे तो आपसे विनम्र निवेदन है कि बता देंगे कि कितना निवेश हुआ ? बजट भाषण भी उठाकर देख लेंगे कि पिछले वर्ष जो आगरा सम्मिट की, आपने जितनी निवेश की बात कही थी उसमें से कितना निवेश आपको प्राप्त हुआ और कितना निवेश एम0ओ0यू0 करने के बाद छोड़ दिया। मान्यवर, यह बात विधान सभा में आनी चाहिए। वही बात अब हुई, पिछली बार बजट से पहले आगरा सम्मिट किया इस साल बजट से पहले आपने दिल्ली में कुछ आयोजन किया। आप माननीय मुख्य मंत्री हैं, योग्य मुख्य मंत्री हैं आप प्रदेश के अन्दर जिस इण्डिस्ट्रयलिस्ट को बुलायेंगे वह आपके आमंत्रण पर आयेंगे ही। उनके आ जाने के ऊपर उनके साथ बैठक कर लेने के बाद उनके साथ फोटो खिंचा लेने के साथ हम प्रदेश के विकास की गति को नहीं बढ़ा सकते।

सूचना विभाग ने बड़े-बड़े यहां होर्डिंग्स लगाये, प्रदेश के निवेशकों को आपने धन्यवाद दे दिया। किसको-किसको दिया, गेल वालों को आपने कह दिया 1150 करोड़ रुपये का इण्डियन आयल का 8000 करोड़ रुपया उनका भी जोड़ लिया। फोर्टिस एक हास्पिटल वाले बना रहे हैं और एमिटी स्कूल वाले भी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं इससे प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ रहा है। क्या इसी से उद्यमियों में विश्वास जागृत हो रहा है क्या कि हमें उत्तर प्रदेश में चलना चाहिए। आपका इलेक्ट्रीसिटी का टैरिफ कितना है ? दूसरे प्रदेश जो इण्डस्ट्री के नाते तरक्की कर रहे हैं आप उनसे कारण पूछिये, आप उनकी बराबरी क्यों नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूं और सुझाव भी देना चाहता हूं। क्षमा इसलिये चाहता हूं कि जिस समय आप मीटिंग बुलायेंगे विधान सभा प्रारम्भ होने से पहले उसमें उपस्थित न होना अच्छा नहीं लगता लेकिन क्या विधान सभा चलने के पहले एक औपचारिक बैठक कर लेने से विधान सभा सुचारु रूप से चलना प्रारम्भ हो जायेगी। मान्यवर, जब तक सबका साथ और सबका विकास की बात नहीं होगी तब तक प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। खुद अगर कई बार हम माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करें कि आप इन इशूज पर बैठक करें और बातचीत करें आपके द्वारा आश्वासन जरूर दिया गया लेकिन कभी भी बैठ कर सलाह नहीं करी गई। मैं नहीं समझता कि आपको कोई जरूरत होगी अगर होती तो शायद दो साल में आप इसके बारे में चर्चा कर सकते थे।

प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से आपकी है क्योंकि आप सरकार में हैं लेकिन हमारी भी उससे कम जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि हम प्रदेश की जनता

के बारे में चिन्ता करना चाहते हैं। गन्ना किसानों के बारे में सुबह भी चर्चा हुई हमारे लोकदल के माननीय सदस्यों ने भी चर्चा की कितना बकाया है कितना आपने बजेटरी प्रावीजन किया है यह आपके सामने है शहरी विकास के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश में एक स्थानीय निकाय चुंगी लगाते थे आक्ट्राय या टोल टैक्स उसको कह सकते हैं एक आक्ट्राय लगती थी आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह जी ने उस चुंगी को समाप्त करने का आदेश दिया उनके आदेश से वह चुंगी समाप्त हो गयी। जब उन्होंने चुंगी समाप्त किया था तो विकल्प के रूप में सेल टैक्स जिसे आज हम वाणिज्यिक टैक्स कहते हैं उस समय उन्होंने घोषणा करी थी और 15 प्रतिशत सेल टैक्स उन्होंने बढ़ाया था उस समय बहुत सारे लोग होंगे उनको याद होगा उस समय मैं विधायक नहीं था इसलिये स्वाभाविक रूप से जानकारी नहीं है तो 15 प्रतिशत तो वह था उसके अलावा जो दूसरे मद जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसा दिया जाता था पहले भी दिया जाता था तो उस समय चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में 15 प्रतिशत दिया जाता था उसके अलावा जो स्टेट फाइनेन्स की जो मद है उस समय जो भी फाइनेन्स कमीशन था उसके प्लस यह था इस समय आप कितना दे रहे हैं आज आप 47,500 करोड़ का अनुमान कर रहे हैं कि यह आपको ट्रेड टैक्स से मिलेगा तो उसका टोटल 15 प्रतिशत भी आप नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि शहरों का विकास हो माननीय नगर विकास मंत्री जी की सहायता के रूप में मैंने यह बोला कि इतना पैसा जो आदरणीय मुलायम सिंह जी के द्वारा कहा गया था उतना पैसा तो कम से कम सरकार दे जो ट्रेड टैक्स आपको मिलता है उसका 15 प्रतिशत तो दें। उसके साथ जो दूसरी मदों का पैसा है वह भी ज्यादा देना चाहिए। उसकी भी मॉनीटरिंग एक बार कर लें शहरों के हालात अच्छे नहीं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा शहरों के हालात अच्छे नहीं होंगे तो हम इण्डस्ट्री नहीं ला पायेंगे और इण्डस्ट्री अगर नहीं ला पायेंगे तो प्रगति नहीं कर पायेंगे। अगर हम कहते हैं कि गांव हमारी आत्मा है तो उसकी प्रगति के लिये हमें उद्योग लगाने होंगे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना होगा। मान्यवर, एक आम सी कहावत है कि रोड्स आर वे आफ प्रोग्रेस मान्यवर, सड़कें प्रगति के रास्ते पर ले जाती हैं। सड़कों की क्या हालत है चलना मुश्किल है सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता। इसको भी मान्यवर, ठीक करने की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास की बातें लोहिया गांवों की बातें जिसके बारे में मैंने कहा था कि राजनीतिक दृष्टि से कार्य किया जाता है। ग्राम विकास मंत्री जी हमारी बात का ध्यान दे रहे होंगे। आपने रि-बोर के लिये 50 हैण्डपम्प एक ब्लाक में दिये नये वाले की बात मुझे पता नहीं है रि-बोर के लिये 50 हैण्डपम्प एक ब्लाक में दिये वह भी आपने कह दिया कि लोहिया ग्रामों में लगेंगे। लोहिया ग्रामों का आप अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं अच्छी बात है लेकिन इसके अलावा और भी लोगों को पानी पीना है और भी जगहों पर हैण्डपम्प खराब हो सकते हैं। मान्यवर, आपने घड़ी दिखाई मैं अपने आपको सीमित रखूंगा क्योंकि मैंने ही कहा था कि लम्बा भाषण देने से कोई प्रभावी नहीं हो जाता लेकिन पीने के लिये पानी मांगना तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सबसे न्यूनतम मांग हैण्डपम्प की है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता और सबसे न्यूनतम मांग हैण्डपम्प की, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पीने के पानी की और वह आप नहीं दे पा रहे हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी आप कार्यवाही निकाल कर देखियेगा जो आपने वोट एण्ड एकाउन्ट लेना था, बजट पेश नहीं किया गया था। आपने फिर यहां कह दिया कि समाजवादी जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने कहा था 100 हैण्डपम्प देंगे लेकिन नहीं दिये। आपने कहा था देंगे लेकिन फिर नहीं दिये। फिर नहीं दिये। आप कह देते हो यह देते नहीं हैं। बगल में जरा थोड़ा सा विशेष रूप से क्योंकि शहरों का मामला है इसलिये। उस समय तो आप सो रहे थे जब वह बोल रहे थे। तब आप सो रहे थे मैंने देखा था, मुख्य मंत्री जी ने आपको उठाया था। (हंसी) (सत्ता पक्ष से अब जाग रहे हैं, उधर डाक्टर साहब सो रहे हैं) डाक्टर साहब, देखिये डाक्टर साहब, मेरे बोलने पर मंत्र मुग्ध हो सकते हैं या तो दो समय आंखें बन्द होती हैं, सोने पर या मंत्र मुग्ध होने पर। यह तय करें कि वह क्या कर रहे थे। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, जब सबका साथ और सबका विकास तो मेरा निवेदन है कि यह हैण्डपम्प वाली बात, मैंने कहा कि बहुत बड़ा भाषण, बहुत बड़ा आकार भाषण का, पिछली बार भी इतना ही ज्यादा करोड़ रुपया लग गया। उन सारे पैसे लगने के बाद मांग क्या कर रहे हैं, हैण्डपम्प की। नहीं अगर बाहर जायेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतने लाख करोड़ रुपये का बजट था और मांग तुम क्या कर रहे थे, हैण्डपम्प की। मेरा क्या हाल होगा, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन आप उसको ठीक करेंगे या नहीं करेंगे यह आपके ऊपर छोड़ता हूं। शहरों के विकास का है, शहरों की बढ़ती हुई आबादी का है, बाहरी क्षेत्र के अन्तर्गत शहर अपने आप एक्सपेंड हो रहे हैं। सरकार उनके मकानों के लिये, उनके रहने के लिये किसी प्रकार की कोई ठोस योजना लेकर नहीं आ रही है। आंकड़े हर वर्ष आ जाते हैं और परिणाम अगले वर्ष शून्य रहता है। मान्यवर, इसकी ओर भी ध्यान दें ताकि यह जो बाहर सोसाइटी एरियाज इसके अन्तर्गत है, इसमें भी मूलभूत सुविधाएं हो जायं। मान्यवर, जब उसका विकास और सबका साथ है तो इस विधान सभा में 403 विधायक हैं और जिस दिन आदरणीय मुख्य मंत्री जी आपने शपथ ली थी उस दिन की शपथ में और आज की तारीख में जितना बिल्डिंग मैटीरियल के रेट में फर्क हो अगर उतना ही बढ़ा देंगे तो कम से कम उतना काम हम सारे विधायक कर सकेंगे। मान्यवर, यह 403 विधायकों की बात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना जी, अब 20 मिनट आपका टाइम खत्म हो गया। 5 बजे खत्म करना है। माननीय प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं, उनकी जगह आप बैठे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी बड़े वरिष्ठ नेता थे और हैं। यहां विधान सभा में थे और अब राज्य सभा में हैं। हम उनका बहुत आदर करते थे अगर उनसे कोई अच्छी बात सीख ली विधायकों ने तो कोई खराब बात नहीं है। इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री जी जब आप उत्तर भाषण देंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि विधायक निधि के बारे में भी कुछ न कुछ हो। यह एक व्यक्ति के लिये नहीं होगी। क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो एक्सपेंडेड एरिया है। एक सड़क मान्यवर, आप पूछिये एक सड़क एक डेढ़ किलोमीटर जब बनाई जाती है चाहे वह पी0डब्लू0डी0 वाले बनायें एक लाख डेढ़ लाख। एक करोड़ डेढ़ करोड़ की तो बड़ी-बड़ी सड़कें इतने में ही बनती होंगी एक

किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर, दो कि0मी0 इससे ज्यादा शायद नहीं बनतीं, रोज ही आप टेण्डर कराते हैं। उससे क्या फायदा होने वाला। मैं केवल इतनी ही बात कह कर क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ था कहने के लिये कि ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार पर बजट नहीं बनाये जा सकते। बजट बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार को चाहिए और सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करने जा रही है। दो अवसर आपके पास बचेंगे। पिछला बजट साथ में रखकर जिस समय आप बजट को पेश करेंगे तब शायद आप न्याय कर सकेंगे। इतनी सी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 23 जून, 2014

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-35 का उत्तर पीछे पृष्ठ-49-50 पर)

आगरा नगर निगम के औद्योगिक क्षेत्र फाउन्ड्री नगर नुनिहाई व शाहदरा में स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण

क्र0	कार्य का नाम	लागत (रु0 लाख में)	अन्य विवरण
1	छत्ता जोन यमुनापार, शारदा इंडस्ट्रियल स्टेट में सड़क का निर्माण कार्य।	2.59	पूर्ण।
2	छत्ता जोन, कक्ष संख्या-58, नुनिहाई इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री सं0-20 के पास क्षतिग्रस्त आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	0.97	पूर्ण।
3	जिला उद्योग कार्यालय के सामने नाला मरम्मत एवं नाले का प्रीकास्ट आर0सी0सी0 स्लैब का निर्माण कार्य।	1.37	पूर्ण।
4	नुनिहाई इंडस्ट्रियल स्टेट में दाऊजी मिष्ठान भण्डार के पास क्रास पुलिया का निर्माण कार्य।	0.97	पूर्ण
5	छत्ता जोन, कक्ष सं0-57 नुनिहाई इंडस्ट्रियल स्टेट में दाऊजी मिष्ठान भण्डार के सामने वाली सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य तथा साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग कार्य।	24.25	प्रगति पर।
6	छत्ता जोन, कक्ष सं0-57 नुनिहाई इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री सं0-20 व 21 के सामने स्थित सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य तथा साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग/नाला मरम्मत।	24.57	प्रगति पर।
7	छत्ता जोन, कक्ष सं0-57 नुनिहाई इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री सं0-36 के सामने स्थित सड़क का हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार कार्य तथा साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण/मरम्मत कार्य।	18.35	प्रगति पर।
8	छत्ता जोन, शाहदरा में मुकेश के मकान से दालमिल तक, जैसीन के मकान से मीना देवी के मकान तक, रोशनलाल के मकान से दालमिल तथा मीना देवी वाली गली में नाली व इण्टरलॉकिंग फर्श का कार्य तथा क्रास का निर्माण।	5.36	पूर्ण।

क्र0	कार्य का नाम	लागत (रु0 लाख में)	अन्य विवरण
9	छत्ता जोन, शाहदरा में प्रेम सिंह व नन्द किशोर व पूरन सिंह वाली गलियों में नाली व इण्टरलॉकिंग फर्श का कार्य।	1.04	पूर्ण।
10	छत्ता जोन, फाउन्ड्री नगर, इस्लाम नगर में यासीन के मकान से बादशाह के मकान एवं श्री मंगल के मकान से एम0के0 पब्लिक स्कूल तक नाली व इण्टरलॉकिंग फर्श।	9.65	पूर्ण
11	छत्ता जोन, इस्लाम नगर में नासिर खां के मकान से शिव सिंह के मकान व शाहिद बादशाह के मकान होते हुए यासीन के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग फर्श।	9.49	पूर्ण।
12	छत्ता जोन, कक्ष सं0-37, फाउन्ड्री नगर, हाथरस रोड भाटिया पेट्रोल पम्प से सी-63 चौराहे तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	25.26	प्रगति पर।
13	छत्ता जोन, यमुनापार, कक्ष सं0-37, फाउन्ड्री नगर, डिपो हाथरस रोड से सी-14 बंसल आइस कोल्ड स्टोरेज चौराहे तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	22.42	प्रगति पर।
14	छत्ता जोन, कक्ष संख्या-58, नुनिहाई इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री सं0-53 के निकट चौराहे से पुलिस चौकी तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	20.03	निविदा प्रक्रिया में।
15	छत्ता जोन, यमुनापार, कक्ष संख्या-57, शाहदरा मस्जिद के बराबर से राजपति प्रधान के मकान के आगे चौराहे तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार कार्य।	9.90	निविदा प्रक्रिया में।
16	पथ प्रकाश व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु।	9.82	पूर्ण।
	योग	**186.04**	

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

उपलब्धता के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति निम्नांकित रोस्टर के अनुसार की जा रही है :-

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	आपूर्ति	
1	ग्रामीण स्तरीय क्षेत्र	10 घण्टे	
2	तहसील स्तरीय क्षेत्र	10 घण्टे	
3	जनपद व समकक्ष स्तरीय क्षेत्र	15 घण्टे	
4	मण्डल स्तरीय क्षेत्र	18 घण्टे	
5	महानगर स्तरीय क्षेत्र	20 घण्टे	
6	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	15 घण्टे	
7	औद्योगिक क्षेत्र	24 घण्टे	
8	ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र	24 घण्टे	

पी0एस0यू0पी0-एल0 149 विधान सभा (265)-26-09-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।